FOR REFERENCE ONLY.

ादश माला, खंड 27, अंक 16

सोमवार, 5 अगस्त, 2002
14 श्रावण, 1924 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

दसवां सत्र
(तेरहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

PARLIAMENT LIBRARY
No. 54
Date 13/6/2023

(खंड 27 में अंक 11 से 21 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा. (श्रीमती) परमजीत कौर सन्धु
संयुक्त सचिव

पी.सी. चौधरी
प्रधान मुख्य सम्पादक

शारदा प्रसाद
मुख्य सम्पादक

डा. राम नरेश सिंह
वरिष्ठ सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सम्पादक

ललिता अरोड़ा
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

[त्रयोदश माला, खंड 27, दसवां सत्र, 2002/1924 (शक)]

अंक 16, सोमवार, 5 अगस्त, 2002/14 श्रावण, 1924 (शक)

विषय **कॉलम**

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

*तारांकित प्रश्न संख्या 302 और 304 6–20

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या 301, 303 और 305 से 320 20–47

अतारांकित प्रश्न संख्या 3054 से 3283 47–424

---

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

लोक सभा

सोमवार, 5 अगस्त, 2002/14 श्रावण, 1924 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

...(*व्यवधान*)

पूर्वाह्न 11.01 बजे

(इस समय श्री सुन्दर लाल तिवारी और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए।)

[*हिन्दी*]

अध्यक्ष महोदय: सस्पेन्शन ऑफ क्वैश्चन आवर का नोटिस मेरे पास आया है। मैं पूछना चाहता हूं कि सस्पेन्शन ऑफ क्वैश्चन आवर क्यों मांग रहे हैं। क्या यह मांग उचित है, क्या यह मांग तर्कसंगत है और क्या मैं प्रश्न काल को निलंबित कर सकता हूं, इसके लिए मुझे आप मौका तो दीजिए।

...(*व्यवधान*)

पूर्वाह्न 11.01½ बजे

(इस समय श्री अजय चक्रवर्ती और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभापटल के निकट खड़े हो गए।)

...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय: आपने नोटिस दिया है।

...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय: आप अपने-अपने स्थान पर जाइए।

...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय: मेरे पास नोटिस है रूपचंद पाल का।

[*अनुवाद*]

मुझे आपकी सूचना मिली है और आप मुझे हमेशा बता सकते हैं कि आप प्रश्न काल क्यों निलंबित करना चाहते हैं। मैं इस पर निर्णय लूंगा। लेकिन पहले आप अपने स्थान पर बैठिए।

...(*व्यवधान*)

[*हिन्दी*]

अध्यक्ष महोदय: दासमुंशी जी प्लीज इनको बैठाइए।

...(*व्यवधान*)

पूर्वाह्न 11.04 बजे

(इस समय डा. रघुवंश प्रसाद सिंह और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभापटल के निकट खड़े हो गए।)

...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय: सस्पैन्शन ऑफ क्वैश्चन आवर का आपका नोटिस है। आप बोलना चाहते हैं तो सभी अपनी सीटों पर जाइए।

...(*व्यवधान*)

[*अनुवाद*]

श्री किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर-पूर्व): महोदय, हम प्रश्न पूछना चाहते हैं। वे सभा की कार्यवाही में व्यवधान क्यों डाल रहे हैं? ...(*व्यवधान*)

[*हिन्दी*]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): इस मामले की सीबीआई इनक्वायरी होनी चाहिए। राम नाईक जी को इस्तीफा देना चाहिए। ...(*व्यवधान*)

[*अनुवाद*]

अध्यक्ष महोदय: जब तक आप सत्तारूढ़ दल को आश्वस्त नहीं करेंगे, तब तक राम नाईक जी क्यों इस्तीफा दें? आप सभा में बोल सकते हैं।

...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय: मैं माननीय मंत्री महोदय से वक्तव्य देने का अनुरोध कर रहा हूं। उन्हें अपना वक्तव्य देने दीजिए।

...(*व्यवधान*)

[*हिन्दी*]

अध्यक्ष महोदय: आप जानते हैं इस सदन में चर्चा हो सकती है। आप चर्चा के समय अपनी भूमिका सदन में प्रस्तुत कर

सकते हैं। जब तक आपकी भूमिका सदन और सरकार के सामने नहीं आएगी, तब तक सरकार को कैसे पता चलेगा कि आप किस बात के लिए प्रश्न-काल को स्थगित कराना चाहते हैं।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः मैं माननीय मंत्री जी से आज इस मुद्दे पर वक्तव्य देने का अनुरोध कर रहा हूं। मैं इस मुद्दे पर चर्चा कराने के लिए तैयार हूं। आप कृपया अपने-अपने स्थानों पर वापस जाइये।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदयः देखिए, मैं चर्चा कराने के लिए तैयार हूं। आप चर्चा करते समय अपनी बात कह सकते हैं। मैं सुनने के लिए तैयार हूं। मैं सरकार को भी निर्देश दे सकता हूं, लेकिन पहले आप चर्चा के लिए तैयार होइए और अपनी-अपनी सीटों पर बैठिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः इस सदन में चर्चा के माध्यम से ही समस्या का समाधान हो सकता है। सदन चर्चा करने के लिए ही है। जो भी बात आप कहना चाहते हैं, चर्चा के समय कह सकते हैं। मैं आप से विनती करता हूं कि आप अपनी-अपनी सीटों पर जाइए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः मैं सरकार से पूछ रहा हूं कि क्या वे प्रश्न काल निलंबित करने के लिए तैयार हैं।

...(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): महोदय, प्रश्नकाल निलंबित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वे 'शून्य काल' के दौरान यह मुद्दा उठा सकते हैं। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदयः संसदीय कार्य मंत्री कह रहे हैं कि आप इस मामले को शून्य-काल में उठाएं। मैं उनसे भी अनुरोध कर सकता हूं, लेकिन पहले आप अपनी-अपनी सीटों पर जाइए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः माननीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यहां उपस्थित हैं। आप उनसे वक्तव्य के लिए कह सकते हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदयः मैं एक बार फिर आपसे विनती कर रहा हूं कि आप कृपया अपनी-अपनी जगह पर बैठिए। जैसा आप चाहते हैं, मैं आपको चर्चा करने के लिए समय देने को तैयार हूं। इस सदन में चर्चा के माध्यम से ही समस्या का समाधान हो सकता है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः माननीय सदस्यों, आप कृपया अपने-अपने स्थान पर जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः आप कृपया अपने-अपने स्थान पर वापस जाइए। मुझे यह स्पष्ट करने दें। यदि सभा प्रश्न काल को निलंबित करना चाहती है, तो प्रश्न काल को निलंबित किया जा सकता है। अन्यथा प्रश्नकाल को निलंबित करने की कोई संभावना नहीं है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदयः कृपया आप अपनी-अपनी जगह पर जाइए। यदि आप इस प्रकार से करेंगे, तो मंत्री जी जवाब कैसे देंगे।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः कई माननीय सदस्य प्रश्न पूछना चाहते हैं। आप कृपया अपने-अपने स्थान पर वापस जाइए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदयः आप यही मांग अपनी सीट पर जाकर कहिये।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः आप जिस नियम के तहत इस पर चर्चा कराना चाहते हैं, उस नियम के अनुसार मैं चर्चा कराने के लिए तैयार हूं लेकिन पहले आप अपनी-अपनी सीटों पर जायें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः ऐसा कैसे चलेगा? मैं समझता हूं कि आप लोगों द्वारा ऐसा करने से कुछ नहीं होगा। यह उचित नहीं है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप अपनी-अपनी सीटों पर जाइये।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः दूरदर्शन का प्रसारण बंद कर दिया जाये।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः मुझे प्रश्न काल शुरू करना है, इसलिए कृपया अपने-अपने स्थान पर जाइए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदयः आप चर्चा करवाना चाहते हैं तो करिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः आप पेपर नीचे रखिये।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः हाउस में अखबार दिखाना उचित नहीं है। रूल्स के मुताबिक आप सदन में अखबार नहीं दिखा सकते।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः प्रश्न संख्या 301—श्री प्रवीण राष्ट्रपाल।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः माननीय सदस्य प्रश्न नहीं पूछना चाहते, इसलिए मैं अगले प्रश्न अर्थात प्रश्न सं. 302 पर आता हूं—श्री रतन लाल कटारिया।

पूर्वाह्न 11.12 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

प्रति हैक्टेयर उत्पादकता

***302. श्री रतन लाल कटारियाः** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विश्व के अन्य भागों की तुलना में देश में गेहूं, चावल, मक्का, दाल आदि जैसी प्रमुख फसलों की प्रति हैक्टेयर उत्पादकता कितनी है;

(ख) हमारे यहां कम उत्पादकता के क्या कारण हैं; और

(ग) उत्पादकता बढ़ाने हेतु क्या उपाय किये गये हैं?

कृषि मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) से (ग) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) भारत और विश्व के कुछ चुनिंदा देशों में गेहूं, धान, मक्का, दलहनों, मूंगफली, सोयाबीन, तोरिया और गन्ने के प्रति हैक्टेयर उत्पादन का विवरण अनुबंध में दिया गया है।

(ख) उत्पादकता में एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तथा अलग-अलग देशों में पर्याप्त भिन्नता होती है क्योंकि यह कई कारकों पर निर्भर करती है जैसे मृदा की स्थिति, सिंचाई की सुविधाएं, फसल की अवधि (बुवाई और कटाई के बीच की परिपक्वता अवधि), बीजों की गुणवत्ता, क्वालिटी आदानों का समय पर अनुप्रयोग, किसानों का प्रंधकीय कौशल और ऋणों की उपलब्धता आदि। भारत में, भाग (क) में उल्लिखित फसलों की उत्पादकता में लम्बे समय से उर्ध्वगामी प्रवृत्ति बनी हुई है। कुछ फसलों के मामले में भारत में फसलों की उत्पादकता अन्य देशों की तुलना में अधिक है

जबकि कुछ अन्य फसलों के मामले में यह कम ही है जैसा कि अनुबंध में देखा जा सकता है।

(ग) देश में कृषि जिंसों के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं जैसे पनधारा विकास कार्यक्रमों को प्रोत्साहन, नई प्रौद्योगिकियों के विकास और संवर्द्धन पर बल देना; कृषि ऋण की उपलब्धता बढ़ाने के उपाय करना, मण्डी सूचना नेटवर्क एवं राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम आदि। इसके अलावा सरकार मूल्य-नीति के माध्यम से भी किसानों को उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करती है जिसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य, सार्वजनिक एजेंसियों द्वारा खरीद करना शामिल है। इन सबके अलावा, राज्यों को सहायता देने के लिए सरकार नवम्बर, 2000 से परम्परागत स्कीमबद्ध दृष्टिकोण को छोड़कर बृहत प्रबंधन पद्धति को भी अपना रही है। बृहत प्रबंधन स्कीम में कार्य योजनाओं के माध्यम से राज्य सरकारों के प्रयासों के संपूरण एवं अनुपूरण के लिए 27 स्कीमों को मिलाकर एक कर दिया गया है। इससे राज्यों को अपनी विशिष्ट समस्याएं अपनी स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर हल करने की छूट मिलती है, अलग-अलग स्कीमों के विषयों को बार-बार दोहराने से बचा जा सकता है और इसका उद्देश्य कृषि या बहुमुखी विकास करना है।

अनुबंध

चयनित देशों में कुछ प्रमुख फसलों की पैदावार दरें 1997 से 1999

(किग्रा/हैक्टे.)

महाद्वीप/देश	गेहूं			धान			मक्का		
	1997	1998	1999	1997	1998	1999	1997	1998	1999
I. विश्व	2690	2628	2711	3815	3811	3845	4119	4418	4313
II. अफ्रीका	1799	1863	1765	2174	2078	2244	1600	1560	1579
1. मिश्र	5599	5990	6347	8415	8646	8879	7130	7226	7056
2. नाइजीरिया	2640	2000	2000	1596	1602	1657	1275	1320	1359
3. दक्षिण अफ्रीका	1757	2390	2174	2308	2308	2231	2519	2161	2209
III. उत्तरी-मध्य अमेरिका	2538	2729	2821	5509	5376	5542	6553	6869	6925
1. मैक्सिको	4735	4208	4809	4136	4511	4816	2384	2343	2536
2. संयुक्त राज्य अमेरिका	2655	2903	2872	6610	6354	6622	7952	8438	8398
IV. दक्षिण अमेरिका	2417	2201	2379	3282	3230	3680	2857	3360	3067
1. अर्जेंटीना	2361	2316	2500	5370	4841	5609	4556	6077	5254
2. ब्राजील	1621	1568	1945	2601	2523	3092	2553	2781	2768
V. एशिया	2617	2525	2651	3896	3895	3903	3394	3997	3743
1. चीन	4102	3685	3969	6311	6353	6321	4390	5269	4880
2. भारत*	2485	2590	2778	2850	2881.5	2979	1711	1797	1792
3. पाकिस्तान	2053	2238	2162	2805	2893	2875	1440	1467	1364
VI. यूरोप	3204	3059	3127	5152	5456	5578	5802	5068	5518
VII. आस्ट्रेलिया	1842	1880	1828	7650	9507	10071	5940	6316	5500

*कृषि वर्ष (अर्थात् जुलाई-जून) 1997-98, 1998-99, 1999-2000 से संबंधित है।

स्रोत: एफ.ए.ओ. प्रोडक्शन ईयर बुक, 1999 (भारत को छोड़कर)

चयनित देशों में कुछ प्रमुख फसलों की पैदावार दरें 1997 से 1999

(किग्रा/हैक्टे.)

महाद्वीप/देश	दालें			मूंगफली			सोयाबीन		
	1997	1998	1999	1997	1998	1999	1997	1998	1999
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. विश्व	822	827	839	1310	1445	1336	2154	2266	2148
II. अफ्रीका	479	520	494	846	836	888	918	1021	1001
1. मिश्र	3018	3060	2255	2933	3035	3055	2622	2621	2637
2. नाइजीरिया	527	537	535	1124	973	1050	665	736	736
3. दक्षिण अफ्रीका	1074	952	1162	1662	1838	1719	1379	1607	1440
III. उत्तरी-मध्य अमेरिका	1245	1221	1369	2492	2663	2686	2611	2619	2460
1. मैक्सिको	738	652	719	1452	1403	1404	1506	1598	1616
2. संयुक्त राज्य अमेरिका	1938	1822	1989	2807	3028	3039	2617	2617	2452
IV. दक्षिण अमेरिका	670	729	740	1382	2106	1676	2124	2468	2373
1. अर्जेंटीना	1133	1190	1194	1347	2333	1815	1720	2694	2397
2. ब्राजील	611	648	680	1598	1900	1788	2298	2366	2375
V. एशिया	743	744	784	1558	1752	1552	1452	1476	1361
1. चीन	1429	1793	1882	2592	2938	2799	1765	1828	1671
2. भारत*	567	634	635	1040	1214	766	1079	1100	1138
3. पाकिस्तान	591	692	654	1042	1067	1067	1294	125	1235
VI. यूरोप	2164	2034	1988	1179	1104	1104	2114	1897	1955
VII. आस्ट्रेलिया	1019	1072	1115	1560	1560	1560	1897	1688	2271

*कृषि वर्ष (अर्थात् जुलाई-जून) 1997-98, 1998-99, 1999-2000 से संबंधित है।

स्रोत: एफ.ए.ओ. प्रोडक्शन ईयर बुक, 1999 (भारत को छोड़कर)

चयनित देशों में कुछ प्रमुख फसलों की पैदावार दरें 1997 से 1999

(किग्रा/हैक्टे.)

महाद्वीप/देश	तारिया@			गन्ना			कपास		
	1997	1998	1999	1997	1998	1999	1997	1998	1999
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. विश्व	1492	1383	1543	64430	64171	65690	561	535	550
II. अफ्रीका	1076	1084	1088	60779	61376	60579	375	343	373
1. मिश्र	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	112249	117200	119048	947	695	897
2. नाइजीरिया	एन.ए	एन.ए.	एन.ए.	29524	29348	29348	213	115	163
3. दक्षिण अफ्रीका	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	71140	71350	68322	301	378	463
III. उत्तरी-मध्य अमेरिका	1321	1424	1573	54435	56835	57394	763	717	691
1. मैक्सिको	1135	1000	1000	73556	77540	73342	1005	1005	1041
2. संयुक्त राज्य अमेरिका	1468	1622	1463	77729	80237	80787	754	701	682
IV. दक्षिण अमेरिका	1994	2048	1863	69997	68385	69855	405	426	543
1. अर्जेंटीना	1000	1000	1000	65073	58527	70545	338	360	347
2. ब्राजील	1200	1200	1000	69097	68176	68579	441	491	737
V. एशिया	1220	950	1128	63160	62585	65221	533	522	521
1. चीन	1474	1272	1405	74921	73447	85294	1025	1009	1021
2. भारत*	668	70	960	71134	71203	70935	208	224	225
3. पाकिस्तान	807	859	858	43544	50279	50279	528	510	510
VI. यूरोप	2766	2754	2723	62470	67200	67200	918	919	939
VII. आस्ट्रेलिया	1227	1387	1216	98877	95255	88969	1608	1480	1274

@तोरिया व सरसों, भारत के मामले में।

*कृषि वर्ष (अर्थात् जुलाई-जून) 1997-98, 1998-99, 1999-2000 से संबंधित है।

स्रोत: एफ.ए.ओ. प्रोडक्शन ईयर बुक, 1999 (भारत को छोड़कर)

एन.ए.: उपलब्ध नहीं।

[हिन्दी]

श्री रतन लाल कटारिया: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री से जानना चाहूंगा कि क्या कारण है कि 55 साल की आजादी के बाद भी आज हमारे देश में जो सिंचित इलाका है, वह केवल मात्र 33 प्रतिशत है जिसके परिणामस्वरूप हमारे देश के अंदर फसलों की यील्ड दूसरों देशों के मुकाबले बहुत कम देखने को मिलती है।

यह देखने में आया है कि गेहूं का 1997 में एशिया में चीन का प्रोडक्शन 4100 कि.ग्रा. प्रति हैक्टेयर है जबकि भारत का 2485 है। ...*(व्यवधान)* इसी तरह चावल के मामले में आस्ट्रेलिया का प्रोडक्शन हमारे से कई गुना ज्यादा है और मेज के क्षेत्र में भी अन्य देशों का प्रोडक्शन हमारे देश से कई गुना ज्यादा है। ...*(व्यवधान)* इसका क्या कारण है और क्या भारत ने इसके लिए कोई तकनीक अपनाई है? ...*(व्यवधान)* भारत के पास इतने समुद्र हैं लेकिन फिर भी हम अपने वाटर रिसोर्सेस का दोहन नहीं कर पाए हैं और बिलियन क्यूबिक वाटर समुद्र में वेस्ट जा रहा है। ...*(व्यवधान)* क्या भारत सरकार ने ऐसी कोई योजना बनाई है कि हम अपने जल का उपयोग कर सकें और फसलों की यीलि्डंग पर हैक्टेयर बढ़ा सकें? क्या हमने इस प्रकार के कोई मैथड अपनाए हैं? अगर देश में सिंचित इलाका अधिक नहीं है तो क्या ड्राईलैंड फार्मिंग के लिए कोई कदम उठाए गए हैं?

श्री अजित सिंह: अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां कुछ फसलों का उत्पादन वर्ल्ड ऐवरेज से ज्यादा है और कुछ का कम है। हमारे यहां सब जगह बीज एक तरह का नहीं है। यहां बहुत सी समस्याएं हैं, क्लाइमेटिक जोन्स अलग-अलग हैं। हमारे यहां रेनफैड एग्रीकल्चर बहुत होता है। ...*(व्यवधान)* फिर भी सरकार की बहुत सी स्कीम्स हैं कि प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सके। रिसर्च भी हो रही है, नए-नए तरह के सीड्स ला रहे हैं। इरीगेशन के लिए जो रेनफेड एरियाज हैं, उनमें बहुत समस्याएं हैं। रूरल डैवलपमैंट की समस्या है, ऐग्रीकल्चर की मस्या है लेकिन हम चाहते हैं कि धीरे-धीरे इरीगेटेड एरिया बढ़े। ...*(व्यवधान)*

श्री रतन लाल कटारिया: अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने कहा है कि भारत सरकार इरीगेटेड एरिया बढ़ाने की कोशिश कर रही है, इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहूंगा। हम गेहूं, पैडी और शुगरकेन के मामले में आत्मनिर्भर हो गए हैं लेकिन पल्सेज के मामले में आज भी भारत बहुत पिछड़ा हुआ है और हमें 21,000 करोड़ रुपये को पल्सेज दूसरे मुल्कों से मंगवानी पड़ती है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या भारत पल्सेज के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए ड्राईलैंड फार्मिंग को बढ़ावा देगा? आर्गेनिक फूड सारे संसार में प्रसिद्ध होता जा रहा है। भारत आर्गेनिक फूड को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठा रहा है ताकि फारेन एक्सचेंज के रूप में जो 21,000 करोड़ रुपये दूसरे देशों में जाते हैं, उसे बचाया जा सके?

श्री अजित सिंह: अध्यक्ष जी, गेहूं में हमारी प्रोडक्टिविटी दुनिया की एवरेज से ज्यादा है, पैडी और मेज में कम है। जहां तक पल्सेज और काटन सीड्स की बात है, सरकार उसे बढ़ावा देने के लिए हर संभव कदम उठा रही है। हम जानते हैं कि एडीबल आयल्स का इम्पोर्ट हमारे देश में पिछले सालों में बहुत बढ़ा है और इसका उत्पादन बढ़ाने के लिए हम लोगों ने इसके समर्थन मूल्य बढ़ाये हैं। इसका उत्पादन बढ़ाने के लिए और भी जो सुविधाएं हम दे सकते हैं, उस पर हम काम कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपका प्रश्न महत्व का है। मैं हाउस चलाना चाहता हूं और आप ऐसा कर रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री आदि शंकर: अध्यक्ष महोदय, तमिलनाडु में गरीब किसानों की स्थिति बहुत ही दयनीय है। पैदावार कम हो गई है और इससे पशु भी प्रभावित हो रहे हैं। तमिलनाडु सरकार ने गरीब किसानों की सहायता करने के लिए कोई कदम नहीं उठाये हैं। कावेरी नदी में पानी नहीं है। भूतपूर्व मुख्य मंत्री और हमारे नेता के. करुणानिधि ने "कांजी थोट्टी" योजना शुरू की अर्थात् गरीब किसानों के लिए निःशुल्क भोजन का वितरण। मैं केन्द्र सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने इस संबंध में कोई कार्यवाही की है।

[हिन्दी]

श्री अजित सिंह: माननीय सदस्य ने जो सवाल उठाया है, हम हर सम्भव कदम उसका समाधान करने के लिए उठा रहे हैं। देश के किसानों की मदद करने के लिए और उत्पादकता बढ़ाने के लिए खासतौर पर तमिलनाडु में और वहां पर जो धान का उत्पादन है, जो धान का एरिया है, वहां दुनिया के बहुत से देशों से बहुत ज्यादा उत्पादन हो रहा है। ...*(व्यवधान)* आप ध्यान से सुनिये। आप सब लोग गांव के हैं, खेती से जुड़े हुए हैं, आपका पैट्रोल पम्प से काम नहीं चलने वाला है, जब तक देश के किसान की फसल नहीं होगी, तब तक आपका काम नहीं चलेगा। यह कृषि का सवाल है. मैं चाहता हूं कि आप लोग जानें, हमें आपके योगदान की, आपकी मदद की जरूरत है कि गांव-गांव में किसान को क्या करना चाहिए, इस पर हमें आपके सुझाव की जरूरत है, क्योंकि जब उत्पादन बढ़ेगा, तभी देश के किसान को फायदा होगा, उत्पादकता बढ़ेगी, तभी देश के किसानों को फायदा होगा। अगर आप इस तरह के सवाल उठाते रहेंगे, आप कृषि पर बहस नहीं

करना चाहेंगे तो आप सरकार को बताइये कि कृषि में हमें क्या करना चाहिए और हमारी क्या कमियां हैं। यह सवाल आप 12 बजे उठा सकते थे, यह आप उठा सकते हैं, आपका अधिकार है, आप कोई भी सवाल उठा सकते हैं, लेकिन जब भी कृषि के मामले पर सवाल आता है तो ये कोई न कोई दूसरा सवाल उठा देते हैं। इतना महत्वपूर्ण मुद्दा है, सूखे से किसान परेशान हैं और सब चीजों से परेशानी हो रही है और माननीय सदस्यों को किसानों की परेशानी की कोई चिन्ता नहीं है। इतने महत्वपूर्ण सवाल को जिससे सारा देश जुड़ा हुआ है, उस सवाल को न उठाकर ये दूसरा सवाल उठा रहे हैं।

तमिलनाडु हमारे देश में खास तौर पर धान उत्पादन का प्रमुख राज्य है। वहां पानी की समस्या है, वहां किसान परेशान हैं और हम चाहते हैं कि आप लोग अपने सुझाव दें, कोई योगदान करें। कम से कम हमारे देश के किसान को मैसेज मिलना चाहिए कि हमारे देश में लोक सभा में किसानों की समस्याओं पर बहस हो रही है। ...*(व्यवधान)* आपने क्या पूछा था, मुझे नहीं मालूम।

श्री अरुण कुमार: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो उत्तर सभापटल पर रखा गया है ...*(व्यवधान)* ये लोग तो किसान विरोधी हैं, ये लोग खाली पैट्रोल पम्प का सवाल तीन दिन से चला रहे हैं, आपका पैट्रोल पम्प चला जायेगा। ये लोग किसान विरोधी हैं।

बिहार में जो स्थिति बनी हुई है बाढ़ और सुखाड़ की ...*(व्यवधान)* मंत्री जी ने जो लिखित उत्तर सभा पटल पर रखा है, वह गुजरात के संबंध में है, आंध्र प्रदेश के संबंध में है, जो तटीय क्षेत्र हैं उनके संबंध में है। लेकिन जो इलाके पानी के प्रबंधन के अभाव में अच्छा उत्पादन नहीं दे पाते, उन इलाकों में सरकार क्या करना चाहती है? जैसे बिहार में जहानाबाद जो हमारा संसदीय क्षेत्र है, वहां जल प्रबंधन के अभाव में ईल्ड कम होती है। उस इलाके में कहीं पानी बहुत ज्यादा है और कहीं बहुत कम है। अंतरजल के लिए ड्रिलींग करके जैसे महाराष्ट्र में कुछ क्षेत्रों में भारत सरकार ने जल प्रबंधन की व्यवस्था की है, क्या हमारे क्षेत्र में भी उसी तरह की व्यवस्था करेगी और भारत सरकार ने क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए कृषि अनुसंधान केन्द्र खोलने का प्रस्ताव रखा है, लेकिन जिन जगहों पर ये अभी तक नहीं खुले हैं, वहां लेटेस्ट टेक्नोलॉजी देने के लिए क्या सरकार कृषि अनुसंधान केन्द्र खोलने पर विचार कर रही है?

श्री अजित सिंह: माननीय सदस्य ने बिहार में कृषि की समस्या के बारे में जो कहा है कि कहीं पानी बहुत ज्यादा है और कहीं बहुत कम है, यह सही बात है। इस बार भी बिहार में कई जगहों पर बाढ़ आई है और कई जगहों पर सुखाड़ है। पूर्वी इलाके में पानी की समस्या के बारे में ...*(व्यवधान)* मैं चाहता हूं कि आप लोग कृषि के बारे में सुनें। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: वे जवाब दे रहे हैं, आप सुनें।

...*(व्यवधान)*

श्री अजित सिंह: पानी के बारे में वाटर कंजर्वेशन मैनेजमेंट सिस्टम जैसी कई योजनाएं हैं, जिससे बाढ़ के पानी का अन्यत्र उपयोग किया जाता है। मैं माननीय सदस्य को इन योजनाओं के बारे में अलग से जानकारी देना चाहूंगा। ...*(व्यवधान)*

श्री शिवराजसिंह चौहान: ये लोग इतना हंगामा कर रहे हैं, जबकि यहां किसानों की बात हो रही है। किसानों से संबंधित जब भी कोई मामला सदन में उठाता है तो विपक्ष के लोग इस तरह से हंगामा करके उसे उठाने नहीं देते। ...*(व्यवधान)* देश में सारे भूभाग का कुल 33 प्रतिशत हिस्सा सिंचित है, बाकी असिंचित है। जो असिंचित क्षेत्र है, वहां पर सिंचाई की संभावनाएं काफी हैं। लेकिन जो सिंचित क्षेत्र है, वहां केमिकल फर्टिलाइजर का ज्यादा उपयोग होने के कारण बहुत सी जमीन ऊसर हो गई है और उसकी उर्वरा शक्ति घट रही है। केमिकल फर्टिलाइजर के ज्यादा उपयोग के कारण कई स्थानों पर कृषि उत्पाद मनुष्यों के लिए नुकसानदायक हो गया है। जिन क्षेत्रों में केमिकल फर्टिलाइजर का ज्यादा उपयोग होने के कारण भूमि ऊसर हो गई है।

ऐसे इलाके में कैमिकल फर्टिलाइजर्स के प्रोत्साहन को उत्साहित करना और जैविक खेती के विकास के लिए क्या सरकार कोई कदम उठा रही है? मैं मानीय मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा क्योंकि गेहूं के उत्पादन के मामले में तो हम विश्व के उत्पादन में ऊपर हैं लेकिन एक समस्या है कि हम गेहूं का उत्पादन तो बहुत करते हैं लेकिन उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती कि हमारा देश एक्सपोर्ट कर सके। उस गेहूं की क्वालिटी को सुधारने के लिए क्या सरकार कोई प्रयास कर रही है? ...*(व्यवधान)*

श्री अजित सिंह: माननीय सदस्य जिस प्रदेश से आते हैं, वहां गेहूं इतना अच्छा पैदा होता है कि एकदम रेशमी गेहूं पैदा होता है। ...*(व्यवधान)* वह इतना अच्छा पैदा होता है कि उसकी सारी दुनिया में मांग है। हमें उसकी क्वालिटी सुधारने की कोशिश करनी चाहिए, यह सही बात है। जैविक खेती के बारे में माननीय सदस्य ने सवाल उठाया है। हम ऑरगेनिक फॉर्मिंग का एक अलग से इंस्टीट्यूट बनाने जा रहे हैं जिससे इस पर फोकस किया जा सके। आज दुनिया भर में ऑरगेनिक फॉर्मिंग की मांग उठ रही है। इसलिए ऑर्गेनिक फॉर्मिंग की बहुत सम्भावना है और उसके लिए जैसा मैंने कहा कि अपना ध्यान केन्द्रित करने के लिए जितनी भी

योजनाएं हैं, उनको एक जगह लाने के लिए ऑरगेनिक फॉर्मिंग के इंस्टीट्यूट की स्थापना सरकार जल्दी करने जा रही है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

ई.एस.आई. के कर्मचारियों के बीच 'एड्स' जागरूकता कार्यक्रम

***304. श्री किरीट सोमैया:** क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ई.एस.आई. के कर्मचारियों को एड्स के प्रति जागरूक बनाने हेतु कोई ठोस कार्यक्रम बनाने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने ई.एस.आई. अस्पतालों में एड्स के बारे में अनुसंधान करने के लिए धनराशि निर्धारित की है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्री (डा. साहिब सिंह वर्मा): (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ङ) कर्मचारी राज्य बीमा निगम राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण परियोजना, चरण-2 में एक अंतर-क्षेत्रीय सहयोगी के रूप में शामिल है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम निम्नवत् हैं:

(1) राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन द्वारा तैयार किए गए मापदंडों के अनुसार डाक्टरों, नर्सों तथा पैरा-मेडिकल स्टाफ का प्रशिक्षण।

(2) कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों/औषधालयों तथा क्षेत्रीय कार्यालयों के अनुसचिवीय स्टाफ के लिए जागरूकता कार्यक्रम।

(3) पोस्टरों का प्रदर्शन।

(4) अस्पतालों के बाह्य रोगी विभागों (ओ पी डी) और औषधालयों में डॉक्टरों तथा नर्सों द्वारा बातचीत।

(5) नियोजकों/कर्मचारियों के लिए संगोष्ठियों का आयोजन।

(6) स्वास्थ्य मेलों (अर्थात विश्व एड्स दिवस आदि) में प्रदर्शनियों तथा स्टॉलों का लगाया जाना।

(7) पैम्पलेट्स तथा शैक्षणिक सामग्री का वितरण।

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन तथा राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी द्वारा अनुसंधान कार्यकलाप चलाये जाते हैं। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने अनुसंधान कार्यकलापों के लिए कोई निधि निर्धारित नहीं की है।

[हिन्दी]

श्री किरीट सोमैया: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि जो ईएसआई है, इसमें एड्स अवैयरनैस की दृष्टि से क्या-क्या प्रोग्राम अभी तक किए हैं और क्या करने जा रहे हैं? इसके लिए उन्होंने क्या फंड एलोकेशन किया है और कितने लोगों तक इस प्रकार की ट्रीटमेंट और अवैयरनैस पहुंचाएंगे? ...*(व्यवधान)*

डा. साहिब सिंह वर्मा: मैं माननीय सदस्य को धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने इसके बारे में पूछा है कि हमने अवैयरनैस के लिए क्या-क्या प्रोग्राम किये हैं। इससे पहले मैं बताना चाहता हूं कि ईएसआई ने इंटरसैक्टोरल कौलेबोरेटर की हैसियत से नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोजैक्ट, फेज-2 के अंदर अपने को शामिल किया और इसमें अवैयरनैस के प्रोग्राम करने के लिए ईएसआई ने जो भी प्रोग्राम अभी तक दिये हैं, उसमें डॉक्टर हैं, नर्सेज हैं, पैरा-मैडिकल स्टॉफ है और इसके अलावा मौजूद हमारा नेशनल एड्स कंट्रोल ऑरगेनाइजेशन 'नाको' ने जो मौडयूल्स बनाए हैं, हमने उनको फॉरमूलेट किया है और उसके मुताबिक हम सभी को ट्रेनिंग दे रहे हैं। ईएसआई के अस्पतालों/औषधालयों तथा क्षेत्रीय कार्यालयों के लिपिकीय कर्मचारियों के लिए जागरूकता कार्यक्रम भी शुरू किए गए हैं। मैं आपकी जानकारी में यह भी लाना चाहता हूं कि ईएसआई में 54,236 एम्पलाईज हैं और इनमें से मैडिकल और पैरा-मैडिकल स्टॉफ के 21,535 लोग हैं। हमने 21,535 को, सभी को प्रशिक्षित किया है क्योंकि उन्हीं के माध्यम से हमें इस काम को आगे बढ़ाना है। उन्हीं के माध्यम से अवैयरनैस के प्रोग्राम चलाने है। मैं यह भी बताना चाहूंगा कि सौ प्रतिशत अवैयरनैस हो गई है। इनको ट्रेनिंग दे दी है लेकिन इसके अलावा 32,701 हमारे स्टॉफ के सदस्य हैं। इनके अंदर भी चालीस प्रतिशत अवैयरनैस पैदा की है। इसको भी हमने अधूरा नहीं छोड़ा है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री शिवराज वि. पाटील: महोदय, सभा की कार्यवाही इस तरह से नहीं चल सकती। ...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, जब सभा में अव्यवस्था हो तो आप सभा की कार्यवाही कैसे चला सकते हैं? ...*(व्यवधान)* आप ऐसा दो बार पहले भी कर चुके हैं। ...*(व्यवधान)* यदि आप ऐसा करते रहेंगे, तो हम कुछ नहीं कर सकते। हम कैसे सहयोग कर सकते हैं? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं 15 मिनट के लिए सभा स्थगित कर रहा हूं।

पूर्वाह्न 11.35 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजकर पचास मिनट तक के लिए स्थगित हुई।

पूर्वाह्न 11.52 बजे

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजकर बावन मिनट पर पुनः समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन* हुए]

...*(व्यवधान)*

पूर्वाह्न 11.52$^1/_2$ बजे

(इस समय श्री कांतिलाल भूरिया और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए)

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: मेरी आपसे रिक्वैस्ट है कि आप सब अपने-अपने स्थानों पर जाइये।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप सब अपनी सीटों पर जाइये, सरकार चर्चा कराने के लिए तैयार है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: पहले आप सब अपनी जगह पर जायें।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज)**: महोदय, पहले मंत्री महोदय** इस्तीफा दें, दूसरी बात, आवंटन रद्द किए जाएं और दस्तावेज केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को भेजे जायें। ...*(व्यवधान)*

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

भारत आने वाले पर्यटकों की संख्या में गिरावट

***301. श्री प्रवीण राष्ट्रपाल:** क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत एक वर्ष के दौरान भारत आने वाले पर्यटकों की संख्या में 15 प्रतिशत की गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त गिरावट का कारण मुख्यतया विश्व के विभिन्न भागों में स्थित हमारे पर्यटन कार्यालयों द्वारा पर्यटकों के प्रति उदासीन रहना है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस मामले की जांच करने का है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) भारत आने वाले पर्यटकों की संख्या में गिरावट के अन्य क्या कारण हैं?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) जुलाई 2001-जून 2002 की अवधि के दौरान पर्यटक आगमन में जुलाई 2000-जून 2001 की तुलना में 13.98% की कमी आई है।

(ख) से (ङ) यह गिरावट विदेशों में हमारे पर्यटक कार्यालयों द्वारा पर्यटकों के प्रति उदासीन रहने की वजह से नहीं आई है, बल्कि आतंकवाद से संबंधित घटनाओं तथा सामान्य सुरक्षा वातावरण की वजह से आई है। सरकार हाल ही की प्रतिकूल घटनाओं से उत्पन्न चुनौती के इन सभी पहलुओं की जांच कर रही है।

भूमि की लवणता

***303. श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विशेषकर गुजरात में भूमि की लवणता में वृद्धि होना किसानों के लिए चिंता का एक कारण है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान भूमि की लवणता के कारण राज्यवार कितनी भूमि कृषि के लिए बेकार हो गई है; और

(ग) बढ़ती लावणता को रोकने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है?

कृषि मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) जी, हां। गुजरात सहित देश के किसानों के लिए तटवर्ती तथा अन्तर्देशीय, दोनों क्षेत्रों में क्षारीयता में वृद्धि चिंता का विषय रहा है। तटवर्ती क्षेत्रों में भूमि जल के अत्यधिक दोहन के फलस्वरूप सब सरफेस के समुद्री जल का प्रवेश हुआ है जिससे भूमि जल की गुणवत्ता में गिरावट आई है। इसके कारण मृदा के सतह में विलेय लवणों का संचयन होता है जिससे क्षारीयता उत्पन्न होती है। इसके अलावा, नदी की तलहटी में निकास अवरोध, नहर प्रणाली में सीपेज, चक्रवाती तूफानों और समुद्र में ज्वार की स्थिति मृदा क्षारीयता के कारक हैं। अत्यधिक मृदा क्षारीयता के कारण फसलों का विकास असमान और अवरुद्ध होता है और कम पैदावार होती है जिसकी सीमा क्षारीयता की मात्रा पर निर्भर करती है।

(ख) उपलब्ध अनुमानों के अनुसार देश में 50.51 लाख हैक्टे. क्षेत्र मृदा क्षारीयता से प्रभावित है जिसमें से गुजरात में 12.16 लाख हैक्टे. क्षेत्र है। देश में क्षारीय मृदा का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) कृषि मंत्रालय द्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, जल संसाधन मंत्रालय और कृषि तथा सहकारिता विभाग के सदस्यों को शामिल करते हुए एक संयुक्त केन्द्रीय जल का गठन किया गया था। इस दल ने फरवरी से अप्रैल, 2000 की अवधि के दौरान पश्चिम बंगाल, गुजरात और आंध्र प्रदेश राज्यों का दौरा किया। उक्त दल की सिफारिशों के आधार पर राज्य सरकारों से उच्च प्राथमिकता वाले समस्याग्रस्त क्षेत्रों के लिए मार्गदर्शी परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था। आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात और उड़ीसा राज्यों के लिए ''तटवर्ती क्षारीयता सहित क्षारीय मृदा के सुधार से संबंधित परियोजना-चरण-1'' नामक एक सम्मिलित परियोजना प्रस्ताव निरूपित किया गया था और इसे योजना आयोग को केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम के रूप में विचार किए जाने हेतु प्रस्तुत किया गया था। तथापि, योजना आयोग ने यह सुझाव देते हुए इस प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया कि राज्य, यदि वे ऐसा चाहते हैं, वृहत प्रबंध स्कीम के तहत ऐसे कार्यक्रम संचालित कर सकते हैं, जिसके तहत राज्य अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार अपनी कार्य योजनाएं तैयार करते हैं और इसे वित्त पोषण के लिए भारत सरकार को प्रस्तुत करते हैं। राज्यों ने इस विकल्प का लाभ नहीं उठाया है। अब, गुजरात सरकार ने 59.80 करोड़ रु. की लागत से 30,661 हैक्टे. क्षेत्र के सुधार के लिए गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के तटवर्ती क्षेत्रों में क्षारीयता के अवक्रमण की रोकथाम'' नामक एक मार्गदर्शी परियोजना प्रस्ताव अलग से प्रस्तुत किया है। इस मंत्रालय द्वारा इस प्रस्ताव की योजना आयोग को सिफारिश की गई है।

विवरण

क्षारीय मृदा के तहत अनुमानित क्षेत्र का राज्यवार ब्यौरा

(क्षेत्र लाख हैक्टे. में)

क्र.सं.	राज्य	कुल
1.	आंध्र प्रदेश	5.88
2.	गुजरात	12.16
3.	हरियाणा	5.00
4.	कर्नाटक	0.99
5.	केरल	0.67
6.	मध्य प्रदेश	0.67
7.	महाराष्ट्र	3.51
8.	उड़ीसा	2.54
9.	राजस्थान	4.24
10.	तमिलनाडु	4.70
11.	उत्तर प्रदेश	1.95
12.	पश्चिम बंगाल	8.20
	कुल	50.51

[हिन्दी]

स्वास्थ्य और पर्यावरण पर शहरीकरण का प्रभाव

***305. श्रीमती राजकुमारी रत्ना सिंह:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश में त्वरित शहरीकरण के कारण जन स्वास्थ्य और पर्यावरणीय खतरे से संबंधित समस्याओं की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अब तक क्या कार्य योजना विशेषकर, देश के बड़े शहरों के लिए बनाई गई है और उसके क्या परिणाम निकले?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) जी, हां।

(ख) महानगरों के लिए कार्य योजनाएं तैयार की गई हैं। ईंधन गुणता में सुधार वाहन जनित उत्सर्जन के मानदण्डों को कड़ा करने, प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के विरुद्ध कार्रवाई और साझा बहिस्राव शोधन संयंत्रों तथा मलजल शोधन संयंत्रों के अधिष्ठापन सहित विभिन्न उपाय करने के कारण बड़े शहरों में प्रदूषण की बढ़ती हुई प्रवृत्ति को रोका गया है। नगर ठोस अपशिष्ट, जैव चिकित्सीय और परिसंकटमय अपशिष्टों के प्रबंधन हेतु कार्रवाई भी प्रारंभ की गई है।

[अनुवाद]

जड़ी-बूटी वाली फसलें

***306. श्री अजय सिंह चौटाला:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में इस समय उगाई जाने वाली जड़ी-बूटी की फसलों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान उक्त फसलों के अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

(ग) क्या कृषि विश्वविद्यालयों में हर्बल इंजीनियरिंग और हर्बल कल्टीवेशन पाठ्यक्रम शुरू करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) से (ङ) देश में इस समय उगाई जा रही जड़ी-बूटी फसलों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

जड़ी-बूटियों से संबंधित अनुसंधान को प्रोत्साहन देने के लिए कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग द्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के माध्यम से आणंद (गुजरात) में औषधीय तथा सुगंधित पौधों से संबंधित एक राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र की स्थापना की गई है जो मुख्यत: औषधीय तथा सुगंधित पौधों से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर कार्य करेगा। औषधीय तथा सुगंधित पौधों से संबंधित क्षेत्रीय रूप से भिन्न-भिन्न प्रकार का अनुसंधान कार्य अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना द्वारा किया जाता है, जिसके अंतर्गत केन्द्रों का एक नेटवर्क मौजूद है। इसके अलावा, भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद (आई.सी.एफ.आर.ई.) तथा वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सी.एस.आई.आर.) द्वारा भी औषधीय तथा सुगंधित पौधों पर अनुसंधान किया जा रहा है।

औषधीय तथा सुगंधित पौधों के विकास संबंधी एक केन्द्रीय सैक्टर स्कीम आठवीं एवं नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कार्यान्वित की गयी, जिसमें गुणवत्तायुक्त रोपण सामग्री का उत्पादन, जड़ी-बूटी उद्यानों की स्थापना, जड़ी-बूटी उद्यानों के निकट नर्सरियों की स्थापना, क्षेत्रीय विश्लेषण प्रयोगशालाओं की स्थापना आदि शामिल था। यह स्कीम अक्टूबर, 2000 से केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम कृषि का वृहद प्रबंधकार्य योजनाओं के माध्यम से राज्यों के प्रयासों में मदद/सहायता में समाहित कर दी गई है, जिसमें राज्यों को अपनी आवश्यकताओं के आधार पर अपने कार्यक्रमों को अग्रता क्रम देने की सुविधा प्रदान की गई है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत नवम्बर, 2000 में गठित औषधीय पादप बोर्ड भी औषधीय तथा सुगंधित पौधों के विकास हेतु स्कीमें कार्यान्वित कर रहा है। जैव प्रौद्योगिकी विभाग भी औषधीय तथा सुगंधित पौधों से संबंधित अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं को सहायता दे रहा है।

राज्य कृषि विश्वविद्यालयों में हर्बल इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम शुरू करने के बारे में अभी कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में जड़ी-बूटी एवं औषधीय पौधों से संबंधित पाठ्यक्रम शामिल होते हैं।

विवरण

देश में उगाई जाने वाली जड़ी-बूटी फसलों की राज्यवार सूची

क्र.सं.	वानस्पतिक नाम	साधारण नाम	राज्य
1	2	3	4
1.	एकोटिनम हेटरोफाइलम	अतिविषा/एटिस	उत्तरांचल
2.	एडाटोडा वेसिका नीस	एड्यूसा/एरूसा	उत्तर प्रदेश, गोवा, दादरा व नगर हवेली

1	2	3	4
3.	एल्बिजिया लिबैक बेथ	शिरिसा/सिरस	दादर व नगर हवेली, गुजरात
4.	एड्रोग्राफिस पैनीक्यूलेटा नीस	कालमेघ	पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश
5.	एक्विलेरिया एगालोका रोक्स्ब	अगरू/अगर	असम
6.	एस्परेगस रेसीमोसस वाइल्ड	शातावर/सतावर	उत्तर प्रदेश, गोवा, दादरा व नगर हवेली
7.	एजाडिरेक्टा इंडिया ए. जस	नीम	दमन व दीव, उत्तर प्रदेश, बिहार, त्रिपुरा, गोवा, दादरा व नगर हवेली और पश्चिम बंगाल
8.	बैकोपा मोनिटरी (लिन) पैनल	ब्राह्मी	पश्चिमी बंगाल, गुजरात
9.	कैशिया एग्यूस्टिफोलिया बाल	सोनपत्री/सना	पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान
10.	ग्लाइकोरिजा ग्लैब्रा लिन	लिकोराइस	गुजरात, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा
11.	कामीफोरा विगरी (आर्न.)	गुग्गल	उत्तर प्रदेश, गोवा, गुजरात
12.	एम्बिलिका आफिशिनेलिस गैरन्टन	आवला	राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, दमन व दीव, उत्तर प्रदेश, बिहार, त्रिपुरा, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, दादरा, असम, पश्चिम बंगाल, पंजाब, दादरा व नगर हवेली
13.	मलिना एर्बोरिया लिन	गम्भरी	अरुणाचल प्रदेश
14.	आसिमम सैक्टम लिन	तुलसी	उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल
15.	रॉवोल्फिया सर्पेंटिना	सर्पगंधा/असरॉल	त्रिपुरा, गोवा, दादरा व नगर हवेली, अरुणाचल प्रदेश
16.	सराका अशोक (रॉक्स्ब)	अशोक	दामन व दीव, उत्तर प्रदेश, बिहार, गोवा, मिजोरम, दादरा व नगर हवेली, पंजाब, गुजरात
17.	स्ट्राइक्नोस नक्स वोमिकालिन	कुचला/अजर्क	पश्चिम बंगाल
18.	स्वर्टिया चिराटा बुच हैम	चिरायता	पश्चिम बंगाल
19.	टर्मिनेलिया अर्जुना डब्ल्यू. एंड ए.	अर्जुना	त्रिपुरा, गोवा, पश्चिम बंगाल, पंजाब
20.	टर्मिनेलिया चिब्यूला रिट्ज	हरड/हलेला जर्द	उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश
21.	वेटिवेरिया जिजानिओइडिस (लिन)	उसीर/खस	बिहार, आंध्र प्रदेश
22.	वाइटेक्स निंगुडो लिन	निर्गुन्दी/शंभलू	मिजोरम
23.	विथेनिया सेम्निफेरा ड्यूनल	अश्वगंध/असगंध	उत्तर प्रदेश, गोवा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गुजरात

1	2	3	4
24.	प्लेटेगो ओवेटा	इसबगोल	गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश
25.	पैपावर सोम्नीफेरम	अफीम/पॉपी	गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल
26.	कर्कुलिंगो आर्किओइडिस गैरटन	काली मुसली	असम, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल
27.	क्लोरोफाइटम एरूडिनेशियम बेकर	सफेद मुसली	असम, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश

कृषि अनुसंधान

***307. श्री गुनीपाटी रामैयाः** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में कृषि अनुसंधान को और प्रोत्साहन दिए जाने और इसका विस्तार किये जाने की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी प्रस्ताव क्या है; और

(ग) कृषि अनुसंधान पर हुए वर्तमान वार्षिक व्यय का ब्यौरा क्या है और नये प्रस्तावों पर होने वाले व्यय का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) जी, हां।

(ख) चल रही योजना स्कीमों के माध्यम से अनुसंधान करने के अलावा दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिए कुछ नये प्रस्तावों की पहचान की गई है। जिसका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) विभाग द्वारा किए गए वार्षिक खर्च का विवरण नीचे दिया गया है:

(रु. करोड़ में)

शीर्ष	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-2001
गैर-योजना	277.15	351.04	516.4	790.64	703.64
योजना	312.13	323.02	427.72	455.00	516.04
कुल	589.28	674.06	944.26	1245.64	1219.68

-वर्ष 2001-02 के संबंध में किए गए खर्चे के विवरण को समेकित किया जा रहा है।

-चूंकि, दसवीं पंचवर्षीय योजना अप्रैल, 2002 से शुरू हो गई है, इसलिए नए प्रस्तावों पर किए जाने वाले खर्चे के विवरण को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया चल रही है।

विवरण

दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिए पहचाने गए नए प्रस्ताव

चल रहे कुछ कार्यक्रमों को सुदृढ़ करने के अलावा दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिए निम्नलिखित नए प्रस्तावों की पहचान की गई है:

1. भारतीय पशु चिकित्सा टाइप कल्चर का राष्ट्रीय ब्यूरो।
2. राष्ट्रीय कृषि विस्तार अनुसंधान केन्द्र।
3. पराजीनों नेटवर्किंग।
4. कीट बायो-सिस्टेमेटिक पर नेटवर्किंग।
5. जैव कृषि पर नेटवर्किंग।
6. जलवायु परिवर्तन के प्रभाव पर नेटवर्किंग।
7. जीव-विषों पर नेटवर्किंग।
8. शैक्षिक कार्यक्रमों के तहत शिक्षा प्रौद्योगिकी सैल, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों, एच आर डी: एस ए यू-नार्म क्षेत्रीय सुविधा, अनुदेशात्मक मॉडल प्लांटों और अग्रत अध्ययन केन्द्रों के तहत नये केन्द्र।

प्रदूषित शहरों हेतु प्रदूषण नियंत्रण योजनाएं

***308. डा. रमेश चंद तोमरः**
श्री सनत कुमार मंडलः

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या दिनांक 10 जुलाई, 2002 के "दि टाइम्स ऑफ इंडिया" में प्रकाशित समाचार के अनुसार सरकार ने राज्यों को देश के प्रदूषित शहरों में प्रदूषण नियंत्रण हेतु एक व्यापक कार्य योजना तैयार करने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजन के लिए राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार पहचान किए गए शहरों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने राज्यों से दुपहिया, तीन पहिया और अन्य वाहनों को अनिवार्यतः एल.पी.जी. या सी.एन.जी. से चलाए जाने और अति प्रदूषित शहरों में सी.एन.जी./एल.पी.जी. फिलिंग केन्द्रों की पर्याप्त संख्या में स्थापना करने के लिए आवश्यक प्रबंध करने के लिए कहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) इस प्रयोजन के लिए राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार कितनी धनराशि प्रदान की जायेगी?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) और (ख) अभिज्ञात शहरों में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण हेतु कार्य योजनाएं तैयार करने और उन्हें क्रियान्वित किए जाने सहित प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श के लिए 8 और 9 जुलाई, 2002 को राज्यों के पर्यावरण सचिवों और प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/समितियों के अध्यक्षों का एक दो दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/समितियों को उत्तर प्रदेश में आगरा, लखनऊ, कानपुर और बनारस, हरियाणा में फरीदाबाद, झारखंड में झरिया, बिहार में पटना, राजस्थान में जोधपुर और महाराष्ट्र में पुणे, जहां वायु गुणवत्ता संकटपूर्ण है, के लिए एक समयबद्ध कार्य योजना तैयार करने के लिए कहा गया है।

(ग) से (ङ) सरकार ने गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों को वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए उच्चतम न्यायालय के आदेशों को दृष्टिगत रखते हुए क्रमशः अहमदाबाद, पुणे, कानपुर और कोलकाता शहरों में एलपीजी अथवा सीएनजी मोड में बदलने के लिए एक व्यापक कार्य योजना तैयार करने के लिए भी कहा है। 4 राज्य सरकारों ने समयबद्ध कार्य योजनाएं तैयार करने के लिए कदम उठाए हैं। केन्द्र सरकार द्वारा इन कार्य योजनाओं को निधि प्रदान करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

अनुसंधान परियोजना का विकास

***309. श्री अम्बरीशः** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आई.ए.आर.आई.) देश में कृषि संबंधी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए कई अनुसंधान परियोजनायें चलाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) आई.ए.आर.आई. द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार कुल कितनी अनुसंधान परियोजनायें शुरू की गई हैं;

(घ) इस प्रयोजन हेतु परियोजनावार और वर्ष-वार कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई और कितनी धनराशि का उपयोग किया गया;

(ङ) क्या ये परियोजनाएं किसी समुचित सर्वेक्षण और किसानों की जरूरतों को ध्यान में रखे बिना ही शुरू की गई थी; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) और (ख) जी हां। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान बागवानी फसलों सहित विभिन्न फसलों की विभिन्न किस्में तथा संबंधित उत्पादन और संरक्षण प्रौद्योगिकियां विकसित करने के लिए कई अनुसंधान परियोजनाएं चला रहा है। जैव-प्रौद्योगिकी, शरीर क्रिया विज्ञान, जैव-रसायन जैसे मूल विज्ञानों के क्षेत्रों तथा सामाजिक विज्ञानों के क्षेत्रों में भी ज्ञान प्राप्ति के उद्देश्य से परियोजनाएं चलाई जाती हैं। इन परियोजनाओं का उद्देश्य किसानों के लाभ के लिए देश में विभिन्न फसलों का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाना है।

(ग) भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों से संबधित 239 अनुसंधान परियोजनाएं चलाई हैं। संस्थान द्वारा चलाई गई परियोजनाओं का वर्षवार विवरण इस प्रकार हैः

1999-2000	-	141
2000-2001	-	55
2001-2002	-	22

इनके अतिरिक्त वर्ष 1998 से 17 परियोजनाएं चल रही हैं तथा वर्ष 2002-2003 के दौरान 4 परियोजनाएं आरंभ की गई हैं।

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 31.3.2002 की स्थिति के अनुसार विभिन्न विभागों/एजेंसियों की 143 बाह्य वित्त-पोषित परियोजनाएं भी हैं।

(घ) संस्थान कई प्रभागों, केन्द्रों, यूनिटों, क्षेत्रीय केन्द्रों इत्यादि के माध्यम से प्रचालन के प्रभाग मोड में कार्य कर रहा है। आकस्मिक व्यय को पूरा करने के लिए 40 से 50 हजार रु. प्रति वैज्ञानिक की दर से बजट का आवंटन किया जाता है। जिन विशिष्ट क्षेत्रों में उच्च व्यय की आवश्यकता होती है उन क्षेत्रों में निधि का आवंटन आवश्यकता के अनुसार किया जाता है। इसके अतिरिक्त, यात्रा के लिए तथा उपकरणों की प्राप्ति के लिए अलग से अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। अन्य सभी व्यय जैसे-वेतन, पुस्तकालय, फार्म प्रचालन, ईंधन, निर्माण, कार्य, बिजली और जल शुल्क के भुगतान इत्यादि के लिए अलग से आवंटन किया जाता है। संस्थान का कुल वर्षवार योजना तथा गैर-योजना बजट इस प्रकार है:

वर्ष	योजना	गैर-योजना	कुल
1999-2000	925.00	6709.50	7634.50
2000-01	700.00	7280.00	7980.00
2001-02	1236.62	7944.00	9180.62

इसके अतिरिक्त बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के व्यय को पूरा करने के लिए संस्थान ने बाह्य स्रोतों से भी संस्थान ने राशि प्राप्त की है।

(ङ) देश में बड़े पैमाने पर उत्पादन और संरक्षण प्रौद्योगिकियां ईजाद करने के लिए किसानों की आवश्यकताओं के आधार पर परियोजनाएं चलाई गई। वैज्ञानिकों द्वारा ये परियोजनाएं मूलत: वैज्ञानिकों के किसानों से सह-सम्पर्क तथा विभिन्न एजेंसियों/विभागों से की गई चर्चाओं और प्राप्त फीड बैक के आधार पर तैयार की जाती है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

खाद्य उत्पादन में गिरावट

***310. श्री टी.एम. सेल्वागनपति:** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बांधों संबंधी विश्व आयोग (वर्ल्ड कमीशन ऑन डैम्स) ने अपनी हाल की रिपोर्ट में कहा है कि देश में बड़े बांधों के जल से सिंचित भूमि से उत्पादित खाद्यान्न कुल उत्पादित खाद्यान्नों का केवल 10 प्रतिशत ही है;

(ख) यदि हां, तो क्या आयोग ने यह भी कहा है कि अब तक निर्मित बाधों के निर्माण के कारण विस्थापित हुए लोगों के प्रभावी और सफल पुनर्वास पैकेज का एक उदाहरण नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं कि बांधों के निर्माण से प्रभावित हुए लोगों का समुचित और प्रभावी ढंग से पुनर्वास हो गया है?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन चरण सेठी): (क) विश्व बांध आयोग (डब्ल्यू सी डी) द्वारा नियुक्त परामर्शदाताओं द्वारा किया गया भारतीय मामले का अध्ययन (द इंडिया केस स्टडी) विश्व बांध आयोग की "बांध और विकास" नामक रिपोर्ट का सूचना आधार है। इस रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि बड़े बांधों के जल से सिंचित अतिरिक्त भूमि से खाद्यान्न उत्पादन में कुल 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तथापि, इस रिपोर्ट में यह स्वीकार किया गया है कि खाद्यान्न उत्पादन की वृद्धि में बड़े बांधों के वास्तविक अंशदान की सीमा का आकलन करना कठिन है, आगे यह भी कहा गया है कि केन्द्रीय जल आयोग ने यह आंकड़ा 30 प्रतिशत दर्शाया है।

(ख) और (ग) जी, नहीं। विश्व बांध आयोग (डब्ल्यू.सी.डी.) ने अपनी रिपोर्ट में सफल पुनर्वास न किए जाने संबंधी किसी मामले का उल्लेख नहीं किया है।

जल, राज्य का विषय होने के कारण, राज्य सरकारें वास्तविक रूप से जल संसाधन परियोजनाओं का क्रियान्वयन कर रही हैं, वे राज्यवार/परियोजनावार, पुनर्स्थापना एवं पुनर्वास (आर एंड आर) नीतियां बनाती हैं अथवा कार्यकारी आदेश करती हैं तदनुसार वे पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना नीतियों का क्रियान्वयन करते हैं। राष्ट्रीय जल नीति, 200 में भी एक राष्ट्रीय पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना नीति तैयार करने की बात कही गई है ताकि उपयुक्त पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना के जरिए परियोजना प्रभावित व्यक्तियों को लाभ पहुंचाया जा सके।

पनीर बनाने हेतु सूक्ष्मजैवीय जामन

***311. श्री सईदुज्जमा:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पनीर बनाने हेतु सूक्ष्मजैवीय जामन (रेनेट) के लिए एन.डी.आर.आई., करनाल में पेटेन्ट कराया गया था;

(ख) क्या अनुवर्ती कार्रवाई में कमी के कारण पेटेन्ट का पूर्ण उपयोग या विकास नहीं किया गया;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जापानी भारत में सूक्ष्मजैवीय जामन बेच रहे हैं चूंकि पनीर बनाने हेतु पशु जामन के उपयोग पर उनके देश में प्रतिबंध है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाये जा रहे हैं?

कृषि मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) जी, हां। राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान, करनाल को 'किण्वक जैसे जीवाण्विक जामन (रेनेट) का उत्पादन करने की प्रक्रिया'' के लिए दिनांक 15.2.1967 को भारतीय पेटेन्ट सं. 96317 प्रदान किया गया था। इस पेटेन्ट की अवधि समाप्त हो चुकी है।

(ख) जी, नहीं। किण्वक उत्पादन से जुड़े व्यापारिक घरानों के अलावा देश में औषध-निर्माण करने वाली कम्पनियों से सम्पर्क करते हुए राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान द्वारा इस पर व्यापक अनुवर्ती कार्रवाई की गई थी। तथापि, देश में सूक्ष्मजैवीय जामन की बहुत कम मांग तथा इस उद्यम में बहुत अधिक निवेश के कारण इस प्रौद्योगिकी का व्यापारिक स्तर पर प्रयोग नहीं किया गया था।

(ग) जी, हां। पनीर का उत्पादन करने के लिए इस समय जापान और अन्य देशों से सूक्ष्मजैवीय जामन का उपयोग किया जा रहा है।

(घ) भारत में पनीर बनाने के लिए उपयोग किये जा रहे किण्वक (ट्रेड नाम) हैं: जापान से मीतो, नीदरलैंड से फ्रोमेज, संयुक्त राज्य अमेरिका से मोडीलेज और हैन्नीलेज तथा फ्रांस से मैक्सीरेन।

क्योंकि, भारत में डेरी उद्योग ने इन सूक्ष्मजैवीय जामनों (रेनेट्स) से पनीर उत्पादन की प्रक्रिया को मानकीकृत किया है तथा उनका जापान और अन्य देशों से आयात किया जाता है।

(ङ) राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान में पनीर के संसाधन और गुणवत्ता विशेषताओं के लिए तैयार किए गए सूक्ष्मजैवीय जामन का उपयोग करके अध्ययन किये जा रहे हैं। संयोजन काइमोसिन का उत्पादन करने के लिए अनुसंधान प्रयास किये जा रहे हैं।

पेटेन्ट अधिनियम, 1970 के अनुसार केवल प्रक्रिया पेटेंट्स दिये गये थे। हाल के, पेटेंट्स (संशोधन) अधिनियम, 2002 में सूक्ष्मजीवों की सुरक्षा का प्रावधान रखा गया है। यह प्रवर्तन समय-समय पर जारी भारत सरकार की राजपत्र अधिसूचना के अनुसार यथावधि स्थान लेगा।

बंधुआ मजदूरों की पहचान

***312. श्री चिंतामन वनगा:** क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बंधुआ मजदूरों की पहचान करने हेतु कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उनके पुनर्वास हेतु किसी योजना का क्रियान्वयन किया है; और

(घ) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों के दौरान कितनी राशि आबंटित की गई है एवं दसवीं योजनावधि के लिए कितना परिव्यय निर्धारित किया गया है?

श्रम मंत्री (डा. साहिब सिंह वर्मा): (क) और (ख) बंधित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत बंधुआ श्रमिकों की पहचान, मुक्ति और उनके पुनर्वास का सीधा उत्तरदायित्व संबंधित राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों का है। बंधुआ श्रमिकों की पहचान के लिए अक्तूबर-दिसम्बर, 1996 के दौरान सभी राज्य सरकारों द्वारा एक व्यापक सर्वेक्षण कराया गया था। इन सर्वेक्षणों के माध्यम से सात राज्यों अर्थात्, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में 28,916 बंधुआ श्रमिकों की पहचान की गई थी। तथापि, बंधुआ श्रमिकों की पहचान, उनको मुक्त कराना और पुनर्वासित करना एक सतत प्रक्रिया है।

संवेदनशील जिलों में तीन वर्षों में एक बार बंधुआ श्रमिकों का सर्वेक्षण कराने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को 2.00 लाख रुपये प्रति जिले के हिसाब से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। मई, 2000 से 91 जिलों में ऐसे सर्वेक्षण कराने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों को 182 लाख रुपए की वित्तीय सहायता जारी की गई है।

(ग) और (घ) जी, हां। केन्द्र सरकार बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास के लिए मई, 1978 से केन्द्र द्वारा प्रायोजित एक योजना का क्रियान्वयन कर रही है। इस योजना के अंतर्गत, मुक्त कराये गये प्रति बंधुआ श्रमिकों के लिए 20,000 रु. की पुनर्वास सहायता

प्रदान की जाती है, जिसका केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा 50:50 अनुपात में वहन किया जाता है लेकिन सात पूर्वोत्तर राज्यों के मामले में 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है।

बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास के लिए केन्द्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान आबंटित निधियों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

वर्ष	परिव्यय लाख रुपयों में
1999-2000	398.00
2000-2001	920.64
2001-2002	550.00
2002-2003	400.00

इस योजना के अंतर्गत दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिए परिव्यय को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

[हिन्दी]

बाढ़ नियंत्रण संबंधी राष्ट्रीय नीति

***313. योगी आदित्यनाथ:**
श्री राम सिंह कस्वां:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार बाढ़ नियंत्रण के संबंध में कोई राष्ट्रीय नीति तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो बाढ़ के कारण निरन्तर प्रभावित हो रहे जान और माल की सुरक्षा हेतु क्या उपाय किये गये हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन चरण सेठी): (क) से (ग) प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद की 1 अप्रैल, 2002 को हुई पाचंवीं बैठक में राष्ट्रीय जल नीति, अप्रैल, 2002 अनुमोदित एवं स्वीकार की गई। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ बाढ़ नियंत्रण और प्रबंधन उपायों की भी व्यवस्था है जिसमें प्रत्येक बाढ़ प्रवण बेसिन के लिए मास्टर योजनाएं तैयार करना, जल भंडारण परियोजनाओं में पर्याप्त बाढ़ कुशन मुहैया कराना, तटबंधों और डाइकों जैसे बाढ़ सुरक्षा कार्यों का निर्माण करना तथा बाढ़ से होने वाली क्षति को कम करने के लिए बाढ़ पूर्वानुमान और चेतावनी देने, बाढ़ मैदान (फ्लड प्लेन) जोनिंग और बाढ़ रोधी कार्य जैसे ग़ैर-संरचनात्मक उपाय भी शामिल हैं।

इसके पूर्व भारत सरकार ने बाढ़ से संबंधित विभिन्न पहलुओं की जांच करने और सलाह देने के लिए वर्ष 1976 में राष्ट्रीय बाढ़ आयोग (आरबीए) की स्थापना की थी। इस आयोग ने विभिन्न राज्यों, विशेषज्ञों के साथ गहन परामर्श किया और विस्तृत अध्ययन किए तथा मार्च, 1980 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की सिफारिशें देश में बाढ़ प्रबंधन रणनीति के लिए फ्रेमवर्क का आधार तैयार करती हैं। इनको कार्यान्वयन के लिए सभी राज्य सरकारों को भेजा गया था। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की एक महत्वपूर्ण सिफारिश वर्ष 1975 में राज्यों को परिचालित किए गए माडल बाढ़ मैदान जोनिंग बिल की तरह ही राज्यों द्वारा बाढ़ मैदान जोनिंग कानून के अधिनियम से संबंधित है। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन की मौजूदा स्थिति की समीक्षा करने तथा उपयुक्त उपायों का सुझाव देने के लिए अक्तूबर, 2001 में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है।

इसके अतिरिक्त, केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 1972 में गठित किए गए गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग (जीएफसीसी) ने गंगा बेसिन की सभी 23 नदी प्रणालियों के बाढ़ प्रबंधन के वास्ते व्यापक योजनाएं तैयार की हैं। इसी प्रकार, वर्ष 1982 में गठित ब्रह्मपुत्र बोर्ड ने ब्रह्मपुत्र और बराक नदियों के लिए मास्टर योजनाएं तैयार की हैं। इन रिपोर्टों/मास्टर योजनाओं में की गई सिफारिशों पर अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए इन्हें संबंधित राज्य सरकारों को भेजा गया है। इन योजनाओं में बाढ़ प्रबंधन के लिए अल्पकालिक व दीर्घकालिक दोनों ही प्रकार के उपायों का सुझाव दिया गया है।

जहां तक बाढ़ पूर्वानुमान और चेतावनी का संबंध है केन्द्र सरकार ने प्रमुख अन्तर्राज्यीय नदियों पर 159 बाढ़ पूर्वानुमान केन्द्रों की स्थापना की है। ये केन्द्र बाढ़ से होने वाली क्षतियों को कम करने के लिए विभिन्न राज्यों में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को समय से पूर्व चेतावनी देते हैं।

[अनुवाद]

जी.एम. सोयाबीन का आयात

***314. डा. रघुवंश प्रसाद सिंह:**
श्रीमती कान्ति सिंह:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में जैव संसाधित खाद्य पदार्थ, विशेषरूप से सोयाबीन का अंधाधुंध आयात किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या उनके मंत्रालय ने इस तरह के आयात को रोकने के लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय के समक्ष इस मुद्दे को उठाया है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले?

कृषि मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) से (ग) आनुवंशिक रूप से संशोधित उत्पादों का आयात पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अंतर्गत बनाए गए नियमों द्वारा शासित है, जिनका संचालन पर्यावरण तथा वन मंत्रालय द्वारा किया जाता है। पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत अधिसूचित कोशिकाओं के खतरनाक सूक्ष्म अवयवों/आनुवंशिक रूप से तैयार अवयवों के विनिर्माण उपयोग, आयात-निर्यात तथा भंडारण नियावली, 1989 के नियम 11 में यह प्रावधान है कि खाद्य सामग्री, खाद्य सामग्री में डाली जाने वाली वस्तुओं और संयोजियों (एडीटिव्ज) जिनमें आनुवंशिक रूप से तैयार किये गये अवयवों अथवा कोशिकाओं वाले प्रसंस्करण साधन अंतर्विष्ट हैं अथवा शामिल हैं, का उत्पादन, बिक्री, आयात अथवा उपयोग तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि आनुवंशिक अभियांत्रिकी स्वीकृति समिति (जी.ई.ए.सी.) का अनुमोदन प्राप्त न कर लिया गया हो। देश में आनुवंशिक रूप से संशोधित खाद्य, विशेषकर सोयाबीन के अन्धाधुन्ध आयात का कोई प्रमाण नहीं है, तथापि, आनुवंशिक रूप से संशोधित खाद्य के आयात को घोषित करने के संबंध में आयातकों को बाध्य करने वाले किसी समुचित ढांचे के न होने के कारण आनुवंशिक रूप से संशोधित खाद्यों के देश में आने की संभावना को पूर्णतया नहीं नकारा जा सकता। अत: कृषि मंत्रालय ने पर्यावरण तथा वन मंत्रालय से यह अनुरोध किया था कि वे पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम के अंतर्गत एक अधिसूचना जारी करें जिसमें आयातकों पर यह बाध्यता लगाई जाए कि वे यह घोषणा करें कि आयात की गई वस्तु आनुवंशिक रूप से संशोधित अथवा आनुवंशिक रूप से असंशोधित मूल की है और यदि यह आनुवंशिक रूप से संशोधित मूल की है तो वे इसके आयात के लिए पर्यावरण तथा वन मंत्रालय से एक आवश्यक परमिट प्राप्त करें।

बेरोजगारी बीमा योजना

***315. श्री अधीर चौधरी:**
श्री कोडीकुनील सुरेश:

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि के केन्द्रीय न्यासी बोर्ड ने सरकार को कर्मचारियों की छंटनी होने की स्थिति में उनके लिये बेरोजगारी बीमा योजना की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार का विचार कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम में कुछ संशोधन करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (डा. साहिब सिंह वर्मा): (क) से (घ) कर्मचारी बहु-लाभकारी योजना (ई एम बी आई एस) को आरम्भ करने के प्रस्ताव का केन्द्रीय न्यासी बोर्ड (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन) ने सिद्धांत रूप से अनुमोदन कर दिया है। इस प्रस्ताव के लिए कर्मचारी भविष्य निधि एवम् प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 में संशोधन करना अपेक्षित होगा। लाभ की मात्रा तथा जिस अवधि के लिए भुगतान किया जाना प्रस्तावित है, उसका बीमांकिक मूल्यांकन करना आवश्यक होगा। सरकार द्वारा प्रस्ताव का अभी मूल्यांकन किया जाना है।

पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आई.टी.डी.सी. द्वारा नवीन सेवाएं

***316. श्री सुबोध मोहिते:** क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत पर्यटन विकास निगम का विचार देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई सेवाएं आरम्भ करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ये नई सेवाएं केवल महानगरों तक ही सीमित रहेंगी या इनके अंतर्गत अन्य पर्यटक स्थलों को भी शामिल करने का प्रस्ताव है; और

(घ) तत्संबंधी तथ्यों का ब्यौरा क्या है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) और (ख) जी, हां। बाद के विनिवेश परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए, भारत पर्यटन विकास निगम का देश में पर्यटन के संवर्धन के लिए निम्नलिखित नई सेवाएं/कार्यकलाप शुरू करने का प्रस्ताव है:

1. पूर्णरूपेण धन भुनाने की सुविधा।
2. ''मिलन और स्वागत'' (मीट एण्ड ग्रीट) सुविधा
3. गंतव्य प्रतिनिधित्व सेवा

4. नदी परिभ्रमण

5. पर्यटक रेल पैकेज

6. भारतीय आतिथ्य स्कूल (आई एस एच)

7. पर्यटन परामर्शी सेवाएं।

(ग) और (घ) प्रारम्भ में, ये सेवाएं बड़े पर्यटक केन्द्रों पर शुरू की जानी हैं और बाद में, सम्भाव्यता और आर्थिक व्यवहार्यता के आधार पर अन्य शहरों में भी शुरू की जाएंगी।

पर्यटन और सांस्कृतिक केन्द्रों की स्थापना

***317. श्री ए. ब्रह्मनैया:**
श्री रघुराज सिंह शाक्य:

क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक राज्य में पर्यटन और सांस्कृतिक केन्द्रों की स्थापना पर सक्रियता से विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे केन्द्रों की स्थापना में कुल कितनी धनराशि व्यय होगी और किन स्रोतों से यह धनराशि जुटाये जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) ऐसे केन्द्रों की स्थापना कब तक किये जाने की संभावना है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) से (ग) पर्यटन विभाग, भारत सरकार ने देश में पर्यटन के विकास एवं संवर्धन हेतु दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, केन्द्रीय वित्तीय सहायता हेतु, पर्यटक परिपथों के एकीकृत विकास तथा उत्पाद/अवसंरचना तथा गंतव्य विकास की नई योजनाओं का प्रस्ताव किया है। पर्यटक परिपथों तथा गंतव्यों के एकीकृत विकास हेतु, वर्ष 2002-2003 के लिए 59.50 करोड़ रुपये का प्रावधान चिह्नित किया गया है। निम्नलिखित कार्यकलापों के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को केन्द्रीय वित्तीय सहायता के लिए शामिल किया जायेगा:

* गंतव्य के आस-पास तथा पहुंच मार्ग का सुधार।
* पर्यटक गंतव्यों का प्रदीप्तिकरण।
* बजट आवास, मार्गस्थ सुविधाओं का निर्माण।
* जलक्रीड़ाओं, साहसिक क्रीड़ाओं, पर्यटन जोन के भीतर आने-जाने के लिए परिवहन के पारिस्थितिकी मैत्रीपूर्ण साधनों जैसे पर्यटन से संबंधित उपकरणों को सीधे प्राप्त करना।
* स्मारकों को पुन:सज्जित करना।
* संकेतक।
* पर्यटक स्वागत केन्द्र/भाष्य केन्द्र।

भारत के प्रत्येक राज्य में कम से कम एक पर्यटन एवं सांस्कृतिक केन्द्र विकसित करने का उद्देश्य है।

(घ) राज्य सरकारों के साथ परामर्श एवं विचार-विमर्श से कार्य स्थलों के दौरों के पश्चात एकीकृत परिपथों तथा गंतव्यों का अभिनिर्धारण तथा विकास किया जा रहा है। ये परियोजनाएं दसवीं योजना अवधि के दौरान कार्यान्वित की जायेंगी।

[हिन्दी]

अनधिकृत कब्जे वाली वन भूमि का नियमित किया जाना

***318. श्री सोहन पोटाई:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को विभिन्न राज्यों की ओर से आदिवासियों द्वारा अनधिकृत रूप से कब्जे में ली गई वन भूमि को नियमित करने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त प्रस्तावों पर स्वीकृति दे दी गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) इन्हें कब तक स्वीकृति दिये जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) से (च) जनजातियों द्वारा वन भूमि पर अवैध कब्जे को नियमित करने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा और इन प्रस्तावों में से प्रत्येक की स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है। उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र सरकार को वन भूमि पर किसी भी अवैध कब्जों को नियमित करने से मना किया है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	क्षेत्र (हैक्टेयर)	स्थिति
1	2	3	4
1.	अंदमान और निकोबार द्वीप	1,367	अनुमोदित
2.	अंदमान और निकोबार द्वीप	89	सूचना के अभाव में अस्वीकृत।
3.	अंदमान और निकोबार द्वीप	735	उच्चतम न्यायालय ने अपने दिनांक 7.5.02 के निर्णय के तहत वन भूमियों पर अवैध कब्जों को नियमित करने पर प्रतिबंध लगा दिया है।
4.	अरुणाचल प्रदेश	105,45	सूचना के अभाव में अस्वीकृत।
5.	अरुणाचल प्रदेश	13,419.29	सिद्धांत रूप से अनुमोदित।
6.	गुजरात	10,900	अनुमोदित।
7.	गुजरात	39,750.59	21082.33 हैक्टेयर के लिए अनुमोदित।
8.	कर्नाटक	46.80	अस्वीकृत, क्योंकि ये 1980 के बाद के अवैध कब्जे थे जो कि वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन है।
9.	कर्नाटक	732.24	अस्वीकृत।
10.	कर्नाटक	17007.2	14,848.83 हेक्टेयर के दिशा परिवर्तन के लिए अनुमोदित।
11.	केरल	28,588.159	अनुमोदित।
12.	मध्य प्रदेश	1.03 लाख	अनुमोदित।
13.	मध्य प्रदेश/छत्तीसगढ़	1,82,889.7	(क) 31.12.76 तक के अवैध कब्जे—64967 हेक्टेयर अनुमोदित
			(ख) 7.3.79 से 25.10.1980 के मध्य अवैध कब्जे—11954 हेक्टेयर अस्वीकृत
			(ग) 1.1.77 से 6.3.79 के दौरान के अवैध कब्जे संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने की शर्त पर अनुमोदित।
14.	महाराष्ट्र	10,185.32	अधूरा प्रस्ताव, राज्य से अतिरिक्त सूचना मांगी गई है।
15.	महाराष्ट्र	28,886.410	वापिस लिया गया।
16.	महाराष्ट्र	335.65	अधूरा प्रस्ताव, राज्य सरकार से पूरे राज्य के लिए समेकित प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है।
17.	उड़ीसा	4657.1759	(क) एक जिले के लिए प्रस्ताव 22.11.2001 को अनुमोदत किया गया

1	2	3	4
			(ख) 8 जिलों के प्रस्तावों पर भी कार्रवाई की गई परन्तु अनुमोदन के लिए आदेश को उच्चतम न्यायालय के दिनांक 23.11.01 के आदेश को ध्यान में रखते हुए रोक दिया गया है। अन्य प्रस्ताव राज्य सरकार से अतिरिक्त सूचना प्राप्त करने के लिए लंबित है।
18.	राजस्थान	3171.42	सूचना के अभाव में अस्वीकृत।
19.	महाराष्ट्र	952.43	प्रस्ताव राज्य सरकार को लौटा दिया गया है। राज्य सरकार से पूरे राज्य के लिए समेकित प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है।

पर्यावरणीय न्यायालय

***319. श्री लक्ष्मण गिलुवाः** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान माननीय उच्चतम न्यायालय की उन अनुशंसाओं की ओर दिलाया गया है जिनमें पर्यावरण संबंधी कानूनों के उल्लंघन से निपटने के लिए विशेष पर्यावरणीय न्यायालयों की स्थापना का सुझाव दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं;

(ग) क्या सरकार का केन्द्र और राज्य सरकारों के स्तर पर संस्थागत तंत्र को सुदृढ़ करने का विचार है ताकि प्रदूषण रोधी कानूनों को लागू किया जा सके और किसी भी कानून के उल्लंघन हेतु एकक/एजेंसी के प्रमुख की निजी जवाबदेही निर्धारित की जा सके; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) और (ख) श्री राम खाद्य एवं उर्वरक उद्योग लि. दिल्ली में ओलियम गैस रिसाव के मामले में उच्चतम न्यायालय के अनुसरण में, जिसमें पर्यावरणीय न्यायालयों की स्थापना का सुझाव दिया गया था, सरकार ने राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकरण अधिनियम, 1995 नामक विधान अधिनियमित किया गया जिसके अंतर्गत किसी भी परिसंकटमय पदार्थ के हथालन (हैंडलिंग) के दौरान होने वाली किसी भी दुर्घटना से होने वाली क्षति हेतु कड़े दायित्व का प्रावधान है। इस अधिनियम के अंतर्गत ऐसी दुर्घटनाओं के मामलों के प्रभावशाली एवं शीघ्र निपटान हेतु एक राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकरण की स्थापना हेतु प्रावधान है।

(ग) और (घ) केन्द्रीय और राज्य स्तरों पर संस्थानिक तंत्र को मजबूत बनाने के लिए सरकार ने पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों और समितियों को शक्तियां प्रत्यायोजित की हैं। पर्यावरणीय कानूनों के अंतर्गत व्यक्तिगत जिम्मेदारी दी जाती है। किए गए किसी भी अपराध के लिए उसके जिम्मेदार व्यक्ति को कसूरवार समझा जाता है और उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाती है।

पशुओं का अवैध शिकार

***320. श्री जसवंत सिंह बिश्नोईः** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार पशुओं और पक्षियों के अवैध शिकार की घटनाओं को रोकने हेतु राज्यों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और तत्पश्चात् राज्यवार उपलब्ध करायी गयी धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार पशुओं के अवैध शिकार पर रोक लगाने संबंधी वर्तमान कानूनों को बदलने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) और (ख) वन्य जीवों के अवैध शिकार को नियंत्रित करना, केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं अर्थात् ''राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों का विकास'', ''बाघ परियोजना'' और ''हाथी परियोजना'' का अनिवार्य घटक है। पिछले तीन वर्षों के दौरान इन योजनाओं के अंतर्गत राज्य सरकारों को दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) इस संबंध में मौजूदा कानून को बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, समय-समय पर मौजूदा कानूनों की समीक्षा की जाती है और जब कभी आवश्यक समझा जाता है उन्हें अधिक प्रभावी बनाने के लिए उनका संशोधन किया जाता है।

विवरण

(लाख रुपयों में)

क्र.सं.	राज्य	1999-2000	2000-01	2001-02
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	128.436	277.37	140.595
2.	अरुणाचल प्रदेश	100.876	243.537	299.525
3.	असम	165.88	518.305	211.05
4.	बिहार	219.802	101.097	54.52
5.	छत्तीसगढ़	–	–	71.94
6.	झारखण्ड	–	5.00	22.668
7.	गुजरात	22.105	65.27	127.2
8.	गोवा	21.305	10.5	78.13
9.	हरियाणा	21.55	28.35	15.64
10.	हिमाचल प्रदेश	47.46	165.3	111.235
11.	जम्मू-कश्मीर	5.55	–	26.00
12.	कर्नाटक	352.398	551.514	649.694
13.	केरल	167.19	218.67	213.5
14.	मध्य प्रदेश	484.363	615.762	571.56
15.	महाराष्ट्र	258.195	258.891	362.599
16.	मणिपुर	13.28	42.784	26.81
17.	मेघालय	20.68	103.592	67.95
18.	मिजोरम	33.73	130.89	149.045
19.	नागालैण्ड	49.7	67.02	83.13
20.	उड़ीसा	204.19	116.56	557.4
21.	पंजाब	11.57	26.39	29.6
22.	राजस्थान	289.135	415.705	243.319
23.	सिक्किम	12.00	97.45	30.45
24.	तमिलनाडु	168.17	200.145	131.23

1	2	3	4	5
25.	त्रिपुरा	19.97	23.9	47.41
26.	उत्तर प्रदेश	507.846	416.255	147.215
27.	उत्तरांचल	–	20.00	173.37
28.	पश्चिम बंगाल	268.351	267.44	408.121
29.	अंदमान और निकोबार द्वीप	22.00	50.00	25.69
30.	चंडीगढ़	28.00	–	18.4
31.	दादरा और नागर हवेली	–	–	6.01
	कुल	3643.732	5037.697	5100.606

[अनुवाद]

ओसवाल उर्वरक कम्पनी से होने वाला प्रदूषण

3054. श्री त्रिलोचन कानूनगो: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पारादीप (उड़ीसा) स्थित ओसवाल उर्वरक कम्पनी के कारण उसके आसपास के इलाके में होने वाले अत्यधिक प्रदूषण और पर्यावरण के लिए खतरनाक/संकटपूर्ण स्थिति की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो आज की तिथि तक इसका ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इसे प्रदूषण और खतरे से मुक्त बनाने हेतु क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) उक्त कम्पनी के विरुद्ध क्या दंडात्मक कार्रवाई की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) और (ख) सरकार को पारादीप में स्थित मैसर्स ओसवाल कैमीकल्स एंड फर्टिलाइजर लि. द्वारा उत्पन्न पर्यावरणीय प्रदूषण समस्या के बारे में जानकारी है। समीप के जलपिण्डों की मानीटरी से पता चला है कि महानदी नदी की ओर जाने वाली निकटवर्ती संकरी खाड़ी और नाला में उद्योग द्वारा छोड़े गए अम्ल, फ्ल्यूराइड और फॉस्फेट और रिसावों से संदूषित है।

(ग) उद्योग को, पर्याप्त प्रदूषण नियंत्रण उपाय अपनाने के लिए और संयंत्र से छोड़े गए सभी किस्मों के बहि:स्राव को रोकने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

(घ) जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 25 के उल्लंघन के कारण, उद्योग के विरुद्ध उड़ीसा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा 17.3.2001 एक आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। इसके अतिरिक्त, जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33(क) के तहत दिशा-निर्देश जारी करने के आशय से 26.5.2002 को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

[हिन्दी]

पायलट द्वारा शराब पीकर हेलीकाप्टर उड़ाना

3055. श्री ए. नरेन्द्र : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 28 जून, 2002 के हिन्दी दैनिक 'नवभारत टाइम्स' में 'कलाम को ले जा रहे हेलीकाप्टर के चालक नशे में थे' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित कराया गया है;

(ख) क्या इस मामले में कोई जांच की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका क्या परिणाम निकला है; और

(घ) सरकार द्वारा दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई या किए जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) सरकार को घटना की फाइनल जांच रिपोर्ट अभी नहीं मिली है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

पशुधन के रोग

3056. श्री टी. गोविन्दन: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश के विभिन्न भागों में पशुओं के रोग फैल रहे हैं जबकि प्रभावी दवाएं न प्रदान किए जाने के कारण पशु सम्पदा की हानि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा वर्ष-वार और राज्य-वार सूचित किए गए ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त अवधि के दौरान राष्ट्रीय महत्व के पशुधन के रोगों के प्रणालीबद्ध नियंत्रण के लिए राज्य सरकारों को धनराशि आबंटित की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्षवार और राज्यवार ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, देश के विभिन्न भागों में गोपशु रोग होता रहता है और राज्य सरकार द्वारा उसे नियंत्रण करने के उपाय शुरू किये जाते हैं। प्रभावी दवाओं की कमी की कोई सूचना नहीं मिली है।

(ग) जी, हां।

(घ) इस योजना के तहत विगत तीन वर्षों के दौरान राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को राज्यवार, वर्षवार प्रदान की गई अनुदान सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

1999-2000, 2000-2001 और 2001-2002 के दौरान "राष्ट्रीय महत्व के पशुधन रोगों का प्रणालीबद्ध नियंत्रण" नामक केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत राज्यवार जारी की गई धनराशि को दर्शाने वाला विवरण

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	1999-2000	2000-2001	2001-2002	कुल 1999-2000 से 2001-2002
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	0.00	0.00	11.00	11.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	1.00	2.00	2.00	5.00
3.	असम	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	बिहार	0.00	24.00	24.91	48.91
5.	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	गोवा	1.32	2.00	1.33	4.65
7.	गुजरात	24.40	24.31	13.50	62.21
8.	हरियाणा	20.66	10.00	55.00	85.66

1	2	3	4	5	6
9.	हिमाचल प्रदेश	10.82	10.00	21.18	42.00
10.	जम्मू-कश्मीर	8.00	0.00	0.00	8.00
11.	झारखंड	0.00	0.00	6.59	6.59
12.	कर्नाटक	59.00	23.00	20.50	102.50
13.	केरल	36.66	12.00	85.00	133.66
14.	मध्य प्रदेश	9.14	29.00	5.00	43.14
15.	महाराष्ट्र	26.14	23.00	45.90	95.04
16.	मणिपुर	4.77	0.00	14.84	19.61
17.	मेघालय	6.40	4.40	10.00	20.80
18.	मिजोरम	23.32	38.00	35.00	96.32
19.	नागालैंड	6.32	5.02	11.00	22.34
20.	उड़ीसा	0.00	18.00	0.00	18.00
21.	पंजाब	20.00	0.00	0.00	20.00
22.	राजस्थान	17.56	28.00	60.00	105.56
23.	सिक्किम	3.00	2.38	6.00	11.38
24.	तमिलनाडु	18.50	18.00	26.59	63.09
25.	त्रिपुरा	13.32	23.20	18.16	54.68
26.	उत्तर प्रदेश	29.67	40.00	88.00	157.67
27.	उत्तरांचल	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	पश्चिम बंगाल	40.00	18.67	40.00	98.67
	कुल राज्य	380.00	354.98	601.50	1336.48
1.	अंडमान एवं निकोबार	5.00	5.00	6.75	16.75
2.	चण्डीगढ़	1.75	1.75	1.65	5.25
3.	दादर एवं नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	दमन एवं दीव	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	दिल्ली	8.00	7.00	6.50	21.50

1	2	3	4	5	6
6.	लक्षद्वीप	3.25	2.00	1.50	6.75
7.	पांडिचेरी	2.00	3.00	2.00	7.00
	कुल संघ राज्य क्षेत्र	20.00	18.75	18.50	57.25
	सकल योग	400.00	373.73	620.00	1393.73

सर जगदीश चन्द्र बोस के अज्ञात कार्यों की खोज

3057. श्री राजैया मल्याला:
श्री राम मोहन गाड्डे:

क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि लोकप्रिय वैज्ञानिक सर जगदीश चन्द्र बोस के अज्ञात कार्यों से संबंधित एक पेटी गिरिडीह (झारखंड) के एक घर में 23 नवम्बर, 1937 में उनकी मृत्यु के बाद से ही बंद पड़ी है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) और (ख) बोस संस्थान, कोलकाता ने सर जगदीश चंद्र बोस के अज्ञात कार्यों से संबंधित एक पेटी, जो गिरिडीह (झारखंड) के एक घर में रखी हुई बताई गई है, के मौजूद होने की जांच करने तथा सही जानकारी प्राप्त करने के लिए 23 जुलाई, 2002 को एक दल का गठन किया है। इस दल की रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई हैं।

नैफेड

3058. श्री रघुनाथ झा: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नैफेड ने अपनी दिल्ली शाखा को दिल्ली परिसंघ को आर आर/जी आर प्रस्तुत करने पर भुगतान जारी करने का निर्देश दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या दिल्ली परिसंघ ने बैंक ''बिल्टियों'' के बदले भुगतान प्राप्त किया था;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या कोई सी.बी.आई. जांच की गई;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, हां।

(ङ) और (च) नैफेड ने सूचित किया है कि सी.बी.आई. ने आर्मी परचेज आर्गेनाइजेशन की आपूर्तिओं से संबंधित मामले की जांच की है। सीबीआई द्वारा की गई जांच के पश्चात नेफेड, दिल्ली शाखा के शाखा प्रबंधक और सहायक लेखा अधिकारी के रूप में कार्यरत दो कर्मचारियों को आरोप-पत्र जारी किए गए क्योंकि उनके खिलाफ अभियोग शुरू करने के लिए पर्याप्त सामग्री थी। न्यायालय में इन अधिकारियों को सजा देने की संस्वीकृति सीबीआई को दे दी गई थी। क्षेत्रीय प्रबंधक (उत्तरी जोन) के संबंध में सीबीआई ने नियमित विभागीय कार्रवाई करने की सिफारिश की है। क्षेत्रीय प्रबंधक (उत्तरी जोन) जो ए पी ओ आपूर्तियों के लिए नोडल एवं प्रबोधन अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे थे, के संबंध में विभागीय जांच पहले से ही पूरी की जा चुकी है। चूंकि कोई भी आरोप सिद्ध नहीं हो सका, इसीलिए उन्हें दोष-मुक्त कर दिया गया।

[हिन्दी]

दूषित भूजल

3059. श्री कैलाश मेघवाल: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कई राज्यों के भूजल में फ्लोरीन की बड़ी मात्रा विद्यमान है जो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से खतरनाक है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने भूजल को फ्लोरीन से दूषित होने से रोकने हेतु कोई प्रयोग किया है या कोई तकनीक विकसित की है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) और (ख) देश में विभिन्न जिलों के कुछ हिस्सों में अधिक मात्रा में फ्लोराइड पाया गया है। ऐसे राज्यों और जिलों के नाम, जहां भूजल, फ्लोराइड से दूषित पाया गया है, को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) जल संसाधन मंत्रालय ने फ्लोराइड से भूजल के संदूषण को रोकने के लिए न तो कोई परीक्षण किया है और न ही कोई तकनीक विकसित की है। तथापि, जल संसाधन मंत्रालय के तहत केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड (सी जी डब्ल्यू बी) भूजल में फ्लोराइड की मात्रा का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण करता है तथा संबंधित जानकारी पेयजल की आपूर्ति करना राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व होने के कारण राज्य सरकारों के संबंधित अभिकरणों को देता है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन, त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम और फ्लोराइड जैसी गंभीर भूजल गुणवत्ता संबंधी समस्याओं वाले क्षेत्रों में विशिष्ट उप-मिशनों के तहत ग्रामीण आबादी को सुरक्षित पेयजल मुहैया कराने में राज्यों की सहायता और मार्गदर्शन करता है। शहरी क्षेत्रों में शहरी विकास और गरीबी उन्मूलन मंत्रालय इस प्रयोजन के वास्ते राज्यों की सहायता करता है।

विवरण

राज्यवार ऐसे जिलों के नाम, जहां भूजल, फ्लोराइड से दूषित पाया गया है

राज्य	जिले
आंध्र प्रदेश	प्रकासम, नेल्लोर, अनंतपुर, नालगोंडा, रंगा रेड्डी, आदिलाबाद
असम	कारबी अंगलांग, नौगांव
बिहार (झारखंड सहित)	गिरिडीह, जमुई, धनबाद
गुजरात	कच्छ, सुरेन्द्र नगर, राजकोट, अहमदाबाद, मेहसाणा, बनासकांठा, साबरकांठा, पंचमहल, खेड़ा
हरियाणा	रोहतक, जींद, हिसार, भिवानी, महेन्द्रगढ़, फरीदाबाद
कर्नाटक	तुमकुर, कोलार, बंगलौर, गुलबर्गा, बेल्लारी, रायचूर
केरल	पालघाट
मध्य प्रदेश (छत्तीसगढ़ सहित)	भिंड, मुरैना, गुना, झाबुआ, छिंदवाड़ा, सीवनी, मांडला, रायपुर, विदिशा
महाराष्ट्र	भंडारा, चंद्रपुर, नांदेड़, औरंगाबाद
उड़ीसा	बोलनगीर
पंजाब	लुधियाना, फरीदकोट, भटिंडा, संगरूर, जालन्धर, अमृतसर
राजस्थान	बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर, जालौर, नागौर, पाली, सिरोही
तमिलनाडु	धर्मपुरी, सेलम, उत्तर अरकॉट, विल्लुपुरम, तिरुचिरापल्ली पदुकोट्टाई
उत्तर प्रदेश	बुलंदशहर, अलीगढ़, आगरा, उन्नाव, रायबरेली
पश्चिमी बंगाल	बीरभूम
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	शहर, शाहदरा और मेहरौली ब्लॉक

[अनुवाद]

सिल्वीपास्वर प्रणाली

3060. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक सरकार पिछले दो वर्षों के दौरान केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अंतर्गत बायोमास को बढ़ाने के लिए सिल्वीपास्वर प्रणाली की स्थापना हेतु न व्यय की गई 25 लाख रुपये की राशि के पुनर्वैधीकरण के लिए केन्द्र सरकार से निवेदन करती रही है;

(ख) यदि हां, तो इस मुद्दे पर कोई निर्णय न लिये जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा न व्यय की गई राशि को पुन: कब तक वैध कर दिए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) से (ग) बायोमास उत्पादन को बढ़ाने के उद्देश्य से सिल्वीपास्वर प्रणाली की स्थापना के लिए कर्नाटक सरकार को वर्ष 2000-2001 के दौरान 25.00 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई थी। वर्ष 2001-2002 में समूची राशि का पुनर्वैधीकरण किया गया था। राज्य सरकार ने जुलाई, 2002 में 25.00 लाख रुपए में से 24.77241 लाख रुपए का धनराशि उपयोगिता प्रमाण-पत्र भेजा है।

[हिन्दी]

ई.एस.आई. अस्पताल

3061. श्री रामदास आठवले: क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि के अनुसार देश में चल रहे ई.एस.आई. अस्पतालों/औषधालयों की संख्या राज्य-वार कितनी है;

(ख) क्या सरकार का विचार देश के कुछ ई.एस.आई. अस्पतालों/औषधालयों का दर्जा बढ़ाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) राज्यों में किराए के मकानों में कितने ई.एस.आई. अस्पताल/औषधालय चल रहे हैं;

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन अस्पतालों/औषधालयों पर व्यय की गई राशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(च) उक्त अवधि के दौरान इन अस्पतालों से कितने कामगार लाभान्वित हुए और उन्हें राज्य-वार कितनी सुविधाएं प्रदान की गई?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): (क) देश में 140 क.रा.बी. अस्पताल और 1453 क.रा.बी. औषधालय हैं। राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) क.रा.बी. निगम ने प्रत्येक राज्य में एक अस्पताल का दर्जा बढ़ाकर उसे मॉडल अस्पताल का रूप देने का निर्णय लिया है जिसका वित्तपोषण और प्रबंधन सीधे क.रा.बी. निगम द्वारा किया जाएगा। प्रथम चरण में क.रा.बी. निगम ने दर्जा बढ़ाने के लिए 16 क.रा.बी. अस्पतालों की पहचान की है। इनके ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(घ) सभी क.रा.बी. अस्पताल क.रा.बी. निगम/राज्य सरकारों के भवनों में स्थित हैं। 1083 औषधालय किराए के भवनों में चलाये जा रहे हैं।

(ङ) चिकित्सा देखरेख और दवाओं पर राज्य-वार व्यय का ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

(च) क.रा.बी. स्कीम के लाभग्राहियों को क.रा.बी. संस्थाओं के माध्यम से प्राथमिक/द्वितीयक चिकित्सा देख-रेख मुहैया कराई जा रही है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान लाभग्राहियों की संख्या निम्नवत् है:

1999	–	342.18 लाख
2000	–	333.72 लाख
2001	–	329.54 लाख

विवरण I

31.3.2001 की स्थिति के अनुसार क.रा.बी. औषधालयों/अस्पतालों की संख्या

क्र.सं.	राज्य	पूर्ण कालिक	अंश कालिक	सचल	नियोक्ता प्रयुक्त औषधालय	कुल	अस्पतालों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	136	3	–	–	139	11
2.	असम	27	–	–	–	27	1
3.	बिहार	25	–	–	–	25	3
4.	चंडीगढ़ प्रशासन	2	–	–	–	2	–
5.	दिल्ली	45	–	1	–	46	4
6.	गोवा	9	–	–	–	9	1
7.	गुजरात	120	2	2	2	126	12
8.	हरियाणा	68	–	–	–	68	5
9.	हिमाचल प्रदेश	8	–	–	–	8	1
10.	कर्नाटक	131	8	–	12	151	9
11.	केरल	136	–	–	–	136	13
12.	मध्य प्रदेश	53	–	1	–	54	7
13.	महाराष्ट्र						
	(क) मुम्बई	16	–	–	4	20	–
	(ख) नागपुर	22	–	–	–	22	13
	(ग) पूना	34	–	–	–	34	–
14.	मेघालय	1	–	–	–	1	–
15.	उड़ीसा	52	–	–	–	52	5
16.	पांडिचेरी	12	1	–	–	13	1
17.	पंजाब	70	–	–	–	70	7
18.	राजस्थान	66	–	–	–	66	5
19.	तमिलनाडु	163	–	5	2	170	9
20.	उत्तर प्रदेश	115	–	11	–	126	16

1	2	3	4	5	6	7	8
21.	पश्चिम बंगाल	36	–	–	1	37	14
22.	जम्मू-कश्मीर	8	–	–	–	8	–
23.	छत्तीसगढ़	10	–	–	–	10	–
24.	उत्तरांचल	7	–	–	–	7	–
25.	झारखंड	26	–	–	–	26	3
	कुल	1398	14	20	21	1453	140

विवरण II

प्रस्तावित/विद्यमान कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों का मॉडल अस्पतालों में परिवर्तन

क्र.सं.	राज्य	कर्म.रा.बी. निगम द्वारा प्रस्तावित अस्पताल		
1.	आंध्र प्रदेश	नाचाराम	200	बिस्तर युक्त
2.	असम	बेलटोला	50	बिस्तर युक्त
3.	झारखंड	रांची	50	बिस्तर युक्त
4.	गोवा	मारगांव	50	बिस्तर युक्त
5.	गुजरात	बापूनगर	600	बिस्तर युक्त
6.	हरियाणा	गुड़गांव	100	बिस्तर युक्त (नया बनाया जाएगा
7.	हिमाचल प्रदेश	परवाणू	50	बिस्तर युक्त
8.	कर्नाटक	इन्दिरानगर	300	बिस्तर युक्त
9.	केरल	उद्योग मंडल	155	बिस्तर युक्त
10.	उड़ीसा	राउरकेला	50	बिस्तर युक्त
11.	पांडिचेरी	पांडिचेरी	75	बिस्तर युक्त
12.	पंजाब	जालंधर 100 बिस्तर युक्त	90	बस्तर युक्त (नया ब्लाक)
13.	राजस्थान	जयपुर	236	बिस्तर युक्त
14.	उत्तर प्रदेश	साहिबाबाद	100	बिस्तर युक्त
15.	बिहार	फुलवारी शरीफ	50	बिस्तर युक्त
16.	चंडीगढ़		50	बिस्तर युक्त

टिप्पणी: तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश राज्यों में कर्म.रा.बी. निगम पहले से ही सीधे व्यावसायिक-जन्य रोग केन्द्र-सह-अस्पताल चला रहा है, इसे राज्य सरकारों के परामर्श से आगे मॉडल अस्पतालों में बढ़ाया जायेगा। राज्य सरकार के परामर्श से इनका दर्जा बढ़ाकर इन्हें मॉडल अस्पतालों का रूप दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त क.रा.बी. निगम दिल्ली में भी एक व्यावसायिक-जन्य रोग केन्द्र संचालित कर रहा है जहां स्कीम का संचालन सीधे क.रा.बी. निगम द्वारा किया जा रहा है। क.रा.बी. निगम चिंचबड़, पुणे, महाराष्ट्र, स्थित कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल में भी एक व्यवसायजन्य रोग केन्द्र शुरू करने की कार्रवाई कर रहा है।

विवरण III

क्र.सं.	राज्य का नाम	चिकित्सा देखरेख और दवाओं पर राज्य-वार व्यय					
		1998-99		1999-2000		2000-2001	
		चिकित्सा देखरेख पर प्रति व्यक्ति व्यय	दवाओं पर प्रति व्यक्ति व्यय	चिकित्सा देखरेख पर प्रति व्यक्ति व्यय	दवाओं प्रति व्यक्ति व्यय	चिकित्सा देखरेख पर प्रति व्यक्ति व्यय	दवाओं पर प्रति व्यक्ति व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	746.93	168.56	857.24	158.96	944.76	154.98
2.	असम	1001.75	198.00	1075.70	213.11	995.86	144.19
3.	बिहांर	435.48	12.33	783.86	29.01	1099.82	27.70
4.	चंडीगढ़ प्रशासन	523.35	248.34	570.94	296.03	558.92	257.65
5.	गुजरात	1062.65	165.6	1143.91	159.77	1136.75	162.77
6.	गोवा	389.54	161.37	538.70	252.82	535.23	218.01
7.	हरियाणा	568.07	115.1	542.42	123.06	557.82	144.93
8.	हिमाचल प्रदेश	499.11	151.21	374.61	87.01	567.37	209.24
9.	जम्मू-कश्मीर	484.65	100.79	514.87	81.87	566.18	107.38
10.	केरल	64.47	97.47	869.07	163.79	922.92	129.28
11.	कर्नाटक	513.88	301.44	607.06	173.77	522.94	102.28
12.	मध्य प्रदेश	984.55	269.61	1042.46	217.26	1154.90	257.06
13.	महाराष्ट्र	509.37	140.83	781.81	180.94	821.68	197.40
14.	उड़ीसा	823.86	168.48	867.41	151.52	924.56	148.04
15.	मेघालय	1069.33	202.13	1093.00	203.50	1076.27	240.00
16.	पंजाब	593.56	58.77	683.23	69.57	850.26	221.72
17.	पांडिचेरी	1008.10	225.81	963.16	177.71	956.69	204.18
18.	राजस्थान	654.62	138.31	636.13	118.13	778.70	154.01
19.	तमिलनाडु	564.71	82.82	597.09	135.54	590.40	118.03
20.	उत्तर प्रदेश	801.81	128.13	647.06	97.11	926.80	152.52

1	2	3	4	5	6	7	8
21.	पश्चिमी बंगाल	684.03	107.96	858.66	113.99	928.98	82.79
22.	दिल्ली	–	–	1060.30	189.27	1141.03	221.25
23.	छत्तीसगढ़	–	–	–	–	501.37	173.64
24.	झारखण्ड	–	–	–	–	124.10	0.58
25.	उत्तरांचल	–	–	–	–	824.50	159.78

[अनुवाद]

समेकित मूल्य नीति

3062. **श्री मोहन रावले:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कृषि उत्पादों के लाभकारी मूल्य और औद्योगिक वस्तुओं के साथ उनकी समानता सुनिश्चित करने हेतु कोई समेकित मूल्य नीति बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) और (ख) कृषि उत्पादों के लिए सरकार की मूल्य नीति का प्रमुख उद्देश्य उत्पादकों को उनके उत्पाद के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना है ताकि अत्यधिक निवेश और उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सके और उचित मूल्यों पर आपूर्ति की व्यवस्था करके उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा की जा सके। मूल्य नीति में अर्थव्यवस्था की समग्र आवश्यकताओं के परिप्रेक्ष्य में एक सन्तुलित और समेकित मूल्यन व्यवस्था विकसित करने का प्रयास किया गया है।

सरकार कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सी.ए.सी.पी.) की सिफारिशों, राज्य सरकारों और संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों के विचारों और ऐसे अन्य संबंधित कारकों पर विचार करते हुए जो सरकार की राय में समर्थन मूल्यों के निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण है, विभिन्न कृषि जिंसों के समर्थन मूल्यों का निर्धारण करती है। मूल्य नीति संबंधी अपनी सिफारिशों का निरूपण करते समय कृषि लागत एवं मूल्य आयोग उत्पादन की लागत, आदान मूल्यों में परिवहन, आदान/परिणाम में मूल्य समानता, बाजार मूल्यों की प्रवृत्ति, औद्योगिक लागत संरचना पर प्रभाव, किसानों द्वारा प्रदत्त मूल्यों और प्राप्त मूल्यों के बीच समानता (व्यापार की शर्त) आदि जैसे महत्वपूर्ण कारकों पर विचार करता है। न्यूनतम मूल्यों का निर्धारण करते समय केवल औद्योगिक माल के साथ समानता को ध्यान में रखना वांछनीय नहीं समझा गया है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना

3063. **डा. मदन प्रसाद जायसवाल:**
श्री शिवाजी माने:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन वर्षों के दौरान और इसके बाद राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना से बिहार और महाराष्ट्र में पृथक्-पृथक् जिला-वार कितने किसान लाभान्वित हुए?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना रबी 1999-2000 मौसम से ही कार्यान्वयन में है। बिहार और महाराष्ट्र में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एन ए आई एस) के अंतर्गत लाभप्राप्त किसानों की जिलावार संख्या दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

बिहार एवं महाराष्ट्र में एन ए आई एस के अंतर्गत लाभान्वित किसानों की संख्या

राज्य का नाम	जिलों का नाम	लाभान्वित किसानों की संख्या
1	2	3
बिहार	अररिया	1688
	औरंगाबाद	431
	बांका	641
	बेगुसराय	4012

1	2	3
	भबुआ	25
	भागलपुर	955
	भोजपुर	160
	बक्सर	0
	दरभंगा	490
	पूर्वी चम्पारण	76
	गया	63
	गोपालगंज	0
	जहानाबाद	0
	जमुई	395
	कटिहार	0
	खगरिया	5077
	किशनगंज	0
	लखीसराय	1
	मधेपुरा	0
	मधुबनी	550
	मुंगेर	13
	मुजफ्फरपुर	279
	नालन्दा	3353
	नवादा	1961
	पटना	463
	पूर्णिया	535
	रोहतास	94
	सहरसा	0
	समस्तीपुर	647
	सारन	47
	शेकपुरा	0
	शिवहर	0
	सीतामढ़ी	34
	सिवान	1233
	सुपॉल	128
	वैशाली	0
	पश्चिम चम्पारन	104
महाराष्ट्र	अकोला	34951
	अहमदनगर	166893
	औरंगाबाद	69960
	अमरावती	20527
	बीड	25338
	भण्डारा	13243
	बुलधाना	174349
	चन्द्रपुर	39941
	धुले	55014
	गडचिरोली	6383
	गोडिया	13068
	हिंगोल	17
	जालन	15853
	जलगांव	86909
	कोल्हापुर	431
	लातूर	49109
	नागपुर	14952
	नादेड	109461
	नन्दुरबार	17996

1	2	3
	नासिक	86535
	औसमानाबाद	36863
	प्रभणी.	37681
	पुणे	18379
	रायगढ़	6349
	रत्नागिरि	31361
	सांगली	35226
	सतारा	59187
	सिन्धुदुर्ग	6835
	सोलापुर	506
	थाणे	23906
	वरधा	3734
	वाशिम	51314
	यावतमल	288225

[अनुवाद]

छोटे विमान का विकास

3064. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय एयरोस्पेस प्रयोगशाला ने हंस-3 और सारस नाम के छोटे उड्डयन विमान विकसित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इनकी किनती परीक्षण उड़ानें भरी गई;

(ग) प्रत्येक प्रकार के विमान की कुल लागत कितनी है; और

(घ) इन दो विमानों को सेवा में कब से लगाए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) और (ख) राष्ट्रीय एयरोस्पेस लेबोरेटरीज (एनएएल) बंगलौर ने दो सीटों वाले हंसा-3 विमान का डिजाइन किया है, इसे विकसित तथा इसका निर्माण किया है। नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा प्रमाणित करने से पूर्व हंसा-3 विमान की करीब 150 घंटे की उड़ान का परीक्षण किया गया।

एनएएल 14 सीटों वाले मल्टी रोल के हल्के परिवहन सारस विमान का भी डिजाइन और विकास कर रहा है। सारस का प्रोटोटाइप निर्माण कार्य चल रहा है तथा इसकी पहली उड़ान दिसम्बर 2002 से पहले नहीं की जा सकेगी।

(ग) हंसा-3 विमान की कुल लागत 48.00 लाख रुपए है जबकि सारस विमान की लागत 31.25 करोड़ रुपए है।

(घ) हंसा-3 विमान को देश में विभिन्न फ्लाइंग क्लबों द्वारा पहले से प्रयोग में लाया जा रहा है। सारस विमान को 2005 से पहले सेवा में नहीं लाया जा सकता।

[हिन्दी]

भवन निर्माण में इमारती लकड़ी का प्रयोग

3065. श्री जय प्रकाश: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार वन संरक्षण के लिए मौजूदा कानूनों की समीक्षा कर भवन निर्माण में इमारती लकड़ी के उपयोग को रोकने हेतु कदम उठाने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) और (ख) सरकार, विभिन्न मंत्रालयों और राज्य सरकारों को काष्ठ प्रतिस्थापन तथा भवन निर्माण में काष्ठ के अलावा अन्य सामग्री के प्रतिस्थापन और ठोस काष्ठ के अलावा अन्य काष्ठ उत्पादों के प्रयोग के माध्यम से वन संसाधनों का संरक्षण किये जाने के बारे में पहले ही निर्देश जारी कर चुकी है।

[अनुवाद]

किसानों को राजसहायता

3066. श्री रामजी मांझी: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उन क्षेत्रों में मध्यम, लघु और सीमांत जनजातीय किसानों को कृषि उपकरणों की खरीद, पंप सेटों, कुओं और छिछले नलकूपों की खुदाई के लिए राजसहायता प्रदान की जा

रही है जहां राष्ट्रीय जल नीति के अंतर्गत भूजल स्तर बहुत नीचे है;

(ख) यदि हां, तो पिछले पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान उक्त श्रेणी के किसानों को राजसहायता के रूप में कितनी राशि प्रदान की गई;

(ग) क्या बिहार में भूजल और सतही जल के सम्मिलित उपयोग के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और भूजल एवं सतही जल के उपयोग को प्रोत्साहित करने हेतु क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) नौवीं योजना के दौरान, केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड ने बिहार राज्य में कोसी सिंचाई परियोजना और गंडक सिंचाई परियोजना संबंधी भूमि और सतही जल के संयुक्त उपयोग संबंधी व्यावहारिकता अध्ययन शुरू कर दिए हैं। ये रिपोर्टें तैयार की जा रही हैं। अंतिम रूप दिए जाने के बाद में रिपोर्टें अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए बिहार सरकार को भेजी जायेंगी। कृषि और सहकारिता मंत्रालय के अधीन केन्द्र प्रायोजित स्कीम अर्थात् "पूर्वी भारत में फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए खेत पर जल प्रबंधन" का क्रियान्वयन कर सतही और भूजल के संयुक्त उपयोग को भी बढ़ावा दिया जा रहा है और भूजल विकास कार्य राज्य सरकार द्वारा किये जाते हैं।

भारतीय पुरातत्व सेवा का सृजन

3067. श्री सुरेश रामराव जाधवः क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय पुरातत्व सेवा नाम की एक समूह "क" सेवा का सृजन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) नवगठित भारतीय पुरातत्व सेवा के लिए मेधावी और योग्य अभ्यर्थियों को आकर्षित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) से (ग) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की कार्यप्रणाली को सरल तथा कारगर बनाने के लिए गठित एक पुनरीक्षा समिति ने एक केन्द्रीय पुरातत्व सेवा (समूह-क) में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में समूह-"क" के सभी पदों को पुनर्गठित करने की सिफारिश की थी। सरकार उसकी जांच कर रही है।

[हिन्दी]

मृदा संरक्षण योजना के अंतर्गत सहायता

3068. श्री रामानन्द सिंहः क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश में मृदा संरक्षण योजना के अंतर्गत कितनी राशि प्रदान की गई;

(ख) क्या सरकार का विचार राज्य में सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए मृदा संरक्षण हेतु अधिक वित्तीय सहायता प्रदान करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) कृषि मंत्रालय, भारत सरकार ने दो केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों, नामत:-नदी घाटी परियोजना और बाढ़ प्रवण नदियों के जलग्रहण क्षेत्रों में निम्नीकृत भूमि की उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए मृदा संरक्षण और निम्नीकृत भूमि के विकास के लिए मृदा और जल संरक्षण उपाय करने हेतु वर्षा सिंचित क्षेत्रों के विकास के लिए राष्ट्रीय पनधारा परियोजना, के तहत विगत तीन वर्षों 1999-2000 से 2001-02 के दौरान मध्य प्रदेश को 89.89 करोड़ रुपये की राशि निर्मुक्त की है।

(ख) और (ग) मध्य प्रदेश सहित राज्यों को सूखा-प्रभावित क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त धनराशि जारी करने के मामले पर विचार किया जा रहा है और संबंधित राज्य सरकारों से परामर्श करते हुए अंतिम रूप दिया जायेगा।

[अनुवाद]

नरेला में हड़प्पाकालीन कलाकृतियां

3069. श्री के.ई. कृष्णमूर्तिः क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दस वर्ष पूर्व दिल्ली सरकार के अंतर्गत नरेला क्षेत्र के मोरगढ़ में की गई खुदाई के दौरान हड़प्पा काल के मानव कंकाल और अन्य प्रागैतिहासिक कलाकृतियां पाई गई थीं; और

(ख) यदि हां, तो उस स्थान के संरक्षण हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) जी, हां। पुरातत्व विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार द्वारा वर्ष 1992-93 एवं 1993-94 में किए गए उत्खनन के दौरान भोरगढ़ में उत्तर हड़प्पा काल के दो नर कंकाल प्राप्त हुए हैं जिनमें से एक कंकाल के साथ तीन मिट्टी के बरतन संबद्ध हैं।

(ख) उत्खनित खातों समेत खोजी गई संरचनाओं एवं कंकालों को सभी उचित एहतियातों के साथ पुन: अपेक्षित सावधानी से दबा दिया गया है। अब संबंधित विभाग ने कंकालों को पुन: प्राप्त करने और उनका परिरक्षण करने के लिए विशेषज्ञता उपलब्ध कराने हेतु राष्ट्रीय संग्रहालय से अनुरोध किया है ताकि उन्हें राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली अथवा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के पुरातत्व विभाग के संग्रहालय में प्रदर्शन के लिए रखा जा सके।

राजमार्ग तटीय कोरीडोर

3070. **श्री के. येरननायडू:** क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार यातायात के तीव्र आवागमन के लिए विशेषकर आंध्र तट पर एक राजमार्ग तटीय कोरीडोर के निर्माण का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिए जाने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी): (क) से (ग) राजमार्ग तटीय कोरीडोर के निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है। अधिकांश राज्यों की तट रेखाएं पहले से ही राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ जुड़ी हुई हैं। आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-5 और 214 तटीय कारीडोर पर हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-5 को राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के स्वर्णिम चतुर्भुज घटक के अंतर्गत 4 लेन का बनाया जा रहा है। इस कार्य को काफी हद तक दिसम्बर, 2003 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

[हिन्दी]

जालना और औरंगाबाद में टिकट बुकिंग एजेंट

3071. **श्री दानवे रावसाहेब पाटील:** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार महाराष्ट्र के जालना और औरंगाबाद में इंडियन एयरलाइंस के लिए टिकट बुकिंग एजेंटों को नियुक्त करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे कितने एजेंट हैं और वर्तमान में वे किन-किन स्थानों पर काम कर रहे हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) से (ग) इंडियन एयरलाइंस स्थान की व्यापारिक संभाव्यताओं को ध्यान में रखते हुए पैसेंजर सेल्स एजेंट्स नियुक्त करती है। इच्छुक पार्टियों को इस उद्देश्य के लिए आवेदन तथा निर्धारित मापदण्डों को पूरा करना पड़ता है। इस समय औरंगाबाद तथा जालना में 8 पैसेंजर सेल्स एजेंट्स हैं। उनका विवरण इस प्रकार है:

1. मैसर्स बिशनदीप ट्रैवल्स, औरंगाबाद
2. मैसर्स एम.आई.पी. ट्रैवल्स प्रा.लि., जालना रोड, औरंगाबाद
3. मैसर्स नवकेतन ट्रैवल्स, जालना रोड, औरंगाबाद
4. मैसर्स पुष्पक ओवरसीज एंड टूरिज्म, जालना रोड, औरंगाबाद
5. मैसर्स ट्रेड विंग्स, औरंगाबाद
6. मैसर्स ट्रैवल कारपोरेशन (आई) लि., औरंगाबाद
7. मैसर्स वेलवर्थ ट्रैवल्स, औरंगाबाद
8. वंडर ट्रैवल्स, जालना रोड, औरंगाबाद।

[अनुवाद]

अधिकारियों का विदेश दौरा

3072. **श्री पी.डी. एलानगोवन:** क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) संस्कृति मंत्रालय के उन अधिकारियों की सूची क्या है जिन्होंने पिछले पांच वर्षों में वर्ष-वार सरकारी उद्देश्य से विदेश यात्रा की;

(ख) उनके दौरों का उद्देश्य क्या था और उस पर कितनी राशि व्यय की गई;

(ग) क्या सरकारी विदेश दौरों के लिए अधिकारियों का चयन वस्तुनिष्ठ मानदंडों के आधार पर किया गया था;

(घ) यदि हां, तो क्या वस्तुनिष्ठ मानदंड अपनाए गए;

(ङ) क्या चयन में शामिल प्राधिकारियों द्वारा अधिकार और पद का दुरुपयोग करने संबंधी शिकायतें मिली थीं;

(च) यदि हां, तो शिकायतों का ब्यौरा क्या है; और

(छ) सरकार द्वारा चयन की एक पारदर्शी प्रणाली अपनाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) से (छ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

जबलपुर में सोयाबीन अनुसंधान हेतु सहायता

3073. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर में 'सोयाबीन' अनुसंधान हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो पिछले पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी, हां।

(ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर को अखिल भारतीय समन्वित सोयाबीन अनुसंधान परियोजना के अंतर्गत नौवीं योजना के दौरान सोयाबीन अनुसंधान के लिए 102.25 लाख रुपये की धनराशि मुहैया की थी तथा राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना के तहत 69.12 लाख रुपये की धनराशि प्रदान की थी जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:

(1) अखिल भारतीय समन्वित सोयाबीन अनुसंधान परियोजना के तहत मुहैया की गई निधियां:

वर्ष	धनराशि (रु. लाख में)
1	2
1997-98	11.94
1998-99	15.61
1999-2000	16.89
2000-2001	28.35
2001-2002	29.46
कुल (1)	102.25

(2) राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना के तहत मुहैया की गई निधियां	69.12
योग (1) + (2)	171.37

बाण सागर परियोजना के अंतर्गत पक्षी अभयारण्य क्षेत्र

3074. श्री गजेन्द्र सिंह राजूखेड़ी: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने बाण सागर परियोजना के अंतर्गत पक्षी अभयारण्य क्षेत्र को अनन्य रूप से मत्स्यन के लिए रखने हेतु केन्द्र सरकार के पास एक प्रस्ताव भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में कब तक स्वीकृति दे दिए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) और (ख) उक्त परियोजना के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम के अंतर्गत वन भूमि के अपवर्तन हेतु अनुमोदन प्रदान करते हुए केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों के अंतर्गत बाण सागर सरोवर को अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया जाना है। राज्य सरकार ने शर्त का अनुपालन नहीं किया है। राज्य सरकार का प्रस्ताव, अनुमोदन के समय निर्धारित की गई शर्तों के अनुरूप नहीं है।

[अनुवाद]

इंजीनियरी काडर में रुद्धता

3075. श्री सुरेश कुरूप: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ब्रह्मपुत्र बोर्ड के इंजीनियरी काडर में बहुत अधिक रुद्धता है;

(ख) यदि हां, तो उनके मंत्रालय में काडर समीक्षा संबंधी प्रस्ताव अभी भी लंबित है;

(ग) यदि हां, तो क्या मंत्रालय प्रस्ताव के पक्ष में है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव को कब तक मंजूरी प्रदान किए जाने और लागू किए जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) से (ग) ब्रह्मपुत्र बोर्ड से जल संसाधन मंत्रालय में कैडर समीक्षा प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिस पर कार्रवाई की जा रही है एवं इसे व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय को विचारार्थ भेजा जाएगा।

(घ) इस प्रस्ताव पर नियमों एवं अन्य समान कैडरों को स्थिति के संदर्भ को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाना है एवं यह यथाशीघ्र कार्यान्वयन के लिए व्यय विभाग के अनुमोदन पर निर्भर करेगा।

[हिन्दी]

किसानों को सहायता

3076. श्री रवि प्रकाश वर्मा: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सूखे के कारण देश में, विशेषकर उत्तर प्रदेश में खरीफ की फसल की स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार को जानकारी है कि सूखे के कारण उत्तर प्रदेश में 80 प्रतिशत खरीफ की फसल नष्ट हो गई है;

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा किसानों को हुई हानि की पूर्ति हेतु क्या उपचारात्मक उपाय उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार चालू दक्षिणी-पश्चिमी मानसून के दौरान देश के विभिन्न भागों में लम्बे समय से चले आ रहे सूखे के कारण मुख्यरूप से खाद्यान्नों, मोटे अनाजों, तिलहनों, दलहनों और कपास के अंतर्गत खरीफ में कवर किए गए क्षेत्र पर प्रभाव पड़ा है। उत्तर प्रदेश में चावल, मक्का, मोटे अनाज, तिलहनों और दलहनों के क्षेत्र को प्रभावित किया है।

(ग) और (घ) उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों की स्थिति की हाल ही में राज्यों के कृषि एवं राहत मंत्रियों के साथ हुई बैठक में समीक्षा की गई। आपदा राहत कोष और राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता कोष से सहायता के लिए व्यय की मदों और मानकों में लघु एवं सीमांत किसानों को, जहां फसलों की क्षति 50% या अधिक है, आदान सब्सिडी के भुगतान का प्रावधान है। राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम के अंतर्गत क्षतिग्रस्त फसलों की क्षतिपूर्ति के लिए राज्य सरकारें भी पात्र हैं।

[अनुवाद]

वन कर्मचारियों के लिए सुरक्षा और बीमा

3077. श्री अनन्त नायक: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रत्येक राज्य में वन कर्मचारियों और वन गार्डों को वन सम्पदा की सुरक्षा हेतु पर्याप्त सुरक्षा प्राप्त है;

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में अभी तक की गई कार्रवाही का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का उन्हें बीमा के घेरे में लाने का भी प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) और (ख) वन सम्पदा की सुरक्षा के उद्देश्य से दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ''एकीकृत वन सुरक्षा स्कीम'' के तहत वन रक्षकों (फॉरेस्ट गार्डों) सहित वन अधिकारियों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करवाने का प्रस्ताव है जिसमें हथियार और गोला-बारूद आदि शामिल है। इस उद्देश्य हेतु अधिकतर पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम को धनराशि पहले ही प्रदान की जा चुकी है। सुरक्षित क्षेत्रों, (राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों) के मामले में हथियार और गोलाबारूद ''बाघ परियोजना'', ''हाथी परियोजना'', और ''राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों का विकास'' के तहत प्रदान किये जाते हैं।

(ग) और (घ) वन अधिकारियों सहित सरकारी कर्मचारियों को पहले ही समूह बीमा स्कीम के तहत कवर किया गया है। इसके अतिरिक्त, ''बाघ परियोजना'' के तहत कर्मचारियों के बीमे के लिए जनता पॉलिसी के तहत 50 प्रतिशत अंशदान का प्रावधान है।

एयर इंडिया द्वारा विमानों को पट्टे पर देना

3078. श्री अशोक ना. मोहोलः
श्री रामशेठ ठाकुरः

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 19 जुलाई, 2002 के 'दि हिन्दुस्तान टाइम्स' में ''फाल्टी इकॉनोमिक्स डिले ए आई लीस प्लान' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो पट्टे पर देने के संबंध में कोई आर्थिक व्यावहारिकता रिपोर्ट तैयार की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) एयर इंडिया द्वारा ड्राई लीज पर बी-747-400 विमान के लिए ऑफर आमंत्रित करने के लिए एक जांच शुरू की है। चार पार्टियों ने बारह बी-747-400 विमान का प्रस्ताव किया है। इन ऑफरों का तकनीकी तथा वित्तीय मूल्यांकन इस उद्देश्य हेतु बनाई गई टेंडर समिति के तहत है। उक्त ऑफरों का तकनीकी मूल्यांकन को अभी अंतिम रूप दिया जाना है, जबकि कुछ इनपुट्स की अभी बोलीदाताओं से प्रतीक्षा है। ड्राई लीज पर बी-747-400 विमान शामिल करने की प्रचालन संबंधी तथा वित्तीय संभावना की जांच के लिए मई 2002 में, एक अन्तर-विभागीय कार्यबल का गठन किया गया। कार्यबल ने 10 जुलाई, 2002 को एक ''अंतरिम प्रतिवेदन'' को अंतिम रूप दिया तथा ड्राई लीज पर एक बी-747-400 और एक ए-310-300 विमान को शामिल करने की प्रचालन संबंधी तथा वित्तीय संभावना का मूल्यांकन किया। इस प्रतिवेदन में संकेत किया कि प्रैस प्रतिवेदन में उल्लिखित 30 करोड़ रुपए की हानि की अपेक्षा एयर इंडिया के थोड़े बढ़े हुए लाभ के परिणामस्वरूप यह इंडकसन होगा। चूंकि अंतरिम रिपोर्ट इस पर विचार के लिए औपचारिक रूप से बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई, इसलिए उपलब्ध वास्तविक ऑफरों के आधार पर परियोजना लागत अनुमानों से वित्तीय मूल्यांकनों को एक बार संशोधित किए जाने की संभावना है।

दमन और दीव में राष्ट्रीय राजमार्ग

3079. श्री दह्याभाई वल्लभभाई पटेलः क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि·

(क) क्या सरकार को दमन और दीव में सड़क आधारभूत ढांचे के विकास हेतु बरास्ता वापी दमन से सिल्वासा (डी.एन.एच) के मध्य सड़क को चार लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या संघ राज्य क्षेत्र (यू.टी.) में दमन गंगा पुल के निर्माण का कार्य 1998 में आरंभ किया गया था; और

(घ) यदि हां, तो इसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवनचन्द्र खंडूड़ी): (क) और (ख) जी हां। इस संबंध में माननीय संसद सदस्य से अगस्त, 2001 में अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था और उनसे इस मामले को संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के साथ उठाने का अनुरोध किया गया था। संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से अब तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने अक्तूबर, 1998 में दमनगंगा नदी पर नए पुल के निर्माण का कार्य मंत्रालय के मानकों के अनुसार कार्यान्वित किए जाने के लिए गुजरात सरकार को सौंपने का निर्णय लिया। दमनगंगा पुल के निर्माण की प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हुई है क्योंकि गुजरात सरकार द्वारा अभी इस कार्य को सौंपा जाना है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

तमिलनाडु में घने जंगल

3080. श्री के.के. कलिअप्पनः क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि तमिलनाडु में एक विशाल क्षेत्र घने जंगलों से घिरा हुआ है;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सड़कों इत्यादि जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करके इन वन क्षेत्रों के विकास हेतु कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ निधियों के प्रस्तावित आबंटन सहित ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) जी, हां। तमिलनाडु के पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में सघन वन हैं।

(ख) भारतीय वन सर्वेक्षण की वन स्थिति रिपोर्ट, 1999 के अनुसार राज्य का वन आवरण 17,078 वर्ग कि.मी. है जिसमें से 8659 वर्ग कि.मी. सघन वन हैं।

(ग) वन क्षेत्रों में सड़कें पहले से ही विद्यमान हैं। जिनका रख-रखाव किया जाता है तथा इन पर चलने की अनुमति है। घने वन क्षेत्रों में नई सड़कें बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

बागवानी में प्रौद्योगिकी विकास

3081. कर्नल (सेवानिवृत्त) डा. धनी राम शांडिल्य: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) टेक्नोलॉजी डवलपमेंट एंड ट्रांसफर फॉर प्रमोशन ऑफ होर्टिकल्चर नामक योजना संख्या-3 के तहत वित्तीय सहायता हेतु राज्य-वार कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं;

(ख) प्रत्येक राज्य विशेषकर जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल आदि जैसे सेब उत्पादक बड़े पहाड़ी राज्यों के लिए कुल कितना वित्तीय परिव्यय और सहायता स्वीकृत की गई; और

(ग) इसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) ''बागवानी संवर्द्धन हेतु प्रौद्योगिकी का विकास एवं अंतरण'' नामक स्कीम के अंतर्गत वर्ष 2001-2002 के दौरान निर्धारित कुल वित्तीय परिव्यय 2.00 करोड़ रुपये का था तथा प्रत्येक राज्य को दी गई सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है। वर्ष 2002-03 के दौरान उक्त योजना के अंतर्गत 4.00 करोड़ रुपये का कुल परिव्यय रखा गया है।

विवरण I

''बागवानी संवर्द्धन हेतु प्रौद्योगिकी का विकास और अंतरण'' नामक स्कीम के अंतर्गत वर्ष 2001-2002 के दौरान वित्तीय सहायता के लिए प्राप्त प्रस्तावों का राज्यवार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	प्रस्तावों की सं.
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	14
2.	अरुणाचल प्रदेश	3
3.	असम	9
4.	बिहार	26
5.	छत्तीसगढ़	8
6.	गोवा	–
7.	गुजरात	7
8.	हरियाणा	3
9.	हिमाचल प्रदेश	10
10.	जम्मू-कश्मीर	3
11.	झारखंड	6
12.	कर्नाटक	3
13.	केरल	4
14.	मध्य प्रदेश	14
15.	महाराष्ट्र	11
16.	मणिपुर	5
17.	मेघालय	1
18.	मिजोरम	4
19.	नागालैंड	4
20.	उड़ीसा	4
21.	पांडिचेरी	1
22.	पंजाब	4
23.	राजस्थान	7
24.	सिक्किम	2
25.	तमिलनाडु	6
26.	त्रिपुरा	1
27.	उत्तरांचल	6
28.	उत्तर प्रदेश	39
29.	पश्चिम बंगाल	16

1	2	3
30.	अंदमान और निकोबार द्वीप	–
31.	चण्डीगढ़	–
32.	दादरा और नागर हवेली	–
33.	दमण और दीव	–
34.	दिल्ली	5
35.	लक्षद्वीप	–

विवरण II

''बागवानी संवर्द्धन हेतु प्रौद्योगिकी का विकास और अंतरण'' नामक स्कीम के अंतर्गत वर्ष 2001-2002 के दौरान स्वीकृत वित्तीय सहायता का राज्यवार ब्यौरा

(लाख रुपये)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	मंजूर की गई धनराशि
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	15.10
2.	अरुणाचल प्रदेश	3.10
3.	असम	21.07
4.	बिहार	23.31
5.	छत्तीसगढ़	4.25
6.	गोवा	–
7.	गुजरात	5.00
8.	हरियाणा	1.50
9.	हिमाचल प्रदेश	48.00
10.	जम्मू-कश्मीर	16.00
11.	झारखंड	6.25
12.	कर्नाटक	4.27
13.	केरल	4.35
14.	मध्य प्रदेश	2.88
15.	महाराष्ट्र	20.23
16.	मणिपुर	9.17
17.	मेघालय	1.00
18.	मिजोरम	6.08
19.	नागालैंड	3.70
20.	उड़ीसा	2.49
21.	पांडिचेरी	0.50
22.	पंजाब	8.20
23.	राजस्थान	2.55
24.	सिक्किम	9.68
25.	तमिलनाडु	23.50
26.	त्रिपुरा	1.00
27.	उत्तरांचल	10.87
28.	उत्तर प्रदेश	47.12
29.	पश्चिम बंगाल	21.02
30.	अंदमान और निकोबार द्वीप	–
31.	चण्डीगढ़	–
32.	दादरा और नागर हवेली	–
33.	दमण और दीव	–
34.	दिल्ली	2.42
35.	लक्षद्वीप	–
	योग	324.61

आंध्र प्रदेश की लंबित पर्यटन परियोजनाएं

3082. डा. मन्दा जगन्नाथ: क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार के पास आंध्र प्रदेश की लंबित पर्यटन परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने परियोजनाओं को मंजूरी देने हेतु केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) से (ग) पर्यटन विभाग, भारत सरकार सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को प्रत्येक वर्ष, उनके परामर्श से अभिनिर्धारित परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। परियोजनाओं के निष्पादन और कार्यान्वयन का उत्तरदायित्व संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन का है।

वर्ष 2001-02 के दौरान आंध्र प्रदेश में पर्यटन के विकास और संवर्धन हेतु 167.85 लाख रुपयों की 6 परियोजनाएं स्वीकृत की गई। इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश सरकार ने एक पर्यटन भवन के निर्माण तथा एक राष्ट्रीय पर्यटन एवं आतिथ्य प्रबंधन संस्थान स्थापित करने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। भारत सरकार का पर्यटन विभाग, केन्द्रीय वित्तीय सहायता स्कीम के अंतर्गत इन परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने को सहमत हो गया है।

एकीकृत परियोजना विकास एवं गंतव्य विकास हेतु, दसवीं योजना की स्कीमों के अंतर्गत, आंध्र प्रदेश की सरकार ने चालू वित्त वर्ष के लिए परियोजनाएं प्रस्तुत की हैं। वर्ष 2002-2003 के लिए, राज्य सरकार के परामर्श से इन पर विचार किया जायेगा।

सतलुज नदी जल विवाद

3083. श्री सी. श्रीनिवासन:
श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्यों के बीच सतलुज नदी जल के बंटवारे का मामला पुन: गहरा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार आपस में विवाद का निपटान करने हेतु सभी संबंधित राज्यों की बैठक आयोजित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) से (ङ) उपलब्ध सूचना के अनुसार, वर्तमान में सतलज नदी के जल बंटवारे पर राज्यों के बीच सतलज नदी के जल पर कोई विवाद नहीं है।

शेयर बाजार में भविष्य निधि का निवेश

3084. श्री बसुदेव आचार्य: क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि के केन्द्रीय न्यासी बोर्ड ने भविष्य निधि की धनराशि का शेयर बाजार में निवेश किये जाने के आरोप की कोई जांच की है; और

(ख) यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम निकले?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): (क) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की निधियों का निवेश सरकार द्वारा निर्धारित निवेश पद्धति के अनुसार किया जाता है, जिसमें स्टॉक मार्केट में निवेश करने की अनुमति नहीं है।

(ख) उपर्युक्त उत्तर (क) के दृष्टिगत प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण द्वारा अध्ययन

3085. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु:
श्री ए. ब्रह्मनैया:

क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण ने पिछले वित्तीय वर्ष में विभिन्न जाति समूहों का कोई अध्ययन नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण में नियमित आधार पर ऐसे अध्ययन करने के लिए आवश्यक जन-शक्ति और पर्याप्त धनराशि की कमी है;

(ग) क्या भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण ने ऐसे अध्ययनों के लिए विभिन्न मंत्रालयों से अनुरोधों का अनुपालन नहीं किया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण को बंद करने का कोई प्रस्ताव है; और

(च) भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण के कार्यकरण की समीक्षा करने और सुचारू करने हेतु कदमों का ब्यौरा क्या है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण ने जाति समूहकरणों पर अनेक अध्ययन किए हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) (1) अन्य मंत्रालयों से अध्ययन करने के लिए प्राप्त अनुरोधों पर भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण द्वारा समय-समय पर कार्रवाई की जाती है।

(2) ऐसे अध्ययनों के लिए अन्य मंत्रालयों से प्राप्त कोई भी अनुरोध लंबित नहीं पड़ा है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) और (च) भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण को बंद करने का कोई प्रस्ताव नहीं है और न इस स्तर पर कोई समीक्षा आवश्यक है।

जैन मंदिरों के लिए मल्टी मीडिया किट्स

3086. श्री कोलूर बसवनागौड़: क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक में करकला, वेनूर, धर्मास्थल, होम्बुजा और मुदाबिदरी में जैन मंदिरों के संबंध में मल्टी मीडिया किटें तैयार करने हेतु कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो मल्टीमीडिया परियोजना की अनुमानित लागत क्या है; और

(ग) इस परियोजना को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग में आई.ए.एस. अधिकारियों का प्रतिस्थापन

3087. मोहम्मद शहाबुद्दीन:
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह:

क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में कितने आई.ए.एस. अधिकारी कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में इस समय विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर कार्य कर रहे आई.ए.एस. अधिकारियों के स्थान पर विशेषज्ञ पुरातत्व विज्ञानियों को तैनात करने का है; और

(ग) यदि हां, तो इस कार्य के कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) से (ग) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में महानिदेशक तथा अपर महानिदेशक (प्रशासन) के दो मदों पर भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी आसीन हैं। इस समय केवल महानिदेशक के पद पर भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी आसीन हैं। अपर महानिदेशक (प्रशासन) का पद रिक्त पड़ा है।

10.9.1996 से महानिदेशक के पद पर भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी आसीन हैं क्योंकि संघ लोक सेवा आयोग वर्तमान भर्ती नियमों के अनुसार किसी उपयुक्त उम्मीदवार का चयन नहीं कर सका। अब भर्ती नियमों में संशोधन कर दिया गया है और उन्हें अधिसूचना हेतु प्रेस में भेज दिया गया है। जैसे ही निर्धारित मानदण्डों के अनुसार पात्र व्यक्ति उपलब्ध होगा, महानिदेशक के पद पर किसी व्यावसायिक पुरातत्वविद को नियुक्त कर दिया जाएगा। अपर महानिदेशक (प्रशासन) के पद को सेन्ट्रल स्टाफिंग स्कीम के जरिए भरने का प्रस्ताव है।

बाजरा की नई किस्म

3088. श्री वी. वेत्रिसेलवन: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंटरनेशनल क्राप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ दि सेमी एरिड ट्रॉपिक्स के वैज्ञानिकों ने अधिक विटामिन 'ए' की मात्रा वाले बाजरे की नई किस्म विकसित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वैज्ञानिकों ने इस नई किस्म को प्राकृतिक रूप से उगने वाली किस्म पाया है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस किस्म को उगाने के लिए किसानों को बढ़ावा देने का है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी, नहीं। इक्रीसैट (आई.सी.आर.आई.एस.ए.टी.) में वैज्ञानिकों ने बाजरे के पीले दाने वाले एक प्रजनन वंशक्रम का विकास किया है जिसमें सामान्य रंग के दाने वाली किस्म की अपेक्षा विटामिन 'ए' की उच्च मात्रा होती है।

(ख) पीले दाने वाला यह वंशक्रम बर्किना फासो से अफरीकन बाजरे की किस्म का एक चयन है तथा इसमें पीले दाने का गुण विद्यमान है। तथापि, यह प्रजनन वंशक्रम प्रकाश-सुग्राही तथा पछेती परिपक्वता वाला है।

(ग) यह विकसित प्रजनन वंशक्रम प्राकृतिक रूप में उगता है।

(घ) और (ङ) बाजरा उगाने वाले क्षेत्रों के किसानों द्वारा इस प्रजनन वंशक्रम की एक किस्म के रूप में खेती करना उपयुक्त नहीं है, क्योंकि प्रकाश-सुग्राही और पछेती परिपक्वता वाला होने के कारण यह भारतीय दशाओं के लिए अनुकूल नहीं है।

[हिन्दी]

फसलों के नुकसान के आकलन की पुरातन पद्धति

3089. श्री प्रहलाद सिंह पटेल: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्राकृतिक आपदा से हुई फसलों की हानि का आकलन करने हेतु कोई पुरातन पद्धति है;

(ख) क्या वर्तमान स्थिति के अनुरूप इस पद्धति में सुधार किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) स्वतंत्रता से पूर्व की अवधि में, फसलों के उत्पादन का आंकलन करने के लिए फसल अनुमान की आनाबाडी पद्धति का प्रयोग किया जाता था। इस विधि के तहत यदि आकलन 16 आने तक पहुंचता था तो उसे सामान्य उत्पादन माना जाता था। उदाहरणार्थ, यदि आकलन 12 आने तक पहुंचता था तो इसका मतलब होता था कि उत्पादन सामान्य उत्पादन का 75% हुआ है या उत्पादन 25% कम हुआ है। यह आकलन यह अवास्तविक निर्णयों पर आधारित था तथा स्थान दर स्थान और फसल दर फसल भिन्न-भिन्न होता था।

(ख) और (ग) इस समय राज्यों में प्रमुख फसलों के उत्पादन का आंकलन साधारण फसल अनुमान सर्वेक्षण के तहत फसल कटाई प्रयोग पर आधारित होता है। इस विधि में, वैज्ञानिक ढंग से परिपूर्ण सांख्यिकी विधियों का प्रयोग करते हुए प्रतिनिधिकारी नमूना प्लाटों का चयन कर लिया जाता है और इन प्लाटों पर होने वाली पैदावार के आधार पर सम्पूर्ण उत्पादन का आकलन किया जाता है।

ग्रांड ट्रंक रोड के सुधार हेतु विश्व बैंक ऋण

3090. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक ने ग्रांड ट्रंक रोड का सुधार करने हेतु 589 मिलियन डालर का ऋण स्वीकृत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सिविल निर्माण कार्यों के लिए सात विभिन्न पैकेजों हेतु ठेके मार्च, 2002 में पहले ही दिए जा चुके हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर अब तक किए गए कार्य की प्रगति क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी): (क) जी हां।

(ख) उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड राज्यों से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 2 के 430 कि.मी. लंबे खंड को चार लेन का बनाने के लिए ऋण स्वीकृत किया गया है।

(ग) जी हां।

(घ) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। यह कार्य अभी शुरू हुआ है।

विवरण

क्र.सं.	ठेका पैकेज	खंड	राज्य	लंबाई (कि.मी.)	ठेका लागत (करोड़ रु.)
1.	जीटीआरआईपी/1 1-ए	आगरा-शिकोहाबाद (199.66 से 250.50 कि.मी.)	उत्तर प्रदेश	50.84	328.49
2.	जीटीआरआईपी/2 1-बी	शिकोहाबाद-इकदिल (250.5 से 307.5 कि.मी.)	उत्तर प्रदेश	59.02	158
3.	जीटीआरआईपी/3 1-सी	इकदिल-भोगनीपुर (321.1 से 393 कि.मी.)	उत्तर प्रदेश	72.82	324
4.	जीटीआरआईपी/4 2-बी	भुंटी-फतेहपुर सीमा (470 से 483.33 कि.मी. और 0.0 से 38 कि.मी.)	उत्तर प्रदेश	51	496
5.	जीटीआरआईपी/5 4-ए	वाराणसी बाइपास-मोहनिया (317 से 328 कि.मी. और 0.0 से 65 कि.मी.)	उत्तर प्रदेश बिहार	58 18	396
6.	जीटीआरआईपी/6 4-सी	सासाराम बाइपास-सोन नदी (140 से 180 कि.मी.)	बिहार	40	198
7.	जीटीआरआईपी/7 5-बी	बाराचेट्टी-गोरहर (240 से 320 कि.मी.)	बिहार झारखंड	10 70	435

[अनुवाद]

बजटीय/संशोधित अनुमानों में कटौती

3091. श्री शीशराम सिंह रवि: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना आयोग और वित्त मंत्रालय ने कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के योजना और गैर-योजना बजटीय अनुमानों में भारी कटौती की है;

(ख) यदि हां, तो 1998-2001 की अवधि के दौरान संशोधित अनुमान चरण में इसी तरह की कटौती की गई थी; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी, नहीं। योजना आयोग और वित्त मंत्रालय द्वारा वित्तीय वर्ष 2001-2002 के दौरान कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के योजना और गैर-योजना बजटीय आकलनों में कटौती नहीं की गई है।

(ख) और (ग) फिर भी, वित्त मंत्रालय द्वारा पिछले वित्तीय वर्षों जैसे 1998-99, 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान योजना के तहत संशोधित आकलन स्तर पर कटौती लगाई गई थी। गैर-योजना आवंटनों पर कटौती नहीं की गई थी। वित्तीय दबाव के कारण योजना आवंटनों में कटौती आवश्यक थी। वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित आकलन निर्धारित किया गया है जो वर्ष के पहले 7-8 महीनों में किए गए वास्तविक व्यय और पिछले वित्तीय वर्षों में की गई वास्तविक खर्चे की प्रवृत्ति पर आधारित है।

कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का वित्तीय विवरण निम्नानुसार है

वर्ष	योजना			गैर-योजना		
	प्रस्तावित राशि	आवंटित राशि	वास्तविक (संशोधित आकलन)	प्रस्तावित राशि	आवंटित राशि	वास्तविक (संशोधित आकलन)
1998-99	531.17	531.17	445.00	475.02	475.02	560.94
1999-00	712.68	573.50	504.00	633.79	633.79	800.00
2000-01	1082.59	629.55	550.00	864.36	775.00	775.00
2001-02	1497.90	684.00	684.00	705.05	705.05	712.09

मार्जिन मनी स्कीम के अंतर्गत राजस्थान को निधियां

3092. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी: क्या **कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड राजस्थान को मार्जिन मनी स्कीम के अंतर्गत 3.75 करोड़ रुपए जारी करने के लिए राजस्थान सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इन पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) राजस्थान सरकार द्वारा मांगी गई धनराशि खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड राजस्थान को कब तक प्रदान किये जाने की संभावना है?

कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा): (क) से (ग) जी, हां। राजस्थान के श्रम, रोजगार, खादी तथा ग्रामोद्योग मंत्री ने अपने 18 जून, 2001 के पत्र जो कि उन्होंने लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री को लिखा है, के द्वारा ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आर.ई.जी.पी.) के तहत 3.75 करोड़ रु. की राशि रिलीज करने का अनुरोध किया है।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने आर.ई.जी.पी. के तहत के.वी.आई. बोर्ड, राजस्थान को 3.75 करोड़ रु. की राशि का आवंटन किया है। के.वी.आई. बोर्ड, राजस्थान के यहां 5.00 लाख रु. की राशि बकाया है। उक्त राशि को काट कर, शेष 3.70 करोड़ रु. की राशि को दिसम्बर, 2001 में खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड (के.वी.आई.बी.) राजस्थान को रिलीज कर दिया गया है।

[हिन्दी]

बिहार और झारखंड की सिंचाई परियोजनाएं

3093. श्री राजो सिंह: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वर्ष के दौरान केन्द्र सरकार का विचार कौन-कौन सी बड़ी सिंचाई परियोजनाओं पर कार्य शुरू करने का है;

(ख) बिहार और झारखंड के दुमका, जामुई, भागलपुर, नवादा, नालंदा जिलों में सिंचाई परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) इन परियोजनाओं पर कार्य कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) से (ग) सिंचाई राज्य का विषय होने के कारण, परियोजनाओं की आयोजना, अन्वेषण, क्रियान्वयन एवं वित्त पोषण संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उनके अपने संसाधनों तथा उनकी अपनी प्राथमिकताओं के आधार पर किया जाता है। इसलिए चालू वर्ष के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा झारखंड राज्य में वृहत परियोजना के शुरू करने के लिए प्रस्ताव करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

जैव उर्वरकों हेतु गौ-पालन केन्द्र को अनुदान

3094. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा जैव उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए क्या उपाय किये गये हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार जैव उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गौ-पालन केन्द्रों को अनुदान देने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार यूरिया का उपयोग कम से कम करने हेतु कोई प्रयास कर रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) सरकार ''जैव-उर्वरकों के विकास और प्रयोग संबंधी राष्ट्रीय परियोजना'' नामक केन्द्र क्षेत्रीय स्कीम के अंतर्गत जैव-उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा दे रही है। इस स्कीम के अंतर्गत राज्य कृषि उद्योगों/निगमों/सहकारी समितियों/उर्वरकों सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, गैर-सरकारी संगठनों और निजी उद्यमियों द्वारा प्रति वर्ष 150 मी. टन की क्षमता तक वाली जैव-उर्वरकों की उत्पादन इकाइयों की स्थापना के लिए 20.00 लाख रुपए तक का गैर-आवर्ती अनुदान दिया जाता है। इसके अलावा स्कीम के अंतर्गत जैव उर्वरकों का संवर्द्धन और विस्तार भी व्यापक पैमाने पर किया जा रहा है। वर्तमान में निजी क्षेत्र के अंतर्गत 39 इकाइयों के अलावा 83 जैव-उर्वरक उत्पादन इकाइयां ऐसी हैं जो सरकारी सहायता से स्थापित की जा रही हैं, जो कि कुल मिलाकर 122 इकाइयां होती हैं इनकी वार्षिक क्षमता 18500 मीट्रिक टन है।

(ख) से (घ) जैव-उर्वरक जीवाणु संरचना-कर्त्ता (माइक्रोबियल इनोक्यूलैण्ट) होते हैं जिनका उत्पादन केवल जीवाणु रहित स्थितियों में किया जाता है जो कि गो-पालन (काव टेंडिंग) केन्द्रों में संभव नहीं है, तथापि वे पृथक रूप से जैव-उर्वरक उत्पादन इकाई अथवा वर्मी-कल्चर यूनिट स्थापित कर सकते हैं जिसके लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध है।

(ङ) और (च) सरकार यूरिया सहित रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग को कम करने के लिए सूक्ष्म पोषकों, कार्बनिक खादों और जैव उर्वरक वाले उर्वरकों के साथ पोषकों के मृदा परीक्षण आधारित संतुलित और समेकित प्रयोग को बढ़ावा दे रही है। इसके अलावा विनियंत्रित फासफेट वाले और पोटाश वाले उर्वरकों को वित्तीय सहायता दी जा रही है ताकि उनकी खपत बढ़ाई जा सके।

अभिलेख विभाग का नियंत्रण व्यावसायिक अभिलेखविदों को सौंपना

3095. श्री रामपाल सिंह: क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार खोज और खुदाई कार्य वैज्ञानिक तरीके से करने के लिए अभिलेख विभाग का नियंत्रण व्यावसायिक अभिलेखविदों के हाथ में सौंपने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिये जाने की संभावना है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार के प्रमुख के पद पर, नियमित नियुक्ति होने तक, एक व्यावसायिक अभिलेखविद तदर्थ आधार पर पहले से ही है। इसके अलावा खोज और खुदाई कार्य राष्ट्रीय अभिलेखागार के कार्य क्षेत्र में नहीं आते हैं, बल्कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के कार्यक्षेत्र में आते हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

कठपुतली नचाने की मरणासन्न कला

3096. श्री पी.आर. खूंटे: क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में खेली जाने वाली 'कठपुतली' नचाने की पारम्परिक कला को बचाने के लिए कोई अभियान शुरू करने का सरकार का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) से (ग) संगीत नाटक अकादमी, समारोहों और कार्यशालाओं का आयोजन करके, प्रलेखन कार्यों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, प्रकाशनों तथा अनुदानों के माध्यम से कठपुतली कला के पारम्परिक रूपों को सहायता प्रदान करती है। अब तक संगीत नाटक अकादमी ने कठपुतली का नाच दिखाने वाले 11 कलाकारों को अकादमी पुरस्कारों से सम्मानित किया है। अकादमी का विचार यूनियन इन्टरनेशनल डी ला मैरिओनेटी के सहयोग से 2002-2003 के अंत तक कठपुतली थियेटर का राष्ट्रीय समारोह आयोजित करने का है। क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र भी अपने सामान्य कार्यकलापों के भाग के रूप में कठपुतली कला के कार्यक्रमों में सहयोग देते हैं।

[अनुवाद]

उड़ीसा में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं

3097. श्री भर्तृहरि महताब: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उड़ीसा में चार राष्ट्रीय राजमार्गों संबंधी परियोजना की स्थिति क्या है;

(ख) इन पर अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ग) प्रत्येक परियोजना पर कितना व्यय किया गया है; और

(घ) इन परियोजनाओं के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी): (क) से (ग) संभवत: माननीय सदस्य उड़ीसा में स्वर्णिम चतुर्भुज पर राष्ट्रीय राजमार्गों को चार लेन का बनाने से संबधित परियोजना के बारे में जानकारी चाहते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग-5 के 28 कि.मी. लंबे जगतपुर-भुवनेश्वर खंड को पहले ही चार लेन का बना दिया गया है। उड़ीसा में चार लेन बनाने के लिए कार्यान्वित की जा रही अन्य परियोजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) स्वर्णिम चतुर्भुज और उड़ीसा में अन्य परियोजनाओं को काफी हद तक दिसंबर, 2003 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

विवरण

उड़ीसा में 4 लेन बनाने से संबंधित राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की स्थिति

क्र.सं.	खंड	कार्य की लागत (करोड़ रु.)	जून, 2002 तक प्रतिशत में निष्पादन प्रगति	व्यय (करोड़ रु.)
1.	इच्छापुरम-गंजम (233 से 284 कि.मी.) ओआर-8 (रा.रा. 5)	175.43	10	29.23
2.	गंजम-सुनखला (284 से 338 कि.मी.) ओआर-7 (रा.रा. 5)	163.26	17	21.82
3.	सुनखला-खुर्दा (338 से 388 कि.मी.) ओआर-6 (रा.रा. 5)	150.80	10	25.84
4.	चंडीखोल-बालेश्वर (61/000 से 199/141 कि.मी.) पुल ओआर-5 (रा.रा. 5)	144.56	18	31.00
5.	खुर्दा-भुवनेश्वर (388 से 414 कि.मी.) ओआर-1 (रा.रा. 5)	118.90	24	49.57
6.	चंडीखोल-भद्रक (61/000 से 136/500 कि.मी.) ओआर-2 (रा.रा. 5)	283.97	47	113.00
7.	भद्रक-बालासोर (136/500 से 200/00 कि.मी.) ओआर-3 (रा.रा. 5)	195.18	14	47.48
8.	जगतपुर-चंडीखोल (लंबाई 33 कि.मी.)	137.60	60	68.34
9.	बालासोर-लक्ष्मणनाथ (रा.रा. 60 का 0.0 से 53.41 कि.मी.)	257.93	11	15.20

[हिन्दी]

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में वरिष्ठ अनुसंधान अध्येताओं और अनुसंधान अन्वेषकों के वेतनमान

3098. श्रीमती रेनु कुमारी: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के विभिन्न संस्थानों में कार्यरत वरिष्ठ अध्येताओं और अनुसंधान अन्वेषकों के वेतनमानों में 1998 से संशोधन नहीं किया गया है;

(ख) क्या नियमानुसार प्रत्येक चार वर्ष में वेतनमानों में संशोधन करने का प्रावधान किया गया है;

(ग) यदि हां, तो उनके वेतनमान संशोधित नहीं किये जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) नए वेतनमानों की घोषणा और उनका कार्यान्वयन कब तक कर दिया जाएगा?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद मोटे तौर पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा निर्धारित शिक्षावृत्ति की दरों का अनुसरण करती है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने पिछले चार वर्षों में शिक्षावृत्ति की दरों में संशोधन नहीं किया है।

(घ) लागू नहीं होता।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्गों पर पथकर की वसूली

3099. सरदार सिमरनजीत सिंह मान:
श्री ए. ब्रह्मनैया:

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय राजमार्गों, विशेषत: राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-1 पर किस तारीख से पथकर वसूल करने का निर्णय लिया गया था;

(ख) इस पथकर को लगाए जाने से प्रतिवर्ष कितनी राशि संग्रह किए जाने की संभावना है,

(ग) उक्त राशि में से राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत, रखरखाव और उन्नयन पर खर्च की जाने वाली राशि के प्रतिशत का ब्यौरा क्या है;

(घ) पथकर संग्रहण के लिए संग्रहण स्थलों की नीलामी किस आधार पर की गई है;

(ङ) क्या दिल्ली से चंडीगढ़ मार्ग पर विशेषत: बहुत अधिक पथकर लगाया गया है; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार ने इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी): (क) राष्ट्रीय राजमार्गों पर बने पुलों पर दिनांक 1.4.1976 से प्रयोक्ता शुल्क वसूल किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग खंडों के उपयोग के लिए प्रयोक्ता शुल्क लगाने हेतु सन् 1992 में राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम में संशोधन किया गया। राष्ट्रीय राजमार्ग-1 (दिल्ली-जालंधर खंड) पर प्रयोक्ता शुल्क लगाने के लिए अधिसूचना दिनांक 22.5.2002 को जारी की गई थी।

(ख) यह धनराशि राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई, जिस पर प्रयोक्ता शुल्क वसूल किया जाता है, के आधार पर अलग-अलग होगी।

(ग) वसूल की गई संपूर्ण राशि राष्ट्रीय राजार्गों की मरम्मत, रखरखाव और उन्नयन पर खर्च की जाएगी।

(घ) प्रयोक्ता शुल्क खुली प्रतियोगी निविदा द्वारा निजी एजेंसियों, पूर्व सैनिक एजेंसियों, अल्पकालीन अनुरक्षण ठेके तथा प्रचालन और अनुरक्षण ठेके के माध्यम से वसूल किया जाता है।

(ङ) जी नहीं। ये प्रभार दिनांक 30 सितम्बर, 1997 को राष्ट्रीय राजमार्ग (शुल्क की दर) नियमावली, 1997 में विनिर्दिष्ट दरों के अनुसार हैं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

कृषि उत्पादकता

3100. श्री टी.टी.वी. दिनाकरन: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार ने कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए हैं;

(ख) उस कृषि विकास क्षेत्र का ब्यौरा क्या है जिसके बारे में दसवीं योजना के दृष्टिकोण-पत्र में विचार किया गया है; और

(ग) जीविका के लिए अन्य विकल्प अपना रहे छोटे और सीमांत किसानों के हितों की रक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) से (ग) सरकार कृषि उत्पादन और फसलों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए कई केन्द्र क्षेत्रीय और केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें कार्यान्वित कर रही है। कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए दसवीं योजना के दृष्टिकोण-पत्र में विचारित कृषि विकास क्षेत्र में अन्य बातों के साथ-साथ पूर्वी एवं केन्द्रीय क्षेत्र में सर्वोच्च संभाव्य क्षेत्र के दोहन करने, फसल गहनता को बढ़ाने, सिंचाई क्षमता एवं जल प्रबंधन में सार्वजनिक निवेश को बढ़ाने, पनधारा विकास कार्यक्रम, कृषि प्रौद्योगिकियों के विकास और प्रसार, तिलहनों-दलहनों और बागवानी फसलों के पक्ष में कृषि के विविधीकरण पर बल दिया गया है।

तिलहनों, दलहनों एवं बागवानी फसलों के लिए कृषि में विविधीकरण से लघु एवं सीमान्त किसानों की आय में बढ़ोत्तरी करने में सहायता मिलेगी।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-75 और 75क

3101. श्री ब्रज मोहन राम: क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 75 और 75क के लिए कौन सा स्थान और मार्ग स्वीकृत किया गया है;

(ख) इस पर कितना अनुमानित व्यय होगा; और

(ग) इन राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण का काम कब तक शुरू हो जाने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी): (क) झारखंड से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 75 की लंबाई 245 कि.मी. है। झारखंड में इस राष्ट्रीय राजमार्ग का रूट रेनूकूट के समीप उत्तर प्रदेश/झारखंड सीमा-नगरुतारी-गढ़वा-डाल्टनगंज-रांची है। देश में 75ए नामक कोई राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं है।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और रखरखाव एक सतत् प्रक्रिया है और यह कार्य यातायात की आवश्यकता, पारस्परिक प्राथमिकता तथा धनराशि की उपलब्धता के अनुसार किया जाता है। 2 करोड़ रु. की योजना लागत से इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुधार कार्यों के लिए वार्षिक योजना 2002-03 में प्रावधान है। झारखंड में इस राष्ट्रीय राजमार्ग का हिस्सा राज्य सरकार द्वारा अभी रा.रा. पक्ष को सौंपा जाना है। विकास कार्य शुरू होने की तारीख बता पाना अभी संभव नहीं है।

[अनुवाद]

दालों का आयात

3102. श्री एन. जनार्दन रेड्डी: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में दालों का उत्पादन वर्ष-दर-वर्ष कम हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष दालों का कितना उत्पादन हुआ;

(ग) क्या दालों की घरेलू मांग को पूरा करने के लिए सरकार दालों का आयात कर रही है;

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष विभिन्न देशों से दालों की कितनी मात्रा का आयात किया गया है और इसका मूल्य कितना है;

(ङ) सरकार द्वारा देश की आवश्यकता को पूरा करने के लिए दालों के उत्पादन को प्रोत्साहन देने हेतु किसानों को क्या प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव है; और

(च) बाजार में दालों के मूल्य में बेतहाशा बढ़ोत्तरी के क्या कारण हैं और इस रुझान पर रोक लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) और (ख) जी नहीं। ऐसा नहीं है कि वर्ष दर वर्ष दलहनों के उत्पादन में गिरावट आ रही है। तथापि, विगत तीन वर्षों के दौरान दलहनों के उत्पादन में उतार-चढ़ाव आता रहा है जैसा कि नीचे दिये गये आंकड़ों से प्रकट होता है:

वर्ष	उत्पादन (लाख मीटरी टन में)
1999-2000	134.18
2000-2001	106.65
2001-2002 (अग्रिम अनुमान)	135.20

(ग) और (घ) देश में दलहनों की मांग और आपूर्ति के बीच के अंतर को पूरा करने के लिए दलहनों का आयात किया जा रहा है। इसका आयात "खुले सामान्य लाइसेन्स" (ओ जी एल) के तहत किया जाता है। भारत सरकार ने वर्ष 1999-2000 में सरकारी तौर पर 1.0 लाख मीटरी टन दलहनों का आयात किया गया है। शेष आयात निजी पार्टियों द्वारा किया गया है। विगत तीन वर्षों के दौरान आयात की गयी दलहनों की मात्रा और उनकी कीमतों का देशवार तथा वर्ष-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) किसानों को दलहनों का और अधिक उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु 30 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के 350 जिलों में राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना (एन.पी.डी.पी.) नामक एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम चलायी जा रही है। इस स्कीम के अंतर्गत बीज, बीज मिनीकिटों राइजोबियम कल्चर, स्प्रिंकलर सेटों, उन्नत फार्म उपस्करों के उत्पादन और संवितरण के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता देने की परिकल्पना की गयी है। इसके अलावा क्षेत्रीय प्रदर्शन तथा किसानों को प्रशिक्षण देने के कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं जिससे कि किसानों को उन्नत उत्पादन तथा संरक्षण प्रौद्योगिकी का अंतरण हो सके ताकि देश में दलहनों के उत्पादन में वृद्धि लायी जा सके।

(च) चालू वर्ष के दौरान दलहनों की कीमतों में होने वाली वृद्धि का मुख्य कारण 2000-2001 के दौरान दलहन उत्पादन में आयी कमी हो सकती है जब प्रमुख दलहन उत्पादक राज्यों में सूखे जैसी स्थिति हो जाने के कारण यह उत्पादन कम होकर 106.65 लाख मी. टन तक आ गया था। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय मूल्य आदि जैसे और भी कारण हो सकते हैं। तथापि, भारत सरकार देश में दलहनों के उत्पादन में वृद्धि करने और दलहनों की कीमतों में हो रही वृद्धि को रोकने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है।

विवरण

विगत तीन वर्षों के दौरान दलहनों के वर्षवार तथा देशवार किये गये आयात का ब्यौरा

मात्रा मी. टन में
मूल्य लाख रुपये में

क्र.सं.	देश	1999-2000		2000-2001		2001-2002	
		आयातित मात्रा	मूल्य	आयातित मात्रा	मूल्य	आयातित मात्रा	मूल्य
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आस्ट्रेलिया	98233	10671.33	66570	670[illegible].44	336668	46185.54
2.	अजरबेजान	-	-	-	-	571	92.93
3.	बेल्जियम	-	-	170	22.33	-	-
4.	ब्राजील	-	-	145	28.32	-	-
5.	बुल्गारिया	-	-	-	-	462	80.51
6.	बुरुन्डी	-	-	112	25.05	-	-
7.	कनाडा	34916	6689.34	115134	12456.24	658554	75754.56
8.	चीन ताईपेई	65	11.73	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	चीन गणराज्य	2697	473.78	6308	997.1	35333	5774.51
10.	डेनमार्क	306	103.95	2052	441.13	1217	180.11
11.	मिश्र गणराज्य	400	77.77	–	–	21157	3617.11
12.	फ्रान्स	–	–	–	–	142967	15358.96
13.	जर्मन गणराज्य	105	21.44	–	–	215	47.13
14.	हांगकांग	464	63.64	481	45.78	220	38.62
15.	इन्डोनेशिया	150	30.36	661	113.45	1127	220.83
16.	इरान	1348	284.78	1154	244.77	116750	21752.33
17.	कजाकिस्तान	–	–	–	–	66	11.21
18.	केन्या	500	91.77	–	–	6325	1052.53
19.	कोरिया गणराज्य	30	6.1	–	–	40	7.81
20.	मलावी	646	93.29	1059	139.11	2028	229.39
21.	मलेशिया	302	46.23	217	37.78	1449	249.84
22.	म्यांमार	57943	9945.45	102422	18149.01	692835	113973.93
23.	मेक्सिको	1047	325.46	1670	569.42	11381	3955.74
24.	मोजाम्बीक	1794	312.03	4272	475.4	1357	189.6
25.	मंगोलिया	–	–	–	–	381	44.05
26.	मोरोक्को	–	–	–	–	110	21.84
27.	नेपाल	16620	3778.91	15110	3050.17	16681	3828.7
28.	नीदरलैंड	20	3.66	–	–	–	–
29.	न्यूजीलैंड	29	4.23	578	97.08	9854	1424.22
30.	पाकिस्तान	24	4.68	9820	1759.78	16188	3198.51
31.	पयारा गणराज्य	42	12.26	–	–	30	12.16
32.	पेरू	–	–	–	–	–	–
33.	सऊदी अरब	16	4.48	–	–	5592	941.93
34.	रूस	1541	281.47	14078	2959.25	10393	1505.1
35.	सिंगापुर	–	–	–	–	5592	941.93

1	2	3	4	5	6	7	8
36.	श्रीलंका	385	80.26	107	22.59	126	43.92
37.	स्विटजरलैंड	771	81.83	650	122.9	121	35.24
38.	तंजानिया गणराज्य	2319	443.79	610	94.89	37408	5619.27
39.	थाइलैंड	1859	302.49	644	107.3	1526	226.78
40.	तुर्की	1657	396.2	44	15.29	28899	5824.51
41.	संयुक्त अरब अमीरात	1280	249.86	501	96.04	3790	733.82
42.	यू.के.	8646	13.57	64	13.57	146	42.76
43.	यूक्रेन	–	–	40	7.34	240	23.01
44.	अमेरिका	1882	400.01	4409	905.3	12754	2793.37
45.	उजबेकिस्तान	53	7.89	503	90.74	1759	334.34
46.	वियतनाम गणराज्य	1016	174.97	–	–	–	–
47.	जाम्बिया	–	–	–	–	15	7.4
48.	अविनिर्दिष्ट	–	–	27	5.52	327	51.47
	कुल	230766	35469.04	349844	49847.41	2177132	315565.59

[हिन्दी]

राज्यों में सूखे की स्थिति

3103. श्री सुरेश चन्देलः
डा. एम.वी.वी.एस. मूर्तिः
श्री राम मोहन गाड्डेः
श्री अजय चक्रवर्तीः
श्री प्रबोध पण्डाः
श्री दिन्शा पटेलः
श्री वाई.वी. रावः
श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ाः
श्री जयप्रकाशः
श्री ए. वेंकटेश नायकः
श्री रामशेठ ठाकुरः

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश के उन राज्यों का ब्यौरा क्या है जिनमें इस वर्ष वर्षा नहीं हुई है या औसत से कम वर्षा हुई है;

(ख) उन राज्यों का ब्यौरा क्या है जिनमें पिछले दो-तीन वर्ष से लगातार औसत से कम वर्षा हो रही है;

(ग) उन राज्यों का ब्यौरा क्या है जिन्हें वर्षा न होने या कम वर्षा होने के कारण सूखाग्रस्त राज्य घोषित किया गया है;

(घ) क्या कृषि उत्पादन पर इसके संभावित प्रभाव का कोई अनुमान लगाया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(च) किसानों और खेतिहर मजदूरों की सहायता के लिए क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है;

(छ) क्या केन्द्र सरकार के पास सूखे का सामना करने के लिए दीर्घकालिक नीति या योजना है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) भारत मौसम विज्ञान विभाग (आई एम डी) से प्राप्त सूचना

के अनुसार चालू दक्षिण-पश्चिम मानसून (1.6.2002 से 24.7.2002) के दौरान आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में कुल मिलाकर बहुत ही कम/छिटपुट वर्षा हुई है।

(ख) दक्षिण-पश्चिम मानसून 2000 (जून-सितंबर) के दौरान छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान राज्यों में संचित वर्षा बहुत कम/छिट-पुट रही थी जबकि दक्षिण-पश्चिम मानसून 2001 (जून से सितंबर) के दौरान अरुणाचल प्रदेश, असम, गोवा, महाराष्ट्र, मणिपुर और सिक्किम राज्यों में वर्षा बहुत कम/छिट-पुट रही।

(ग) सूखे की घोषणा संबंधित राज्य सरकारों द्वारा की जाती है। वर्ष 2002-03 के दौरान अभी तक आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों ने अपने-अपने राज्यों के सूखे से प्रभावित क्षेत्रों की घोषणा की है।

(घ) और (ङ) प्राथमिक अनुमानों के अनुसार, चालू दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान छत्तीसगढ़, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों में खाद्यान्नों और मोटे अनाजों के तहत आने वाले क्षेत्रों पर सूखे का प्रभाव पड़ने की संभावना है और इसी सूखे के कारण आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में तिलहनों और कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में दलहनों पर असर पड़ सकता है।

(च) मे (ज) विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालय/विभाग प्रभावित राज्यों से लगातार संपर्क बनाये हुए हैं और स्थिति से कारगर ढंग से निपटने के लिए राज्य सरकारों को सहायता दिए जाने के प्रयास किये जा रहे हैं। सूखे से निपटने के लिए दीर्घकालिक उपायों हेतु विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा संबंधित स्कीमें चलायी जाती हैं।

जैव संवर्धित खाद्य पदार्थों के प्रवेश पर रोक लगाने के लिए कानूनों में संशोधन

3104. श्री भूपेन्द्र सिंह सोलंकी: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में जैव-संवर्धित खाद्य पदार्थों के प्रवेश पर रोक लगाने के लिए कानूनों में संशोधन करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) और (ख) देश में आनुवंशिक दृष्टि से संशोधित खाद्य पदार्थों के प्रवेश का विनियमन पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत अधिसूचित घातक सूक्ष्म जैविकों/आनुवंशिक अभियांत्रित जैविकों या कोशों के विनिर्माण, प्रयोग, आयात, निर्यात एवं भंडारण नियमावली, 1989 के नियम 11 के अंतर्गत किया जाता है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने इस नियमावली में संशोधन करने के लिए एक मसौदा अधिसूचना तैयार किया है जिससे कि आनुवंशिक दृष्टि से संशोधित खाद्य पदार्थों का आयात आनुवंशिकी इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति के अनुमोदन के बिना संभव न हो सके। तथापि किसी आयातकर्त्ता के लिए इस अनुमोदन की तब जरूरत नहीं पड़ेगी जब वह निर्यातकर्त्ता देश के किसी सक्षम प्राधिकारी से यह प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लेगा कि आयात किए जाने वाले मद में ऐसा कोई भी पदार्थ या तत्व शामिल नहीं है जो आनुवंशिक दृष्टि से अभियांत्रित किया गया है और न ही इसे आनुवंशिक दृष्टि से अभियांत्रिक जैविकों से संसाधित ही किया गया है।

अंगूर और आम का प्रसंस्करण

3105. श्री शिवाजी विट्ठल राव काम्बले : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान देश में अंगूर और आम की कितने प्रतिशत मात्रा का प्रसंस्करण किया गया है;

(ख) क्या यह प्रतिशत बहुत कम है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम) : (क) और (ख) राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा प्रकाशित भारतीय बागवानी डाटाबेस, 2001 के अनुसार वर्ष 1999-2000 के दौरान देश में आम और अंगूर की कुल उपज क्रमशः 105.03 लाख टन और 11.37 लाख टन थी। फल प्रसंस्करण संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में है और फल-वार प्रसंस्करण के आँकड़े केंद्रीय रूप से नहीं रखे जाते। वैसे देश में फल और सब्जियों का प्रसंस्करण लगभग 2% होने का अनुमान है।

(ग) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय अपनी योजना स्कीमों के जरिए अंगूर एवं आम आधारित उद्योगों समेत प्रसंस्करण खाद्य क्षेत्र के विकास हेतु निजी क्षेत्र के उद्योगों, गैर-सरकारी संगठनों, सहकारिताओं, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, मानव संसाधन विकास संस्थानों, अनुसंधान एवं विकास संस्थानों आदि को वित्तीय सहायता देता है। वित्तीय सहायता की स्कीमों के अलावा इस क्षेत्र

के संवर्धन के लिए कई पहलें की गई हैं। इसे बैंक उधार हेतु प्राथमिकता क्षेत्र की सूची में शामिल किया गया है। अधिकांश प्रसंस्करण खाद्य मदों को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हेतु स्वतः अनुमोदन प्राप्त है। बजट वर्ष 2001-2002 से प्रसंस्करित खाद्यों पर उत्पाद शुल्क 16% से घटाकर शून्य कर दिया गया है।

नासिक में खाद्य पार्क को मंजूरी इस क्षेत्र में अंगूर उपजाने की क्षमता को ध्यान में रखते हुए दी गई है। लखनऊ, वाराणसी और कुप्पम स्थित खाद्य पार्कों में अन्यों पर, जोर देने के साथ-साथ आम पर जोर दिया गया है।

[अनुवाद]

मध्य कालीन कलाकृतियों को खोद निकालने हेतु आबंटन

3106. श्री जी.एम. बनातवाला : क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय इतिहास के मध्यकाल से संबंधित स्थलों और कलाकृतियों को खोद निकालने और उनका रख-रखाव करने के लिए कितनी राशि आबंटित की गई है और उपयोग में लाई गई है;

(ख) क्या मध्यकालीन सामग्रियों/स्मारकों को खोद निकालने और उनके रख-रखाव पर उचित ध्यान नहीं दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) पिछले तीन वर्षों में आबंटित तथा उपयोग की गई राशि 2.20 करोड़ रुपए है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

मेट्रो विमान पत्तनों का राजस्व में अंशदान

3107. डा. एम.वी.वी.एस. मूर्ति : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली, चेन्नई, मुबई और कोलकाता स्थित विमान पत्तन भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण के लिए अधिकांश राजस्व जुटाते हैं; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष इन विमान पत्तनों पर पत्तन-वार संग्रहित राजस्व का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) जी, हाँ।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान, हवाई अड्डा-वार तथा वर्ष-वार वसूल किया गया राजस्व नीचे दिखाया गया है:

(करोड़ रुपयों में)

हवाई अड्डा	1998-99	1999-2000	2000-01
दिल्ली	422.48	423.30	491.03
चेन्नई	175.27	190.50	217.92
मुम्बई	534.43	534.34	582.70
कोलकाता	141.24	152.27	177.08

[हिन्दी]

फसलों को बचाने के लिए जैविक-पेस्टनाशी

3108. श्री शिवराज सिंह चौहान :
श्री जयभान सिंह पवैया :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फसलों को बचाने के लिए कौन-कौन से जैविक-पेस्टनाशी उपलब्ध हैं;

(ख) क्या नीम, आदि से कोई जैविक-पेस्टनाशी तैयार करने के लिए कोई अनुसंधान और विकास कार्य किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) नीम आधारित कीटनाशी, बेसिलस थ्यूरीजीनिसिस, ट्राईकोडर्मा, न्यूक्लियर पोलीहेड्रोसिस वाइरस जैव कीटनाशियों का पंजीकरण किया जा चुका है और फसलों की सुरक्षा के लिए ये वाणिज्यिक पैमाने पर उपलब्ध हैं।

(ख) और (ग) जी हां। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई सी ए आर) ने नीम आधारित दो फार्मूले तैयार किए हैं जिनके नाम हैं- 300 पी.पी.एम. के एजाडिराक्टिन (नीम तेल आधारित) और 1500 पी.पी.एम. के एजाडिराक्टिन (बीज/गुठली

से निष्कर्षित अल्कोहल पर आधारित)। नीम आधारित इन दवाओं का अब वाणिज्यिक तौर पर उत्पादन किया जा रहा है और कई प्रकार के फसल कीटों पर नियंत्रण के लिए किसान इनका प्रयोग कर रहे हैं।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्गों को चार लेन का बनाना

3109. श्री अरुण कुमार : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2001-2002 के दौरान चार लेन के बनाए गए राष्ट्रीय राजमार्गों का स्थानवार ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 2001-2002 के दौरान चार लेन वाले बनाए जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इन पर राष्ट्रीय राजमार्ग-वार कितना व्यय होने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत) भुवन चन्द्र खंडूड़ी) : (क) से (ग) ब्यौरे (संलग्न विवरण) I, II, और III में दिए गए हैं।

विवरण-I

वर्ष 2001-02 के दौरान 4 लेन में परिवर्तित

क्र.सं.	स्थान	रा.रा.सं.	लंबाई	राज्य
1	2	3	4	5
1.	132.675 से 212.161 कि.मी	1	79.486	हरियाणा
2.	212.200 से 252.250 कि.मी.	1	40.050	पंजाब
3.	बरवा अड्डाबराकर	2	43.00	झारखंड
4.	रानीगंज-पानागढ़	2	42.00	पश्चिम बंगाल
5.	आगरा-ग्वालियर	3	16.00	उत्तर प्रदेश
6.	आगरा-धौलपुर	3	10.00	राजस्थान
7.	227.0 से 229.0 कि.मी.	3	1.80	मध्य प्रदेश
8.	इंदौर बाइपास (32.20 कि.मी.)	3	32.20	मध्य प्रदेश
9.	इंदौर-देवास (573.0 से 259.0 कि.मी.)	3	17.60	मध्य प्रदेश
10.	237.0 से 238.9 कि.मी.	6	2.00	छत्तीसगढ़
11.	नागपुर-अदीलाबाद	7	25.60	महाराष्ट्र
12.	हैदराबाद-बंगलौर खंड (6 लेन बनाना)	7	7.00	कर्नाटक
13.	गुड़गांव-कोटपुतली	8	126.00	हरियाणा (55)/ राजस्थान (71)
14.	439.0 से 497.0 कि.मी.	8	58.00	महाराष्ट्र
15.	14.0 से 24.0 कि.मी.	8ए	10.00	गुजरात
16.	160.0 से 175.0 कि.मी.	8बी	15.00	गुजरात

1	2	3	4	5
17.	गांधीधाम-समख्याली पैकेज-3	8ए	16.16	गुजरात
18.	344.540 से 348.55 कि.मी.	10	4.00	पंजाब
19.	आबूरोड़-दीसा खंड पालनपुर के समीप	14	10.00	गुजरात
20.	चेन्नै बाईपास-1	4 व 45	19.00	तमिलनाडु
		जोड़	574.896	

विवरण-II

राष्ट्रीय राजमार्ग खंडों के राज्यवार ब्यौरे जिन्हें वर्ष 2002-03 के दौरान 4 लेन में परिवर्तित किए जाने का लक्ष्य है

क्र.सं.	स्थान	रा.रा.सं.	लंबाई
1	2	3	4
1.	विजयवाड़ा-चिलकालूरीपेट पैकेज-3	5	23.78
2.	विजयवाड़ा-चिलकालूरीपेट पैकेज-1	5	25
3.	विजयवाड़ा-राजमुंदरी खंड (इलूरू के समीप)	5	5
4.	इलूरू-विजयवाड़ा	5	72
5.	विजयवाड़ा-चिलकालूरीपेट पैकेज-4	5	2.88
6.	विजयवाड़ा-चिलकालूरीपेट पैकेज-2	5	32
7.	हैदराबाद-बंगलौर	7	12.5
8.	नागपुर-हैदराबाद	7	17
असम			
9.	गुवाहटी बाइपास	37	7.9
बिहार			
10.	पूर्णिया-गयाकोटा	31	15.15
गुजरात			
11.	गोंडल से रिवड़ा खंड	8बी	17
12.	अहमदाबाद-वड़ोदरा एक्सप्रेसमार्ग चरण-1	8	43.4
13.	गांधीधाम-समख्याली पैकेज-2	8ए	22

1	2	3	4
कर्नाटक			
14.	सिरा बाइपास	4	5.8
मध्य प्रदेश			
15.	अगरा-ग्वालियर खंड (मुरैना के समीप)	3	10
महाराष्ट्र			
16.	पश्चिमी डाइवर्जन	4	34.25
17.	अमरावती बाइपास	6	17.4
उड़ीसा			
18.	चंडीखेल-जगतपुर	5	27.8
पंजाब			
19.	जालंधर बाइपास	1	14.4
तमिलनाडु			
20.	बंगलौर-सलेम-मदुरै	7	8.4
21.	करुर बाइपास को चार लेन का बनाना और अमरावती नदी पर अतिरिक्त पुल	7	9.36
22.	करुर आर ओ बी का निर्माण	7	0.84
23.	हाथीपल्ली-होसूर	7	15.58
24.	सलेम बाइपास	7	8.4
25.	थोपुर घाट से गुजरते हुए बंगलौर-सलेम-मदुरै	7	7.4
26.	करुर बाइपास	7	9.36
उत्तर प्रदेश			
27.	लखनऊ-कानपुर	25	16
28.	लखनऊ-कानपुर खंड	25	10.42
29.	गाजियाबाद-हापुड़ व हापुड़ बाइपास	24	33
30.	मुरादाबाद बाइपास	24	18
पश्चिम बंगाल			
31.	डलकोला-इस्लामपुर	31	23
32.	डलकोला-इस्लामपुर उप खंड 2	31	23.85
	जोड़		589.0

विवरण-III

वर्ष के दौरान 4 लेन में परिवर्तित की जाने वाली परियोजनाओं पर वर्ष 2002-03 में संभावित व्यय के राष्ट्रीय राजमार्ग-वार ब्यौरे

क्र.सं.	रा.रा.सं.	धनराशि (करोड़ रु.)
1.	1	20.4
2.	3	1.15
3.	4	60.00
4.	5	133.00
5.	6	6.12
6.	7	33.1
7.	8	52.00
8.	8ए	13.88
9.	8बी	26.8
10.	24	20.00
11.	25	64.6
12.	31	106.89
13.	37	20.58
	जोड़	558.62
	अर्थात्	559.00

नारियल का व्यापार

3110. **श्री विनय कुमार सोराके :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फर्स्ट कोमोडिटी एक्सचेंज आफ इंडिया (एफ सी ई आई) ने नारियल सहित अपना काम-काज शुरू कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या एफ सी आ आई के हस्तक्षेप के कारण काफी समय मंदी रहने के बाद नारियल के मूल्यों में वृद्धि हो रही है;

(ग) यदि हां, तो क्या एफ सी ई आई द्वारा कामकाज शुरू किए जाने के बावजूद नारियल खरीदने वाली प्रमुख एजेंसी के रूप में 'नेफेड' की भूमिका बनी रहेगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी हां।

(ख) किसी जिंस का वायदा व्यापार मूल्य खोज और मूल्य जोखिम प्रबंधन के कार्य सम्पादिद करता है। वायदा मूल्य सुपुर्दगी के महीने में संभावित मूल्यों की अग्रिम भविष्यवाणी है। जब वायदा व्यापार में अस्थिरता होती है, तो मौसमों के बीच में मूल्य परिवर्तन को कम किया जा सकता है क्योंकि वायदा व्यापार पर नियंत्रण के कारण सप्लायरों/किसान मौसम के दौरान अपनी बिक्री का समय अलग-अलग कर लेते हैं। वायदा व्यापार की स्थिति में भी मांग और आपूर्ति के मूलभूत कारक मूल्यों का निर्धारण करते रहते हैं। अत: मूल्यों में अल्पकालीन उतार-चढ़ाव इस प्रकार के वायदा बाजार के प्रजालन का कारण नहीं हो सकता है।

(ग) और (घ) जी, हां। मूल्य समर्थन स्कीम के तहत तिलहनों और दलहनों की खरीद के लिए भारत सरकार केन्द्रीय नोडल एजेंसी होने की वजह से नैफेड भारत सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य के स्तर से नीचे मूल्यों के गिरने की स्थिति में बाजार में हस्तक्षेप करता है। कोपरा एक बारहमासी फसल है और पूरे वर्ष भर इसे बाजार में लाया जाता है और नैफेड बाजार मूल्यों की मानीटरिंग करता है। बाजार मूल्यों के न्यूनतम समर्थन मूल्य के स्तर पर आने तक बिना किसी मात्रात्मक प्रतिबंध के खरीद का कार्य किया जाता है।

विदेशी पर्यटकों के लिए पैलेस-इन-एयर सेवा

3111. **श्री दलपत सिंह परस्ते :**
श्री रामशेठ ठाकुर :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुम्बई की एक कंपनी ने विदेशी पर्यटकों के लिए पैलेस-इन-एयर सेवा शुरू करने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस कंपनी ने केन्द्र सरकार से कोई सहायता मांगी है;

(घ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार इस कंपनी को कितनी सहायता प्रदान करने के लिए सहमत हो गई है; और

(ङ) इस प्रस्तावित योजना के माध्यम से भारत को कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त होने की आशा है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) जी, नहीं। नागर विमानन मंत्रालय में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं मिला है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

संरक्षित स्मारक के निकट सामुदायिक केन्द्र का निर्माण

3112. श्री एस. अजय कुमार : क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को दक्षिण दिल्ली के आर.के. पुरम, सेक्टर-5 में सामुदायिक केन्द्र के प्रस्तावित निर्माण की जानकारी है;

(ख) क्या यह प्रस्तावित भवन संरक्षित ऐतिहासिक स्मारक वजीरपुर की गुबंद से मात्र 20 मीटर की दूरी पर है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस निर्माण से प्राचीन स्मारक अधिनियम का उल्लंघन होता है;

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या टिप्पणी है; और

(ङ) इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) और (घ) प्राचीन संस्मारक, पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958, नियम 1959 तथा संशोधन 1992 के प्रावधानों के तहत, स्मारक की संरक्षित सीमाओं से 100 मीटर के निषिद्ध क्षेत्र में कोई नया निर्माण की अनुमति नहीं है।

(ङ) के.लो.नि.वि. को, जो सामुदायिक केन्द्र का निर्माण कर रहा है, प्राचीन संस्मारक तथा पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 तथा नियम, 1959 के प्रावधानों के अधीन कारण बताओ नोटिस दिया गया है।

नेताजी सुभाषचन्द्र बोस अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन से अंतरराष्ट्रीय उड़ानें

3113. श्री लक्ष्मण सेठ : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नेताजी सुभाषचन्द्र बोस अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन से नई अंतरराष्ट्रीय उड़ानें शुरू करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) और (ख) एअर इंडिया ने 4 अप्रैल, 2002 से कोलकाता के नेताजी सुभाष चन्द्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से बैंकाक के लिए सप्ताह में दो बार विमान सेवा शुरू की है। एयर इंडिया के अलावा इंडियन एयरलाइंस और विभिन्न विदेशी एयरलाइनें जैसे रॉयल ब्रुनी एयरलाइन्स, डरूक एयर, बिमान बंगलादेश, ब्रिटिश एयरवेज, थाई एयरवेज, रॉयल जोर्डियन एयरलाइंस तथा सिंगापुर एयरलाइंस भी कोलकाता के नेताजी सुभाष चन्द्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए/वहां से विमान सेवाएं प्रचलित कर रही हैं।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्गों को चौड़ा किया जाना

3114. डा. चरण दास महंत : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेरठ से खतौली-मुजफ्फरनगर-रुड़की-देहरादून और मेरठ से बिजनौर, नजीबाबाद-कोटद्वार-पौड़ी राष्ट्रीय राजमार्गों को चौड़ा करने का काम बहुत धीमी गति से हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार ने इस काम में तेजी लाने के लिए क्या कार्रवाई की है;

(घ) क्या सरकार का विचार उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग को चार लेन का बनाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त कार्य के कब तक शुरू हो जाने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत) भुवन चन्द्र खंडूड़ी) : (क) से (ग) मेरठ-खतौली-मुजफ्फरनगर-रुड़की-हरिद्वार-देहरादून राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 58 और 72 का हिस्सा है। वर्तमान में यह 2 लेन का मार्ग है। 7.80 करोड़ रु. की लागत से 16 कि.मी. लंबाई में चौड़ा करने और पेव्ड शोल्डर के लिए स्वीकृत कार्य की प्रगति सामान्यत: अच्छी है। मेरठ-बिजनौर-नजीबाबाद-कोटद्वार-पौड़ी सड़क राज्यीय राजमार्ग है। मेरठ से नजीबाबाद खंड को चौड़ा करने और उसका सुधार कार्य विश्व बैंक ऋण सहायता से राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है। इस परियोजना के लिए ठेका अप्रैल, 2002 में सौंप दिया गया है और कार्य प्रारंभ हो गया है। उत्तर प्रदेश में नजीबाबाद-कोटद्वार खंड और उत्तरांचल में कोटद्वार-पौड़ी खंड को केंद्र सरकार द्वारा केन्द्रीय सड़क निधि की अंतर्राज्यीय संपर्क

स्कीम के अंतर्गत क्रमशः जुलाई, 2002 और फरवरी, 2002 में अनुमोदित किया गया है। इस स्कीम पर कार्य अभी शुरू होने हैं। राज्य सरकारों से तत्काल कार्य शुरू करने का अनुरोध किया गया है।

(घ) और (ङ) राष्ट्रीय राजमार्ग-58 के मेरठ-मुजफ्फरनगर को निर्माण, प्रचानल और हस्तांतरण आधार पर चार लेन का बनाने के लिए उद्यमियों की पूर्व अर्हता का कार्य शुरू किया गया है। कार्य शूरू होने की संभावित तारीख बता पाना अभी संभव नहीं है।

[अनुवाद]

पर्यटन क्षेत्र में स्विटजरलैण्ड द्वारा निवेश

3115. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :
श्री चन्द्रनाथ सिंह :

क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एक उच्च शक्ति प्राप्त भारतीय शिष्टमंडल पर्यटन क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए स्विटरजरलैण्ड की यात्रा करने वाला है; और

(ख) यदि हां, तो स्विटजरलैण्ड के प्राधिकारियों के साथ हुए विचार-विमर्श का ब्यौरा क्या है और इसका क्या निष्कर्ष निकला है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) जी, नहीं। पर्यटन क्षेत्र में निवेश को आकृष्ट करने के लिए स्विटजरलैण्ड में पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय द्वारा शिष्टमण्डल भेजने का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

अगरतला विमानपत्तन का विकास

3116. श्री खगेन दास : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अगरतला विमानपत्तन का बुनियादी ढांचा सुधारने तथा इसे बड़े विमानों के दौड़ने योग्य बनाने हेतु इसकी हवाई पट्टी का विस्तार करने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन्हें कब तक पूरा किया जाएगा?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) से (ग) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने हाल ही में अगरतला हवाई अड्डे पर 27.61 करोड़ रुपए की लागत से सभी आधुनिक सुविधाओं से युक्त एक बार में 500 यात्रियों की सुविधा के लिए इसे उपयुक्त बनाने के संबंध में विस्तार कार्य के साथ-साथ मौजूदा टर्मिनल भवन में परिशोधन कार्य पूरा कर लिया है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने 29.19 करोड़ रुपए की लागत से मौजूदा रनवे का 6000 फुट से 7500 फुट तक विस्तार कार्य और सम्बद्ध कार्यों को भी हाथ में ले लिया है ताकि इसे एबी-320 किस्म के विमानों के प्रचालन के लिए उपयुक्त बनाया जा सके। इस परियोजना को मार्च 2003 तक पूरी किए जाने की योजना है।

महिला श्रम का योगदान

3117. श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया :
श्री सुशील कुमार शिंदे :
श्रीमती रेणूका चौधरी :
श्री एम.के. सुब्बा :

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय विकास में महिला श्रम का अनुमानित योगदान कितना है तथा दसवीं योजना के लिए कितने योगदान का अनुमान है; और

(ख) उनके योगदान को आंकने के लिए कौन से मानदंड निर्धारित किए गए हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

बीमा दावे का भुगतान

3118. श्री दिनेश चन्द्र यादव : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूरे भारत में मृत मछुआरों के आश्रित भारत सरकार के राष्ट्रीय मछुआरा सहयोग समिति, नई दिल्ली से बीमा दावे के रूप में 35,000 रुपए प्राप्त करते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या निदेशक, मत्स्य पालन, बिहार ने राज्य के मछुआरों के आश्रितों को उक्त राशि का भुगतान जारी करने का अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा दावे की उक्त राशि को जारी करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) बिहार सहित सभी राज्यों में राष्ट्रीय मछुआरा सहकारी परिसंघ लिमिटेड (फिशकॉपफेड) के माध्यम से कार्यान्वित सक्रिय मछुआरों के लिए सामूहिक बीमा की केन्द्रीय प्रायोजित योजना, आकस्मिक मृत्यु या पूर्ण/ आंशिक स्थायी विकलांगता के लिए प्रति लाभार्थी 14 रुपए प्रतिवर्ष की प्रीमियम, जिसमें केन्द्र सरकार तथा संबंधित राज्य सरकारों की बराबर की भागीदारी होती है, पर बीमा कवर उपलब्ध कराती है। आकस्मिक मृत्यु या पूर्ण स्थायी विकलांगता के मामले में बीमा दावे को दिनांक 10.12.2000 से 35,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिया गया है।

(ख) और (ग) आकस्मिक मृत्यु या स्थायी विकलांगता के मामले में योजना के तहत नामांकित सक्रिय मछुआरों के आश्रितों को भुगतान की निर्मुक्ति एक सतत प्रक्रिया है। राज्य सरकारों से अपेक्षित दस्तावेजों के साथ प्राप्त दावों को निर्धारित समय सीमा के भीतर निपटाया जाता है। इस योजना के तहत 15 जुलाई, 2002 तक बिहार राज्य में मछुआरों के 34 परिवारों को 11,00,000 रुपए की राशि का भुगतान किया गया है।

ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बेरोजगार युवक

3119. श्री रामजीलाल सुमन :
डा. सुशील कुमार इन्दौरा :

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नौंवी पंचवर्षीय योजना के अंत में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के 15 से 29 वर्ष की आयु वाले बेरोजगार युवकों के प्रतिशत का अनुमान लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आठवीं योजना की तुलना में उक्त प्रतिशत अधिक है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा प्रतिशत में इस बढ़ोतरी के क्या कारण हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) से (घ) राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एन.एस.एस.ओ.) द्वारा समय-समय पर किए गए श्रम बल सर्वेक्षणों के माध्यम से रोजगार तथा बेरोजगारी के अनुमान प्राप्त किए जाते हैं। 1993-94 तथा 1999-2000 के दौरान किए गए इन सर्वेक्षणों के अनुसार सामान्य प्रमुख तथा सहायक स्थिति दृष्टिकोण के आधार पर देश के ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में युवाओं (15-29 वर्ष आयु समूह) के बीच बेरोजगारी की अनुमानित दरें नीचे दिए गये अनुसार थीं:

वर्ष	युवाओं (15-29 वर्ष आयु समूह) की बेरोजगारी दरें	
	ग्रामीण(%)	शहरी(%)
1993-94	2.9	10.8
1999-2000	3.7	11.2

अर्थव्यवस्था का वांछित दर से विकास न हो पाना और श्रम बाजार में जन शक्ति की मांग और आपूर्ति में असुंतलन बेरोजगारी दर में वृद्धि के प्रमुख कारण हो सकते हैं।

[अनुवाद]

गोल्डन बाजरा का उत्पादन

3120. श्री पी.एस. गढ़वी : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'इंटरनेशनल क्राप रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ सेमी एरिज ट्रॉपिक्स (आई. सी. आर. आई. एस. ए. टी.), हैदराबाद ने लम्बे अनुसंधान के पश्चात् विटामिन 'ए' सोग्चुड गोल्डन बाजरा नामक एक नई किस्म की खोज की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस अनुसंधान से देश में खासकर उन क्षेत्रों में जहां जल की कमी है, बाजरा उत्पादकों को सहायता मिलेगी;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार देश में खासकर गुजरात में बाजरा के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कोई योजना तैयार करने का विचार रखती है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) इक्रीसैट (आई.सी.आर.आई.एस.ए.टी.) में वैज्ञानिकों ने बाजरे के पीले दाने वाले प्रजनन वंशक्रम को विकसित किया है, जिसमें सामान्य रंग के दाने वाली किस्म की अपेक्षा विटामिन 'ए' की उच्चतर मात्रा होती है।

(ख) पीले दाने वाला यह वंशक्रम बुर्किना फासो से अफरीकन किस्म का एक चयन है तथा इसमें पीले दाने का गुण विद्यमान है।

(ग) से (ङ) बाजरे का विकसित यह प्रजनन वंशक्रम प्रकाश-सुग्राही एवं पछेती परिपक्वता वाला है तथा यह भारतीय दशाओं में एक किस्म के रूप में सामान्य खेती के लिए अनुकूल नहीं है।

प्रति विमान आय और व्यय

3121. श्रीमती कुमुदिनी पटनायक : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एयर बसों और बोइंग उड़ानों की प्रतिदिन कुल संख्या कितनी है;

(ख) इन उड़ानों पर आने वाला कुल व्यय तथा इनसे होने वाली आय कितनी है;

(ग) प्रति विमान प्रति वर्ष होने वाला लाभ/हानि कितनी है;

(घ) क्या उड़ानों की संख्या बढ़ाए जाने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के पास लम्बित है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या कार्रवाई की गयी है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) एयर इंडिया की दैनिक उड़ानों का ब्यौरा निम्नुसार है:

सप्ताह के दिन	एयरबस	बोइंग
सोमवार	17	4
मंगलवार	12	6
बुधवार	13	5
बृहस्पतिवार	20	5
शुक्रवार	16	6
शनिवार	16	4
रविवार	18	5
कुल	112	35

इंडियन एयरलाइंस तथा एलाइंस एयर औसतन प्रतिदिन 149 एयरबस (ए-320 तथा ए-300) तथा 41 बोइंग उड़ाने प्रचालित करती है।

(ख) और (ग) वर्ष 2000-2001 के लिए विमान की किस्म के आधार पर प्रचालन लागत/राजस्व तथा लाभ/(हानि) की मात्रा निम्नानुसार है :

(करोड़ रु. में)

बेड़ा	प्रचालन लागत	प्रचालन राजस्व	प्रचालन लाभ/(हानि)
एअर इंडिया			
ए 310	1030.68	1096.61	65.93
बी 300 बी 4	350.91	386.02	35.11
बी 747-200	558.59	527.48	(31.13)
बी 747-300 कॉम्बी	439.20	382.33	(56.87)
बी 747-400	1663.09	1573.76	(89.33)
ए 310 (लीज्ड)	56.53	58.30	1.77
इंडियन एयरलाइंस			
ए 300	1146	1060	(86)
ए 320	2360	2299	(61)
बी 737*	625	530	(95)

*बोइंग एलाइंस एयर द्वारा प्रचालित किए गए।

(घ) और (ङ) मुम्बई/पेरिस/न्यूयार्क/पेरिस/मुम्बई तथा मुम्बई/दिल्ली/फ्रैंकफर्ट/दिल्ली/मुम्बई पर दिसम्बर 2002 से प्रत्येक पर एअर इंडिया की तीन उड़ानें शुरू करने की योजना है।

विमान क्षमता उपलब्धता के आधार पर इंडियन एयरलाइन्स की अक्टूबर, 2002 से प्रभावी शीतकालीन समयावली में कुछ मार्गों पर उड़ानों को बढ़ाने की योजना है।

बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम

3122. श्री प्रियंरजन दासमुंशी : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को उत्तर बंगाल में गंगा, फुलहार, नागर, महानन्दा, सुई, जालढ़ाका, तीस्ता, तोशा, मोमसई अन्नई, पुनर्भव, तांगन नदियों से होने वाली विनाशकारी बाढ़ों के कारण मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर दिनाजपुर दक्षिण दिनाजपुर, कूच बिहार, और जलपाइगुड़ी के जिलों में बाढ़ की स्थिति, नदी कटाव और तटबंध विस्तार कार्यक्रम का प्रबंध करने हेतु पश्चिम बंगाल सरकार से कोई व्यापक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार दसवीं योजना में उत्तर बंगाल को बचाने के लिए व्यापक बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम तैयार करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार के साथ कोई पहल करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, पश्चिम बंगाल सरकार ने दसवीं पंचवर्षीय योजना 2002-07 के लिए बाढ़ नियंत्रण संबंधी कार्यदल को एक परिप्रेक्ष्य योजना प्रस्तुत की है। दसवीं पंचवर्षीय योजना तैयार करने के लिए योजना आयोग द्वारा इस कार्यदल का गठन किया गया था। राज्य में तटबंध स्कीमों, कटाव-रोधी स्कीमों और जलनिकास स्कीमों इत्यादि के कार्यान्वयन के लिए दसवीं योजना के वास्ते पश्चिम बंगाल द्वारा 1300 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रस्ताव किया गया था जिसकी तुलना में कार्यदल में 1000 करोड़ रुपए के परिव्यय की सिफारिश की। इस संबंध में अंतिम निर्णय योजना आयोग द्वारा लिया जाना है।

(ग) और (घ) बाढ़ प्रबन्धन राज्य का विषय होने के कारण दसवीं योजना के वास्ते उत्तर बंगाल को बचाने के लिए व्यापक बाढ़ प्रबन्धन कार्यक्रम को तैयार करने/बनाने का उत्तरदायित्व पश्चिम बंगाल सरकार का है। भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता तकनीकी, प्रेरणात्मक और संवर्धनात्मक स्वरूप की होती है।

बाल श्रम उन्मूलन हेतु कार्यक्रम

3123. श्रीमती रेणुका चौधरी : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आई.एल.ओ.) के सहयोग से आन्ध्र प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों में बाल श्रम का उन्मूलन करने के लिए कोई कार्यक्रम शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्यक्रम के उद्देश्य क्या हैं तथा पुनवार्स प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है; और

(ग) कार्यक्रण के अनुपालन हेतु कितनी धनराशि निर्धारित की गयी है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) से (ग) सरकार का मुख्य कदम है राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाओं की शुरूआत, जिसे इस समय देश के 100 जिलों में कार्यन्वित किया जा रहा है। अन्तराष्ट्रीय श्रम संगठन देश के पांच जिलों नामत: मिर्जापुर और फिरोजाबाद (उत्तर प्रदेश), जयपुर (राजस्थान), विरूधुनगर तथा कोयंबतूर (तमिलनाडु) में सरकार की राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना समितियों के माध्यम से एकीकृत क्षेत्र विशिष्ट परियोजनाओं को कार्यान्वित कर रहा है। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, आन्ध्र प्रदेश में एक राज्य आधारित परियोजना भी कार्यान्वित कर रहा है।

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कार्यक्रम का उद्देश्य चुनिंदा क्षेत्रों में बच्चों को जोखिमकारी कार्यों में लगाये जाने के संबंध में निवारक उपाय करने, उससे हटाए जाने और मुक्त कर मुख्य कार्यकारियों के प्रशिक्षण, उनमें जागरूकता वृद्धि, विकास तथा प्रतिकृतेय प्रायोगिक पहलों आदि के माध्यम से बाल श्रम उन्मूलन में योगदान देना। इसके लिए फिरोजाबाद के लिए (439,327 अमरीकी डालर), मिर्जापुर, जयपुर, विरूधनगर तथा कोयंबतूर में से प्रत्येक के लिए 417,488 अमरीकी डालर तथा आन्ध्र प्रदेश राज्य आधारित परियोजनाओं के लिए 4,551,804 अमरीकी डालर की राशि निर्धारित की गई है।

तेन्दु पत्ता उत्पादकों का पुनर्वास

3124. श्री रमेश चेन्नितला : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन तेन्दु पत्ता उत्पादकों के पुनर्वास हेतु क्या कार्रवाई की जा रही है जिनके तम्बाकू उत्पादों पर प्रस्तावित प्रतिबंध लगाये जाने की वजह से अपनी रोजी-रोटी गंवाये जाने की संभावना है;

(ख) क्या सरकार का विचार कोई अन्य वैकल्पिक फसल उगाने हेतु उन्हें अनुदान देने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार वर्तमान में तम्बाकू उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

नदियों को जोड़ा जाना

3125. श्री सवशीभाई मकवाना :
श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार नदियों की पूर्ण क्षमता के दोहन हेतु उन्हें उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम तक जोड़ने हेतु किसी योजना पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसे कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है।

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) और (ख) वर्ष 1980 में, जल संसाधन मंत्रालय, जिसे तब सिंचाई मंत्रालय के नाम से जाना जाता था, ने जल संसाधन विकास हेतु एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना तैयार की थी जिसमें जल संसाधनों के अधिकतम उपयोग हेतु कम जल वाले क्षेत्रों में अधिशेष जल वाले बेसिनों से जल हस्तांतरण हेतु प्रायद्वीपीय नदियों एवं हिमालयी नदियों को परस्पर जोड़ने की व्यवस्था है। भारत सरकार मे जल संतुलन एवं अन्य अध्ययनों को कार्यान्वित करने तथा व्यवहार्यता रिपोर्टें तैयार करने के लिए वर्ष 1982 में एक स्वायत्त सोसायटी के रूप में राष्ट्रीय जल विकास अधिकरण की स्थापना की है। राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण ने व्यवहार्यता रिपोर्टें तैयार करने हेतु राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के अधीन 30 संपर्कों की पहचान की है तथा उसने प्रायद्वीपीय घटक के अंतर्गत 6 संपर्कों की व्यवहार्यता रिपोर्टें तैयार कर ली हैं। प्रायद्वीपीय घटक के अंतर्गत वर्ष 2004 तक तथा हिमालयी घटक के अंतर्गत वर्ष 2008 तक पहचान की गई सभी जल हस्तातंरण संपर्क स्कीमों की व्यवहार्यता रिपोर्टें पूरी करने का कार्यक्रम है। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना का कार्यान्वयन तथा संभव हो पाएगा यदि संबंधित सह-बेसिन राज्य जल संपर्क प्रस्ताव पर सहमत हों तथा परियोजना के क्रियान्वन हेतु अन्य आवश्यक समर्थन प्रदान करें।

[हिन्दी]

एक्सप्रेसवे के निर्माण में भ्रष्टाचार

3126. श्री मान सिंह पटेल :
श्री मनसुखभाई डी. वसावा :

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वड़ोदरा-अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक्सप्रेसवे के निर्माण में भ्रष्टाचार का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा दोषियों को दंडित करने के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत) भुवन चन्द्र खंडूड़ी) : (क) अब तक की गई जांच से भ्रष्टाचार के किसी कृत्य का पता नहीं लगा है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर पुराने पुलों का चौड़ा किया जाना

3127. श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :
श्री सुन्दर लाल तिवारी :

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर बने उन पुराने पुलों की संख्या कितनी है जिनकी इस समय समयावधि समाप्त हो चुकी है;

(ख) क्या सरकार का विचार यातायात की भीड़-भाड़ को कम करने के लिए पुराने पुलों को चौड़ा करने का है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत) भुवन चन्द्र खंडूड़ी) : (क) 20 पुलों के

पुनर्निर्माण की आवश्यकता है क्योंकि इन विद्यामान पुलों की किफायत से मरम्मत की जा सकती।

(ख) से (घ) जी हां। पुराने और संकरे पुलों को धनराशि की उपलब्धता के अध्यधीन चरणबद्ध रूप में चौड़ा करने का प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

समुद्री पार्क

3128. श्री आर.एल. जालप्पा : क्या **खाद्य संस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने राज्य के 320 कि.मी. लम्बे तटीय क्षेत्र का उपयोग करने के लिए एक समुद्री उत्पाद पार्क की स्थापना हेतु कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उक्त प्रस्ताव को स्वीकृति देने हेतु क्या कार्यवाई की है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय राजमार्गों पर से चेक-पोस्टों को हटाना

3129. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक राज्यों ने कर वसूली हेतु राष्ट्रीय राजमार्गों को 'राइट अफ वे' प्रदान करने हेतु चेक-पोस्टें स्थापित की हैं;

(ख) यदि हां, तो वे कौन-से राज्य हैं जिन्होंने ऐसी चेक-पोस्टें स्थापित की हैं तथा उनकी संख्या कितनी है;

(ग) क्या ऐसी चेक-पोस्टों की स्थापना राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के प्रावधानों के विरुद्ध है;

(घ) यदि हां, तो क्या इन चेक-पोस्टों को हटाने हेतु संबंधित राज्यों से कोई चर्चा की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो राज्य सरकारों की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत) भुवन चन्द्र खंडूड़ी) : (क) कुछ राज्य सरकारों ने कर वसूली हेतु राष्ट्रीय राजमार्गों के 'राइट आफ वे' में चेक-पोस्टें स्थापित की हैं।

(ख) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) सरकार की वर्तमान नीति के अनुसार 'राइट आफ वे' के अंदर राष्ट्रीय राजमार्गों पर चेक पोस्ट/अवरोधक स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जाती है। तथापि, राज्य सरकारें केंद्र सरकार की पूर्वानुमति से राष्ट्रीय राजमार्गों पर 'राइट आफ वे' के बाहर कर वसूली अवरोधक लगा सकती हैं।

(घ) और (ङ) 'राइट आफ वे' के अंदर राष्ट्रीय राजमार्गों पर ऐसे चेक पोस्ट/अवरोधक हटाने के लिए यह मामला संबंधित राज्यों के मुख्य मंत्रियों सहित विभिन्न स्तरों पर उठाया गया है।

विवरण

चेक पोस्ट/द्वारों की राज्यवार स्थिति

क्र.सं.	राज्य	स्थानों की संख्या	करों का स्वरूप
1	2	3	4
1.	असम	92	बिक्री, उत्पाद, वन, कृषि, नगर-पालिका तथा कानून व्यवस्था कर
2.	दिल्ली	5	प्रवेश कर
3.	गुजरात	8	वाणिज्यिक कर
4.	हिमाचल प्रदेश	6	उत्पाद कर
5.	कर्नाटक	13	वाणिज्यिक, उत्पाद, वन तथा कानून व्यवस्था कर

1	2	3	4
6.	केरल	9	बिक्री, सड़क कर और वन चेक पोस्ट
7.	मणिपुर	36	वाणिज्यिक, चुंगी, उत्पाद, वन तथा कानून व्यवस्था कर
8.	मेघालय	24	वाणिज्यिक, चुंगी, उत्पाद, वन, कानून व्यवस्था व रायल्टी (जिला परिषद्)
9.	उड़ीसा	107	वाणिज्यिक, चुंगी, वन, बिक्री, नगर-पालिका।
10.	राजस्थान	9	वाणिज्यिक, नगर-पालिका
11.	उत्तरांचल	20	वन, बिक्री कर
12.	उत्तर प्रदेश	16	व्यापार कर

[हिन्दी]

रोजगार नीति

3130. श्री बीर सिंह महतो : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रोजगार नीति तैयार करने हेतु कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) से (ग) रोजगार सृजन हेतु आयोजना पंचवर्षीय योजनाओं का अंग है एवं इसके लिये कोई पृथक रोजगार नीति नहीं है। तथापि, 10वीं योजना में अतिरिक्त श्रम बल को लाभप्रद उच्च गुणवत्तात्मक रोजगार उपलब्ध करवाने पर ध्यान केन्द्रित किया गया है तथा इसे 10वीं योजना इससे आगे के लिए प्रबोधनीय (मानिटरेबल) उद्देश्य माना गया है। 10वीं योजना की विकास नीति में उच्च गुणवत्तात्मक रोजगार अवसरों को सृजित किए जाने तथा रोजगार वृद्धि को हतोत्साहित करने वाले नीतिगत अवरोधों के समाधान की संभावना वाले क्षेत्रों के तीव्र विकास पर बल दिया जाएगा। अत्यधिक रोजगार की संभावना वाली आर्थिक गतिविधियों की वृहद श्रृंखला को प्रभावित करने वाले नीतिगत वातावरण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

[अनुवाद]

एयर इंडिया की उड़ानों में आयुर्वेदिक उपचार

3131. श्री पी.सी. थामस :
श्री टी. गोविन्दन :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार एयर इंडिया/इंडियन एयरलाइन्स की उड़ानों में मालिश आदि जैसे आयुर्वेदिक उपचार की व्यवस्था करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) और (ख) एअर इंडिया की उड़ानगत उड़ानों पर मालिश आदि जैसे आयुर्वेदिक उपचार की व्यवस्था करने की व्यवहार्यता तथा रीतियों को बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। जहाँ तक इंडियन एयरलाइन्स का संबंध है, उनकी उड़ानों में आयुर्वेदिक उपचार की व्यवस्था संबंधी कोई प्रस्ताव नहीं है।

नारियल संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन

3132. श्री जार्ज ईडन : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य सरकार ने नारियल संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन में रोग वाले नारियल पेड़ों को काटने और उन्हें समाप्त करने के कारक को शामिल करने के संबंध में कोई अभ्यावेदन दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) और (ख) केरल सरकार ने एक ज्ञापन प्रस्तुत किया था जिसमें नारियल प्रौद्योगिकी मिशन के तहत एक ऐसे घटक को शामिल करने की मांग की गई थी जो 5 वर्षों की अवधि में

200 करोड़ रु. की वित्तीय सहायता से जड़ सूख जाने के रोग से ग्रस्त 80 लाख नारियल के पामों की कटाई करने और उसे हटाने से संबंधित है। इसके अलावा, 120 लाख पौधों के उत्पादन के अतिरिक्त 40 लाख रुग्ण नारियल पामों की कटाई और हटाने का भी प्रस्ताव था।

(ग) नारियल प्रौद्योगिकी मिशन संबंधी अनुमोदित स्कीम में कीट/कृमि तथा रोग प्रबंध के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी विकास, प्रदर्शन तथा अंगीकरण, प्रसंस्करण तथा उत्पाद विविधीकरण और कार्यक्रमों की समेकता और साहचर्य के साथ बाजार अनुसंधान और प्रोत्साहन पर ध्यान दिया गया है। मिशन के तहत उचित नये कार्यक्रमों के माध्यम से अन्तराल को पूरा करने और उत्पादन, प्रसंस्करण और उत्पाद विविधीकरण आदि में सभी सम्बद्धताओं पर पर्याप्त, उचित समयबद्ध और समवर्ती ध्यान सुनिश्चित करने का प्रस्ताव है। नारियल प्रौद्योगिकी मिशन के तहत नियमित कार्यक्रमों को छोड़कर, प्रौद्योगिकियों के विकास, प्रदर्शन और अंगीकरण के लिए केवल विशिष्ट परियोजनाओं पर नारियल विकास बोर्ड की परियोजना अनुमोदन समिति द्वारा विचार किया जाता है और उसे अनुमोदित किया जाता है।

नारियल विकास बोर्ड ने नारियल के जोतों में उत्पादकता सुधार के लिए समेकित फार्मिंग संबंधी परियोजना के तहत केरल सरकार को 1987-88 से अब तक 53.27 करोड़ रु. की राशि प्रदान की है, जो अधिकांशतया रोगग्रस्त नारियल पामों की कटाई और उसे हटाने के लिए है। इससे जड़ सूख जाने संबंधी रोग के असर को 32.4 से 24.0 प्रतिशत तक घटाने में मदद मिली है। ऐसी गहन समस्या का समाधान केवल सरकार के प्रयासों द्वारा क्षतिपूर्ति प्रदान करके नहीं किया जा सकता है। जड़ सूख जाने संबंधी रोग से ग्रस्त नारियल पामों के उन्मूलन के लिए सामुदायिक प्रयास अनिवार्य प्रतीत होता है और कम प्रभावित पामों की वैज्ञानिक प्रबंधन तरीके से देखभाल किए जाने की आवश्यकता है ताकि उच्च पैदावार प्राप्त की जा सके। इसके लिए राज्य स्तर पर एक मजबूत विस्तार पद्धति की अपेक्षा होगी। राज्य सरकार को इसके अनुसार सूचित कर दिया गया है।

पर्यटकों के आगमन में वृद्धि

3133. श्री जी.एस. बसवराज : क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका व इंगलैंड जैसे पश्चिमी देशों द्वारा अपने नागरिकों को भारत की यात्रा के संबंध में यात्रा संबंधी राय देने के पश्चात इन देशों से पर्यटकों के आगमन में पर्याप्त वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा क्या जापान और आस्ट्रेलिया ने भी भारत की यात्रा के लिए अपने पूर्व यात्रा संबंधी रायों को संशोधित किया है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार इस अवसर का लम्बे समय तक लाभ उठाने का विचार रखती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) से (घ) प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार ऐसा प्रतीत होता है कि अमेरिका, इंगलैंड, आस्ट्रेलिया और जापान सहित कई बड़े देशों द्वारा हाल ही में दिए गए यात्रा संबंधी परामर्श का पर्यटक वर्धक मार्किटों में सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। विज्ञापनों के माध्यम से, मेले और प्रदर्शनियों में भाग लेकर, कार्यशालाओं का आयोजन, सेमिनार और प्रेस कांफ्रेंस, सूचना के आयाम, सरकार के आतिथ्य कार्यक्रम के तहत मीडिया के लोगों और यात्रा व्यापार के साथ संबंधों और इन मार्केटों में यात्रा व्यापार के साथ ब्रोशर उत्पादन और संयुक्त विज्ञापन को सहायता प्रदान करने के साथ-साथ पुनः आश्वासन अभियान चलाया जा रहा है जिससे कि विदेशों में भारत की छवि एक सुरक्षित और आकर्षक गंतव्य स्थल के रूप में स्थापित की जा सके।

[हिन्दी]

देश में कृषि उद्योगों का कार्यकरण

3134. श्री राधा मोहन सिंह : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कृषि उद्योगों की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) सरकार द्वारा इन उद्योगों के कार्यकरण को सुधारने हेतु किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इसके लिए कितनी राशि उपलब्ध करायी गयी है; और

(घ) दसवीं पंचवर्षीय योजना में इस उद्योग के अच्छे विकास हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) और (ख) कृषि उद्योगों में खाद्य एवं गैर-खाद्य दोनों प्रकार के उद्योग शामिल हैं। राष्ट्रीय अनप्रयुक्त एवं आर्थिक अनुसंधान परिषद (एन सी ए ई आर) के द्वारा हाल में कराए गए अध्ययन के अनुसार नौवीं योजना में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का समग्र विकास 5.8% था। सरकार द्वारा समय-समय पर कई नीतियों को

शुरू किया गया है और इस क्षेत्र के विकास के लिए योजनागत स्कीमों के माध्यम से वित्तीय सहायता दी जा रही है।

कृषि एवं ग्रामीण उद्योगों के संबंध में सरकार खादी एवं ग्रामोद्योग कमीशन (के वी आई सी) के माध्यम से कृषि एवं ग्रामीण उद्योगों के विकास के लिए संपूर्ण देश में ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आर ई जी पी) कार्यान्वित कर रही है। दिनांक 30.6.2000 तक आर ई जी पी के अंतर्गत स्वीकृत राज्य-वार संचित परियोजनाएं 1,40,685 थी। स्कीम के अंतर्गत के वी आई सी द्वारा 10 लाख रु. तक की लागत वाली परियोजना 10 लाख से अधिक तथा 25 लाख रु. तक की लागत वाली परियोजना के लिए 25% की दर से मार्जिन मनी सहायता दी जाती है। मार्जिन मनी की दर 10 लाख रु. का 25% है जिसके साथ परियोजना की शेष लागत का 10% दिया जाता है।

(ग) नौवीं योजना में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा योजनागत कोष के अन्तर्गत 195 करोड़ रु. की राशि प्रयुक्त की गई।

सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आर ई जी पी) के अंतर्गत खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग को निर्मुक्त धनराशि निम्न प्रकार से है:

वर्ष	लाख रुपये में
1999-2000	1103
2000-01	11000
20001-02	15000

(घ) 10वीं योजना के दौरान, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने अवसंरचनात्मक विकास जैसे फूड पार्कों मूल्य संवर्द्धन केन्द्रों, इन्टेग्रेटिड कोल्ड चेन के विकास, प्रदीपन इत्यादि पर विशेष बल दिया है। इसके अतिरिक्त, गुणवत्त आश्वासन, बैकवर्ड एवं फारवर्ड इन्टीग्रेशन स्कीमों के कार्यान्वयन का भी प्रस्ताव किया गया है।

खादी एवं ग्रामीण उद्योग क्षेत्र के सुदृढ़ीकरण के लिए सरकार ने दिनांक 14.5.2001 को एक विशेष पैकेज घोषित किया था जोकि कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में है। पैकेज में अन्य बातों के साथ-साथ खादी कारीगरों को बीमें में कवर करने, रिबेट एवं मंडी विकास सहायता (एम डी ए) में से विकल्प, पैकेजिंग और डिजाइन सुविधाओं का सृजन, विपणन को बढ़ावा देने के उपाय, ब्रांड निर्माण और सामूहिक (कलस्टर) विकास, प्रौद्योगिकी उन्नयन, गुणवत्ता नियंत्रण, विज्ञान एवं प्रचार इत्यादि के माध्यम से विपणन का प्रावधान है।

[अनुवाद]

गंगा में डॉल्फिन का संरक्षण

3135. श्री चन्द्र विजय सिंह : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यावरण विशेषज्ञों ने उत्तर प्रदेश में नरोरा और बिजनौर के बीच गंगा नदी के 65 कि.मी. क्षेत्र को रिभर डॉल्फिन जैसी लुप्त हो रही दुर्लभ प्रजातियों के संरक्षण हेतु संरक्षित क्षेत्र घोषित करने की सलाह दी है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस क्षेत्र को संरक्षित क्षेत्र घोषित करने के लिए क्या उठाए हैं; और

(ग) इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) से (ग) वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत सुरक्षित क्षेत्रों (राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों) के अधिसूचित करने की शक्ति राज्य सरकारों को प्रदान की गई है। अत: सुरक्षित क्षेत्रों को अधिसूचित किए जाने हेतु केन्द्रीय सरकार का अनुमोदन जरूरी नहीं है।

इसके अतिरिक्त, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने यह सूचित किया है कि नरोरा और बिजनौर के बीच फैले गंगा नदी के 65 कि.मी. क्षेत्र को सुरक्षित के रूप में घोषित किए जाने से संबंधित कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

कृषि क्षेत्र का विकास

3136. डा. जसवंतसिंह यादव : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दसवीं योजना के दौरान देश में खासकर राजस्थान में कृषि के विकास हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) नौवीं योजना के दौरान इस क्षेत्र में देखी गई उपलब्धियों और असफलताओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राजस्थान सहित देश में कृषि क्षेत्र के विकास के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ, पूर्वी भारत में फसल उत्पादन में वृद्धि करने के लिए फार्म पर जल प्रबंधन, पूर्वोत्तर में बागवानी विकास संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन, पनधारा विकास कार्यक्रम सहित कृषि में

वृहत प्रबंध, कृषि-क्लिनिक और कृषि-व्यापार केन्द्रों के तंत्र की स्थापना, ग्रामीण गोदामों और शीतागारों का निर्माण/पुनरुद्धार/विस्तार, बाजार अवसंरचना का विकास, सहकारिता क्षेत्र में सुधार और जैविक खेती को प्रोत्साहन शामिल हैं।

(ख) वर्ष 1998-99 से 2000-01 तक की अवधि के दौरान कुल खाद्यान्नों और तिलहनों के क्षेत्र, उत्पादन और पैदावार के राज्यवार अंतिम अनुमानों का ब्यौरा संलग्न विवरण I तथा II में दिया गया है।

विवरण-I

कुल खाद्यान्नों के क्षेत्र, उत्पादन और पैदावार के अंतिम अनुमान

राज्य	क्षेत्र (हजार हैक्टे.)			उत्पादन (हजार मी. टन)			पैदावार (किग्रा. हैक्टे.)		
	1998-99	1999-2000	2000-01 अंतिम	1998-99	1999-2000	2000-01 अंतिम	1998-99	1999-2000	2000-01 अंतिम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
आंध्र प्रदेश	7370.00	7138.0	7286.4	14905.0	13696.2	14534.7	2022	1919	1995
अरुणाचल प्रदेश	180.6	186.9	183.6	187.9	210.2	202.7	1040	1125	1104
असम	2666.9	2869.0	2887.5	3434.0	4042.0	4166.5	1288	1409	1443
बिहार	8966.1	8898.1	7252.5	13625.9	14387.9	12055.1	1520	1617	1662
झारखंड			1836.0			2011.0			1095
गोवा	69.1	68.1	68.7	164.4	219.8	153.9	2379	3228	2240
गुजरात	3903.7	3416.3	3147.9	5566.7	4051.7	3679.9	1426	1186	1169
हरियाणा	4490.1	4287.4	4290.9	12123.2	13063.2	13251.5	2700	3047	3088
हिमाचल प्रदेश	843.3	823.3	836.5	1490.7	1444.3	1455.5	1768	1754	1740
जम्मू-कश्मीर	880.7	880.9	907.8	1519.6	1328.5	1121.4	1725	1508	1235
कर्नाटक	7416.0	7665.9	7790.0	9996.6	9859.3	10949.0	1348	1286	1406
केरल	388.7	378.9	375.8	754.5	793.3	772.6	1941	2094	2056
मध्य प्रदेश	17877.6	17603.6	9845.8	19501.2	21272.1	8930.4	1091	1208	907
छत्तीसगढ़	–	–	4569.0	–	–	3652.1	–	–	799
महाराष्ट्र	13094.3	13636.6	13319.7	12752.8	12700.9	10076.4	974	931	757
मणिपुर	169.9	161.4	164.2	392.3	375.7	377.6	2309	2328	2300
मेघालय	134.3	136.3	131.2	187.8	208.7	203.0	1398	1531	1547
मिजोरम	82.4	59.3	60.9	135.0	105.6	124.0	1638	1781	2036
नागालैंड	211.8	215.5	210.5	282.0	210.5	277.0	1331	977	1316

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
उड़ीसा	5367.9	5487.7	5244.6	5793.1	5622.5	4984.8	1079	1025	950
पंजाब	6123.7	6256.0	6280.0	22906.9	25201.4	25323.6	3741	4028	4032
राजस्थान	13480.6	10953.3	11358.9	12944.5	10684.1	10035.8	960	975	884
सिक्किम	76.0	78.3	76.1	90.7	103.1	103.2	1193	1317	1356
तमिलनाडु	3676.1	3828.4	3935.9	9418.7	8968.8	8903.4	2562	2343	2262
त्रिपुरा	266.4	242.3	253.9	499.4	513.5	523.1	1875	2119	2060
उत्तर प्रदेश	20778.5	20862.2	20101.5	40417.2	45649.6	42320.1	1945	2188	2105
उत्तरांचल			1008.3	–	–	1726.4	–	–	1712
पश्चिम बंगाल	6537.8	6849.2	6240.6	14367.2	14915.6	13834.5	2198	2178	2217
अंदमान और निकोबार द्वीप	12.9	11.5	12.2	26.7	28.7	30.9	2070	2496	2533
दादरा और नागर हवेली	19.5	21.8	20.6	23.0	30.4	25.9	1179	1394	1257
दमण और दीव	3.3	2.8	3.3	4.3	6.9	4.3	1303	2464	1303
दिल्ली	50.7	53.4	50.1	40.3	42.9	40.0	795	803	728
पांडिचेरी	28.2	31.5	32.2	55.3	64.3	65.6	1961	2041	2037
अखिल भारत	125167.1	123103.9	119783.1	203606.9	209801.5	195915.9	1627	1704	1636

विवरण-II

कुल तिलहनों के क्षेत्र, उत्पादन और पैदावार के अंतिम अनुमान

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	क्षेत्र (हजार हैक्टे.)			उत्पादन (हजार मी. टन)			पैदावार (किग्रा. हैक्टे.)		
	1998-99	1999-2000	2000-01 अंतिम	1998-99	1999-2000	2000-01 अंतिम	1998-99	1999-2000	2000-01 अंतिम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
आंध्र प्रदेश	2747.3	2566.2	2675.6	2465.8	1375.2	2390.4	898	536	893
अरुणाचल प्रदेश	24.7	25.5	24.8	23.9	25.7	24.2	968	1006	976
असम	325.4	322.1	310.4	154.2	147.9	160.0	474	459	515
बिहार	339.5	216.1	171.0	189.8	156.6	141.5	792	725	327
झारखंड	–	–	50.1	–	34.3	–	–	–	685

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
गोवा	1.4	1.3	1.8	2.5	2.3	3.0	1785	1769	1667
गुजरात	2933.4	2799.4	2695.0	3883.2	1733.3	1696.8	1324	619	630
हरियाणा	558.3	463.0	453.5	714.3	607.0	625.8	1279	1311	1380
हिमाचल प्रदेश	19.2	19.4	18.9	9.9	10.2	10.5	516	526	556
जम्मू-कश्मीर	70.5	75.9	70.4	51.0	53.4	49.7	723	704	706
कर्नाटक	2437.1	1982.4	2197.8	1671.3	1192.5	1372.4	686	602	624
केरल	13.6	9.5	8.8	8.1	5.8	5.7	596	611	648
मध्य प्रदेश	6214.2	5916.2	5612.5	5675.9	5811.3	4145.3	913	962	739
छत्तीसगढ़	–	–	275.5	–	–	86.4	–	–	321
महाराष्ट्र	2674.6	2739.6	2523.3	2573.0	2668.6	2087.1	962	974	827
मणिपुर	2.2	2.6	2.3	1.0	1.2	1.1	455	462	478
मेघालय	9.1	9.3	8.7	6.1	6.2	5.8	670	667	667
मिजोरम	7.3	7.2	7.2	7.5	7.2	5.4	1027	1000	750
नागालैंड	36.7	43.0	36.3	35.4	43.3	34.6	965	1007	953
उड़ीसा	376.6	342.5	277.3	160.6	160.8	117.8	424	469	425
पंजाब	158.4	104.7	87.4	170.5	111.7	88.9	1076	1067	1017
राजस्थान	4305.2	3635.4	2645.7	3815.4	3405.8	2032.1	886	937	768
सिक्किम	9.7	10.0	10.0	5.1	7.6	7.3	526	760	730
तमिलनाडु	995.7	998.8	1056.0	1644.0	1481.5	1584.2	1651	1483	1500
त्रिपुरा	7.6	6.2	6.3	5.5	4.2	4.6	724	677	730
उत्तर प्रदेश	1561.1	1479.4	1395.4	1088.7	1286.7	1095.5	697	870	785
उत्तरांचल	–	–	22.0	–	–	14.5	–	–	659
पश्चिमी बंगाल	492.0	502.9	599.6	382.5	406.2	570.2	777	808	951
दादरा और नागर हवेली	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	–	–	–
पांडिचेरी	1.1	1.0	1.3	2.2	2.6	2.2	2000	2600	1692
दिल्ली	4.8	2.7	4.8	0.7	0.6	0.7	146	222	146
अखिल भारत	26228.8	24282.4	23249.8	24748.2	20715.5	18400.1	944	853	791

केरल राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को निदेश

3137. श्री एन.एन. कृष्णदास : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने केरल राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को कुछ औद्योगिक विकास क्षेत्रों विशेषकर पालघाट में प्रदूषण के नियंत्रण हेतु कुछ नये जांच उपाय करने के संबंध में निदेश दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) और (ख) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की तकनीकी और वित्तीय सहायता और प्रशिक्षण से केरल राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पलाक्कार्ड जिले में उद्योगों के स्थल निर्धारण के लिए जोगिंग एटलस की तैयारी के संबंध में अध्ययन कराया है। यह अध्ययन उन अत्यन्त प्रदूषित उद्योगों के स्थलों को प्रतिबंधित करने की सिफारिश करता है जो इसके पर्यावरणीय संवेदनशीलता के कारण जिले के अनुकूल नहीं है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने केरल राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को संबंधित स्टेकहोल्डरों के साथ परामर्श करके पलाक्कार्ड जिले के लिए उद्योगों का स्थल निर्धारण करने संबंधी दिशानिर्देशों सहित, अध्ययन के सुझावों को लागू करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कहा है।

विमान यात्रा कर की समाप्ति

3138. श्री इकबाल अहमद सरडगी :
श्री वाई.वी. राव :
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :
श्री चन्द्रनाथ सिंह :

क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु अन्तर्देशीय विमान यात्रा कर को समाप्त करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ग) इस कर को कब तक समाप्त कर दिया जाएगा?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) से (ग) देश में सभी क्षेत्रों के लिए अंतर्देशीय विमानन यात्रा कर (आई ए टी टी) समाप्त कर देने का मामला वित्त मंत्रालय के साथ उठाया गया है।

वित्त मंत्रालय ने दिनांक 2 मई 2000 को अपनी अधिसूचना अनुसार, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैण्ड और त्रिपुरा राज्यों को शामिल करते हुए पूर्वोत्तर क्षेत्र की यात्रा के लिए अंतर्देशीय विमानन यात्रा कर (आई ए टी टी) की छूट प्रदान की है। वित्त मंत्रालय ने अपनी दिनांक 1 मार्च, 2002 की दूसरी अधिसूचना अनुसार, पूर्वोत्तर क्षेत्रों से और उसके भीतर सभी यात्राओं को सम्मिलित करने के लिए छूट देने के अवसर में वृद्धि की है।

[हिन्दी]

उड़ान की समय-सारणी

3139. श्री शिवाजी माने : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन एयरलाइंस और अन्य प्राइवेट एयरलाइंसों की उड़ान समय-सारणी बनाते समय किन-किन मानदण्डों का पालन किया जाता है;

(ख) उड़ान की समय-सारणी किस प्रकार बनाई जाती है;

(ग) क्या इंडियन एयरलांइस के यात्री प्राईवेट एयरलाइंसों की तुलना में अपने गंतव्य स्थान पर देर के पहुंचते हैं और ऐसा इन सभी एयरलाइंस की समय-सारणी के बीच तालमेल के अभाव के कारण होता है; और

(घ) सरकार द्वारा इंडियन एयरलाइंस एवं अन्य प्राइवेट एयरलाइंसों की उड़ान की समय सारणी में उचित समन्वय सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) उड़ान समयावलियों को, वाणिज्यिक इनपुट्स तथा प्रचालन संबंधी सम्भावनाओं के आधार पर एयरलाइनों द्वारा स्वयं तथा तैयार किया जाता है।

(ख) टाइम स्लोट अनुमोदन के लिए एयरपोर्टों के विविध मालिकों जैसे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, वायु सेना मुख्यालय, नौसेना मुख्यालय, एच.ए.एल. बंगलौर, कोचीन अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन लिमिटेड को निजी अनुसूचित एयरलाइनों सहित सभी एयरलाइनों द्वारा स्वयं तैयार की गई उड़ान अनुसूची के भेजा जाता है। ये अनुसूचियाँ सुरक्षा क्लीयेरेन्स के लिए नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो को भी भेजी जाती हैं। उड़ान अनुसूचियों को इन अभिकरणों से

प्राप्त अनुमोदनों के आधार पर डी.जी.सी.ए. द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित किया जाता है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

नागर विमानन परियोजनाएं

3140. प्रो. दुखा भगत : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में नागर विमानन के विकास के लिए क्रियान्वित की गई योजनाओं/परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) उपयुक्त अवधि एवं उसके बाद केन्द्र सरकार द्वारा परियोजना-वार कितनी निधियां आंवटित की गईं;

(ग) इस योजना के अंतर्गत किन-किन राज्यों के प्राथमिकता दी गई है; और

(घ) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान शुरू किए गए विकास संबंधी कार्यों की वर्तमान में परियोजना-वार प्रगति की स्थिति क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने विभिन्न हवाई अड्डों पर कार्यान्वित योजनाओं (स्कीमों) तथा परियोजनाओं पर नौवीं पंचवर्षीय योजना में कुल 1687 करोड़ रु. की राशि व्यय की है। इन स्कीमों/परियोजनाओं में चेन्नई, वडोदरा और इन्दौर में नए तकनीकी ब्लाक व नियंत्रण टॉवर का निर्माण, बंगलौर, भुवनेश्वर, दीमापुर, हैदराबाद, इन्दौर, गुवाहाटी इम्फाल, जम्मू, जोधपुर, बागडोगरा, सिल्चर, तिरूपति, पटना और पोर्ट ब्लेयर हवाई अड्डों पर तकनीकी भवन का निर्माण, आगरा, चेन्नई, कालीकट, दिल्ली, दीमापुर, गोवा, गया, गुवाहटी, हैदराबाद, इन्दौर, जबलपुर, जोरहाट, मुम्बई, रायपुर, राजकोट, राजामुंदरी, रांची, शिमला, तिरूवनंतपुरम, तिरूपति, उदयपुर, विजयवाड़ा पर धावनपथ का सुदृढ़ीकरण तथा विस्तार तथा सहायक कार्य, अमृतसर में आयात कारगों के निर्माण का कार्य पूरा हो गया है, शामिल हैं। यातायात आवश्यकताओं तथा निधियों और संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर एप्रन के विस्तार, चारदीवारी, टैक्सी-ट्रैक, रिमोट पार्किंग बे, इत्यादि के निर्माण का कार्य आरंभ किया जाएगा।

(ख) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, केन्द्रीय सरकार अमृतसर, औरंगाबाद, पोर्ट ब्लेयर और पूर्वोत्तर क्षेत्र में हवाई अड्डों तथा अन्य वाणिज्यिक क्षेत्रों में विकास के लिए 125 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता देगी।

(ग) परियोजना पर कार्यान्वयन एयरलाइनों से मांग तथा संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर किया गया था।

(घ) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने वर्ष 2002-03 के दौरान देश में विभिन्न हवाई अड्डों के विस्तार तथा विकास के लिए 645.70 करोड़ रुपए की निधियों की व्यवस्था की है। इस प्रकार की परियोजनाएं संसाधनों की उपलब्धता, मौसम स्थिति इत्यादि पर निर्भर करती है तथा इसे हवाई अड्डे की विशेष आवश्यकताओं के आधार पर चरणबद्ध तरीके से हाथ में लिया जाता है। अग्निशमन स्टेशन, हैंगर, कारगों काम्पलेक्स, चारदीवारी टर्मिनल भवन, नियंत्रण टावर के निर्माण जैसे कार्य तथा धावनपथ इत्यादि के विस्तार तथा सुदृढ़ीकरण का कार्य निर्धारित समयानुसार है। सभी परियोजनाओं के समय पर पूरा होने के लिए कार्य की प्रगति पर क्षेत्रीय स्तर पर तथा निगमित स्तर पर सूक्ष्म निगरानी रखी जाती है।

बड़े शहरों में प्रदूषण

3141. प्रो. रासासिंह रावत : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सहित देश के बड़े शहर में प्रदूषण के स्तर की पहचान करने के लिए कोई अध्ययन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इन शहरों में राज्यवार प्रदूषण के स्तर का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जयपुर और अजमेर में वायु प्रदूषण/जल प्रदूषण का स्तर चिंताजनक रूप से बढ़ रहा है;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा वाहनों की बढ़ रही संख्या के कारण होने वाले वायु प्रदूषण को रोकने हेतु क्या निदेश जारी किए गए हैं एवं उपाय किए गए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) गत दो वर्षों के दौरान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रदूषण फैलाने वाले इकाइयों के विरुद्ध कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उन पर क्या कार्रवाई की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) और (ख) राजस्थान के नगरों सहित दिल्ली के प्रमुख नगरों में परिवेशी वायु गुणता मानीटरी केन्द्रों (295) का एक नेटवर्क स्थापित किया गया है। एक मिलियन से अधिक जनसंख्या वाले नगरों का परिवेशी वायु गुणता आंकड़ा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) वर्ष 2000 और 2001 के दौरान जयपुर में की गई परिवेशी वायु गुणता मानीटरी से यह संकेत मिलता है कि वायु प्रदूषण के स्तरों में कोई वृद्धि नहीं हुई है। तथापि, निलंबित

विविक्त पदार्थ (एस पी एम) और अन्तश्वसनीय निलंबित विविक्त पदार्थ (आर एस पी एम) के स्तर निर्धारित पर्यावरणीय मानदंडों के अधिक है जो अंशत: इस क्षेत्र में विद्यमान प्राकृतिक धूलभरी दशाओं के कारण हो सकते हैं। वाहन-जनित उत्सर्जनों से होने वाली वायु प्रदूषण की समस्या का सामना करने के लिए राजस्थान सरकार ने एक बहुमुखी कार्य-योजना तैयार की है। जयपुर और अजमेर के नगरों में जल प्रदूषण का प्रमुख कारण मल-जल उत्पादन में वृद्धि और उसका अपर्याप्त शोधन है।

(घ) और (ङ) सरकार ने देश में वाहन-जनित प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कई उपाय किए हैं, जिनमें शामिल हैं:

- मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अंतर्गत सड़क पर चल रहे वाहनों के लिए उत्सर्जन मानक और नए वाहनों के लिए व्यापक उत्सर्जन मानक अधिसूचित किए गए हैं। राज्य सरकारों के परिवहन विभागों द्वारा इन्हें प्रवृत किया जाता है।
- पूरे देश में 1.2.2000 से सीसारहित पेट्रोल और पूरे देश में 1.1.2000 से अधिकतम 0.25% सल्फरयुक्त ईंधन की आपूर्ति की जा रही है। प्रमुख नगरों में निम्न सल्फरयुक्त (0.05% अधिकतम) ईंधन (पेट्रोल और डीजल) की शुरूआत भी की गई है।
- सी.एन.जी. वाहनों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, दिल्ली और मुम्बई में कई खुदरा दुकानों के माध्यम से मोटर कारों के लिए संपीड़ित प्राकृतिक गैस (सी एन जी) की आपूर्ति की जाती है।
- चार पहिए वाले निजी वाहनों (गैर-वाणिज्यिक) के लिए 1.6.1999 से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में यूरो-1 मानकों के समान इंडिया-2000 मानक लागू किए गए और 1.4.2000 के पश्चात् ये मानक वाहनों की सभी श्रेणियों के लिए पूरे देश में लागू किए गए।
- चार पहिए वाले निजी वाहनों (गैर-वाणिज्यिक) के पंजीकरण के लिए 1.4.2000 से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 1.1.2001 से मुम्बई (ग्रेटर मुम्बई सहित) में तथा 1.7.2001 से कोलकाता और चेन्नई में यूरो-2 मानकों के समान भारत स्टेज-2 उत्सर्जन मानक लागू किए गए हैं।
- भारी वाहनों के मामले में ये यूरो-2 के समान भारत स्टेज-2 मानक 24.10.2001 से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में तथा 31.10.2001 से मुम्बई (ग्रेटर मुम्बई सहित) कोलकाता और चेन्नई में लागू किए गए हैं।
- 9.2.2000 से संपीड़ित प्राकृतिक गैस (सी.एन.जी.) से चलने वाले वाहनों के लिए उत्सर्जन मानक लागू किए गए हैं।
- सी.एन.जी. से चलने वाले वाहनों के लिए सी.एन.जी. और एल.पी.जी. से चलने वाले वाहनों में सुरक्षा और टाइप अनुमोदन हेतु प्रक्रिया संबंधी आवश्यकताओं सहित व्यापक उत्सर्जन मानक 19.11.2001 को अधिसूचित किए गए थे।
- द्रवित पेट्रोलियम गैस (एल.पी.जी.) से चलने वाले वाहनों के लिए उत्सर्जन मानक 24.4.2001 को अधिसूचित किए गए हैं।

(च) पिछले दो वर्षों के दौरान प्राप्त हुई 249 शिकायतों में से अब तक 119 शिकायतों को निपटा दिया गया है और 130 शिकायतों पर कार्रवाई की जा रही है।

विवरण

एक मिलियन से अधिक जनसंख्या वाले नगरों में परिवेशी वायु गुणता

2000 में रैंक	शहरी समूह/ नगर (1 मिलियन से अधिक जनसंख्या)	कुल जनसंख्या (वर्ष 2001 में)	आवासीय क्षेत्रों में (यूजी/एम 3) एसपीएम	वर्ष 2001 में प्रदूषकों का सांद्रण (वार्षिक औसत) आरएसपीएम	एन ओ ×	एस ओ 2
1	2	3	4	5	6	7
1.	ग्रेटर मुम्बई	16,368,084	243	81	25	12
2.	कोलकाता	13,216,646	239	102	66	16
3.	दिल्ली	12,791,458	311	180	29	14
4.	चेन्नई	6,242,624	82	66	11	7

1	2	3	4	5	6	7
5.	बंगलौर	5,686,844	106	87	26	11
6.	हैदराबाद	5,533,640	115	77	23	12
7.	अहमदाबाद	4,519,278	220	198	36	10
8.	पुणे	3,775,525	245	115	87	47
9.	सूरत	2,811,486	#			
10.	कानपुर	2,690,486	570	202	16	18
11.	जयपुर	2,324,319	320	134	32	11
12.	लखनऊ	2,266,933	341	173	31	13
13.	नागपुर	2,122,965	277	83	19	10
14.	पटना	1,707,429	356	–	15	13
15.	इन्दौर	1,639,844	290	*	17	23
16.	वड़ोदरा	1,492,898	–	48	14	5
17.	भोपाल	1,454,830	114	84	19	14
18.	कोयम्बटूर	1,446,434	–	–	–	–
19.	लुधियाना	1,395,453	–	*	3	11
20.	कोच्ची	1,355,406	232	119	24	15
21.	विशाखापटनम	1,329,472	194	93	28	15
22.	आगरा	1,321,410	345	#	13	11
23.	वाराणसी	1,211,749	428	96	12	11
24.	मदुरई	1,194,665	108	–	22	5
25.	मेरठ	1,167,399	–	–	–	–
26.	नासिक	1,152,048	202	72	21	27
27.	जबलपुर	1,117,200	184	87	20	बीडीएल
28.	जमशेदपुर	1,101,804	–	–	–	–
29.	आसनसोल	1,090,171	–	–	–	–
30.	धनबाद	1,064,357	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7
31.	फरीदाबाद	1,054,981	334	-	15	23
32.	इलाहाबाद	1,049,579	-	-	-	-
33.	अमृतसर	1,011,327	-	-	-	-
34.	विजयवाड़ा	1,011,152	-	-	-	-
35.	राजकोट	1,002,160	-	-	-	-
	कुल	107,881,836				

टिप्पणी : -आंकड़ा उपलब्ध नहीं/मानीटर नहीं किया गया/केन्द्र परिचालित नहीं।
*आकड़ों का सत्यापन किया जाना है।
#राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानीटरी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/एल ई ई आर आई, विश्वविद्यालयों द्वारा तैयार मानीटरी आंकड़े
बी डी एल - संसूचन स्तर से अधिक।

[अनुवाद]

पर्यटन के विकास के लिए पश्चिम बंगाल को सहायता

3142. **श्री सुनील खां** : क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले में मुकुतमोनीपुर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस पर्यटन स्थल पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बुनियादी सुविधाओं को विकसित करने हेतु राज्य सरकार को सहायता देने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले में मुकुतमोनीपुर, पर्यटक रुचि के स्थलों में से एक है।

(ख) से (घ) पर्यटक स्थलों का विकास मुख्यता राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों द्वारा किया जाता है। तथापि, पर्यटन विभाग उनसे विचार-विमर्श करके अभिनिर्धारित पर्यटन परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। तथापि, दसवीं योजना के लिए नई योजनाएं - यात्रा परिपथों का एकीकृत विकास और गंतव्य विकास है। परियोजनाएं राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों के साथ परामर्श करके अभिनिर्धारित और कार्यान्वित की जानी है।

कोलकाता विमानपत्तन पर एक्स-रे मशीनों का खराब होना

3143. **श्री पी.आर. किन्डिया** : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेताजी सुभाष चन्द्र बोस अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन, कोलकाता, पर स्थापित एक्स-रे मशीनें उस समय हथियारों को पहुंचाने में असफल रहीं जब इन्हें थाई एयरवेज यात्रियों द्वारा ले जाया जा रहा था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई जांच कराई गई है और जिम्मेदारी निर्धारित की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) से (घ) कोलकाता हवाई अड्डे पर लगी हुई एक्स-रे मशीन द्वारा 15.5.2002 को थाई एयरवेज की उड़ान लेने वाले एक यात्री से निम्नलिखित आपत्तिजनक सामग्री पकड़ी गई :

(1) लगभग 16 इंच लंबी 4 तलवारें,

(2) 10 इंच गोलाई की 4 गदाएं,

(3) कुल्हाड़ी के 2 मॉडल।

ये सामग्री सी.आई.एस.एफ. कार्मिक द्वारा प्रारंभिक जांच के दौरान पकड़ में आ गई थी। चूंकि यात्री ने कहा कि ये सामान बैंकॉक में रामलीला समारोह के लिए ले जाया जा रहा है इसलिए उसे ये सामान ले जाने की अनुमति प्रदान की गई थी। किंतु एयरलाइंस कार्मिकों द्वारा सैकेंडरी लैडर पाइंट जांच के दौरान ये सामान बरामद किया गया तथा इस यात्री को पुलिस को सौंप दिया गया और उसके विरुद्ध एक मामला दर्ज किया गया।

सी.आई.एस.एफ. के जिस अधिकारी ने प्रारंभ में उसके सामान को क्लीयर किया था उसे आपत्तिजनक सामान क्लीयर करने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है।

बड़े बांधों का निर्माण

3144. श्री वीरेन्द्र कुमार : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने बड़े बांध निर्माणाधीन हैं;

(ख) इन बांधों के निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं; और

(ग) आज की तारीख में प्रत्येक नदी बांध परियोजना की प्रगति क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) से (ग) देश में 159 वृहद निर्माणाधीन सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

(रुपये करोड़ में/क्षमता हजार हैक्टेयर में)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	जिस योजना में शुरू की गई	अनुमानित लागत		नौवीं योजना की समाप्ति तक व्यय*	स्पिलओवर लागत*	नौवीं योजना की समाप्ति तक क्षमता की उपलब्धि*	लाभान्वित होने वाले जिले	पूर्ण होने का संभावित वर्ष
			मूल	नवीनतम					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
आंध्र प्रदेश									
1.	जुराला (प्रियदर्शनी)	VI	76.40	512.00	492.25	19.75	36.17	महबूब नगर	2006-07
2.	नागार्जुन सागर	II	91.12	1000.00	1056.40	-56.40	839.58	खम्माम, प्रकाशन, नेल्लोर, गुन्टुर, कृष्णा, नालगोंडा	2006-07
3.	पुलिवेन्दुला शाखा नहर	IV	2.98	90.73	50.25	40.48	14.74	कुडप्पा, कुरनूल	2006-07
4.	सिंगुर	V	29.75	180.00	169.62	10.38	0.00	मेडक	2006-07
5.	सोमासिला	V	17.28	467.00	397.00	70.00	14.74	नेल्लोर	2006-07
6.	श्रीराम सागर चरण-1	III	40.10	2550.00	1967.30	582.70	342.20	निजामाबाद, वांरगल, करीमनगर	2006-06
7.	श्रीसैलम बाईं शाखा नहर	VI		1186.00	487.28	698.72	0.00	नालगोंड़ा	दसवीं योजना से आगे
8.	श्रीसैलम दाईं शाखा नहर	VI	220.22	1600.00	1252.32	347.68	40.22	कूरनूल	2006-07
9.	तेलुगु गंगा	VI		2149.00	1477.36	671.64	29.52	कूरनूल, कुडप्पा, नेल्लोर	2006-07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.	वम्सधारा चरण-1	IV	8.78	109.0	104.49	4.51	58.26	श्रीकाकुलम	2003-04
11.	वम्सधारा चरण-2 (निरादी बैराज)	VI	-	749.83	26.39	723.44	0.00	श्रीकाकुलम	2006-07
12.	येलेरू जलाशय (जल आपूर्ति स्कीम)	VI	107.35	355.34	344.0	-8.70	जल आपूर्ति स्कीम	पूर्वी गोदावरी	2006-07
13.	चांगलनाडु	IX		85.00	42.65	42.35	0.00	पूर्वी गोदावरी	2006-06
14.	गलारु नगारी फेज-2	IX		392.10	29.86	362.24	75.80	कुडप्पा, नेल्लोर, चित्तूर	2006-07
असम									
15.	बोरदिकेराई	V	3.560	32.500	43.610	-11.11	30.752	मोनितपुर	2003-04
16.	चम्पामती	VI	15.320	80.000	59.820	20.18	4.180	कोकराझार	2006.07
17.	धनसिरी	V	15.830	224.800	171.990	52.81	34.650	दरांग	206-07
18.	एकीकृत कोल्लोंग	V	4.570	80.550	67.510	13.04	29.078	नगांव	2003-04
बिहार									
19.	बागमती	V	5.78	154.73	36.74	117.99	0.00	सीतामढ़ी	2009-10
20.	बरनार	VII	8.03	230.43	46.10	184.33	0,00	मुंगेर	2009.10
21.	बटेश्वरस्थान पंप फेज-1	V	13.88	175.85	29.65	146.20	0.00	भागलपुर	2009.10
22.	दुर्गावती	V	26.30	266.97	218.96	48.01	23.69	रोहतास	2009-10
23.	पूर्वी कोसी नहर फेज-2	VII		156.32	95.48	60.48	0.00	पूर्णिया, सहरसा, कटिहार	2006-07
24.	गंडक फेज-2	VII		578.27	97.02	481.25	7.50	सीवान, वैशाली, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण	2009-10
25.	पश्चिमी कोसी नहर	III	13.49	693.88	696.03	-2.15	51.00	मधुबनी, दरभंगा	2004-05
26.	ऊपरी किउल परियोजना (शेष भुगतान के तहत)	V	8.07	109.93	113.78	-3.85	27.67	मुंगेर	2002-03
झारखंड									
27.	अजोय बराज	V	115.24	206.89	209.63	-2.74	0.00	देवचर	2002-03
28.	औरंगा	V	125.40	699.36	24.49	675.07	0.00	पलामू	2008-09
29.	कोनार	V		373.00	105.03	267.97	0.00	हजारीबाग	2008-09
30.	उत्तर कोयल	V	439.00	814.74	512.92	301.82	66.00	पलामू, औरंगाबाद	2008-09
31.	पुनासी	VIII		219.05	85.72	133.33	0.00	संथाल परगना	2008-09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32.	सुवर्णरेखा	V	1428.00	2376.15	1078.18	1297.97	0.00	सिंहभूम	2008-09
33.	तिलैया	V		301.79	78.22	223.57	0.00	नवादा, हजारीबाग	2008-09
गोवा									
34.	सलौली	IV	9.61	153.00	157.00	-4.00	14.330	दक्षिण गोवा	2004
	तिलारी (आई एस)	V	217.22	510.73	350.73	160.00	2.170	उत्तर गोवा	2005
गुजरात									
35.	सरदार सरोवर (आई एस)	VI	6406.04	13180.00	12264.00	916.00	235.72	12 जिला	दसवीं योजना से आगे
36.	जनकारी	VI	18.70	90.00	4.99	85.01	0.00	सूरत	दसवीं योजना के आगे
37.	सिदम्बर	IX		30.53	0.21	30.32	0.00	वलसाड	दसवीं .योजना के आगे
हरियाणा									
38.	गुड़गांव	III	2.88	65.00	26.52	38.48	34.74	गुड़गांव, फरीदाबाद	दसवीं योजना से आगे
39.	जे.एल.एन. लिफ्ट सिंचाई	V	40.00	245.75	159.08	86.67	189.74	रोहतक, भिवानी और महेन्द्रगढ़	2006-07
40.	लोहारू लिफ्ट	IV	4.13	79.63	39.00	40.63	43.70	भिवानी, अंबाला	2006-07
41.	एस.वाई.एल. परियोजना (पंजाब का भाग)	V	59.70	601.00	454.62	146.38	432.88	पूरा राज्य	दसवीं योजना से आगे
42.	रेवाड़ी लिफ्ट चरण-2	III	0.62	39.60		39.60	32.01	गुड़गांव, रेवाड़ी, झज्जर	
हिमाचल प्रदेश									
43.	शाहनहर सिंचाई परियोजना	VIII	143.32	150.78	83.23	67.55	0.50	कांगड़ा	2003-04
जम्मू व कश्मीर									
44.	रावी-तावी सिंचाई नहर	V	29.84	151.18	122.84	28.34	40.00	कथुआ, जम्मू	नौंवी योजना से आगे
कर्नाटक									
45.	बेनीथोर	V	73.25	153.00	203.75	-50.75	10.18	गुलबर्गा	2003-04
	दुधगंगा (आई.एस.)	VI		110.00	13.20	96.80	0.00	बेलगाम	2006-07
46.	हरांगी	III		310.00	338.47	-28.47	48.37	कोडागु, हासन, मैसूर	2006-07
47.	हेमावती	एपी 66-69		2484.73	1665.61	819.12	198.19	हासन, मांड्या, तुमकुर	2006-07
48.	हिप्पारगी बैराज	V	418.77	524.21	57.20	467.01	0.00	बीजापुर, बेलगाम	2006-07
49.	काबिनी (एन.पी.)	II		1207.00		1207.00		मैसूर, सीएच नगर	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50.	करेजी	V	98.00	284.92	301.13	-16.21	18.98	बीदर	2006-07
51.	मलप्रभा	III	19.91	603.56	640.40	-36.84	172.76	बेलगाम, धारवाड़, बीजापुर	2006-07
52.	तुंगभद्रा एच एल सी (आई एस)	II	2.57	62.93	54.15	8.78	74.47	बेल्लांग, रायपुर	2006-07
53.	ऊपरी कृष्णा चरण-1	V	58.20	3785.46	8354.04	-4568.58	318.70	बीजापुर, रायचूर	2006-07
54.	ऊपरी तुंगा	VIII		877.75	177.72	700.03	0.00	शिमोगा, धारवाड़, चित्रदुर्ग	2006-07
55.	दराही	VII		122.50	30.30	92.20	0.00	दक्षिण कन्नड़	2006-07
56.	यागाची	VIII		239.70	139.64	100.06	3.00	हासन	2006-07
57.	मार्कन्डेय	IX		223.0	110.13	112.87	0.00	बेलगाम	2006-07
58.	भीमा लिफ्ट	IX		187.58	16.30	171.28	0.00	गुलबर्गा	2006-07
59.	सिंगतलुर	IX		595.00	49.60	545.40	0.00	बेल्लारी	2006-07
केरल									
60.	बेपोरेपुझा (चलियार)	VIII		645.00		645.00		मालापुरम, कोजाहीकोड	
61.	इदमलयार	VI	17.85	107.00	112.00	-5.00	0.00	एर्नाकुलम	2006-07
62.	कल्लादा	III	13.28	457.50	706.00	-248.50	53.61	अलापुझा, कोल्लाम	2006-07
63.	कुरियाकुट्टी (कोराप्पारा)	VIII		100.00	15.00	85.00	0.00	पालाक्काड	9
64.	मुवातुपुझा	V	48.08	388.00	332.00	56.00	0.00	इदुक्की, एर्नाकुलम, कोट्टायम	2006-07
मध्य प्रदेश									
65.	बाणसागर (आई एस) यूनिट-1	V	91.31	936.00	461.22	474.78	0.00	रीवा, सतना, सिधी, शहडोल	2006
	बाणसागर (आई एस) यूनिट-2	V	344.66	345.00	186.63	158.37	5.00	-वही-	9 योजना
66.	बारगी प्रभाग	VIII	1101.23	1554.50	24.88	1529.62	0.87	जबलपुर, सतना, रीवा	2014
67.	बरियारपुर एल बी सी	V	18.40	143.00	71.29	71.71	-	छत्तरपुर	9 योजना
68.	महान	VI	39.00	155.10	51.83	103.27	0.00	सिधी	नौंवी योजना से आगे
69.	इंदिरा सागर	VI	752.16	1574.00	610.78	963.22	0.00	खंडवा, खरगौन	2014
70.	जोबत	VI	30.75	67.23	37.92	29.31	0.00	धार	2005
71.	कोलार	IV	139.14	185.00	178.68	6.32	35.00	सीहोर	2004
72.	माही	VI	61.52	192.85	74.93	117.92	0.00	धार, झाबुआ	9 योजना

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73.	मान	VI	44.10	96.13	106.61	-10.48	0.00	धार	2003
74.	ओमकारेश्वर (एनवीडीए)	VIII	350.00	755.00	15.36	739.64	0.00	खंडवा, खरगौन, धार	2012
75.	पेंच डाएवर्जन	VIII	91.60	184.04	9.50	174.54	0.00	छिंदवाड़ा	11 योजना
	राजघाट (आई एस) यूनिट-1	V	61.61	133.50	143.33	-9.83	0.00	गुना, शिवपुरी, दतिया, टीकम गढ़, ग्वालियर, भिंड	2003
	राजघाट (आई एस) यूनिट-2	V	309.21	523.41	436.74	86.67	18.80	-वही-	2005
76.	रानीअवन्ती बाई सागर (बारगी)	V	566.34	759.00	560.08	198.92	25.68	जबलपुर, नरसिंहपुर	2005
77.	सिंध फेज-1	IV	4.95	46.42	59.43	-13.01	40.20	ग्वालियर, शिवपुरी	2004
78.	सिंध फेज-2	VI	510.94	607.67	188.15	419.52	8.70	शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया	9 योजना
79.	ऊपरी वेनगंगा	V	50.60	193.97	239.74	-45.77	81.00	सीवनी, बालाघाट	2007
80.	उर्मिल (आई एस.)	V	6.41	22.01	26.70	-4.69	3.80	छत्तरपुर	2005
	बावनथादी यूनिट-1	VI		82.80	60.33	22.47	0.00	बालाघाट, भंडारा	2007
	बावनथादी यूनिट-2	VI		149.19	45.17	104.02	0.00	-वही-	9 योजना
छत्तीसगढ़									
81.	महानदी जलाशय	IV		1223.45	494.42	729.03	135.40	रायपुर, दुर्ग	2007
82.	जोंक जाईवर्जन	IV	4.13	49.99	40.39	9.60	10.10	रायपुर	2003
83.	हसदेव बांगों	78-80	115.30	858.31	709.72	148.59	186.90	बिलासपुर, रायगढ़	2005
महाराष्ट्र									
84.	अरूणावती	VI	66.48	148.71	194.26	-45.55	23.97	यावतमल	2004
85.	बावनथाड़ी (आई एस)	78-80	161.58	124.17	108.62	15.55	0.00	भण्डारा	2008
86.	भातसा	V	164.11	322.49	246.42	76.07	8.93	थाणे	2007
87.	भीमा	III	42.58	919.00	858.60	60.40	214.53	सोलापुर	2007
88.	चसकमन	V	22.48	347.14	289.25	57.89	21.21	पुणे	2005
89.	दुधगंगा (आई एस)	V		540.00	372.12	167.88	22.39	कोल्हापुर	2007
90.	गोसीखुर्द	VI	461.11	2091.00	1134.11	956.89	15.01	नागपुर, चन्द्रपुर, भण्डारा	2012
91.	हुमान	VI		370.04	37.48	332.56	0.00	चन्द्रपुर	2009

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
92.	जायकवाड़ी चरण-1 व 2	V	127.36	796.87	779.32	17.55	236.93	औरंगाबाद, बीड़, परभनी, नांदेड़, जालना अहमदनगर	2004
93.	कादवा	VI	27.00	48.46	64.47	-16.01	7.82	नासिक	2004
94.	खडकवासला	II	11.62	345.04	322.21	22.83	62.15	पुणे	2005
95.	कोयना कृष्णा एल आई एस	VI	259.10	1083.00	921.49	161.51	4.52	सांगली	2009
96.	कृष्णा	III	27.66	370.00	388.97	-18.97	89.95	सतारा, सांगली	2007
97.	कुकादी	66-69	17.90	919.00	1052.45	-133.45	94.88	पुणे, सोलापुर, अहमदनगर	2007
98.	लेंदी (आई एस)	VI		204.50	55.50	149.00	0.00	नांदेड	2010
99.	निचली दुधना	VIII	52.21	347.83	130.62	217.21	0.00	परभनी, जालना	2010
100.	निचली पेनगंगा (आई एस)	VIII		207.14	156.66	50.48	0.00	यावतमल, चन्द्रपुर	2012
101.	निचली तिरना (प्रवाह)	VI	37.65	129.67	230.57	-100.90	26.60	उस्मानाबाद, लातूर	2007
	निचली तिरना (लिफ्ट)			-	53.71	53.71	-		
102.	निचली वर्धा	VI		540.14	278.41	261.73	0.00	वर्धा	2009
103.	निचली वुन्ना	VI	87.55	261.33	274.08	-12.75	21.48	नागपुर, वर्धा	2004
104.	नांदुर मध्यमेश्वर (ए)	V		105.30	371.99	-266.69	0.00	-वही-	2009
	नांदुर (मध्यमेश्वर (एन)	V	72.66	146.40		146.40		औरंगाबाद, नासिक, अहमदनगर	
105.	नीरा देवधर	VIII		576.60	418.26	158.34	1.99	सतारा	2008
106.	पुनाद	VI	29.82	81.97	93.80	-11.83	0.00	नासिक	2005
107.	सूर्या	78-80	19.35	175.14	228.20	-53.06	22.55	थाणे	2007
108.	तालम्बा	VI		238.85	78.06	160.79	0.00	सिंधुदुर्ग	2011
109.	तिल्लारी (आई एस)	78-70	217.22	424.06	484.16	-60.10	1.33	सिंधुदुर्ग	2008
110.	तुलतुली	VI		169.40	64.84	122.56	0.00	गढ़चिरोली	2010
111.	ऊपरी गोदावरी	66-69	14.20	133.23	116.94	16.29	66.17	नासिक, अहमदनगर, औरंगाबाद	2007
112.	ऊपरी पेनगंगा	V	84.48	861.99	548.44	313.55	73.97	यावतमल, परभनी, नार्देड	2007

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
113.	ऊपरी प्रवरा	V	15.87	287.14	120.03	167.11	4.83	अहमदनगर	2007
114.	ऊपरी तापी	IV	12.09	115.57	170,11	-54.54	37.37	जलगांव	2006
115.	ऊपरी वर्धा	V	39.8	661.86	618.03	43.83	73.33	अमरावती, वर्धा	2007
116.	विष्णुपुरी	78-80	78.93	193.22	184.10	9.12	18.54	नादेंड	2007
117.	वाधुर	V	12.28	109.40	145.17	-35.77	0.00	जलगांव	2007
118.	वान	VI	46.85	158.35	211.80	-53.35	18.17	अकोला, बुल्धाना	2004
119.	वारना	IV	31.08	892.00	429.55	462.45	18.81	कोल्हापुर, सांग्ली	2010
120.	वेमबला	VIII		353.35	206.00	147.34	5.82	यावतमल	2008
121.	भामाअसखेड़ा	VIII		393.29	287.74	105.55	0.75	पुणे	2008
122.	उरमोदी	VI		478.18	360.82	117.36	2.00	सतारा	2009
123.	गुन्जावनी	VIII		286.78	145.33	141.45	0.00	पुणे	2008
124.	जनाईशिरसल	VIII		144.24	99.03	45.21	5.00	पुणे	2008
125.	खडकपुर्ना	VIII		336.34	126.20	210.14	11.58	बुलधाना	2008
126.	सिना कोलेगांव	VIII		228.00	142.09	85.91	2.00	सोलापुर	2008
127.	सिना माधा एल आई एस	VIII		197.70	93.50	104.20	1.50	सोलापुर	2008
128.	तेमघर	IX		267.64	234.52	33.12	1.00	पुणे	2005
मणिपुर									
129.	खुगा	VI	15.00	150.29	152.21	-1.92	8.00	चुरा, चन्द्रपुर, बिहनूपुर	2002-03
130.	थोबल	एपी 8-80	47.25	390.00	235.97	154.03	4.00	इम्फाल, उकरूल, सेनापति, थोबल	2004-05
उड़ीसा									
131.	महानदी चित्रोत्पला	VII	139.93	135.79		135.79		कटक	
132.	पोट्टेरू	IV	14.81	148.07	150.27	-2.20	102.62	मलकानगिरी	2003-04
133.	रेंगाली	IV	233.64	2316.77	847.23	1469.54	3.25	धेनकनाल	
	सुवर्णरेखा (आई एस)	VII	790.52	1232.45	542.32	690.13	9.32	बालासुरस+मयूरभंज	दसवीं योजना से आगे
134.	ऊपरी इन्द्रावती	एपी 8-80	42.74	796.19	672.60	123.59	78.11	कालाहांडी, नवरंगपुर	2006-07
135.	कानूपुर सिंचाई	VIII		330.89	22.22	308.67	0.00	क्योंझर, सुन्दरगढ़	दसवीं योजना से आगे

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
136.	निचली इन्द्रा	IX	211.70	211.13	34.22	177.48	0.00	बोलनगीर	2006-07
137.	निचली सुक्तेल	IX	217.13	217.13	13.53	203.60	0.00	बोलनगीर	2006-07
138.	वाध बैराज	IX	49.19	49.19	27.00	22.19	0.00	फुलबनी	2006-07
	राजस्थान								
139.	बिसलपुर सिंचाई	VII	173.03	228.30	201.66	26.64	49.50	टोंक, एस, मोधोपुर	दसवीं योजना
	गुड़गांव नहर (आईएस)		2.88	35.40	28.10	7.30	22.78	भरतपुर	दसवीं योजना
140.	आई जी एन पी चरण-2	V	89.12	2267.44	1957.16	310.28	794.00	श्रीगंगानगर, बीकानेर, चुरू, बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर	दसवीं योजना
141.	माही बजाज सागर (आई एस)	IV	31.36	1016.98	499.84	517.14	94.01	बांसबाड़ा, डुंगरपुर	दसवीं योजना
	नर्मदा (एस एस पी) (आई एस)	VI	467.53	548.00	178.88	369.12	0.00	जालोर, बाड़मेर	दसवीं योजना से आगे
142.	सिद्धमुख नोहर	एपी 90-92	143.59	308.77	296.58	12.19	33.74	हनुमानगढ़, चुरू	दसवीं योजना
143.	डब्ल्यू आर सी पी (राजस्थान)	IX		2000.00	0.66	1999.34	0.00	दसवीं योजना से आगे	पूरा राज्य
144.	डब्ल्यू आर सी पी (तमिलनाडु)	IX		1062.00	996.00	66.00	स्थिरीकरण	2002-02	पूरा राज्य
	उत्तर प्रदेश								
145.	चम्बल लिफ्ट	78-79		69.83	97.76	-27.93	59.00	इटावा, आगरा	2002-03
146.	पूर्वी गंगा	V	48.46	579.00	347.97	231.03	51.36	बिजनौर	2006-07
147.	जरौली पी सी	90-92	47.92	48.22	35.09	13.13	0.00	फतेहपुर	2003-04
148.	कन्हार सिंचाई	V		240.00	64.02	175.98	0.00	मिर्जापुर	2006-07
149.	लखवार व्यासी	V	140.97	576.0	217.49	358.51	0.00	सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ गाजियाबाद	2006-07
150	मध्य गंगा	V	66.01	543.96	672.62	-.28.66	172.58	बुलन्दशहर, आगरा, अलीगढ़, मथुरा, एटा मैनपुरी	2002-03
151.	हिंडन कृषि दोआब में खरीफ चैनल प्रदान करना	78-80	15.53	34.56	96.65	-62.09	11.40	मेरठ, मुजफ्फरनगर	2002-03
152.	राजघाट बांध	V	123.22	133.08	133.09	-0.01	-	ललिपुर, जालौन झांसी, हमीरपुर	2003-04
	राजघाट नहर (उ.प्र.)	V	126.43	179.24	287.23	-107.99	97.57	-वही-	2003-04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
153.	सरयू नहर	V	78.68	1256.00	1173.12	82.88	443.70	बहराइच, गोंडा, बस्ती, गोरखपुर	2006-07
154.	टेहरी बांध (सिंचाई का हिस्सा)	78-80	197.92	711.14	748.29	-37.15	0.00	17 जिले	दसवीं योजना
उत्तरांचल									
155.	जामरानी बांध	V	61.25	280.00	26.32	253.68	21.00	नैनीताल, रामपुर, बरेली	दसवीं योजना से आगे
156.	किसाउ बांध	IX		864.00	8.10	855.90	0.00	देहरादून, टिहरी	दसवीं योजना से आगे
पश्चिम बंगाल									
157.	बैराज सिंचाई डी.वी.सी.	I		60.00	82.33	-22.33	407.96	बांकुडा, हुगली, हावड़ा	उपलब्ध नहीं
158.	कंग्सावती	II	25.26	205.41	307.84	-102.43	398.20	बांकुडा, हुगली, मिदनापुर	2001-02
159.	तीस्ता बैराज अवस्था-1 चरण-1	V	69.72	1177.00	979.13	197.87	153.19	जलपाइगुड़ी मालदा, दीनापुर	2008-09
	सुवर्णरेखा	VIII	215.61	654.00	32.88	621.12	0.00	मिदनापुर	2009-10

-अन्तर्राज्यीय परियोजना (आई एस)

* अनंतिम आकड़े

समुद्रतटीय प्रदूषण को रोकने के लिए विदेशी सहायता परियोजनाएं

3145. श्री रामशेठ ठाकुर : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने समुद्रतटीय प्रदूषण को रोकने हेतु अनेक नई परियोजनाओं को शुरू करने के लिए विदेशी सहायता प्राप्त करने का कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन प्रस्तावों पर केन्द्र सरकार ने क्या कार्रवाई की है;

(घ) वर्तमान राज्य में विदेशी वित्त पोषण एजेन्सियों की सहायता से क्रियान्वित की जा रही परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ङ) केन्द्रीय सहायता से कितनी परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं; और

(च) इन परियोजनाओं को कब तक पूरा कर लिया जायेगा?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) से (ग) सरकार को हाल ही में महाराष्ट्र सरकार से चार संकल्पना पेपर और "महाड में खतरनाक अपशिष्ट सुविधा" नामक एक विस्तृत प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। परियोजना को जर्मन सहायता के लिए प्रस्तुत करने से पहले विस्तृत प्रस्ताव की जांच करने की आवश्यकता होगी।

(घ) तटीय जल के प्रदूषण को रोकने के उद्देश्य से महाराष्ट्र म्युनिसीपल कारपोरेशन ऑफ ग्रेटर बम्बई विश्व बैंक की सहायता से मुंबई सीवेज निपटान परियोजना का कार्यान्वयन कर रहा है।

(ङ) और (च) महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्रीय सहायता से आठ सामूहिक बहिस्राव शोधन संयंत्रों का कार्यान्वयन किया है। ट्रांस थाणे क्रीक में खतरनाक अपशिष्ट शोधन और निपटान सुविधा स्थापित करने के लिए भी केन्द्रीय सहायता उपलब्ध करवाई गई है।

शुल्क मुक्त दुकानों में परिवर्तन

3146. श्री सुशील कुमार शिंदे : क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश के विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों पर कार्य कर रही शुल्क मुक्त दुकानों में परिवर्तन करने का है;

(ख) यदि हां, तो इन दुकानों को कौन सी नई विशेषताएं/वस्तुओं से युक्त किये जाने का विचार है;

(ग) गत दो वर्षों के दौरान इन दुकानों से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई;

(घ) क्या सरकार को शुल्क मुक्त दुकानों में परिवर्तन करने के बाद इनसे और अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करने की आशा है; और

(ङ) यदि हां, तो किस हद तक?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) और (ख) जी हां। लोकप्रिय मदों के लिए विशिष्ट बूटिक बनाकर तथा इन दुकानों को ग्राहक मैत्रीय बनाकर, मुख्य हवाई अड्डों पर शुल्क मुक्त दुकानों को चमकाने/सौन्दर्यीकरण करने का प्रस्ताव है।

(ग) पिछले दो वर्षों के दौरान शुल्क मुक्त दुकानों द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:–

2000-2001	:	83.74 करोड़ रुपए
2001-2002	:	71.38 करोड़ रुपए (अनन्तिम)

(घ) और (ङ) वर्ष 2002-2003 के दौरान शुल्क मुक्त दुकानों द्वारा 100 करोड़ रुपए के लगभग की विदेशी मुद्रा अर्जित होने की आशा है। तथापि, यह पर्यटक यातायात के सामान्य होने पर निर्भर करेगा।

बागवानी की फसलों हेतु प्रौद्योगिकी मिशन

3147. डा. वी. सरोजा : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार प्रत्येक राज्य विशेषकर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में बागवानी की फसलों हेतु प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) से (ग) माननीय मंत्री जी द्वारा सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए घोषित पैकेज के एक भाग के रूप में बागवानी विकास संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन इन राज्यों में क्रियान्वित किया जा रहा है। इसी प्रकार, जम्मू व कश्मीर राज्य में बागवानी विकास संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन पर भी माननीय प्रधान मंत्री द्वारा इस राज्य के लिए घोषित पैकेज के एक भाग के रूप में विचार किया जा रहा है। अतएव, यह मंत्रालय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु सहित अन्य राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में बागवानी विषयक प्रौद्योगिकी मिशन पर विचार नहीं कर रहा है। तथापि, राज्य/संघ शासित क्षेत्र केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम, 'कृषि में वृहत प्रबंध-कार्य, योजनाओं के माध्यम से राज्यों के प्रयासों का अनुपूरण/सम्पूरण, के तहत बागवानी कार्यक्रम चलाते रहे हैं, जो उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप कार्यक्रमों को संचालित करने के लिए उनको अत्यधिक शिथिलता प्रदान करता है।

आपातकालीन स्थितियों में विमानों के उतरने की घटनाएं

3148. श्री चन्द्र भूषण सिंह : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस/एअर इंडिया के विमानों को आपातकालीन स्थितियों में उतारने की संख्या में कई गुना वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) एयरलाइंसों द्वारा इस प्रकार की घटनाओं को पुन: होने से रोकने के लिए क्या सुधारात्मक कदम उठाए जाने का विचार है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) से (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान एअर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस की कोई उड़ान आपातकालीन स्थिति में नहीं उतरी है।

तथापि, एअर इंडिया में इंजन इन-फ्लाइट शट डाउन (आई.एफ.एस.डी.) अथवा दूसरी तकनीकी खराबी की वजह

से फ्लाइट टर्न बैक की घटनाएं हुई जो नीचे तालिका के अनुसार है:

वर्ष	1999	2000	2001	2002 (जुलाई तक)
आई.एफ.एस.डी. की वजह से एयर टर्न बैक की घटनाओं की संख्या	6	5	शून्य	2
दूसरे कारणों की वजह से एयर टर्न बैक की घटनाओं की संख्या	10	23	5	8
कुल	16	28	5	10

स्थायी जांच बोर्ड द्वारा एयर टर्न बैक की हरेक घटना की जांच की जाती है और स्थायी जांच बोर्ड की सिफारिशों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाती है।

इंडियन एयरलाइंस के पास उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार इन-फ्लाइट इंजन शट डाउन के निम्नलिखित मामले थे:

1999	–	7
2000	–	6
2001	–	3
2002 (30.7.2002 तक)	–	2

इंडियन एयरलाइंस में बेस गुणवत्ता नियंत्रण प्रभाग द्वारा इंजन निष्पादन संबंधी कार्य की सतत् रूप से उड़ान-वार मॉनिटरिंग की जाती है। उसमें कोई अंतर आने पर क्रिटिकल पैरामीटरों का अध्ययन किया जाता है और विमान निर्माताओं से परामर्श करके नॉन-डेस्ट्रक्टिव टेस्टिंग आदि जैसे आवश्यक सुधारात्मक उपाय किए जाते हैं। सभी मामलों की जांच की जाती है और तत्संबंधी सुधारात्मक उपाय किए जाते हैं।

[हिन्दी]

भविष्य निधि पेंशन योजना

3149. डा. अशोक पटेल :
श्री रामपाल सिंह :

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल में सरकार ने भविष्य निधि पेंशन योजना को सरल बनाने हेतु निदेश जारी किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

कृषि एवं ग्रामीण उद्योगों का बन्द होना

3150. श्री जे.एस. बराड़ : क्या **कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि कृषि एवं ग्रामीण उद्योग क्षेत्र में रुग्णता के कारण इकाइयां लगातार बन्द हो रही हैं;

(ख) यदि हां, तो गत पांच वर्षों के दौरान और उसके बाद देश में विशेषकर पंजाब में बंद हुई इकाइयों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन इकाइयों को पुनः चालू करने और उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं के निर्यात को नियंत्रित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा): (क) जी, नहीं। तथापि, कुछेक यूनिटें बंद हुई हैं।

(ख) ऐसी सूचना का केन्द्रीय तौर पर अनुरक्षण नहीं किया जाता है।

(ग) खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (के.वी.आई.सी.) प्रौद्योगिकीय, प्रशिक्षण एवं विपणन समर्थन के रूप में सहायता देने के अतिरिक्त

ऐसे ग्रामोद्योगों की स्थापना के लिए मार्जिन मनी के रूप में एक बार की वित्तीय सहायता प्रदान करता है। रुग्ण/घाटा उठाने वाली यूनिटों को, अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करने की कोई योजना नहीं है। सरकार को ग्रामोद्योगों की मदों के पाटन (डम्पिंग) के संबंध में कोई शिकायत नहीं मिली है, जिससे कि इन यूनिटों द्वारा विनिर्माण की गई मदों के आयातों पर प्रतिबंध लगाने के लिए कार्रवाई करनी आवश्यक हो जाती।

वन अधिकारियों को वायरलेस सेट

3151. श्री अजय चक्रवर्ती :
श्री प्रबोध पण्डा :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार राज्य सरकारों को वन सुरक्षा संबंधी क्रियाकलापों हेतु वायरलेस सेटों एवं अन्य उपकरणों की खरीद हेतु निधियां उपलब्ध कराती है; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और उसके बाद इस उद्देश्य के लिए उपलब्ध कराई गई निधियों का, राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

आन्ध्र प्रदेश में क्षेत्रीय कॉयर प्रशिक्षण एवं विकास केन्द्र

3152. श्री गुथा सुकेन्दर रेड्डी : क्या **कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने क्षेत्रीय कॉयर प्रशिक्षण एवं विकास केन्द्र राजामुन्द्री और प्रदर्शन-सह-उत्पादन केन्द्र नरसपुर को बनाये रखने हेतु केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में केन्द्र सरकार ने क्या कार्रवाई की है?

कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा): (क) जी, हां।

(ख) आन्ध्र प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री ने अपने 29 नवम्बर, 2000 तथा 10 मई, 2001 के पत्रों द्वारा संघ सरकार से अनुरोध किया था कि वह कॉयर बोर्ड को सलाह दे कि वह क्षेत्रीय कॉयर ट्रेनिंग और विकास केन्द्र (आर.सी.टी. एंड डी.सी.), राजामुंदरी और प्रदर्शन-सह-उत्पादन केन्द्र (डी.सी.पी.सी.) नरसापुर को कम से कम तीन वर्षों की अवधि तक और चलाए।

(ग) इस अनुरोध पर विचार किया गया और राज्य सरकार को सूचित किया गया कि विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुसार केन्द्र की स्थापना राज्य सरकार की ओर से अभिकरण आधार पर कॉयर बोर्ड द्वारा की जानी थी और केन्द्र चलाए जाने की सम्पूर्ण लागत, छठी योजना अवधि के अन्त तक अर्थात् (31.3.1985) अथवा जब तक केन्द्र सरकार को हस्तांतरित किराया जाता है इनमें से जो भी पहले हो, कॉयर बोर्ड द्वारा वहन की जाएगी और इस प्रकार कॉयर बोर्ड द्वारा इन केन्द्रों का प्रचालन जारी रखना उपयुक्त नहीं होगा।

गुजरात में महिला सहकारी समितियों को सहायता

3153. श्री दिन्शा पटेल : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात सरकार ने केन्द्र सरकार से केन्द्रीय योजना के अंतर्गत महिला सहकारी समितियों के लिए वित्तीय सहायता स्वीकृत करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इन समितियों के लिए निधियां जारी कर दी गई हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

विमानन क्षेत्र में कठिनाइयां

3154. श्री प्रकाश वी. पाटिल : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय उद्योग परिसंघ ने विमानन क्षेत्र में प्रचालनात्मक कठिनाइयों और विनियामक अड़चनों को दूर करने हेतु केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार द्वारा विमानन क्षेत्र के सतत् विकास को सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम प्रस्तावित हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) से (ग) जी, हां। कन्फेडरेशन ऑफ इण्डियन इंडस्ट्री (सी.आई.आई.) ने अपनी अध्ययन रिपोर्ट ''भारत में नागर विमानन का भविष्य'' में निम्नलिखित सिफारिशें की हैं:

(1) प्राइवेट एयरलाइन प्रचालकों के लिए श्रेणी 1 तथा 2 सेवाओं अर्थात् प्रमुख/क्षेत्रीय केन्द्रों में प्रवेश की सुविधा;

(2) छोटे विमान/हेलीकाप्टरों के लिए श्रेणी 3 सेवाओं अर्थात् सुदूर केन्द्रों में निशुल्क प्रवेश;

(3) अंतर्देशीय सेवाएं उपलब्ध कराने वाली विदेशी एयरलाइंस की सशर्त इक्विटी भागीदारी;

(4) सहायक सेवाओं में उदारतापूर्वक प्राईवेट प्रवेश;

(5) प्रमुख हवाई अड्डों में प्राईवेट (विदेशी समेत) भागीदारी;

(6) हवाई अड्डों का एकाधिकार विनियमन/लाइसेंसिंग;

(7) नियमों/विनियमों तथा पद्धतियों का निरूपण/युक्तिसंगत बनाना;

(8) विनियामक क्रियाविधि की पुनर्संरचना।

विस्तृत नागर विमानन नीति के निर्धारण की दृष्टि से इन सिफारिशों की जांच-पड़ताल की जा रही है।

गोवा और हैदराबाद के बीच उड़ान

3155. श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि गोवा की यात्रा करने वाले अनेक पर्यटक हैदराबाद की यात्रा करना चाहते हैं लेकिन विमान सेवा की अनुपलब्धता के कारण ऐसा नहीं कर पाते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार हैदराबाद में और अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए गोवा-हैदराबाद के बीच सीधी उड़ान पर विचार करेगी; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) से (ग) इंडियन एयरलाइंस की क्षमता अवरोध के कारण गोवा से हैदराबाद के लिए सीधी हवाई सेवाएं आरंभ करने की कोई योजना नहीं है। एयरलाइन प्रचालक किसी भी सेक्टर पर प्रचालन करने के लिए स्वतंत्र है बशर्ते कि वे मार्ग संवितरण मार्गदर्शी सिद्धांतों का अनुपालन करते हों।

जल की आपूर्ति में सुधार हेतु आगरा बैराज का निर्माण

3156. श्री राज बब्बर : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास क्षेत्र में जलापूर्ति में सुधार हेतु आगरा बैराज के निर्माण का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो स्वीकृति की तिथि, दी गई निधियों और अब तक पूरा किए गए कार्यों के उल्लेख सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कार्य के अति शीघ्र निपटान हेतु सरकार ने क्या कार्रवाई की है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) से (ग) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आगरा शहर में जल आपूर्ति में सुधार लाने के लिए आगरा बराज के निर्माण के वास्ते एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तकनीकी जांच के लिए केन्द्रीय जल आयोग को अप्रैल, 1996 में प्रस्तुत की गई थी। केन्द्रीय जल आयोग ने राज्य सरकार को यह सूचित किया कि राज्य सरकार द्वारा दी गई रिपोर्ट तथा अन्य सूचना के आधार पर 134.08 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली यह परियोजना तकनीकी रूप से व्यवहार्य है। अन्वेषण और मृदा परीक्षण तथा अन्य अवसंरचना क्रियाकलाप संबंधी कार्य दिसंबर, 2000 में शुरू किए गए थे। वर्ष 2000-2001 में 10 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई थी और इसका पूरा इस्तेमाल कर लिया गया था। वर्ष 2001-2002 के दौरान 5 करोड़ रुपये का आबंटन भी किया गया था। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने इस परियोजना को सितंबर, 1999 में पर्यावरणीय स्वीकृति दी थी जिस पर बाद में ताज में जल उपलब्धता संबंधी लोक हित के मुकदमें संबंधी मामले में अगस्त, 2001 में रोक लगा दी गई थी। बाद में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने ताज पर जल उपलब्धता संबंधी मामले की पुन: जांच करने के लिए इस परियोजना को जनवरी, 2002 में केन्द्रीय जल आयोग को भेज दिया। पेयजल परियोजना होने के कारण इसे शहरी विकास मंत्रालय से भी स्वीकृति लेने की आवश्यकता है।

नागपुर में मल्टी मोडल इंटरनेशनल हब एयरपोर्ट का विकास

3157. श्री उत्तमराव ढिकले : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने पहले ही नागपुर में यात्रियों एवं कारगो के लिए मल्टी मोडल इंटरनेशनल हब एयरपोर्ट विकसित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार नागपुर एयरपोर्ट को यात्रियों एवं कारगो के लिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में घोषित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में केन्द्र सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) से (ग) मैसर्स एल. एंड टी. रामबोल कंसल्टेंट्स लि. द्वारा तैयार की गई तकनीकी-आर्थिक साध्यता रिपोर्ट भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को महाराष्ट्र सरकार से परामर्श हेतु मिल गई है। रिपोर्ट भेजते समय, महाराष्ट्र सरकार ने भी नागपुर हवाई अड्डे को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा के बतौर घोषित करने का अनुरोध किया है। रिपोर्ट में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा इक्विटी भागीदारी नागपुर हवाई अड्डे की मौजूदा परिसंपत्तियों का स्पेशल परपस वेहिकल को हस्तांतरण आदि बातें शामिल हैं।

इस तरह के एक बड़े परियोजना प्रस्ताव पर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण तथा सरकार द्वारा पर्यावरणीय, तकनीकी साध्यता, वित्तीय व्यवहार्यता आदि के दृष्टिकोण के साथ-साथ समग्र हवाई यातायात और एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के संदर्भ में भी सावधानीपूर्वक संवीक्षा की जानी होगी। इस प्रयोजनार्थ समय-सीमा नियत करना संभव नहीं है।

विदेशी होटल श्रृंखला के साथ भारतीय होटल श्रृंखला का समझौता

3158. डा. नीतीश सेनगुप्ता : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1999, 2000 और 2001 के दौरान भारतीय होटलों की श्रृंखला द्वारा विदेशी होटलों की श्रृंखला के साथ कितने समझौतों पर हस्ताक्षर किए गये;

(ख) इन समझौतों में से प्रत्येक समझौते के मुख्य प्रावधान क्या थे; और

(ग) इससे कितनी विदेशी मुद्रा का आगम और निर्गम हुआ?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) होटल एवं पर्यटन उद्योग मुख्यतया एक निजी क्षेत्र का कार्यकलाप है। पिछले तीन वर्षों के दौरान होटल एवं पर्यटन क्षेत्र में सरकार द्वारा 1352.73 करोड़ रुपए की राशि का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अनुमोदित किया गया है:

वर्ष	अनुमोदित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रस्ताव	राशि (करोड़ रुपयों में)
1999	67	784.49
2000	54	374.99
2001	67	193.25
2002	188	1352.73

(ख) होटल एवं पर्यटन क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है। भारतीय रिजर्व बैंक अपने क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए प्राचलों/दिशा-निर्देशों के अनुसार विदेशी तकनॉलाजी सहयोग करारों हेतु सभी उद्योगों (होटल एवं पर्यटन क्षेत्र सहित) को अविवेचित अनुमोदन प्रदान करता है।

(ग) विदेशी तकनॉलाजी करारों के लिए, निम्न प्रकार विदेशी मुद्रा बहिर्गमन हेतु अविवेचित अनुमोदन प्रदान किया जाता है:

1. वास्तुकारों के लिए पारिश्रमिक, डिजाइन, पर्यवेक्षण आदि सहित तकनीकी एवं परामर्शी सेवाओं हेतु परियोजना के पूंजीगत लागत का 3% तक भुगतान करना प्रस्तावित है,
2. फ्रेंचाइसिंग तथा मार्केटिंग/प्रचार समर्थन फीस के लिए शुद्ध कारोबार का 3% तक देय, और
3. प्रोत्साहन फीस सहित प्रबंधन फीस हेतु कुल प्रचालन लाभ का 10% तक देय है।

वन विकास की धनराशि का उपयोग

3159. श्री रामजीवन सिंह : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान और उसके पश्चात् देश में वनरोपण और वानिकी कार्यों के लिए केन्द्रीय और विश्व बैंक की सहायता प्राप्त परियोजना के लिए केन्द्रीय और विश्व बैंक के अनुदान का राज्यवार और परियोजना-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को विशेषकर महाराष्ट्र के नागपुर डिवीजन में उक्त निधियों के अनुपयोग/दुरूपयोग से संबंधित कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गयी है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के अन्तर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान, वनीकरण और उससे संबंधित गतिविधियों के लिए जारी किए गए अनुदानों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। पिछले तीन वर्षों में सहायता प्राप्त वानिकी परियोजनाओं के संबंध में विश्व बैंक द्वारा की गई प्रतिपूर्ति का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

पिछले तीन वर्षों के दौरान, केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अन्तर्गत वनीकरण और संबंधित गतिविधियों के लिए जारी किए गए अनुदानों का राज्यवार और परियोजनावार ब्यौरा

(लाख रुपयों में)

क्र.सं.	स्कीम का नाम	राज्य का नाम	1999-2000	2000-2001	2001-2002	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1.	भोगाधिकार, हिस्सेदारी के आधार पर अवक्रमित वनों के पुनरुद्धार में अनुसूचित जनजाति और ग्रामीण निधियों को शामिल करना					
		आन्ध्र प्रदेश	19.66	21.76	74.83	116.25
		अरुणाचल प्रदेश	8.18	22.81	32.82	63.81
		बिहार	0.00	0.00	0.00	0.00
		छत्तीसगढ़	0.00	40.00	64.71	104.71
		गुजरात	15.00	32.76	22.23	69.99
		जम्मू-कश्मीर	16.00	47.08	23.99	87.07
		झारखंड	0.00	19.52	44.95	64.47
		कर्नाटक	38.72	25.00	50.05	113.77
		मध्य प्रदेश	50.00	30.00	58.03	138.03
		महाराष्ट्र	37.94	20.10	17.78	75.82
		मणिपुर	26.33	25.00	10.00	61.33
		मिजोरम	18.02	19.98	14.28	52.28

1	2	3	4	5	6	7
		नागालैण्ड	0.00	9.80	0.00	9.80
		उड़ीसा	0.00	0.00	0.00	0.00
		राजस्थान	32.06	25.00	39.35	96.41
		सिक्किम	0.00	0.00	30.00	30.00
		तमिलनाडु	–	–	–	0.00
		त्रिपुरा	8.00	9.25	12.90	30.15
		पश्चिम बंगाल	7.06	7.61	4.09	18.76
	कुल					1132.62
2.	क्षेत्रोन्मुखी ईंधन की लकड़ी और चारा परियोजना					
		आन्ध्र प्रदेश	69.92	146.38	142.77	359.07
		अरुणाचल प्रदेश	7.00	9.28	11.60	27.88
		असम	89.69	42.83	69.06	201.58
		बिहार	190.94	30.00	0.00	220.94
		छत्तीसगढ़	0.00	0.00	88.20	88.20
		गोवा	5.69	2.89	7.60	16.18
		गुजरात	212.45	206.27	170.56	589.28
		हरियाणा	265.69	323.20	296.03	884.92
		हिमाचल प्रदेश	181.78	132.96	83.18	397.92
		जम्मू-कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.00
		झारखंड	0.00	0.00	119.92	119.92
		कर्नाटक	153.70	80.00	203.45	437.15
		केरल	75.61	65.03	48.57	189.21
		मध्य प्रदेश	388.13	300.00	233.35	921.48
		महाराष्ट्र	120.91	37.34	42.37	200.62
		मणिपुर	127.54	47.98	50.00	225.52

1	2	3	4	5	6	7
		मिजोरम	173.22	147.81	48.11	369.14
		नागालैंड	10.87	9.00	0.00	19.87
		उड़ीसा	116.53	96.12	42.33	254.98
		पंजाब	0.00	0.00	0.00	0.00
		राजस्थान	160.00	7.18	38.69	205.87
		सिक्किम	69.52	55.54	46.51	171.57
		तमिलनाडु	93.03	100.59	127.75	321.37
		त्रिपुरा	0.00	60.00	52.58	112.58
		उत्तर प्रदेश	221.78	118.22	108.37	448.37
		उत्तरांचल	107.24	35.21	41.66	184.11
		पश्चिम बंगाल	197.10	198.61	156.38	552.09
		कुल				7519.82
3.	एकीकृत वनीकरण और पारिविकास परियोजना स्कीम					
		आन्ध्र प्रदेश	149.65	246.56	228.20	624.41
		अरुणाचल प्रदेश	57.87	61.99	86.36	206.22
		असम	67.15	52.25	26.05	145.45
		झारखंड	60.69	47.56	52.51	160.76
		छत्तीसगढ़	74.82	49.98	37.05	161.85
		गुजरात	58.94	221.45	398.17	678.56
		हरियाणा	81.29	77.60	30.01	188.90
		हिमाचल प्रदेश	37.92	78.91	64.00	180.83
		जम्मू-कश्मीर	364.09	326.85	447.79	1138.73
		झारखंड	60.69	47.56	52.31	160.56
		कर्नाटक	160.36	167.43	151.49	479.28
		केरल	346.14	486.09	390.86	1223.09

1	2	3	4	5	6	7
		मध्य प्रदेश	278.01	277.68	237.37	793.06
		महाराष्ट्र	17.18	225.68	101.07	343.93
		मणिपुर	468.73	328.11	197.22	994.06
		मेघालय	10.21	14.70	0.00	24.91
		मिजोरम	147.56	149.42	68.39	365.37
		नागालैंड	38.60	93.64	114.23	246.47
		उड़ीसा	239.66	729.00	681.24	1649.90
		पंजाब	28.62	0.00	0.00	28.62
		राजस्थान	376.57	432.67	291.34	1100.58
		सिक्किम	109.82	183.01	110.25	403.08
		तमिलनाडु	0.00	84.55	100.00	184.55
		त्रिपुरा	37.77	91.51	51.33	180.61
		उत्तर प्रदेश	37.68	60.86	29.08	127.62
		उत्तरांचल	330.03	335.54	369.11	1034.68
		पश्चिम बंगाल	170.64	121.60	240.91	533.15
		पाण्डिचेरी	0.00	20.12	0.00	20.12
		कुल				13379.35
4.	औषधीय पौधों सहित गैर-इमारती वनोत्पाद स्कीम					
		आंध्र प्रदेश	119.13	168.00	318.17	605.30
		अरुणाचल प्रदेश	30.00	10.00	38.10	78.10
		असम	25.00	84.00	85.53	194.53
		बिहार	0.00	60.00	0.00	60.00
		छत्तीसगढ़	0.00	20.52	90.00	110.52
		गोवा	12.13	32.06	18.47	62.66
		गुजरात	116.65	191.62	139.97	448.24
		हरियाणा	29.44	44.35	59.33	133.12

1	2	3	4	5	6	7
		हिमाचल प्रदेश	32.19	34.99	67.54	134.72
		जम्मू-कश्मीर	187.85	133.00	275.91	596.76
		कर्नाटक	51.34	81.63	72.24	205.21
		केरल	13.10	45.50	44.03	102.63
		मध्य प्रदेश	77.50	166.98	96.06	340.54
		महाराष्ट्र	0.00	127.00	66.00	193.00
		मणिपुर	53.94	118.37	0.00	172.31
		मेघालय	0.00	42.39	25.47	67.86
		मिजोरम	53.45	97.82	82.84	234.11
		नागालैंड	0.00	64.00	37.00	101.00
		उड़ीसा	86.08	162.20	121.37	369.65
		पंजाब	0.00	25.00	20.00	45.00
		राजस्थान	116.21	139.40	234.40	490.01
		सिक्किम	102.00	205.24	167.53	474.77
		तमिलनाडु	0.00	54.75	19.00	73.75
		त्रिपुरा	17.25	26.96	12.48	56.69
		उत्तर प्रदेश	5.00	78.00	17.87	100.87
		पश्चिम बंगाल	71.74	79.00	88.64	239.38
		कुल				5690.73

विवरण-II

विश्व बैंक सहायता प्राप्त वानिकी परियोजनाओं के संबंध में, पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिपूर्ति की गई राशि का राज्यवार और परियोजनावार ब्यौरा

(करोड़ रुपयों में)

परियोजना का नाम	राज्य का नाम	वर्ष के दौरान राशि की प्रतिपूर्ति की गई		
		1999-2000	2000-2001	2001-2002
1	2	3	4	5
आन्ध्र प्रदेश वानिकी परियोजना	आन्ध्र प्रदेश	70.69	38.55	-
केरल वानिकी परियोजना	केरल	20.63	25.29	14.56

1	2	3	4	5
मध्य प्रदेश वानिकी परियोजना	मध्य प्रदेश	79.58	-	-
महाराष्ट्र वानिकी परियोजना	महाराष्ट्र	34.39	-	-
उत्तर प्रदेश वानिकी परियोजना का नाम अब उत्तरांचल वानिकी परियोजना रखा गया है।	उत्तर प्रदेश (उत्तरांचल के व्यय सहित)	29.11	33.84	15.85

वैज्ञानिकों/अधिकारियों की यात्राओं के लिए आबंटन

3160. श्री चन्द्र प्रताप सिंह : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान ने वैज्ञानिकों और अधिकारियों के सरकारी दौरों के लिए अलग से बजट का आबंटन किया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान वैज्ञानिकों/अधिकारियों द्वारा किये गये दौरों का ब्यौरा क्या है और इन दौरों का वर्षवार, वैज्ञानिकवार/अधिकारीवार उद्देश्य, स्थान, अवधि और इन पर खर्च की गयी राशि कितनी थी;

(ग) एन.ए.टी.पी., सेस फंड और अन्य स्रोतों द्वारा वित्त पोषित विभिन्न परियोजनाओं के अन्तर्गत किये गये दौरों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या गत तीन वर्षों के दौरान हवाई यात्रा की पात्रता न रखने वाले किसी अधिकारी को हवाई जहाज से यात्रा करने की अनुमति प्रदान की गयी थी; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और तत्संबंधी औचित्य क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरे संलग्न विवरण में पृष्ठ 1 से 45 के अंतर्गत दिये गये हैं।

(ग) ब्यौरे उपर्युक्त विवरण में शामिल किए गये हैं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) लागू नहीं होता।

विवरण

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (भा.कृ.अ.प.) वैज्ञानिकों एवं अधिकारियों के दौरे

दौरे का स्थान	दौरे का उद्देश्य	अवधि	खर्च की गई राशि	यातायात का साधन	निधि उपलब्ध कराने वाली एजेंसी
1	2	3	4	5	6
		डा. एस.डी. शर्मा, निदेशक			
डेविस, केलीफोर्निया	ए.एच.आर.डी. प्रशिक्षण पाठ्यक्रम 'वेब आधारित दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रम विकास एवं इंटरनेट पर डाटाबेस में भाग लेना	2 जनवरी से 3 अप्रैल, 1999	ए.एच.आर.डी. कार्यक्रम के तहत कार्यक्रम	वायुयान	ए.एच.आर.डी.

1	2	3	4	5	6
चण्डीगढ़	कृषि विभाग, हरियाणा सरकार के 'फसल मूल्यांकन सर्वेक्षण' पर उच्च स्तरीय समन्वय समिति की बैठक में भाग लेना	23 अप्रैल, 1999	2,000.00	रेल	आई.ए.एस.आर.आई.
हैदराबाद	नार्म में राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना की बैठक में भाग लेना	25-26 अप्रैल, 1999	12360.00	वायुयान	एन.ए.टी.पी.
लखनऊ	आई.आई.एम. लखनऊ में एन.ए.टी.पी.के.आर.टी.डी. कम्पोनेंट की निगरानी और मूल्यांकन की बैठक में भाग लेना	5-6 मई, 1999	5478.00	वायुयान	एन.ए.टी.पी.
हैदराबाद	भारतीय रसायन प्रौद्योगिकी संस्थान में 'आज और कल' सूचना के राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेना	15-19 नवम्बर, 1999	13,020.00	वायुयान	आई.ए.एस.आर.आई.
पाला (केरल) त्रिचुरापल्ली (तमिलनाडु)	सांख्यिकी कंप्यूटर और अनुप्रयोग के द्वितीय वार्षिक सम्मेलन और भा. कृ.सा. सोसायटी के 53वें वार्षिक सम्मेलन में भाग लेना	26 नवम्बर से दिसम्बर, 1999	22956.00	वायुयान/रेल	आई.ए.एस.आर.आई..
हैदराबाद	अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी निदेशालय में पर्यावरण सांख्यिकी की द्वितीय राष्ट्रीय कार्यशाला में भाग लेना	6-7 अप्रैल, 2000	12570.00	वायुयान	आई.ए.एस.आर.आई.
हैदराबाद	नार्म में कृषि अनुसंधान प्रबंध में द्वितीय प्रशासनिक विकास कार्यक्रम में भाग लेना	14-18 जुलाई, 2000	12706.00	वायुयान	आई.ए.एस.आर.आई.
चण्डीगढ़	कृषि विभाग हरियाणा के फसल आकलन सर्वेक्षण की उच्च स्तरीय समन्वय समिति की बैठक में भाग लेना	26 जुलाई, 2000	1215.00	रेल/बस	आई.ए.एस.आर.आई.

1	2	3	4	5	6
काठमाण्डु, नेपाल	इंडो-गंगा मैदान हेतु राइस-व्हीट कंसोर्टियम क्षेत्रीय तकनीकी समन्वय समिति की नौवीं बैठक में भाग लेना	28 सितम्बर से 2 अक्तूबर, 2000	राइस-व्हीट कंसोर्टियम द्वारा व्यय भार वहन	वायुयान	राइस व्हीट कंसोर्टियम
कुमारगंज, फैजाबाद	भारतीय कृषि सांख्यिकी सोसायटी के 54वें सम्मेलन में भाग लेना	27 नवम्बर से, 1 दिसम्बर, 2000	3436.00	–	आई.ए.एस.आर.आई.
चेन्नई	एम.एस. स्वामीनाथन अनुसंधान फाउंडेशन में 'गरीबी दूर करने हेतु सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी पर वार्षिक (डोयलॉग) में भाग लेना	17-21 जनवरी, 2001	16,314.00	वायुयान	आई.ए.एस.आर.आई.
बंगलौर	राष्ट्रीय सर्वेक्षण द्वारा कृषि विकास को समझना विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी में भाग लेना	1-3 मार्च, 2001	14280.00	वायुयान	आई.ए.एस.आर.आई.
मुम्बई	सांख्यिकी विश्लेषण विभाग एवं कम्प्यूटयर सेवा, भारतीय रिजर्व बैंक में केन्द्रीय डाटाबेस प्रबंधन प्रणाली-उत्पादन प्रदर्शन के लिए विकासकर्ता (डेवलेप पर) नियुक्त करने के प्रस्ताव को अंतिम रूप देने पर आयोजित बैठक में भाग लेना	9 मई, 2001	10,859.00	वायुयान	एन.ए.टी.पी.
मुम्बई	सांख्यिकी विश्लेषण विभाग एवं कंप्यूटर सेवा, भारतीय रिजर्व बैंक में केन्द्रीय डाटाबेस प्रबंधन प्रणाली-उत्पादन प्रदर्शन के लिए विकासकर्ता (डेवलेप पर) नियुक्त करने के प्रस्ताव को अंतिम रूप देने पर आयोजित बैठक में भाग लेना	16-17 जून, 2001	11,213.00	वायुयान	एन.ए.टी.पी.

1	2	3	4	5	6
मुम्बई	सांख्यिकी विश्लेषण विभाग एवं कम्प्यूटर सेवा, भारतीय रिजर्व बैंक में केन्द्रीय डाटाबेस प्रबंधन प्रणाली-उत्पादन प्रदर्शन के लिए विकासकर्ता (डेवलेपर) नियुक्त करने के प्रस्ताव को अंतिम रूप देने पर आयोजित बैठक में भाग लेना	24-26 जून, 2001	13,936.00	वायुयान	डी.ओ.ए.सी.
लखनऊ	कृषि विभाग उत्तर प्रदेश की कृषि सांख्यिकी की राज्य उच्च स्तरीय समन्वय समिति की बैठक में भाग लेना	11 जुलाई, 2001	5886.00	वायुयान	आई.ए.एस.आर.आई.
करनाल और चण्डीगढ़	एन.बी.ए.जी.आर. करनाल में डा. पी.के. बिज, सी.सी.पी.आई. परियोजना के साथ एकीकृत राष्ट्रीय कृषि संसाधन सूचना प्रणाली पर एन.ए.टी.पी. मिशन मोड परियोजना की प्रगति पर चर्चा करने और कृषि विभाग, हरियाणा की फसल आकलन और सर्वेक्षण उच्च स्तरीय समन्वय समिति की बैठक में भाग लेना	13-15 अगस्त, 2001	4433.00	सड़क द्वारा	एन.ए.टी.पी.
मोदीपुरम	फसल प्रणाली अनुसंधान परियोजना निदेशालय में एन.ए.टी.पी. के तहत सिंचित कृषि प्रणाली की वैज्ञानिक सलाहकार पैनल ए.एस.पी. की बैठक में भाग लेना	23 अगस्त, 2001	95.00	सड़क द्वारा	एन.ए.टी.पी.
जोधपुर	केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान में एन.ए.टी.पी. परियोजना की निगरानी एवं मूल्यांकन हेतु एन.ए.टी.पी. के तहत शुष्क कृषि प्रणाली पर उप-परियोजना में परियोजना	3 अक्तूबर, 2001	6342.00	वायुयान	एन.ए.टी.पी.

1	2	3	4	5	6
	परिवेक्षकों की पी.एम.ए. संवेदनशीलता (सोसीटाइजेशन) कार्यशाला में भाग लेने हेतु				
बीजिंग, चीन	अंतर्राष्ट्रीय कृषि सूचना प्रबंधन प्रौद्योगिकी विकास एवं 21वीं सदी में बाजार सम्मेलन में भाग लेना	3-7 नवम्बर, 2001	ए.पी.ए.ए.आर. आई. एवं आयोजकों द्वारा व्यय वहन	वायुयान	ए.पी.ए.ए. आर.आई.
राजकोट	सोराष्ट्र विश्वविद्यालय में सांख्यिकी सोसायटी, कंप्यूटर एवं अनुप्रयोग के चौथे सम्मेलन में भाग लेना	23-26 नवम्बर, 2001	10,000.00	वायुयान/ सड़क	आई.ए.एस.आर.आई.
एन.डी.आर. आई., करनाल	डेरी अनुसंधान एवं प्रबंधन में डाटाबेस अनुप्रयोग एवं प्रबंधन पर कार्यशाला का उद्घाटन करने तथा सह-भागियों एवं एन.डी.आर.आई. को मुख्य बातें सम्बोधित करने हेतु	19.1.2001	135.00	सरकारी वाहन	आई.ए.एस.आर.आई.
नार्म, हैदराबाद	एन.ए.टी.पी. के तहत नार्म के लिए संस्थागत विकास योजना के संबंध में आई.सी.ए.आर. टीम के सदस्य के रूप में	9-10 जनवरी, 2002	14454.00	वायुयान	एन.ए.टी.पी.
सी.आई.ए.ई., आई.आई.एस. आर., भोपाल	भारतीय कृषि सांख्यिकी सोसायटी के 55वें वार्षिक सम्मेलन में भाग लेना	14-18 जनवरी, 2002	8139.00	वायुयान	आई.ए.एस.आर.आई.
विधान चन्द कृषि विश्वविद्यालय, मोहनपुर (नाडिया) प.बं.	पी.वी. सुखत्मे स्मारक व्याख्या और अतिथि सम्मान विदाई समारोह हेतु	6-7 फरवरी, 2002	13344.00	वायुयान/ सड़क	आई.ए.एस.आर.आई.
		डा. ए.के. श्रीवास्तव, संयुक्त निदेशक			
लखनऊ	उच्च स्तरीय समन्वय समिति की बैठक में भाग लेना	16.7.99 से 17.7.99	5553.00	हवाई यात्रा	

1	2	3	4	5	6
पाला (केरल) और त्रिचिरापल्ली (तमिलनाडु)	सांख्यिकी एवं कंप्यूटर अनुप्रयोग सोसाइटी के द्वितीय वार्षिक सम्मेलन और भारतीय कृषि सांख्यिकी सोसायटी के 53वें वार्षिक सम्मेलन में भाग लेना	28.11.99 से 5.12.99	23,489.00	जहाज/रेल	आई.ए.एस. आर.आई.
बंगलौर	उच्च स्तरीय समन्वय समिति की बैठक में भाग लेना	19.1.2000 से 20.1.2000	15877.00	हवाई यात्रा	–
बंगलौर	पशुधन उत्पादकता आकलन पर एकीकृत प्रतिदर्श सर्वेक्षण की प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यशाला में भाग लेना	26.6.2000 से 27.6.2000	14105.00	हवाई यात्रा	एफ.ए.ओ./एस. आई.ए.पी.
बैंकाक (थाईलैण्ड)	मल्टीपल फ्रेम सैम्पलिंग विधियों पर कृषि सर्वेक्षण आधारित एफ.ए. ओ./एस.आई.ए.पी. की कार्यशाला में रिसोर्स पर्सन के तौर पर भाग लेना	19.11.2000 से 26.11.2000	आई.ए.एस.आर. आई/भा.कृ.अ.प. पर कोई भार नहीं, व्यय का वहन एफ.ए.ओ., रोम द्वारा	हवाई यात्रा	एफ.ए.ओ.
तिरूवनन्तपुरम	पर्यावरण सांख्यिकी पर तृतीय राष्ट्रीय कार्यशाला में भाग लेना	7.2.2001 से 10.2.2001	21,792.00	हवाई यात्रा	–
बंगलौर	एन.एस.एस.ओ. द्वारा आयोजित राष्ट्रीय सर्वेक्षण के जरिए कृषि विकास को समझने पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेना	1.3.2001 से 3.3.2001	14,375.00	हवाई यात्रा	कृषि उत्पाद उपकर निधि
ललितपुर (उ.प्र.)	जी.आई.एस. के एकीकृत माडलिंग के जरिए भू-उपयोग सांख्यिकी का अध्ययन, परियोजना के तहत फील्ड कार्य	11.3.2001 से 14.3.2001	2243.00	रेल/सड़क	कृषि उत्पाद उपकर निधि
रोम (इटली)	एफ.ए.ओ. रोम (इटली) में कृषि पर विश्व गणना के लिए तकनीकी पुनरीक्षण कार्यक्रम पर आयोजित बैठक में भाग लेना	2.6.2001 से 9.6.2001	आई.ए.एस.आर. आई/भा.कृ.अ.प. पर कोई भार नहीं, व्यय का वहन एफ.ए.ओ., रोम द्वारा	हवाई यात्रा	एफ.ए.ओ.

1	2	3	4	5	6
पी.ए.यू., लुधियाना	कृषि अनुसंधान सांख्यिकीविदों के तेरहवें राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेना	5.11.2001 से 8.11.2001	1735.00	रेल	आई.ए.एस.आर.आई.
आई.एस.ई.सी., बंगलौर	भारतीय किसान सहस्राब्दी अध्ययन की दशा पर पुनरीक्षा संगोष्ठी में भाग लेना	29.1.2002 से 1.2.2002	16,171.00	हवाई यात्रा	-
सी.आई.ए.ई., भोपाल	आई.एस.ए.एस. के 55वें सम्मेलन में भाग लेना	14-18 जनवरी, 2002	2887.00	रेल	आई.ए.एस.आर.आई.
		श्री चिरौंजी लाल, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी			
मुम्बइं	कैंसर की मेडिकल जांच/उपचार	6.9.99 से 10.9.99	5476/- रु.	हवाई यात्रा	आई.ए.एस.आर.आई.
आई.वी.आर.आई., इज्जतनगर	श्री रामदास टी-1-3, (ट्रैक्टर ड्राईवर) के विरुद्ध अनुशासनात्मक मामले में पूछताछ अधिकारी होने के नाते	3.10.99 से 5.10.99	4920/- रु.	सड़क द्वारा	आई.ए.एस.आर.आई.
तिरूचापल्ली	संस्थान के प्रकाशनों/पत्रिकाओं/साफ्टवेयर आदि की बिक्री व्यवस्था करने के लिए	28.11.99 से 9.11.99	5918/- रु.	रेल	आई.ए.एस.आर.आई.
नार्म, हैदराबाद	भा.कृ.अ.प. के प्रशासन अधिकारियों एवं वित्त अधिकारियों के ओ. एंड एम. सुधारों और भा.कृ.अ.प. द्वारा समर्थित प्रशासनिक अधिकारियों और वित्तीय अधिकारियों के अभिमुखीकरण तथा संवेदनशीलता के जरिए संस्थागत बेहतरी हेतु "ब्रेन स्टार्मिंग सेशन" में भाग लेना	9.2.2000 से 19.2.2000	6142/- रु.	रेल	आई.ए.एस.आर.आई.
मुम्बई	कैंसर की मेडिकल जांच/उपचार	8.3.2000 से 10.3.2000	5539/- रु.	हवाई यात्रा	आई.ए.एस.आर.आई.
नार्म, हैदराबाद	हिन्दी प्रशिक्षण और कार्यशाला भाग लेना	1.7.2000 से 9.7.2000	3773/- रु.	रेल	आई.ए.एस.आर.आई.
मुम्बई	कैंसर का मेडिकल जांच/उपचार	7.9.2000 से 8.9.2000	4891/- रु.	हवाई यात्रा	आई.ए.एस.आर.आई.

1	2	3	4	5	6
बंगलोर	ठेका श्रम पर पुन:अभिमुखीकरण कार्यक्रम (रेगुलेशन एवं एबोलिशन) के संबंध में	9.3.2001 से 13.3.2001	14,534/- रु.	हवाई यात्रा	आई.ए.एस.आर.आई.
मुम्बई	कैंसर का मेडिकल जांच/उपचार	9.9.2001 से 16.9.2001	4828/- रु.	रेल	आई.ए.एस.आर.आई.
बंगलौर	फील्ड पर्यवेक्षकों के लिए चयन समिति बैठक में भाग लेना	17.11.2001 से 24.11.2001	5553/- रु.	रेल	कृषि उत्पाद उपकर निधि
त्रिवेन्द्रम	शिक्षा प्रभाग की यू.जी. परीक्षा (शिक्षा प्रभाग द्वारा व्यय वहन)	15.5.2001 से 24.5.2001	9670/- रु.	रेल	भा.कृ.अ.प.
इम्फाल	ए.आर.एस. परीक्षा पूर्वोत्तर राज्य के लिए विशेष अभियान	23.12.2001 से 30.12.2001	18,518/- रु.	हवाई यात्रा	आई.ए.एस.आर.आई.
	अधिकारी का नाम : डा. वी.के. भाटिया, प्रधान वैज्ञानिक प्रभाग : बायोमैट्रिक				
एस.बी.आर.आई., कोयम्बटूर, सी.एस. डब्ल्यू.सी.आर.टी. आई., ऊटी, एस.जे.. कालेज, त्रिचिन्नापल्ली	साफ्टवेयर विकास जरूरतों का अन्वेषण एवं डाटाबेस जरूरतों पर एस.बी.आर.आई. के वैज्ञानिकों से चर्चा करना, पर्वतीय क्षेत्रों में किए गये प्रयोगों पर स्पेरियल पैटर्न की भूमिका तथा राष्ट्र निर्माण में कृषि सांख्यिकी और आई.ए. एस.आर.आई. की भूमिका पर व्याख्यान देना	12.9.99 से 18.9.99	7670	रेल	
सेंट थामस कालेज, पाला और सेंट जोसेफ कालेज, त्रिचिरापल्ली (तमिलनाडु)	सांख्यिकी, कम्प्यूटर एवं अनुप्रयोग सोसाइटी की दूसरी वार्षिक बैठक और आई.एस.ए.एस. के 53वें वार्षिक सम्मेलन में भाग लेना	25.11.99 से 6.12.99	11632	रेल	
चंडीगढ़	पंजाब राज्य में भैंस व गायों के लिंग सुधार के संबंध में उन्नयन, आयोजना तथा निष्पादन संशोधन पर आयोजित राज्य स्तरीय बैठक में भाग लेना	27.12.99 से 28.12.99	1009	रेल	
पुणे	तकनीकी समिति की बैठक में भाग लेना	2.5.00 से 3.5.00	12617	हवाई यात्रा	
मुम्बई	एस.ए.एस. के प्रशिक्षण एक रूपांतर 8 में भाग लेना	30.8.00 से 31.8.00	11270	हवाई यात्रा	एन.ए.टी.पी.

1	2	3	4	5	6
फैजाबाद	एन.डी.यू.ए.टी. कुमारगंज, फैजाबाद में आई.एस.ए.एस. के 54वें वार्षिक सम्मेलन में शामिल होना	28.11.00 से 20.11.00	1871	रेल	आई.ए.एस.आर.आई.
भोपाल	सी.जी.पी.-एन.ए.टी.पी. परियोजना से आंकड़ों की उपलब्धतता की खोज पर सी.आई.ए.ई. और आई.आई.एस.एस. के वैज्ञानिकों से चर्चा करना	26.6.2000 से 27.6.2000	2270	रेल	एन.ए.टी.पी.
देहरादून	सी.जी.पी.-एन.ए.टी.पी. परियोजना से डाटा संग्रहण के लिए सी.एस.डब्ल्यू. सी.आर.टी.आई. के वैज्ञानिकों से चर्चा करना	11.9.2001 से 12.9.2001	1088	रेल	एन.ए.टी.पी.
लुधियाना	पी.ए.यू. लुधियाना आयोजित कृषि संसाधन सांख्यिकी पर 13वें सम्मेलन में भाग लेना	6.11.2001 से 7.11.2001	1500	रेल	आई.ए.एस.आर.आई.
कोलकाता	पेपर प्रस्तुतीकरण	11.12.01 से 13.12.01	14000	हवाई यात्रा	
भोपाल	पेपर प्रस्तुतीकरण	15.1.02 से 17.1.02	2620	रेल	
हिसार	सम्मेलन	1.3.02 से 2.3.02	564	सड़क	आई.ए.एस.आर.आई.
	अधिकारी का नाम : डा. ए.आर. राव, प्रधान वैज्ञानिक		**प्रभाग : जीव सांख्यिकी (बायोमीट्रिक्स)**		
नार्म, हैदराबाद	65वें एफ.ओ.सी.ए. आर.एस. प्रशिक्षण में भाग लेना	7.11.98 से 6.2.1999	16095 रु.	रेल	आई.ए.एस.आर.आई.
पाला (केरल)	सांख्यिकी कम्प्यूटर एवं अनुप्रयोग सोसाइटी में पेपर प्रस्तुत करने	28.11.1999 से 1.12.1999	9831 रु.	रेल	आई.ए.एस.आर.आई.
हैदराबाद	अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला	7.12.2000 से 17.12.2000	4553 रु.	रेल	आई.ए.एस.आर.आई.
कोलकत्ता	पेपर प्रस्तुत करने	11.12.2001 से 20.12.2001	8000 रु.	रेल	आई.ए.एस.आर.आई.
भोपाल	पेपर प्रस्तुत करने	15.1.2002 से 17.1.2002	2500 रु.	रेल	आई.ए.एस.आर.आई.
लखनऊ	प्रशिक्षण	22.5.2001 से 24.5.2001	2008 रु.	रेल	आई.ए.एस.आर.आई.
करनाल	अनुसंधान कार्य	10.5.2001 से 11.5.2001	618 रु.	रेल	आई.ए.एस.आर.आई.

1	2	3	4	5	6
लखनऊ	प्रशिक्षण में भाग लेना	25.9.2001 से 27.9.2001	2251 रु.	रेल	आई.ए.एस.आर.आई.
करनाल	अनुसंधान कार्य	29.6.2001 से 30.6.2001	678 रु.	रेल	एन.ए.टी.पी.
		अधिकारी का नामः मौ. बसी आलम, वैज्ञान	**प्रभाग : जीव सांख्यिकी**		
चंडीगढ़	शेड्यूल इको स्टडी और टैक ड्वेलिजम अनुसंधान परियोजना की पूर्व जांच	28.9.2000 से 1.10.2000	1000 रु.	रेल	आई.ए.एस.आर.आई.
नार्म, हैदराबाद	एफ.ओ.सी.ए.आर.एस. प्रशिक्षण	1.12.2000 से 30.3.2001	17627 रु.	रेल	आई.ए.एस.आर.आई.
चंडीगढ़	आंकड़ा संग्रहण (अंडा उत्पादन में तकनीकी ड्वेलिजम का पारिस्थितिक अध्ययन (अनुसंधान परियोजना)	22.8.2001	860 रु.	रेल	आई.ए.एस.आर.आई.
चंडीगढ़	कार्यशाला	2.8.2001	860/- रु.	रेल	आई ए एस आर आई
		अधिकारी का नामः डा. प्रजनेशु, प्रधान वैज्ञानिक	**प्रभाग : जीव सांख्यिकी**		
निमहंस, बंगलौर	पेपर प्रस्तुत करने और आई एस एम एस आर एवं आई वी एस सम्मेलन में भाग लेने	2 से 4 दिसम्बर 1999	7371 रु.	रेल	
एन डी यू ए टी, फैजाबाद	बेस्ट पेपर अवार्ड प्राप्त करने और आई एस ए एस वार्षिक सम्मेलन में भाग लेने	27-29 दिसम्बर 1999	2141 रु.	रेल	आई ए एस आर आई
पी.ए.यू. लुधियाना	आमंत्रित वार्ता प्रस्तुत करने और कृषि अनुसंधान सांख्यिकी में भाग लेने	6 से 8 नवम्बर 2001	2129 रु.	रेल	
देहरादून	पपेर प्रस्तुत करने	3 से 7 जनवरी 2002	2976 रु.	रेल	
देहरादून	डी पी सी	31 जनवरी 2002		रेल	
		अधिकारी का नामः डा. अमृत कुमार पाल, वैज्ञानिक	**प्रभाग : जीव सांख्यिकी**		
नार्म, दैहराबाद	65वें एफ ओ सी ए आर एस प्रशिक्षण में भाग लेने	7.11.1988 से 6.2.1999	3407 रु.	रेल	आई ए एस आर आई

1	2	3	4	5	6
पाला (केरल) और तिरूचिपल्ली	सांख्यिकी कम्प्यूटर एवं अनुप्रयोग सोसायटी की बैठक में पेपर प्रस्तुत करने और आई ए एस के 53वें सम्मेलन में पेपर प्रस्तुत करने	28.11.1999 से 1.12.1999 और 2.12.1999 से 4.12.1999	11,217 रु.	रेल	आई ए एस आर आई
	अधिकारी का नाम: डा. पी.एस. राना, प्रधान वैज्ञानिक		**प्रभाग: जीव सांख्यिकी**		
चेन्नई	रामानुज गणित सोसायटी 10वें वार्षिक सम्मेलन में भाग लेने	3.6.2000 से 13.6.2000	5000 रु.	रेल	आई ए एस आर आई
कुरुक्षेत्र	स्टाक मॉडलिंग और संचालन प्रबंध पर राष्ट्रीय संगोष्ठी में भाग लेने	19.10.2000 से 21.10.2000	659 रु.	बस	आई ए एस आर आई
	अधिकारी का नाम: श्री एस.डी. वाही, प्रधान वैज्ञानिक		**प्रभाग: जीव सांख्यिकी**		
भोपाल	पेपर प्रस्तुत करने	15 से 17 जनवरी 2002	3093	रेल	आई ए एस आर आई
	अधिकारी का नाम: श्री हिमाद्रि घोष, वैज्ञानिक		**प्रभाग: जीव सांख्यिकी**		
नार्म, हैदराबाद	67वां एफ ओ सी ए आर एस	1.6.99 से 31.10.99	7000 रु.	रेल	आई ए एस आर आई
केरल	सांख्यिकी सोसाइटी के दूसरे वार्षिक सम्मेलन	28.11.99 से 1.12.99	9500 रु.	रेल	आई ए एस आर आई
कोलकत्ता	आई एस आई, कोलकत्ता की शीतकालीन स्कूल में भाग लेने	5.2.2000 से 29.2.2000	5788 रु.	रेल	आई ए एस आर आई

1	2	3	4	5	6
तमिलनाडु	सांख्यिकी कम्प्यूटर अनुप्रयोग सोसायटी के तीसरे वार्षिक सम्मेलन में भाग लेने	17.12.2000 से 26.11.2000	7559 रु.	रेल	आई ए एस आर आई
नार्म, हैदराबाद	एफ ओ सी ए आर एस	29.5.99 से 9.10.99	15355 रु.	रेल	आई ए एस आर आई
गुजरात	सांख्यिकी कम्प्यूटर अनुप्रयोग सोसायटी के चौथे वार्षिक सम्मेलन में भाग लेने	24.11.2001 से 26.11.2001	5000 रु.	रेल	आई ए एस आर आई
राजकोट	पेपर प्रस्तुत करने	24-26 नवम्बर 2001	4919 रु.	रेल	आई ए एस आर आई
भोपाल	पेपर प्रस्तुत करने	15-17 जनवरी, 2002	3510 रु.	रेल	आई एस एस आर आई
		अधिकारी का नाम: श्री एच.के. सामदार, वित्त एवं लेखा अधिकारी			
हैदराबाद	भा.कृ.अ.प. ने प्रशासनिक एवं वित्तीय प्रबंधन सुधारने	4.12.2000 से 18.12.2000	7,120 रु.	रेल	आई ए एस आर आई
माउंट आबू	जीरो बेस बजटिंग	10-14 अक्तूबर	3500 रु.	रेल	आई ए एस आर आई
पटना	सतर्कता समिति की बैठक में भाग लेने	16.12.2001 से 17.12.2001	5598 रु.	रेल	आई ए एस आर आई
झांसी	ए एस आर बी पेपर देने	6.12.2001 से 8.12.2001	1411 रु.	रेल	आई ए एस आर आई
		अधिकारी का नाम: श्री डी.एन. खरबन्दा, सहायक प्रशासनिक अधिकारी			
नार्म, हैदराबाद	प्रशिक्षण	13.7.99 से 21.7.99	4087 रु.	रेल	आई ए एस आर आई
एम डी आई, गुड़गांव	प्रशिक्षण	28.2.2000 से 18.3.2000	3500 रु.	बस	आई ए एस आर आई

1	2	3	4	5	6
		अधिकारी का नामः श्रीमती फ्लोरा जस, सहायक प्रशासनिक अधिकारी			
नार्म हैदराबाद	भा.कृ.अ.प. संस्थानों में प्रशासनिक तथा वित्तीय प्रबंध सुधार पर पुनश्चर्या कार्यक्रम में भाग लेने के लिए	30.5.99 से 9.6.99	3800	रेल	आई ए एस आर आई
		अधिकारी का नामः श्रीमती सीता मल्होत्रा, सहायक प्रशासनिक अधिकारी			
नार्म, हैदराबाद	भा.कृ.अ.प. संस्थानों में प्रशासनिक तथा वित्तीय प्रबंध सुधार पर पुनश्चर्या पाठ्यक्रम में भाग लेने के लिए	30.11.99 से 6.12.99	3800	रेल	आई ए एस आर आई
		अधिकारी का नामः श्री डी.एन. भाटिया, सहायक प्रशासनिक अधिकारी			
गुड़गांव	प्रशासनिक प्रशिक्षण	28.2.2000 से 18.3.2000	2250	बस	आई ए एस आर आई
नार्म. हैदराबाद	प्रशासनिक प्रशिक्षण पुनश्चर्या पाठ्यक्रम	11.6.2001 से 23.6.2001	8266	रेल	आई ए एस आर आई
लुधियाना	वार्षिक सांख्यिकी सम्मेलन	5.11.2001 से 9.11.2001	2044	रेल	आई ए एस आर आई
		श्री सुभाष चन्द्र, निजी सचिव			
तिरुचिरापल्ली	श्री सेंट जोसिफ महाविद्यालय तिरुचिरापल्ली में अपने दौरे के दौरान निदेशक को सहायता करना	28.11.99 से 6.12.99	4,949	रेल	आई ए एस आर आई
कुमारगंज फैजाबाद	एन डी यू ए टी कुमारगंज, फैजाबाद में निदेशक के दौरान उनको सहायता देना	25.11.2000 से 1.12.2000	1,009	रेल	आई ए एस आर आई
त्रिवेन्द्रम	शिक्षा प्रभाग की यू.जी. परीक्षा, भा.कृ.अ.प. (शिक्षा प्रभाग द्वारा उठाये गये खर्च)	15.5.2001 से 24.5.2001	6580	रेल	भा.कृ.अ.प.

1	2	3	4	5	6
		अधिकारी का नामः डा. वी.के. गुप्ता, प्रमुख	**प्रभागः डिजाइन आफ एक्सपेरीमेंट**		
सैंट थोम्स कालेज, पाला, केरल	सांख्यिकी, कम्प्यूटर एवं अनुप्रयोग सोसाइटी के दूसरे वार्षिक सम्मेलन में भाग लेने	25.11.99 से 1.12.99	11,508	रेल	आई ए एस आर आई
सैंट जोसफ कालेज, तिरुचेरापल्ली, तमिलनाडु	भा.कृ. सांख्यिकी सोसायटी के 53वें वार्षिक सम्मेलन में भाग लेने	1.12.99 से 6.12.99		रेल	आई ए एस आर आई
नार्म, हैदराबाद	कृषि अनुसंधान में तृतीय प्रबंधन विकास कार्यक्रम में भाग लेने	23.4.2000 से 29.4.2000	13,587	हवाई यात्रा	आई ए एस आर आई
तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर	सांख्यिकी कम्प्यूटर एवं अनुप्रयोग सोसायटी की तीसरे वार्षिक सम्मेलन में भाग लेने	19.11.2000 से 23.11.2000	17,709	हवाई यात्रा	आई ए एस आर आई
एन डी कृषि एवं प्रौद्योगिकी वि. वि., फैजाबाद, (उ.प्र.)	भारतीय कृषि सांख्यिकी सोसायटी के 54वें वार्षिक सम्मेलन में भाग लेने	27.1.2000 से 30.11.2000	2263	रेल	आई ए एस आर आई
पी.ए.यू., लुधियाना	कृषि अनुसंधान सांख्यिकी के 13वें सम्मेलन में भाग लेना	5.11.2001 से 8.11.2001	1,500	रेल	आई ए एस आर आई
सी आई ए ई, भोपाल	भारतीय कृषि सांख्यिकी के 55वें वार्षिक सम्मेलन में संगोष्ठी में संयोजन	14.1.2002 से 18.1.2002	4068	रेल	आई ए एस आर आई
		अधिकारी का नामः डा. वी.के. शर्मा प्रधान वैज्ञानिक तथा प्रो. (कृषि सांख्यिकी)			
मोदीपुरम (मेरठ)	पी डी सी एस आर की आर ए सी बैठक	15-16 जून, 1999	270	बस	आई ए एस आर आई
हैदराबाद	कृषि अनुसंधान में प्रबंध विकास कार्यक्रम पर प्रशिक्षण	25-30 अक्तूबर, 1999	13745	हवाई यात्रा	आई ए एस आर आई
पाला, केरल	सांख्यिकी कम्प्यूटर एवं अनुप्रयोग सोसायटी के दूसरे वार्षिक सम्मेलन में भाग लेना	25.11.1999 से 1.12.99	11416	रेल	आई ए एस आर आई

1	2	3	4	5	6
तिरुचेरापल्ली, तमिलनाडु	भारती कृषि सांख्यिकी सोसायटी के 53वें वार्षिक सम्मेलन में भाग लेने	2.12.99 से 4.12.99		रेल	आई ए एस आर आई
पी ए यू. लुधियाना	कृषि अनुसंधान सांख्यिकी 13वें सम्मेलन में भाग लेने	5.11.2001 से 8.11.2001	2099	रेल	आई ए एस आर आई
राजकोट	सांख्यिकी कम्प्यूटर एवं अनुप्रयोग सोसायटी के चौथे वार्षिक सम्मेलन में भाग लेने	24-26 नवम्बर, 2001	2,500	रेल	आई ए एस आर आई
पी ए यू. लुधियाना	कृषि अनुसंधान सांख्यिकी में 13वें राष्ट्रीय सम्मेलन में तकनीकी स्तर में संयोजन एवं आमंत्रित पेपर प्रस्तुत किए	5.11.2001 से 9.11.2001	2099	रेल	आई ए एस आर आई
सी आई ए ई. भोपाल	भारतीय कृषि सांख्यिकी सोसायटी के 55वें वार्षिक सम्मेलन में पेपर प्रस्तुत किए	14.1.2002 से 18.1.2002	2890	रेल	आई ए एस आर आई
		अधिकारी का नाम: डा. डी.पी. हाण्डा, प्रधान वैज्ञानिक			
झांसी	परियोजना कार्य से संबंधित	मई, 2001 (दो दिन)	1,464	रेल	आई ए एस आर आई
		अधिकारी का नाम: पी.के. बत्रा, प्रधान वैज्ञानिक			
पी डी सी एस आर. मोदीपुरम (मेरठ)	फसल प्रणाली अनुसंधान निदेशालय परियोजना की आर ए सी बैठक	23-24 अक्टूबर, 200	508	बस	आई ए एस आर आई
फैजाबाद (उ.प्र.)	भारतीय कृषि सांख्यिकी सोसायटी का 54वां वार्षिक सम्मेलन	28-30 नवम्बर, 2000	327	बस	आई ए एस आर आई
झांसी	चर्चा	3.9.2001 से 6.9.2001	1895	रेल	एन ए टी पी
मोदीपुरम	चर्चा	2.5.2001	135	सड़क	एन ए टी पी
राजकोट (गुजरात)	सांख्यिकी, कम्प्यूटर और अनुप्रयोग सोसायटी का चौथा वार्षिक सम्मेलन	24-26 नवम्बर, 2001	5000	रेल	आई ए एस आर आई

1	2	3	4	5	6
		अधिकारी का नामः डा. आलोक लहिरी, वरिष्ठ वैज्ञानिक			
भोपाल	एस टी सी आर परियोजना पर चर्चा	मार्च, 2000 (3 दिन)	3,237	रेल	आई ए एस आर आई
आनन्द (गुजरात)	एस टी सी आर की 21वीं कार्यशाला में भाग लेना	16-18 जनवरी, 1999 (3 दिन)	3000	रेल	आई ए एस आर आई
पाला, केरल	सांख्यिकी, कम्प्यूटर और अनुप्रयोग सोसायटी के दूसरे वार्षिक सम्मेलन में भाग लेना	28 नवम्बर से 1 दिसम्बर, 1999	10,769	रेल	आई ए एस आर आई
तिरूचेरापल्ली, तमिलनाडु	भारतीय कृषि सांख्यिकी सोसायटी के 53वें वार्षिक सम्मेलन में भाग लेना	2 से 4 दिसम्बर, 1999			
कोयम्बटूर, तमिलनाडु	सांख्यिकी, कम्प्यूटर और अनुप्रयोग सोसायटी का तीसरा वार्षिक सम्मेलन	20-23 नवम्बर, 2000	8,502	रेल	आई ए एस आर आई
राजकोट (गुजरात)	सांख्यिकी, कम्प्यूटर और अनुप्रयोग सोसायटी के चौथे वार्षिक सम्मेलन	24-26 नवम्बर, 2001	3,000	रेल	आई ए एस आर आई
सी आई ए ई, भोपाल	पेपर प्रस्तुत करना भारतीय कृषि सांख्यिकी सोसायटी के 55वें वार्षिक सम्मेलन	14-18 जनवरी, 2002	3360	रेल	आई ए एस आर आई
बी सी के वी वी, कल्याणी, पश्चिम बंगाल	स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करना: एस टी सी आर पर राष्ट्रीय कार्यशाला	29.1.2002 से 7.2.2002	4233	रेल	आई ए एस आर आई
		अधिकारी का नामः डा. आर. श्रीवास्तव, प्रधान वैज्ञानिक			
सी आई ए ई, भोपाल	पेपर प्रस्तुत करना: भारतीय कृषि सांख्यिकी सोसायटी का 55वां वार्षिक सम्मेलन	14-18 जनवरी, 2002	3608	रेल	आई ए एस आर आई
		अधिकारी का नामः श्रीमती राजिन्दर कौर, वरिष्ठ वैज्ञानिक			
मोदीपुरम	पी डी सी एस आर की आर ए सी बैठक	15-16 जून, 1999	240	बस	आई ए एस आर आई

1	2	3	4	5	6
मोदीपुरम	पी डी सी एस आर की आर ए सी बैठक	23-24 अक्तूबर, 2000	716	बस	आई ए एस आर आई
फैजाबाद	आई एस ए एस का 54वीं वार्षिक सम्मेलन	28-30 नवम्बर, 2000	2400	रेल	आई ए एस आर आई
राहुरी	फसल पद्धति पर ए आई सी आर पी की 24वीं कार्यशाला	2-4 नवम्बर, 2000	3980	रेल	आई ए एस आर आई
तिरुवनन्तपुरम	कृषि शास्त्रियों की समूह बैठक	23-24 नवम्बर, 2001	7500	रेल	आई ए एस आर आई
		अधिकारी का नाम: श्री एम.आर. वत्स, वरिष्ठ वैज्ञानिक			
भोपाल	एस टी सी आर परियोजना पर चर्चा	मार्च, 2000 (3 दिन)	3373	रेल	आई ए एस आर आई
पाला केरल	सांख्यिकी, कंप्यूटर और अनुप्रयोग सोसायटी की दूसरा वार्षिक सम्मेलन	28 नवम्बर से 1 दिसम्बर, 1999	8034	रेल	आई ए एस आर आई
बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, रांची	स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करना एल टी एफ ई पर अ.भा.स.अ. परियोजना कार्यशाला	11.1.2002 से 16.1.2002	4901	रेल	आई ए एस आर आई
		अधिकारी का नाम: डॉ. राजेन्द्र प्रसाद, वरिष्ठ वैज्ञानिक			
पाला केरल	सांख्यिकी, कम्प्यूटर और अनुप्रयोग सोसायटी का दूसरा वार्षिक सम्मेलन	28 नवम्बर से 1 दिसम्बर, 1999	2000	रेल	आई ए एस आर आई
त्रिचिरापल्ली	भारतीय कृषि सांख्यिकी सोसायटी के 53वें वार्षिक सम्मेलन में भाग लेना	2-4 दिसम्बर, 1999	7500	रेल	आई ए एस आर आई
मोदीपुरम	पी डी सी एस आर की आर ए सी बैठक	23-24 अक्तूबर, 2000	720	बस	ए पी एस
फैजाबाद	आई एस ए एस का 54वां वार्षिक सम्मेलन	28-30 नवम्बर, 2000	2000	रेल	आई ए एस आर आई
पी ए यू लुधियाना	कृषि अनुसंधान सांख्यिकी के 13वें सम्मेलन में भाग लेना	6-8 नवम्बर, 2001	1500	रेल	आई ए एस आर आई

1	2	3	4	5	6
राजकोट	सांख्यिकी, कम्प्यूटर अनुप्रयोग सोसायटी का चौथा वार्षिक सम्मेलन	24-26 नवम्बर, 2001	5000	रेल	आई एएस आर आई
हैदराबाद	कृषि निरन्तरता का मूल्यांकन करने के लिए विश्लेषणात्मक यंत्रों और तकनीकों के संबंध में प्रशिक्षण	1-10 अगस्त, 2000	7638	रेल	आई ए एस आर आई
सी.आई.ए.ई. भोपाल	आमंत्रित पेपर प्रस्तुत करना भारतीय कृषि सांख्यिकी सोसायटी का 55वां वार्षिक सम्मेलन	14.1.2002 से 18.1.2002		रेल	आई ए एस आर आई
देहरादून	सम्मेलन	11.9.2001 से 13.9.2001	1148.00	रेल	एन ए टी पी
		अधिकारी का नाम: डा. सीमा जग्गी, वरिष्ठ वैज्ञानिक			
त्रिचिरापल्ली	भारतीय कृषि सांख्यिकी सोसाइटी का सम्मेलन (53वां)	2-4 दिसम्बर	7700	रेल	आई ए एस आर आई
लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ	इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन के 89वें सत्र में पेपर प्रस्तुत करना	2.1.2002 से 8.1.2002	2746	रेल	आई ए एस आर आई
		अधिकारी का नाम: श्रीमती अजित कौर भाटिया, वरिष्ठ वैज्ञानिक			
पी डी सी एस आर, मोदीपुरम, मेरठ	फसल पद्धति अनुसंधान के लिए अ.भा.स.अ. परियोजना के सस्य वैज्ञानिकों की ग्रूप बैठक	दिसम्बर 17-18, 1999	200	बस	आई एएस आर आई
एन डी यू ए टी, कुमारगंज, फैजाबाद	आई एस ए एस का 54वां वार्षिक सम्मेलन	28-30 नवम्बर, 2002	2000	रेल	आई ए एस आर आई
एम पी के वी, राहूरी	फसल पद्धति अनुसंधान पर अ.भा.स.अ. परियोजना की 24वीं कार्यशाला	2-4 नवम्बर, 2002	3500	रेल	आई ए एस आर आई
		अधिकारी का नाम: श्री एन.के. शर्मा, वरिष्ठ वैज्ञानिक			
राहूरी	फसल पद्धति पर अ.भा.स.अ.प्र. की 24वीं कार्यशाला	2-4 नवम्बर, 2000	3500	रेल	आई ए एस आर आई
त्रिवेन्द्रम	सस्य वैज्ञानिकों की ग्रुप बैठक	23-24 नवम्बर, 2001	7500	रेल	आई ए एस आर आई

1	2	3	4	5	6
		अधिकारी का नामः डा. सीनी वर्गीस, वैज्ञानिक			
पाला, केरल	सांख्यिकी, कम्प्यूटर एवं अनुप्रयोग सोसायटी का दूसरा वार्षिक सम्मेलन	28 नवम्बर से 1 दिसम्बर, 1999	9871	रेल	आई ए एस आर आइ
हैदराबाद	मैट्रिक्स एवं सांख्यिकी पर 9वीं अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला	9-13 दिसम्बर, 2000	3823	रेल	आई ए एस आर आई
सी आई ए ई, भोपाल	भारतीय कृषि सांख्यिकी सोसायटी के 55वें वार्षिक सम्मेलन में पेपर प्रस्तुत करना	14.1.2002 से 18.1.2002	2864	रेल	आई ए एस आर आई
		अधिकारी का नाम : श्री राजेन्द्र कुमार, वैज्ञानिक (एस एस)			
मोदीपुरम (मेरठ)	नई सहस्राब्दि में फार्मिंक पद्धति अनुसंधान पर राष्ट्रीय संगोष्ठी में भाग लेना	15-17 अक्तूबर, 2001	712	बस	आई ए एस आर आई
		अधिकारी का नामः श्री अनिल कुमार, वैज्ञानिक			
मोदीपुरम मेरठ	सम्मेलन में उपस्थित होने के लिए (नई सहसब्दि पर राष्ट्रीय फर्मिंग प्रणाली अनुसंधान संगोष्ठी)	15-17 अक्तूबर	अभी दावा नहीं किया गया	बस	आई ए एस आर आई
		अधिकारी का नामः श्री यू.सी. बन्दूनी, तकनीकी अधिकारी			
कानपुर	स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम और जे आर एफ के लिए अखिल भारतीय संयुक्त प्रवेश परीक्षा का संचालन करना	16.2001 से 3.6.2001	2222 रु.	रेल	आई ए एस आर आई
हैदराबाद	हिन्दी कार्यशाला में उपस्थिति होने के लिए	30.6.2001 से 6.7.2001	4574 रु.	रेल	आई ए एस आर आई

1	2	3	4	5	6
		अधिकारी का नामः श्री एल.एम. वर्मा, तकनीकी अधिकारी			
पी डी सी एस आर, मोदीपुरम	सी एस आर के लिए ए आई सी आर की दलीय बैठक	17-18 दिसम्बर 1999	2000 रु.	बस	आई ए एस आर आई
		श्री अमरेन्द्र कुमार, वैज्ञानिक प्रभागः पूर्वानुमान तकनीक			
हैदराबाद	एफ ओ सी ए आर एस (72वां)	28.11.2000 से 31.3.2001	15000 रु.	रेल	आई ए एस आर आई
आनन्द	पेपर प्रस्तुत करने	26.9.2001 से 27.9.2001	3500 रु.	रेल	आई ए एस आर आई
		डा. एल.एम. भार, वैज्ञानिक			
सी आई एफ ए भुवनेश्वर	तालाबों से मत्स्य उत्पादन का पूर्वानुमान	7.7.2000 से 11.7.2000	3800 रु.	रेल	आई ए एस आर आई
कासरगोड़	लागत उत्पादन संबंधी अध्ययन	17.3.2002 से 24.3.2002	7623 रु.	रेल	आई ए एस आर आई
सी आई एफ ए. भुवनेश्वर	मत्स्य पालन में जैव-सूचना और सांख्यिकी संबंधी राष्ट्रीय कार्यशाला व प्रशिक्षण में भाग लेने और व्याख्यान देने के लिए	7.1.2002 से 12.1.2002	4000 रु.	रेल	आई ए एस आर आई
		डा. चन्द्रहास, प्रधान वैज्ञानिक			
मुजफ्फरनगर	फील्ड कार्य के पर्यवेक्षण के लिए	17.6.1999 से 19.6.1999	1122 रु.	बस	आई ए एस आर आई
मुजफ्फरनगर	फील्ड कार्य का पर्यवेक्षण करना	26-27 मार्च, 1999	813 रु.	बस	आई ए एस आर आई
		डा. त्रिभुवन राय, वरिष्ठ वैज्ञानिक			
त्रिचुरापल्ली, तमिलनाडु	53वें आई एस ए एस सम्मेलन में भाग लेना	2-4 दिसम्बर, 1999	रु. 4142	रेल	आई ए एस आर आई

1	2	3	4	5	6
		डा. वी. रामाशुब्रामणियम			
पाला, तंची, केरल	स्टैंट एंड एप्ल. के दूसरे सम्मेलन-53वां आई एस ए एस सम्मेलन	21 नवम्बर से 7 दिसम्बर, 1999	6000 रु.	रेल	आई ए एस आर आई
नागपुर, कालिकट, कासरगोड़, हैदराबाद	आई एन ए आर आई एस (एन ए टी पी) परियोजना	24 जून से 15 जुलाई, 2001	8626 रु.	रेल	एन ए टी पी
एन आर सी-ऊंट, बीकानेर, राजस्थान	आई टी तथा डी बी एम एस में प्रगति संबंधी प्रशिक्षण में व्याख्यान देने के लिए	28 फरवरी से 2 मार्च, 2001	1600 रु.	रेल	आई ए एस आर आई
		डा. एस.सी. मेहता, वरिष्ठ वैज्ञानिक			
कुमारगंज, फैजाबाद	पादप रोगों के वेक्टर संबंधी राष्ट्रीय संगोष्ठी	11-13 नवम्बर, 1999	2500 रु.	रेल	आई ए एस आर आई
भरतपुर, राजस्थान	मिशन मोड परियोजना "फसल नाशीजीव और रोगों के लिए मौसम आधारित पूर्वसूचना प्रयोग का विकास" की समीक्षा बैठक	26-27 फरवरी, 2002	1200 रु.	सड़क	एन ए टी पी
सी आर आई डी ए, हैदराबाद	मिशन मोड परियोजना "फसल नाशीजीवों और रोगों के लिए मौसम आधारित पूर्वसूचना प्रणाली का विकास" की समूह बैठक	14-17 फरवरी, 2002	4500 रु.	रेल	आई ए एस आर आई
गुजरात जी ए यू, आनन्द	सतत कृषि उत्पादन के लिए आगरा मौसम विज्ञान संबंधी अनुसंधान संबंधी राष्ट्रीय सेमिनार में पेपर प्रस्तुत करने के लिए	27-28 सितम्बर, 2001	3600 रु.	रेल	आई ए एस आर आई
		(डा. रंजना अग्रवाल, प्रधान वैज्ञानिक और कार्यकारी प्रमुख)			
रानीचौरी	ए आई सी आर पी की कार्यशाला में भाग लेने के लिए	5-9 अक्तूबर, 1999	1000 रु.	रेल	आई ए एस आर आई
हैदराबाद	फसल पूर्व सूचना की बैठक में भाग लेने के लिए	3-5 दिसम्बर, 1999	12867 रु.	रेल	आई ए एस आर आई

1	2	3	4	5	6
हैदराबाद	सी आर आई डी ए पर फसल नाशीजीवों और रोगों के लिए मौसम आधारित पूर्व सूचना प्रणाली का विकास (एन ए टी पी परियोजना के अंतर्गत)	17-19 मई, 2001	12956 रु.	रेल	एन ए टी पी
इज्जतनगर और नैनीताल	नैनीताल में जेंडर मामले पर प्रशिक्षण कार्यक्रम और दुग्ध उत्पादन के पूर्वानुमान संबंधी परियोजना, इज्जतनगर	5-13 अक्तूबर 2001	1500 रु.	रेल	आई ए एस आर आई
हैदराबाद	एन ए ए आर एम पाठ्यक्रम	16-24 अक्तूबर, 2001	16000 रु.	रेल	आई ए एस आर आई
सी एस डब्ल्यू सी आर टी आई, देहरादून	पी पी के एस, अल्मोड़ा द्वारा आयोजित गेहूं, मक्का और चावल फसल के रोगों, कीटों और अवतरणों की मानीटरिंग के संबंध में कार्यशाला	9-11 दिसम्बर, 2001	2500 रु.	रेल	आई ए एस आर आई
भोपाल	सम्मेलन	18 जनवरी, 2002	3428 रु.	रेल	आई ए एस आर आई
सी आई सी आर, नागपुर	मिशन मोड परियोजना ''फसल नाशीजीव और रोगों के लिए मौसम आधारित पूर्व सूचना प्रणाली का विकास'' के कपास कार्यक्रम की समीक्षा बैठक	18-19 जनवरी, 2002	10000 रु.	हवाई यात्रा	एन ए टी पी
आई एस आर ओ, अहमदाबाद	एस ए सी (आई एस आर ओ) द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम	11-15 फरवरी, 2002	11000 रु.	हवाई यात्रा	आई ए एस आर आई
		श्रीमती आशा सक्सेना, प्रधान वैज्ञानिक			
रानीचौरी	ए आई सी आर पी पर कार्यशाला में भाग लेने के लिए	5-9 अक्तूबर, 1999	1711 रु.	रेल	आई ए एस आर आई
		प्रभाग : इकोनोमेटरिक्स			
		डा. आर. के. पाण्डेय, वरिष्ठ वैज्ञानिक			
हैदराबाद	सम्मेलन में भाग लेने के लिए	9-17 अक्तूबर, 1999	4436 रु.	रेल	आई ए एस आर आई

1	2	3	4	5	6
तिरुचिरापल्ली	सम्मेलन में भाग लेने के लिए	29 नवम्बर से 6 दिसम्बर, 1999	8336 रु.	रेल	आई ए एस आर आई
बनासवाड़ा	जय विज्ञान, एन ए टी पी	5 दिन (अक्तूबर, 2000)	7770 रु.	रेल	एन ए टी पी
चेन्नई	जय विज्ञान, एन ए टी पी	5 दिन (दिसम्बर, 2000)	7041 रु.	रेल	एन ए टी पी
जयपुर	साक्षात्कार में उपस्थित होने के लिए	27-29 अप्रैल, 2001	2520 रु.	रेल	आई ए एस आर आई
कल्याणी	जय विज्ञान, एन ए टी पी	7 दिन (जनवरी, 2001)	7162 रु.	रेल	एन ए टी पी
वाराणसी	वाराणसी, एन ए टी पी	20-25 फरवरी, 2002	2902 रु.	रेल	एन ए टी पी
चेन्नई	बैठक में भाग लेने के लिए	26 दिसम्बर, 2001 से 2 जनवरी, 2002	7684 रु.	रेल	आई ए एस आर आई
		सुश्री सुशीला कौल, वैज्ञानिक			
अजमेर	जय विज्ञान, एन ए टी पी	24-26 मई, 2000	2020 रु.	रेल	एन ए टी पी
जोधपुर	जय विज्ञान, एन ए टी पी	5-8 जुलाई, 2000	2760 रु.	रेल	एन ए टी पी
अजमेर	जय विज्ञान	1-2 अगस्त, 2000	1900 रु.	रेल	एन ए टी पी
बनासवाड़ा	जय विज्ञान, एन ए टी पी	17-20 अक्तूबर, 2000	7600 रु.	रेल	एन ए टी पी
लखनऊ	जय विज्ञान, एन ए टी पी	13-15 नवम्बर, 2000	2300 रु.	रेल	एन ए टी पी
जयपुर	जय विज्ञान, एन ए टी पी	27-29 मई, 2001	2000 रु.	रेल	एन ए टी पी

1	2	3	4	5	6
चेन्नई	सम्मेलन में भाग लेने के लिए	26 फरवरी, 2001 से 2 जनवरी, 2002	6944	रेल	आई ए एस आर आई
वेल्लोरे	इंडियन इकोनोमिक एसोसिएशन के 84वें सम्मेलन में भाग लेने के लिए	26 फरवरी, 2001 से 2 जनवरी, 2002	7515	रेल	आई ए एस आर आई
वाराणसी	जय विज्ञान परियोजना	19 मार्च, 2002	300	रेल	एन ए टी पी
		डा. एस.पी. भारद्वाज, वरिष्ठ वैज्ञानिक			
तिरुचिरापल्ली	सांख्यिकी वार्षिक सम्मेलन	29 नवम्बर से 6 दिसम्बर, 1999	8318	रेल	आई ए एस आर आई
फैजाबाद	सांख्यिकी वार्षिक सम्मेलन	27 नवम्बर से 1 दिसम्बर, 2000	2059	रेल	आई ए एस आर आई
चण्डीगढ़	पशु पालन पर बैठक, पंजाब सरकार में भाग लेने के लिए	17-19 दिसम्बर, 2000	1772	रेल	आई ए एस आर आई
चंडीगढ़	पशुपालन निदेशालय के साथ सहयोगी परियोजना	24.4.2002 से 25.4.2001	1,307	रेल	आई ए एस आर आई
पटना	एन ए टी पी-आई एन ए आर आई एस, एम आई एस	3.6.2001 से 18.6.2001	4,516	सड़क	एन ए टी पी
भोपाल	भारतीय कृषि सांख्यिकी सोसायटी का 55वें वार्षिक सम्मेलन में भाग लेने के लिए	14.1.2002 से 18.1.2002	4,000	रेल/ सड़क	आई ए एस आर आई
फरीदाबाद	लाख विपणन (कृ.उ. उपकर निधि) पर परियोजना में अपेक्षित विचार-विमर्श के लिए विपक्षण एवं निरक्षण निदेशालय, फरीदाबाद	11.1.2002	900	सड़क	कृषि उत्पाद उपकर
मुम्बई	कृषि विपणन पर 15वें राष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल होने के लिए	22.2.2002 से 28.2.2002	6700	रेल	आई ए एस आर आई

1	2	3	4	5	6
		डा. धर्मराज सिंह, वैज्ञानिक			
अजमेर	घरेलू निधि एन ए टी पी	7.8.00 से 12.8.00	1500	रेल	एन ए टी पी
अजमेर	-वही-	18.9.00 से 22.9.00	1392	रेल	एन ए टी पी
बनारावाड़ा	आंकड़ा संकलन	16.11.00 से 23.11.00	2800	रेल	एन ए टी पी
हैदराबाद	नार्म	28.11.00 से 1.4.01	10200	रेल	आई ए एस आर आई
जोधपुर	आंकड़ा संकलन	3.11.00 से 7.11.00	2119	रेल	एन ए टी पी
हैदराबाद	नार्म		8000	रेल	आई ए एस आर आई
बनासपाड़ा	आंकड़ा संकलन	15.11.00 से 22.11.00	3308	रेल	एन ए टी पी
मुजफ्फरनगर	आंकड़ा संकलन	11.11.00 से 12.11.00	516	सड़क	एन ए टी पी
मालपुर	आंकड़ा संकलन	13.9.01 से 15.9.01	1500	रेल	एन ए टी पी
जयपुर	घरेलू निधि एन ए टी पी	13.9.01 से 15.9.01	1781	रेल	एन ए टी पी
		डा. अशोक कुमार, वरिष्ठ वैज्ञानिक			
नैनीताल	सामान्य मुद्दे पर प्रशिक्षण	5.10.2001 से 13.10.2001	2530	रेल	आई ए एस आर आई
देहरादून	कार्यशाला	24.8.2001 से 25.8.2001	1678	सड़क	आई ए एस आर आई
देहरादून	कार्यशाला	19.7.2001 से 20.7.2001	1678	सड़क	आई ए एस आर आई
जोधपुर	यू एस के इकट्ठा करने के लिए	6.1.2002 से 9.1.02	2875	रेल	आई ए एस आर आई
		श्री संजीव पंवार, वैज्ञानिक			
हैदराबाद	एफ ओ सी ए आर एस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए	4.1.99 से 7.5.99	15540	रेल	आई ए एस आर आई

1	2	3	4	5	6
हैदराबाद	प्रशिक्षण कार्यक्रम विश्लेषणात्मक उपकरण एवं तकनीकें	30.7.2000 से 11.8.2000	7258	रेल	आई ए एस आर आई
मुजफ्फरनगर		11.11.2000 से 14.11.2000	726	बस	आई ए एस आर आई
		डा. पी के मल्होत्रा, अध्यक्ष प्रभाग : कम्प्यूटर उपयोग			
नार्म, हैदराबाद	कृषि अनुसंधान में तीसरी प्रबंधन प्रगति	24-29 2000	13000	रेल	आई ए एस आर आई
पी डी, एस सी आर, मोदीपुरम	एन ए टी पी परियोजना की कार्यशाला में शामिल होना	23.8.2001	95	बस	एन ए टी पी
पी ए यू, लुधियाना	कृषि अनु. सांख्यिकी के तेरहवें सम्मेलन में शामिल होना	6-8 नवम्बर, 2001	1500	रेल	आई ए एस आर आई
		सुश्री अल्का अरोड़ा, वैज्ञानिक			
मखदूम	संस्थान इंटरनेट पर प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेना	3-13 अगस्त, 1999	2170	बस	आई ए एस आर आई
		श्री सुभाष चन्द, ए ई सी ओ			
सी आई आर जी, मखदूम	लिनक्स ओ/एस के उपयोग से इंटरनेट के लिए विकास संबंधी प्रशिक्षण	5 दिन अगस्त, 1999	800	बस	आई ए एस आर आई
		श्री जय भगवान, ए ई सी ओ			
सी आई आर जी, मखदूम	लिनक्स ओ/एस के उपयोग से इंटरनेट के लिए विकास संबंधी प्रशिक्षण	5 दिन अगस्त, 1999	800	बस	आई ए एस आर आई
सी आई आर जी, मखदूम	लिनक्स ओ/एस के उपयोग के इंटरनेट के लिए विकास संबंधी प्रशिक्षण	10-15 सितम्बर, 2001	1172	बस	आई ए एस आर आई

1	2	3	4	5	6
		श्री सुनील दत्त शर्मा, ए ई सी ओ			
सी आई आर जी, मखदूम	लिनक्स ओ/एस के उपयोग से इंटरनेट के लिए विकास संबंधी प्रशिक्षण	10-15 सितम्बर, 2001	1292	बस	आई ए एस आर आई
		श्री पाल सिंह, वैज्ञानिक			
नार्म, हैदराबाद	71 वां एफ ओ सी ए आर एस	4 माह	30,000.00	रेल	आई ए एस आर आई
		श्री के के चतुर्वेदी, वैज्ञानिक			
नार्म, हैदराबाद	73 वां एफ ओ सी ए आर एस	4 माह	30,000.00	रेल	आई ए एस आर आई
आई आई एस आर, कालीकट	एन ए टी पी के अंतर्गत "काडिफिकेशन ऑफ डेटाबेसिस" कार्यशाला में भाग लेना एवं शामिल होना	3.2.2002 से 9.2.2002	10,000 (लगभग)	रेल	एन ए टी पी
		डा. वी के महाजन, प्रधान वैज्ञानिक			
लुधियाना	कृषि सांख्यिकी के 13वें राष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल होना	5-9 नवम्बर, 2001	1500.00	रेल	आई ए एस आर आई
		मोहम्मद समीर फारूकी, वैज्ञानिक			
नार्म, हैदराबाद	66वा. एफ ओ सी ए आर एस प्रशिक्षण	4 माह	25,000	रेल	आई ए एस आर आई
		श्री एस.एन. इस्लाम, वैज्ञानिक			
नार्म हैदराबाद	एफ ओ सी ए आर एस प्रशिक्षण	4 महीने	30,000	रेल	आई ए एस आर आई
		श्री विपिन कुमार दुबे, वैज्ञानिक			
नार्म हैदराबाद	73वीं एफ ओ सी ए आर एस प्रशिक्षण	4 महीने	30,000	रेल	आई ए एस आर आई

1	2	3	4	5	6
एरणाकूलम/ कोच्चि	प्रशिक्षण	5.3.02 से 11.3.02	8000	रेल	आई ए एस आर आई
		श्री शशि दहिया, वैज्ञानिक			
नार्म हैदराबाद	एफ ओ सी ए आर एस प्रशिक्षण	4 महीने	27,000.00	रेल	आई ए एस आर आई
		डॉ. आर.सी. गोयल, प्रधान वैज्ञानिक			
काजरी, जोधपुर	पी आई एम एस का कार्यान्वयन	20-23 सितम्बर, 2000	2,445.00	रेल	एम ए टी पी
नार्म, हैदराबाद	पी आई एम एस का कार्यान्वयन	26-29 सितम्बर, 2000	13,260.99	रेल	एम ए टी पी
एन आर सी मिथुन, नागालैंड	पी आई एम एस का कार्यान्वयन	18-21 अक्तूबर, 2000	18,000.00	वायुयान	एम ए टी पी
यू ए एस, बंगलौर	एम ए टी पी के तहत एम एंड सी ई के लिए एस ए पी एंड पी आई की बैठक	30-31 जुलाई, 2001	16,000.00	वायुयान	एम ए टी पी
क्रीडा हैदराबाद	एम एंड सी ई प्रस्तुतीकरण के लिए पी एम टी सेंसटाइजेशन कार्यशाला	26-28 अगस्त, 2001	15,100.00	वायुयान	एन ए टी पी
आई आई एस आर, लखनऊ	एन ए टी पी एंड एम एंड सी ई की एस ए पी बैठक में भाग लेना	20.8.2001	6,437.00	रेल	एन ए टी पी
काजरी जोधपुर	एम एंड सी ई एंड एन ए टी पी की पी एम ई सेंसटाइजेशन कार्यशाला	3.10.2001	6,845.00	रेल	एन ए टी पी

1	2	3	4	5	6
पी ए यू, लुधियाना	कृषि अनुसंधान सांख्यिकी सम्मेलन में भाग लेना	5-9 नवम्बर, 2001	1,500.00	रेल	एन ए टी पी
क्रीड़ा, हैदराबाद	पी आई एम एस के माध्यम से निगरानी का कार्यान्वयन	15.1.2002 से 17.1.2002	15,500	वायुयान	एम ए टी पी
		श्री सुदीप, वैज्ञानिक			
हैदराबाद	पी आई एम एस (एन ए टी पी) का प्रदर्शन प्रशिक्षण	25.9.2000 से 1.10.2000	6000	रेल	एन ए टी पी
देहरादून	पी आई एम एस (एन ए टी पी) का प्रदर्शन प्रशिक्षण	20-22 सितम्बर, 2001	1500	रेल	एन ए टी पी
बीकानेर	अनुसंधान प्राथमिकता (एन ए टी पी) के लिए सेंसटाइजेशन कार्यशाला	23-24 फरवरी, 2001	2005	रेल	एन ए टी पी
भोपाल	आई एन ए आर आई एस (एन ए टी पी) के तहत पूर्व-आवश्यकता विश्लेषण कार्यशाला	14-16 मई, 2001	2,477	रेल	एन ए टी पी
हैदराबाद	नार्म प्रशिक्षण (एफ ओ सी ए आर एस)	29.5.2001 से 28.9.2001	25,000	रेल	आई ए एस आर आई
शिमला	नार्म के तहत एफ ओ सी ए आर एस (एफ ई टी)	2.10.2001		रेल	आई ए एस आर आई

1	2	3	4	5	6
एन डी आर आई, करनाल	कार्यशाला में व्याख्यान देना	20.12.2001	625	बस द्वारा	आई ए एस आर आई
सी आई ए ई, भोपाल	आई ए एस एस सम्मेलन	15.1.2001 से 18.1.2002	2927	रेल	आई ए एस आर आई
सी एस डब्ल्यू सी आर एंड टी आई	पी आई एम एस प्रस्तुतीकरण	22.1.2002 से 23.1.2002	1503	रेल	एम ए टी पी
एच ए यू, हिसार	पी आर टी कार्यशाला एन ए टी पी सी जी पी	28.2.2002 से 3.3.2002	743	बस	एन ए टी पी
		सुश्री संगीता अहुजा, वैज्ञानिक			
हैदराबाद	एफ ओ सी ए आर एस	23.8.2000 से 22.12.2000	रु. 14055	रेल	आई ए एस आर आई
		सुश्री अंशु दीक्षित, वैज्ञानिक			
हैदराबाद	एफ ओ सी ए आर एस, नार्म	23.8.2000 से 23.12.2000	रु. 15905	रेल	आई ए एस आर आई
पटना	एन ए पी टी परियोजना	3.6.2001 से 7.6.2001	रु. 4634	रेल	एन ए टी पी
हैदराबाद	रिमोट सेंसिग प्रशिक्षण	17.11.2001 से 20.2.2002	रु. 20,000	रेल	एन ए टी पी
		श्री पन्ना लाल गुप्ता, तकनीकी अधिकारी			
देहरादून	पी आई एम एस पर प्रशिक्षण कार्यशाला	21-22 सितम्बर, 2000	1,759.00	रेल	एन ए टी पी
कानपुर	पी आई एम एस पर प्रशिक्षण कार्यशाला	23-24 अक्टूबर, 2000	2,108.00	रेल	एन ए टी पी

1	2	3	4	5	6
		श्री एस.के. सुब्लनिया, तकनीकी अधिकारी			
एन आई एफ एम. फरीदाबाद	एन ए टी पी के तहत परियोजना प्रशिक्षण में भाग लेना	17-22 जून, 2000	1488.00	रेल	एन ए टी पी
सी आई एफ ई मुम्बई	प्रशिक्षण	26.2.2001 से 3.3.2001	7560.00	रेल	आई ए एस आर आई
		डॉ. अनिल राय, वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं पी आई			
एम बी एफ जी आर. लखनऊ	आई एन ए आर आई एस की परियोजना कार्य। एन ए टी पी परियोजना	22-24 मई, 2001	1,300.00	रेल	एन ए टी पी
सी पी सी आर आई. कासरगोड़	आई एन ए आर आई एल की परियोजना कार्य एन ए टी पी परियोजना		21,988.00	रेल	एन ए टी पी
एन बी ए जी आर. करनाल	आई एन ए आर आई एस, का परियोजना कार्य एन ए टी पी परियोजना	18.7.01	622.00	बस	एन ए टी पी
सी आई पी एच ई टी. लुधियाना	लासेस का परियोजना कार्य, एन ए टी पी परियोजना	20-21 जुलाई, 2001	1500.00	रेल	एन ए टी पी
हैदराबाद	लासेस का परियोजना कार्य एन ए टी पी परियोजना	11 से 13 जुलाई, 2001	14,924.00	हवाई जहाज	एन ए टी पी
आई आई एच आर, बंगलौर तथा एन बी एस एस एल यू पी, नागपुर	लासेस का परियोजना कार्य एन ए टी पी परियोजना	23.7.01 से 4.8.01	18,492.00	हवाई जहाज	एन ए टी पी
सी आई ए ई, भोपाल	लासेस का परियोजना कार्य एन ए टी पी परियोजना	23.8.01 से 25.8.01	2,000	रेल	एन ए टी पी

1	2	3	4	5	6
पी डी सी एस आर, मोदीपुरम	लासेस का परियोजना कार्य एन ए टी पी परियोजना	2.5.01	120.00	बस	एन ए टी पी
पी जी सी एस आर, मोदीपुरम	लासेस का परियोजना कार्य एन ए टी पी परियोजना	13.8.01	536.00	बस	एन ए टी पी
एन आर सी ए एफ, झांसी	लासेस का परियोजना कार्य एन ए टी पी परियोजना	3-6 सितम्बर, 2001	1,930.00	रेल	एन ए टी पी
डी सी ओ एम आर, पटना	लासेस का परियोजना कार्य एन ए टी पी परियोजना	10 से 12 सितम्बर, 2001	9,461.00	रेल	एन ए टी पी
एन बी एफ जी आर, लखनऊ	लासेस का परियोजना कार्य एन ए टी पी परियोजना	25-28 सितम्बर, 2001	2376.00	रेल	एन ए टी पी
पी ए यू, लुधियाना	कृषि सांख्यिकी का वार्षिक सम्मेलन	5-8 नवम्बर, 2001	1500	रेल	आई ए एस आर आई
एन जी आर आई. करनाल	एन ए टी पी की बैठक में भाग लेने के लिए लासेस परियोजना	10-11 मई, 2001	622	बस	एन ए टी पी
ललितपुर	कृषि उत्पाद उपकर निधि परियोजना का जी आई एस परियोजना संरक्षण	21-24 फरवरी, 2001	2700	रेल	कृषि उत्पाद उपकर
ललितपुर	कृषि उत्पाद उपकर निधि परियोजना का जी आई एस परियोजना संरक्षण	11-14 मार्च, 2001	2796	रेल	एन पी-सी ई एस एस
फैजाबाद	आई एस ए एस सम्मेलन	27.11.2000 से 1.12.2000	2291	रेल	आई ए एस आर आई
कांडला पोर्ट	कृषि मंत्रालय की रासायनिक परियोजना	12 से 22 अगस्त, 2000	4587	रेल	आई ए एस आर आई
आई एस आई, कलकत्ता	बड़े डाटाबेस प्रशिक्षण	6-26 फरवरी, 2000	5144	रेल	आई ए एस आर आई
एन डी आर आई, करनाल	लैक्वर प्रशिक्षण	21.12.2001	एन डी आर आई, करनाल द्वारा भुगतान	रेल	आई ए एस आर आई

1	2	3	4	5	6
त्रिचूरापल्ली	आई एस ए एस का सम्मेलन	29.11.99 से 6.12.99	8575	रेल	आई ए एस आर आई
आई आई एस आर, कालीकट	आई एन ए आर आई एस कार्यशाला	7.2.2000 से 10.2.2002	19000	हवाई यात्रा	ए ए पी पी
		श्री सौरभ प्रकाश, वैज्ञानिक			
हैदराबाद	नार्म	29.5.01 से 2.10.01	17000	रेल	आई ए एस आर आई
बीकानेर	एन ए टी पी (पी एम ई)	23-25 फरवरी, 2001	1685	रेल	एन ए टी पी
जोधपुर	एन ए टी पी (पी एम ई)	20-23 सितम्बर, 2000	2000	रेल	एन ए टी पी
हैदराबाद	एन ए टी पी (पी एम ई)	25.9.00 से 1.10.00	6000	रेल	एन ए टी पी
मीठजीप्का	एन ए टी पी (पी एम ई)	18-21 अक्टूबर, 2000	1,800	रेल	एन ए टी पी
कानपुर	एन ए टी पी (पी एम ई)	23.10.00 से 25.10.00	2,000	रेल	एन ए टी पी
जोधपुर	एन ए टी पी (पी एम ई)	20.9.99 से 22.9.00	2.576	रेल	एन ए टी पी
हैदराबाद	एन ए टी पी (पी एम ई)	25.9.01 से 1.10.00	5904	रेल	एन ए टी पी
		डा. एच.वी.एल. बथला, प्रमुख वैज्ञानिक एवं कार्यकारी अध्यक्ष		**प्रभाग : नमूना सर्वेक्षण**	
फरीदाबाद	कृषि उत्पाद उपकर निधि परियोजना	14.2.2000	400	बस	डी ओ ए सी
भोपाल	एफ आई एम परियोजना	13-15 नवम्बर, 2000	2000	रेल	आई ए एस आर आई
फैजाबाद	सम्मेलन	27 नवम्बर, से 1 दिस्मबर, 2000	2100	रेल	आई ए एस आर आई
चण्डीगढ़	बैठक, ए एच विभाग	24-25 अप्रैल, 2001	1900	रेल	एफ ए ओ
ग्वालियर	अन्तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण अध्ययन दौरा	21-23 अप्रैल, 2001	प्रशिक्षण निधि	रेल	आई सी ए आर
समस्तीपुर	आई सी ए आर अखिल भारत परीक्षा	18-21 मई, 2001	भा.कृ.अ.प. द्वारा भुगतान	रेल	भा.कृ.अ.प.
लुधियाना	एन ए टी पी परियोजना	30-31 मई, 2001	2500	रेल	आई ए एस आर आई

1	2	3	4	5	6
करनाल	एन ए टी पी परियोजना	18.7.2001	135	बस	एन ए टी पी
कोचीन	एन ए टी पी परियोजना	26-28 जुलाई, 2001	20000	हवाई यात्रा	एन ए टी पी
विशाखापटनम	एन ए टी पी परियोजना	12-15 अगस्त, 2001	18000	हवाई यात्रा	एन ए टी पी
इज्जतनगर	एन ए टी पी परियोजना	3.9.2001	2000	रेल	एन ए टी पी
अविकानगर	एन ए टी पी परियोजना	21 से 23 अक्टूबर, 2001	2000	रेल	एन ए टी पी
उदयपुर	विशेषज्ञ के रूप में	9.11.2001	विश्वविद्यालय द्वारा भुगतान	रेल	विश्वविद्यलय
पी ए यू लुधियाना	ए आर एस सम्मेलन के संयोजक	5-8 नवम्बर, 2001	1500	रेल	आई ए एस आर आई
आई सी ए आर रिसर्च काम्पलेक्स बड़ापानी	एफ आई एम परियोजना	17-25 नवम्बर, 2001	21000	हवाई यात्रा एवं सड़क	डो ओ ए सी
सी आई ए ई, भोपाल	एन ए टी पी परियोजना	15-17 जनवरी, 2002	2000	रेल	आई ए एस आर आई
सी आई एफ टी, कोचीन	एन ए टी पी परियोजना	28-31 जनवरी, 2002	24,000	हवाई यात्रा	एन ए टी पी
कासरगोड़	नारियल पर अध्ययन	20.3.2002 से 23.3.2002	18,693	हवाई यात्रा	नारियल बोर्ड
	अधिकारी का नाम : डा. जगबीर सिंह, वरिष्ठ वैज्ञानिक		**प्रभागः नमूना सर्वेक्षण**		
जी ए यू आनन्द	कार्यशाला में भाग लेना	16-18 जनवरी, 1999	3754	रेल	आई ए एस आर आई
तिरूचेरापल्ली	आई एस ए एस सम्मेलन	2-4 दिसम्बर, 1999	10,000	रेल	आई ए एस आर आई
फैजाबाद	आई एस ए एस सम्मेलन	28-30 नवम्बर, 2000	2000	रेल	आई ए एस आर आई
अविकारनगर	एन ए टी पी परियोजना	31 जुलाई से 3 अगस्त, 2001	1500	रेल	एन ए टी पी
अविकारनगर	एन ए टी पी परियोजना	21-23 अक्टूबर, 2001	1600	रेल	एन ए टी पी
सी आई ए ई, भोपाल	आई एस ए एस सम्मेलन	15-17 जनवरी, 2002	3300	रेल	आई ए एस आर आई
सी एस डब्ल्यू आर आई, अविकानगर	मिशन मोड एन ए टी पी परियोजना	19-21 फरवरी, 2002	2200	रेल	एन ए टी पी
	अधिकारी का नाम डॉ. डी.एल. आहूजा, प्रमुख वैज्ञानिक		**प्रभाग : नमूना सर्वेक्षण**		
भोपाल	एफ आई एम परियोजना	17-20 दिसम्बर, 2000	2000	रेल	डी ओ ए सी

1	2	3	4	5	6
फैजाबाद	आई एस ए एस सम्मेलन	28-30 नवम्बर, 2000	2000 रुपए	रेल	आई ए एस आर आई
भोपाल	एफ आई एम परियोजना	1-3 मई, 2001	2000 रुपए	रेल	डी ओ ए सी
लखनऊ	एफ आई एम परियोजना	9-13 जुलाई, 2001	2000 रुपए	रेल	डी ओ ए सी
जोरहट	आंकड़ा संग्रहण	10.3.02 से 17.3.2002	18.272 रुपए	हवाई यात्रा	डी ओ ए सी
	अधिकारी का नाम श्री डी.सी. माथुर, वरिष्ठ वैज्ञानिक		**प्रभाग : नमूना सर्वेक्षण**		
जयपुर	एच एल टी सी सी बैठक	13.1.99	1100 रुपए	रेल	आई ए एस आर आई
चंडीगढ़	अनुसंधान अध्ययन	4-5 मार्च, 99	700 रुपए	रेल	आई ए एस आर आई
करनाल	अनुसंधान अध्ययन	9.3.99	500 रुपए	रेल	आई ए एस आई
करनाल	अनुसंधान अध्ययन	26.3.99	500 रुपए	रेल	आई ए एस आर आई
करनाल	क्षेत्र कार्य का पर्यवेक्षण	13-15 अप्रैल, 99	750 रुपए	रेल	आई ए एस आर आई
श्रीनगर, हनुमानगढ़	एफ एंड वी योजना	17-21 अगस्त, 99	1200 रु.	रेल	आई ए एस आर आई
लुधियाना	प्रवेश परीक्षा	18-20 मई, 2991	1500 रु.	रेल	आई सी ए आर
कानपुर	परीक्षा आयोजित करना	3-6 जून, 2001		रेल	आई सी ए आर
केरल	उत्पादन परियोजना की लागत	5-16 अगस्त, 2001	9500 रुपए	रेल	आई सी ए आर
केरल	एफ आई एम परियोजना	16-24 सितम्बर, 2001	9500 रुपए	रेल	डी ओ ए सी
केरल	कार्य क्षेत्र का पर्यवेक्षण	28 मार्च से 9 अप्रैल, 2001	9500 रुपए	रेल	डी ओ ए सी

1	2	3	4	5	6
पुणे	एफ आई एम परियोजना के तहत प्रशिक्षण देना	14-19 जनवरी, 2001	4668 रुपए	रेल	डी ओ ए सी
कासरगोड़	नारियल परियोजना के तहत आंकडा जांच	26 फरवरी से 6 मार्च, 2002	8000 रुपए	रेल	नारियल बोर्ड
		अधिकारी का नाम डॉ. टी. अहमद, वैज्ञानिक	**प्रभाग : नमूना सर्वेक्षण**		
पटना	आई एन ए आर आई एस परियोजना	3-7 जून, 2001	4676 रुपए	रेल	एन ए टी पी
बंगलौर	आई एन ए आर आई एस कार्यशाला	28 जुलाई से 1 अगस्त, 2001	8998 रुपए	रेल	एन ए टी पी
विशाखापट्नम	एन ए टी पी परियोजना	10-16 अगस्त, 2001	4500 रुपए	रेल	एन ए टी पी
मुम्बई	सम्मेलन	19-22 दिसम्बर, 2000	6944 रुपए	रेल	आई ए एस आर आई
कलकता	शीतकालीन स्कूल	6 फरवरी से 2 मार्च, 2000	300 रुपए	रेल	आई ए एस आर आई
तिरूचिरापल्ली	आई एस ए एस सम्मेलन	29 नवम्बर से 6 दिसम्बर, 99	8454 रुपए	रेल	आई ए एस आर आई
हैदराबाद	नार्म में प्रशिक्षण	5 अक्टूबर, 98 से 8 फरवरी, 99		रेल	आई ए एस आर आई
आई आई एस आर कालीकट	आई एन ए आर आई एस कार्यशाला	2.11.2001 से 10.11.2001	9500 रुपए	रेल	एन ए टी पी
कालीकट	डाटाबेस कार्यशाला	6.2.2002 से 11.2.2002	11000 रुपए	रेल	आई ए एस आर आई
		अधिकारी का नाम डॉ. जी.के. झा वैज्ञानिक प्रभाग : नमूना सर्वेक्षण			
तिरूचिरापल्ली	आई एस ए एस सम्मेलन	2-4 दिसम्बर, 99	4000 रुपए	रेल	आई ए एस आर आई

1	2	3	4	5	6
फैजाबाद	आई एस ए एस सम्मेलन	28-30 नवम्बर, 2000	2100 रुपए	रेल	आई ए एस आर आई
बरेली	एन ए टी पी परियोजना	21.7.2001	1000 रुपए	रेल	एन ए टी पी
बरेली	एन ए टी पी	3-4 सितम्बर, 2001	1400 रुपए	रेल	एन ए टी पी
हैदराबाद	एफ ओ सी ए आर एस प्रशिक्षण	6-8 फरवरी, 99	2000 रुपए	रेल	आई ए एस आर आई
	अधिकारी का नाम श्री सत्यपाल, वरिष्ठ वैज्ञानिक		**प्रभाग : नमूना सर्वेक्षण**		
लुधियाना	एफ आई एम परियोजना	8-10 अगस्त, 2001	1688 रुपए	रेल	डी ओ ए सी
पालमपुर	एफ आई एम परियोजना	3-8 नवम्बर, 2001	1972 रुपए	रेल	डी ओ ए सी
हिसार	एफ आई एम परियोजना	3-6 जनवरी, 2002	672 रुपए	बस	डी ओ ए सी
	अधिकारी का नाम श्री वी.के. जैन, वैज्ञानिक (एस एस)		**प्रभाग : नमूना सर्वेक्षण**		
ललितपुर	जी आई एस परियोजना	21-24 फरवरी, 2001	2104	रेल	ए पी-सी ई एस एस
भोपाल	आई एन ए आर आई एस परियोजना	14-16 मई, 2001	2349	रेल	एन ए टी पी
ललितपुर	जी आई एस परियोजना	31 मई से 2 जून 2001	1941	रेल	ए पी-सी ई एस एस
भोपाल	आई एन ए आर आई ए एस परियोजना	23-25 अगस्त, 2001	2349	रेल	एन ए टी पी
झांसी	जी आई एस परियोजना	3-6 सितम्बर, 2001	1818	रेल	ए पी-सी ई एस एस
ललितपुर	जी आई एस परियोजना	4-6 अक्टूबर, 2001	2000	रेल	ए पी-सी ई एस एस

1	2	3	4	5	6
		अधिकारी का नाम श्री आर.एस. खत्री, प्रधान वैज्ञानिक		**प्रभाग : नमूना सर्वेक्षण**	
अविकानगर	ए पी उपकर परियोजना	4-6 सितम्बर, 2000	1600 रु.	रेल	ए पी सी ई एस एस
कोलकात्ता	सम्मेलन	6-11 दिसम्बर, 2000	6500 रु.	रेल	आई ए एस आर आई
फैजाबाद	आई एस ए एस सम्मेलन	25 नवम्बर से 1 दिसम्बर, 2000	2700 रु.	रेल	आई ए एस आर
बीकानेर	फील्ड स्टाफ को प्रशिक्षण	2-8 सितम्बर, 2001	3500 रु.	रेल	आई ए एस आर आई
कोलार जिला	ए पी उपकर परियोजना	6-12 अक्टूबर, 2001	8000 रु.	रेल	ए पी सी ए एस एस
नेहरू केन्द्र, वरली मुम्बई	डेरी उद्योग सम्मेलन	5-9 फरवरी, 2002	5939 रु.	रेल	आई ए एस आर आई
कानपुर	बैठक में शामिल होना	4.3.2002 से 5.3.2002	3140 रु.	रेल	आई ए एस आर आई
		अधिकारी का नाम डॉ. यू.पी. सूद प्रधान वैज्ञानिक एवं पी आई		**प्रभाग : नमूना सर्वेक्षण**	
कांडला पोर्ट, गुजरात	अनुसंधान अध्ययन	अगस्त, 2000	5000 रु. एस	रेल	ए पी-सी ई एस
भावनगर	अनुसंधान अध्ययन	मार्च, 2000	20000 रु.	रेल	आई ए एस आर आई
बैंकाक	जी आई एस प्रशिक्षण	सितम्बर, दिसम्बर, 2000	ए एच आर डी, कृषि शिक्षा प्रभाग आई.सी.ए.आर.	रेल	एफ ए ओ
कासरगोड	नारियल परियोजना	जनवरी, 2001	10000 रु.	रेल	नारियल बोर्ड
काकिनाडा पोर्ट	अनुसंधान अध्ययन	फरवरी, 2001	7000 रु.	रेल	ए पी-सी ई एस एस
लुधियाना	सम्मेलन	नवम्बर, 2001	2000 रू.	रेल	आई ए एस आर आई
कासरगोड	नारियल परियोजना	जून, 2001	18,000 रु.	रेल	नारियल बोर्ड

1	2	3	4	5	6
पी ए यू लुधियाना	ए आर एस सम्मेलन में शामिल होना	5-7 नवम्बर, 2001	1500 रु.	रेल	आई ए एस आर आई
		अधिकारी का नाम डॉ. के.के.त्यागी, प्रधान वैज्ञानिक एवं पी.आई.		**प्रभाग : नमूना सर्वेक्षण**	
गोवा	खेलकूद संबंधी बैठक	14-17 मई, 1999	खेल नियम	रेल	आई ए एस आर आई
इज्जतनगर	जे आर एफ परीक्षा	11-13 जून, 1999	कृषि शिक्षा प्रभाग आई. सी.ए.आर.	रेल	आई सी ए आर
करनाल	खेलकूद संबंधी बैठक	20 नवम्बर से 2 दिसंबर 1999	खेल नियम	रेल	आई ए एश अ्र आई
भोपाल	एफ आई एम परियोजना	13-15 नवम्बर, 2000	2000 रु. अनुमान	रेल	डी ओ ए सी
गाजियाबाद	एफ आई एम परियोजना	12.10.2000	150 रु.	बस	डी ओ ए सी
फैजाबाद	आई एस ए एस सम्मेलन	27 नवम्बर से 1 दिसम्बर, 2000	रु. 2000 लगभग	रेल	आई ए एस आर आई
भोपाल	एफ आई एम परियोजना	17-20 दिसम्बर, 2000	रु. 2000 लगभग	रेल	डी ओ ए सी
भोपाल	एफ आई एम परियोजना	30 मई से 3 जून, 2001	रु. 2000 लगभग	रेल	डी ओ ए सी
भोपाल	एफ आई एम परियोजना	30 सितम्बर से 2 अक्टूबर, 2001	रु. 2000 लगभग	रेल	डी ओ ए सी
आगरा	इरीट्रिया प्रशिक्षण कार्यक्रम	25-26 अप्रैल, 2001	रु. 1000 लगभग	रेल	आई ए एस आर आई
जोरहाट, उमियम, इम्फाल	एफ आई एम परियोजना	17-25 नवम्बर, 2001	रु. 21000 लगभग	हवाई यात्रा/ सड़क	डी ओ ए सी
हिसार	खेलकूद कार्यक्रम	5-7 नवम्बर, 2001	रु. 400 लगभग	बस	आई ए एस आर आई
सी आई ए ई, भोपाल	आई एस ए एस का वार्षिक सम्मेलन	15-17 जनवरी, 2002	रु. 2500 लगभग	रेल	आई ए एस आर आई

1	2	3	4	5	6
जी ए यू, अहमदाबाद	फार्म यंत्रीकरण परियोजना	22-23 जनवरी, 2002	रु. 9500 लगभग	हवाई यात्रा	डी ओ ए सी
	अधिकारी का नाम : डा. रणधीर सिंह, प्रधान वैज्ञानिक एवं पी आई			**प्रभाग : नमूना सर्वेक्षण**	
देहरादून	अनुसंधान परियोजना	9-11 मार्च, 1999	रू. 1000	रेल	आई ए एस आर आई
करनाल	विशेषज्ञ समिति	13 सितम्बर, 2000	रु. 300	बस	आई ए एस आर आई
भुवनेश्वर	डी पी सी बैठक	11-12 जून, 2001	सी आर आर आई द्वारा भुगतान	रेल	सी आर आर आई
पी आई यू. लुधियाना	चयन समिति बैठक	1 अगस्त, 2001	लुधियाना द्वारा भुगतान	रेल	पी आई यू
जयपुर	डी पी सी बैठक	31 अगस्त, 2001	सी एस डब्ल्यू आर आई. अविकानगर द्वारा भुगतान	रेल	सी एस डब्ल्यू आर आई
हैदराबाद	नार्म कोर्स	17-24 अक्तूबर, 2001	रु. 16000	हवाई यात्रा	आई ए एस आर आई
लुधियाना	संगोष्ठी	5-9 नवम्बर, 2001	रु.1600	रेल	आई ए एस आर आई
लखनऊ	एन ए टी पी परियोजना	26-27 सितम्बर, 2001	रु. 2176	रेल	एन ए टी पी
भोपाल	आई एन ए आर आई एस परियोजना	24-25 अगस्त, 2001	रु. 2488	रेल	एन ए टी पी
मुंबई	रिमोट सैंसिंग एवं जी आई एस परियोजना में भाग लेना	5-7 सितम्बर, 2001	रु. 10000	हवाई यात्रा	ए पी सैस
सी आई ए ई, भोपाल	आई एस ए एस की वार्षिक संगोष्ठी में आलेख प्रस्तुतीकरण	15-17 जनवरी 2002	रु. 2000	रेल	आई ए एस आर आई
एम ए सी, अहमदाबाद	ई एस सी ए पी/इसरो सेमिनार	12-15 फरवरी, 2002	रु. 10000	हवाई यात्रा	एन ए टी पी
	अधिकारी का नाम : श्री एम.एस. वर्मा, तकनीकी अधिकारी			**प्रभाग : नमूना सर्वेक्षण**	
हिसार	खेलकूद समिति बैठक	29 सितम्बर, 2001	रु. 479	बस	आई ए एस आर आई

1	2	3	4	5	6
		अधिकारी का नाम : श्री जरनैल सिंह, फील्ड अन्वेक्षक		**प्रभाग : नमूना सर्वेक्षण**	
करनाल	गेहूं फसल की कटाई	31 मार्च से 28 अप्रैल, 1999	रु. 5200		आई ए एस आर आई
ललितपुर	आंकड़े एकत्र करना	22 फरवरी से 21 मार्च, 2001	रु. 5420	रेल	ए पी सैस
ललितपुर	आंकड़े एकत्र करना	19 मई से 3 जून, 2001	रु. 5700	रेल	ए पी सैस
ललितपुर	आंकड़े एकत्र करना	30 सितम्बर से 20 अक्टूबर, 2001	रु. 6950	रेल	ए पी सैस
		अधिकारी का नाम : श्री प्रेम लाल ''बी'', फील्ड अन्वेक्षक		**प्रभाग : नमूना सर्वेक्षण**	
करनाल	फसल कटाई	31 मार्च से 28 अप्रैल, 1999	रु. 7500	रेल/सड़क	आई ए एस आर आई
ललितपुर	आंकड़े एकत्र करना	22 फरवरी से 21 मार्च, 2001	रु. 10000	रेल/सड़क	ए पी सैस
ललितपुर	आंकड़े एकत्र करना	19 मई से 5 जून, 2001	रु. 8900	रेल/सड़क	ए पी सैस
ललितपुर	आंकड़े एकत्र करना	30 सितम्बर से 20 अक्तूबर, 2001	रु. 9989	रेल/सड़क	ए पी सैस
		अधिकारी का नाम : श्री आर. डी शर्मा, फील्ड अन्वेक्षक		**प्रभाग : नमूना सर्वेक्षण**	
काकीनाड़ा	उर्वरक नमूने एकत्र करना	फरवरी, 2001	रु. 6000	रेल	ए पी सैस
दिल्ली	पर्यवेक्षण	मई, 2001	रु. 250	बस	आई ए एस आर आई
ललितपुर	रबी फसल आंकड़े एकत्र करना	1-25 मार्च, 2001	रु. 7976	रेल	ए पी सैस
ललितपुर	आंकड़े एकत्र करना	19 मई से 7 जून, 2001	रु. 6542	रेल	ए पी सैस
ललितपुर	खरीफ फसल के आंकड़े एकत्र करना	30 सितम्बर से 20 अक्तूबर, 2001	रु. 6800	रेल	ए पी सैस
		अधिकारी का नाम : डा. मान सिंह, फील्ड अधिकारी		**प्रभाग : नमूना सर्वेक्षण**	
फरीदाबाद	फील्ड दौरा और प्रशिक्षण	2-7 अगस्त, 2000	रु. 104	बस	ए पी सैस

1	2	3	4	5	6
मुद्रापोर्ट (गुजरात)	फील्ड दौरा और प्रशिक्षण	17-24 अगस्त, 2000	रु. 5164	रेल	ए पी सेस
लखनगांव	फील्ड दौरा और प्रशिक्षण	12 अक्तूबर, 2000	रु. 240	बस	डी ओ ए सी
भोपाल	फील्ड दौरा और प्रशिक्षण	17-20 दिसम्बर, 2000	रु. 2627	रेल	डी ओ ए सी
काकीनाडा/ विजयवाड़ा	फील्ड दौरा और प्रशिक्षण	7-17 फरवरी, 2001	रु. 7772	रेल	ए पी सैस
ललितपुर	फील्ड दौरा और प्रशिक्षण	21-25 फरवरी, 2001	रु. 2171	रेल	ए पी सैस
ललितपुर	फील्ड दौरा और प्रशिक्षण	11-15 मार्च, 2001	रु. 2191	रेल	ए पी सैस
कासरगोड़	फील्ड दौरा और प्रशिक्षण	27 मार्च से 6 अप्रैल, 2001	रु. 7882	रेल	नारियल बोर्ड
भोपाल	फील्ड दौरा और प्रशिक्षण	25 अप्रैल से 4 मई, 2001	रु. 4075	रेल	डी ओ ए सी
इलाहाबाद	फील्ड दौरा और प्रशिक्षण	5-12 जून, 2001	रु. 4587	रेल	डी ओ ए सी
ललितपुर	फील्ड दौरा और प्रशिक्षण	31 मई से 3 जून, 2001	रु. 2101	रेल	ए पी सैस
लखनऊ	फील्ड दौरा और प्रशिक्षण	9-14 जुलाई, 2001	रु. 2818	रेल	डी ओ ए सी
कोयम्बटूर	फील्ड दौरा और प्रशिक्षण	24-31 जुलाई, 2001	रु. 6090	रेल	डी ओ ए सी
एरनाकुलम	फील्ड दौरा और प्रशिक्षण	5-16 अगस्त, 2001	रु. 9549	रेल	नारियल बोर्ड
भोपाल	फील्ड दौरा और प्रशिक्षण	30 अगस्त से 2 सितम्बर, 2001	रु. 2659	रेल	डी ओ ए सी
पंतनगर	फील्ड दौरा और प्रशिक्षण	26-30 सितम्बर, 2001	रु. 1500	रेल	डी ओ ए सी

1	2	3	4	5	6
ललितपुर	फील्ड दौरा और प्रशिक्षण	4-6 अक्तूबर, 2001	रु. 2427	रेल	ए पी सैस
समस्तीपुर	फील्ड दौरा और प्रशिक्षण	3-9 नवम्बर, 2001	रु. 4000	रेल	डी ओ ए सी
उदयपुर	फील्ड दौरा और प्रशिक्षण	5-20 जनवरी, 2002	रु. 3119	रेल	डी ओ ए सी
मुजफ्फर नगर	फील्ड दौरा और प्रशिक्षण	16 जनवरी, 2002	रु. 420	सरकारी वाहन	डी ओ ए सी
	अधिकारी का नाम : श्री भगवान दास, वैज्ञानिक (एस एस)		**प्रभाग : नमूना सर्वेक्षण**		
लाखन (उत्तर प्रदेश	एफ आई एम परियोजना	12 अक्तूबर, 2000	रु. 84	बस	डी ओ ए सी
रांची	एफ आई एम परियोजना	14-21 अगस्त, 2001	रु. 4018	रेल	डी ओ ए सी
त्रिवेन्द्रम	एफ आई एम परियोजना	16-24 सितम्बर, 2001	रु. 9000	रेल	डी ओ ए सी
समस्तीपुर	एफ आई एम परियोजना	3-9 नवम्बर, 2001	रु. 4000	रेल	डी ओ ए सी
ओ ए यू टी, भुवनेश्वर	एफ आई एम परियोजना	17-23 दिसम्बर, 2001	रु. 5325	रेल	डी ओ ए सी
	अधिकारी का नाम : श्री के.के. खेर, वरिष्ठ वैज्ञानिक		**प्रभाग : नमूना सर्वेक्षण**		
भोपाल	एफ आई एम परियोजना	25 अप्रैल से 4 मई, 2001	रु. 4237	रेल	डी ओ ए सी
एरनाकुलम	नारियल परियोजना	5-16 अगस्त, 2001	रु. 9000	रेल	नारियल बोर्ड
भोपाल	एफ आई एम परियोजना	30 अगस्त से 2 सितम्बर, 2001	रु. 2547	रेल	डी ओ ए सी
कालीकट	नारियल परियोजना	5-16 अगस्त, 2001	रु. 9549	रेल	नारियल बोर्ड
अकोला	एफ आई एम परियोजना	17-26 नवम्बर, 2001	रु. 6500	रेल	डी ओ ए सी
पुणे	एफ आई एम परियोजना	14-19 जनवरी, 2002	रु. 4668	रेल/टैक्सी	डी ओ ए सी

1	2	3	4	5	6
जबलपुर (मध्य प्रदेश)	एफ आई एम परियोजना	18-22 फरवरी, 2002	रु. 3759	रेल/ टैक्सी	डी ओ ए सी
		अधिकारी का नाम डा. एम.एस. नारंग, वरिष्ठ वैज्ञानिक	**प्रभाग : नमूना सर्वेक्षण**		
भोपाल	एफ आई एम परियोजना	30.4.2001 से 3.5.2001	रु. 2563	रेल	डी ओ ए सी
भोपाल	एफ आई एम परियोजना	14.5.2001 से 16.5.2001	रु. 2413	रेल	डी ओ ए सी
भोपाल	एफ आई एम परियोजना	23.8.2001 से 25.8.2001	रु. 2513	रेल	डी ओ ए सी
लुधियाना	एफ आई एम परियोजना	8.8.2001 से 10.8.2001	रु. 1762	रेल	डी ओ ए सी
रायचुर	एफ आई एम परियोजना	6.10.2001 से 13.10.2001	रु. 8000	रेल	डी ओ ए सी
पालमपुर	एफ आई एम परियोजना	3.11.2001 से 8.11.2001	रु. 2000	रेल	डी ओ ए सी
हिसार	एफ आई एम परियोजना	3-6 जनवरी 2002	रु. 792	बस	डी ओ ए सी
		अधिकारी का नाम : श्री ए.के. गुप्ता, वरिष्ठ वैज्ञानिक (एस एस)	**प्रभाग : नमूना सर्वेक्षण**		
कुमारगंज	आई एस ए एस	27.11.2000 से 1.12.2000	रु. 2128	रेल	आई ए एस आर आई
भोपाल	एफ आई एम परियोजना	25.4.2001 से 4.5.2001	रु. 4500	रेल	डी ओ ए सी
कानपुर	एफ आई एम परियोजना	5.6.2001 से 12.6.2001	रु. 4000	रेल	डी ओ ए सी
वाराणसी	एफ आई एम परियोजना	6.7.2001 से 13.7.2001	रु. 5000	रेल	डी ओ ए सी
वाराणसी	एफ आई एम परियोजना	23.7.2001 से 28.7.2001	रु. 4231	रेल	डी ओ ए सी
राजेन्द्र नगर	एफ आई एम परियोजना	23.9.2001 से 29.9.2001	रु. 7000	रेल	डी ओ ए सी
अकोला	एफ आई एम परियोजना	17.11.2001 से 26.11.2001	रु 6500	रेल	डी ओ ए सी
ए ए आई, इलाहाबाद	एफ आई एम परियोजना के अन्तर्गत भरी गई सूचियों की जांच	12-16 दिसम्बर, 2001	रु. 3009	रेल/टैक्सी	डी ओ ए सी

1	2	3	4	5	6
सी आई ए ई भोपाल	आई एस ए एस सम्मेलन	14-18 जनवरी, 2002	रु. 3000	रेल/टैक्सी	आई ए एस आर आई
		अधिकारी का नाम : श्री आर.एम. सूद वरिष्ठ वैज्ञानिक (एस एस) प्रभाग : नमूना सर्वेक्षण			
भोपाल	एफ आई एम परियोजना	17.12.2000 से 20.12.2000	रु. 2579	रेल	डी ओ ए सी
कोयम्बटूर	एफ आई एम परियोजना	24.7.2000 से 31.7.2000	रु. 6202	रेल	डी ओ ए सी
रांची	एफ आई एम परियोजना	14.8.2001 से 21.8.2001	रु. 4394	रेल	डी ओ ए सी
हैदराबाद	एफ आई एम परियोजना	23.9.2001 से 29.9.2001	रु. 5416	रेल	डी ओ ए सी
ओ ए यू टी, भुवनेश्वर, उड़ीसा	एफ आई एम परियोजना	17 से 23 दिसम्बर, 2001	रु. 5460	रेल	डी ओ ए सी
जोरहाट	आंकड़ा संग्रहण कार्य	9.3.2002 से 18.3.2002	रु. 7424	रेल	डी ओ ए सी
		अधिकारी का नाम : जे.पी. गोयल, वरिष्ठ वैज्ञानिक प्रभाग : नमूना सर्वेक्षण			
मेरठ	एफ आई एम परियोजना	16.2.99 से 17.2.99	रु. 240	बस	डी ओ ए सी
अविलीनगर	एफ आई एम परियोजना	4.6.2000 से 6.6.2000	रु. 1670	रेल	डी ओ ए सी
अविलीनगर	एफ आई एम परियोजना	14.5.2001 से 16.5.2000	रु. 1500	रेल	डी ओ ए सी
बीकानेर	एफ आई एम परियोजना	16.6.2001 से 21.6.2001	रु. 2500	रेल	डी ओ ए सी
करनाल	एफ आई एम परियोजना	18.7.2001	रु. 120	रेल	डी ओ ए सी
बीकानेर	एफ आई एम परियोजना	2.8.2001 से 8.9.2001	रु. 2340	रेल	डी ओ ए सी
बंगलौर	एफ आई एम परियोजना	6.10.2001 से 12.10.2001	रु. 9000	रेल	डी ओ ए सी

1	2	3	4	5	6
बंगलौर	एफ आई एम परियोजना	17.11.2001 से 27.11.2001	रु. 9000	रेल	डी ओ ए सी
बंगलौर	एफ आई एम परियोजना	5.1.2002 से 15.1.2002	रु. 9055	रेल	डी ओ ए सी
	अधिकारी का नामः श्री एस. सी. अग्रवाल, वरिष्ठ वैज्ञानिक		**प्रभागः नमूना सर्वेक्षण**		
लाखन	एफ आई एम परियोजना	12.10.2000	रु. 408	बस	डी ओ ए सी
भोपाल	एफ आई एम परियोजना	25.4.2001 से 4.5.2001	रु. 3371	रेल	डी ओ ए सी
इलाहाबाद	एफ आई एम परियोजना	5.6.2001 से 10.6.2201	रु. 4347	रेल	डी ओ ए सी
कोयम्बटूर	एफ आई एम परियोजना	24.7.2001 से 1.8.2001	रु. 5978	रेल	डी ओ ए सी
भोपाल	एफ आई एम परियोजना	30.8.2001 से 2.9.2001	रु. 2547	रेल	डी ओ ए सी
लुधियाना	एफ आई एम परियोजना	8.8.2001 से 10.8.2001	रु. 1746	रेल	डी ओ ए सी
पंतनगर	एफ आई एम परियोजना	26.9.2001 से 30.9.2001	रु. 1727	रेल	डी ओ ए सी
रायपुर	एफ आई एम परियोजना	6.10.2001 से 13.10.2001	रु. 8000	रेल	डी ओ ए सी
उदयपुर	प्रत्येक कृषि जलवायु अंचल/राज्य के लिए "दीर्घ अवधि यांत्रिकरण रणनीति तैयार करने से संबंधित अध्ययन" परियोजना के अन्तर्गत फील्ड अन्वेषकों को प्रशिक्षण देना	5.1.2002 से 10.1.2002	रु. 3149	रेल	डी ओ ए सी
खतौली, मुजफ्फनगर	प्रत्येक कृषि जलवायु अंचल/राज्य के लिए "दीर्घ अवधि यांत्रिकरण रणनीति तैयार करने से संबंधित अध्ययन" परियोजना के अन्तर्गत फील्ड अन्वेषकों को प्रशिक्षण देना	16.1.2002	रु. 435	रेल	डी ओ ए सी
जबलपुर (मध्यप्रदेश)	प्रत्येक कृषि जलवायु अंचल/राज्य के लिए "दीर्घ अवधि यांत्रिकरण रणनीति तैयार करने से संबंधित अध्ययन" परियोजना के अन्तर्गत फील्ड अन्वेषकों को प्रशिक्षण देना	18.2.2002 से 22.2.2002	रु. 3594	रेल	डी ओ ए सी

1	2	3	4	5	6
		अधिकारी का नाम: श्री आर. सी. गोला, वरिष्ठ वैज्ञानिक प्रभागः नमूना सर्वेक्षण			
रांची	दीर्घ अवधि यांत्रिक परियोजना	14.8.2001 से 21.8.2001	रु. 4298	रेल	डी ओ ए सी
		अधिकारी का नाम: प्राची मिश्रा, वैज्ञानिक प्रभागः नमूना सर्वेक्षण			
करनाल	कार्यशाला	10.5.2001 से 11.5.2001	रु. 622	रेल	एन ए टी पी
करनाल	कार्यशाला	29.6.2001 से 30.6.2001	रु. 678	रेल	एन ए टी पी
लखनऊ	प्रशिक्षण	25.9.2001 से 28.9.2001	रु. 2251	रेल	एन ए टी पी
		अधिकारी का नाम: डा. डी.के. अग्रवाल, प्रधान वैज्ञानिक प्रभागः नमूना सर्वेक्षण			
लुधियाना	कृषि अनुसंधान सांख्यिकी से संबंधित 13वां सम्मेलन	30.5.2001 से 31.5.2001	रु. 2650	रेल	आई ए एस आर आई
लुधियाना	कृषि अनुसंधान सांख्यिकी से संबंधित 13वां सम्मेलन	25.10.2001	रु. 2069	रेल	आई ए एस आर आई
लुधियाना	कृषि अनुसंधान सांख्यिकी से संबंधित 13वां सम्मेलन	5.11.2001 से 9.11.2001	रु. 2607	रेल	आई ए एस आर आई

त्रिपुरा में नैफेड का शाखा कार्यालय खोला जाना

3161. **श्री प्रभुनाथ सिंह** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या त्रिपुरा में अनानास, संतरा, अदरक आदि के व्यापार की अपार संभावनाएं हैं लेकिन उचित विपणन अवसंरचना के अभाव में किसानों को उनके उत्पाद का लाभकारी मूल्य नहीं मिल पाता;

(ख) क्या कृषि संबंधी स्थायी समिति ने विगत समय में कभी त्रिपुरा में नैफेड का एक शाखा कार्यालय खोलने की सिफारिश की थी;

(ग) यदि हां, तो क्या नैफेड ने अभी तक अपना शाखा कार्यालय नहीं खोला है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और शाखा कार्यालय को अविलम्ब खोलने के लिए क्या कदम उठाये गये है;

(ङ) क्या नैफेड विपणन को सुगम बनाने वाली एजेंसी के रूप में अपना प्रभाव नहीं छोड़ पाया है और इसकी भूमिका मात्र कमीशन एजेंट की रही है; और

(च) यदि हां, तो नैफेड के कार्यकरण को सुचारू बनाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) जी नहीं। नैफेड ने वर्ष 2001 के दौरान त्रिपुरा में अपना शाखा कार्यालय खोला है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) जी नहीं।

(च) प्रश्न ही नहीं उठता।

दक्षिणी राज्यों के लिए अतिरिक्त पानी

3162. श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय जल विकास एजेन्सी का महानदी/गोदावरी नदियों के अतिरिक्त जल प्रवाह को दक्षिणी राज्यों की ओर मोड़ने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) और (ख) राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के प्रायद्वीपीय घटक के तहत अधिशेष जल वाले बेसिनों से जल को जल की कमी वाले बेसिनों/क्षेत्रों को हस्तांतरित करने के लिए महानदी-गोदावरी-कृष्णा-पेन्नार, कावेरी-वैगई को परस्पर जोड़ने की योजना है। राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण द्वारा किये गये प्रायद्वीपीय घटक के विभिन्न नदी बेसिनों के जल संतुलन अध्ययनों के अनुसार महानदी और गोदावरी नदी बेसिनों में अधिशेष जल है जबकि कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और वैगई नदी बेसिन जल की कमी वाले बेसिन हैं। अतः महानदी को गोदावरी से और गोदावरी को कृष्णा से परस्पर जोड़कर महानदी और गोदावरी बेसिनों के अधिशेष जल को कृष्णा बेसिन को हस्तांतरित किए जाने का प्रस्ताव है। कृष्णा बेसिन में इस प्रकार प्राप्त जल को पेन्नार, कावेरी और वैगई बेसिनों को हस्तांतरित किए जाने का प्रस्ताव है।

सूखे का जल संसाधनों पर प्रभाव

3163. श्री वाई.वी. राव : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में सूखे की स्थिति के जल संसाधनों पर संभावित प्रभाव से संबंधित कोई अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस स्थिति पर काबू पाने के लिए कौन सी आकस्मिक योजना तैयार की गयी है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) से (ग) वर्षा और सूखे के रूप में उसके अनुवर्ती प्रभाव एक अनिश्चित घटना है जिसका पहले से आकलन नहीं किया जा सकता है। उपलब्ध जल संसाधनों की मानीटरी तथा उसका अधिकतम उपयोग करके सूखे के प्रभाव को कम किया जाता है। सरकार 70 महत्वपूर्ण जलाशय, जिसमें देश का कुल सक्रिय जल भण्डारण का 74% जल आता है, की मानीटरी करके देश के जलाशयों में उपलब्ध जल की गहन निगरानी कर रहा है। कृषि संबंधी प्रयोजनों के कारण जलाशय व्यापक रूप से बिखरे हुए हैं। इसके अतिरिक्त, जल राज्य का विषय होने के कारण, सूखा प्रवण क्षेत्रों को लाभ पहुंचाने वाली स्कीमों सहित जल संरक्षण संबंधी स्कीमों का प्रचालन राज्य सरकारों द्वारा संबंधित स्थल की स्थिति के अनुसार किया जाता है। जल संसाधन मंत्रालय ने राज्य सरकारों को परामर्श दिया है कि वे केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड द्वारा खोदे/निर्मित अन्वेषणात्मक कुंओं को अपने अधिकार में ले तथा जल प्राप्त करने के लिए उन्हें और अधिक सक्षम बनाएं। सूखा प्रभावित क्षेत्रों में कुओं की खुदाई करने के लिए राज्य सरकारों को केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड की सेवाएं प्रदान की गई हैं।

एयरबस खरीद घोटाला

3164. श्री ए. नरेन्द्र : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा वर्ष 1990 में हुए एयरबस घोटाले के संबंध में अब तक कोई कार्रवाई की गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस जांच को पूरा करने में होने वाले असाधारण विलंब के क्या कारण हैं; और

(घ) किस समय-सीमा तक यह जांच पूरी कर ली जाएगी?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) और (ख) केन्द्रीय जांच ब्यूरो, इंडियन एयरलाइंस द्वारा की गई एयरबस ए-320 विमानों की खरीद के बारे में, जो जांच कर रहा है वह चल रही है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने भारत में जांच कार्य पूरा कर लिया है और अब वह संबंधित दूसरे देशों में भी तत्संबंधी जांच कार्य कर रहा है।

(ग) इस मामले में कई दूसरे देशों में गहन जांच कार्य किया जाना है जो एक लंबी प्रक्रिया है और जिसमें समय लगता है और यह सब जांच एजेंसी के नियंत्रण के बाहर है।

(घ) इस समय सी.बी.आई. द्वारा जो जांच कार्य किया जा रहा है उसके बारे में कोई समय-सीमा नहीं बताई जा सकती है।

यात्रा पर्यटन मेले (ट्रेवल टूरिज्म फेयर) में भारत की भागीदारी

3165. श्री टी. गोविन्दन : क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या किसी सरकारी प्रतिनिधिमंडल ने यात्रा पर्यटन मेले (ट्रेवल टूरिज्म फेयर) में भाग लेने के लिए हाल ही में चीन की यात्रा की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका क्या परिणाम निकाला?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) जी, हां।

(ख) पर्यटन और संस्कृति मंत्री ने भारत और चीन के बीच पर्यटन करार से संबंधित मुद्दों पर विचार-विमर्श करने और कुन्मिंग में हुई चीन अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट में भाग लेने के लिए दिनांक 6 से 9 नवम्बर, 2001 को चीन का दौरा किया। चीन राष्ट्रीय पर्यटन प्रशासन (सी.एन.टी.ए.) के अध्यक्ष के निमंत्रण पर यह यात्रा की गई।

दौरे के परिणामस्वरूप भारत और चीन के बीच पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग के करार पर भारत के दौरे पर आए चीन के प्रमुख झू रोंगजी ने 14 जनवरी, 2002 को नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए। चीन सिद्धान्तरूप से, भारत को अनुमोदित गंतव्य स्तर की स्वीकृति देने के लिए तैयार हो गया है।

[हिन्दी]

आंतरिक सुरक्षा स्कंध द्वारा सिक्योरिटी ऑडिट

3166. श्री लक्ष्मण गिलुवा :
श्री सुबोध मोहिते :
डा. (श्रीमती) सुधा यादव :
श्री रघुराज सिंह शाक्य :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अंतर्गत एक आंतरिक सुरक्षा स्कंध कार्यरत है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2000 से आज की तिथि तक कुल कितने विमानपत्तनों की लेखा परीक्षा/निरीक्षण किया गया;

(ग) क्या लेखा परीक्षा/निरीक्षण के दौरान कोई अनियमितताएं पाई गई हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की जा रही है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 2002 से अब तक 40 हवाई अड्डों का सेफ्टी ऑडिट किया गया है।

(ग) और (घ) कुछ खामियां पाई गई और उन खामियों को दूर करने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई सतत आधार पर की जा रही है।

[अनुवाद]

मृदा संरक्षण संबंधी कार्य-योजना

3167. श्री मोहन रावले : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश की कृषि भूमि में बढ़ती हुई लवणता को देखते हुए मृदा संरक्षण हेतु राष्ट्रीय स्तर पर कोई कार्य-योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) से (ग) कृषि मंत्रालय मृदा तथा जल संरक्षण की निम्नलिखित स्कीमें कार्यान्वित कर रहा है जिसमें भूमि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए लवण प्रभावित मृदा का उपचार भी शामिल है:–

(1) वर्षासिंचित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना (एन.डब्ल्यू.डी.पी.आर.ए.)।

(2) नदी घाटी परियोजना और बाढ़ प्रवण नदियों (आर.वी.पी. और एफ.पी.आर.) के स्रवण क्षेत्रों में अवक्रमित भूमि की उत्पादकता बढ़ाने हेतु मृदा संरक्षण की स्कीमें।

(3) झूम खेती क्षेत्रों में पनधारा विकास पारेयोजना (डब्ल्यू.डी.पी.एस.सी.ए.)।

(4) क्षारीय मृदा का सुधार (आर.ए.एस.)।

खारी मृदा सहित लवण प्रभावित मृदाओं के संबंध में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अधीन केन्द्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान, करनाल देश में लवण प्रभावित मृदाओं के सुधार की प्रणाली पर अनुसंधान कर रहा है। इस संस्थान में विकसित प्रौद्योगिकियों का अन्तरण संबंधित राज्य सरकारों, भूमि विकास निगमों और किसानों को किया जा रहा है ताकि फील्ड स्तर पर वे इन्हें अपना सकें।

विमानपत्तनों पर कॉमन यूजर टर्मिनल्स इक्विपमेंट (सी.यू.टी.ई.) सुविधा

3168. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कॉमन यूजर टर्मिनल्स इक्विपमेंट (सी.यू.टी.ई.) सुविधा से लंबी कतारें कम हुई हैं और अब चैक इन के लिए पहले से कम समय लगता है;

(ख) यदि हां, तो कौन-कौन से विमानपत्तनों पर कॉमन यूजर टर्मिनल्स इक्विपमेंट (सी.यू.टी.ई.) सुविधा स्थापित की गई है;

(ग) क्या सरकार का विचार अन्य विमानपत्तनों पर विशेषकर हैदराबाद विमानपत्तन पर कॉमन यूजर टर्मिनल्स इक्विपमेंट स्थापित करने का है;

(घ) यदि हां, तो इसे कब तक स्थापित किये जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) अंतरराष्ट्रीय एयरलाइंस तथा मैसर्स सोसाइट अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार एयरोनोटिक्स (सीटा) के बीच हुई समझौते के तहत मुंबई स्थित छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट 2ए अंतरराष्ट्रीय टर्मिनल पर कॉमन प्रयोग के टर्मिनल उपकरण (सी.यू.टी.ई.) लगाए गए हैं। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (ए.ए.आई.) संबंधित आधारभूत ढांचे की व्यवस्था करती है। अप्रैल, 2003 तक नई दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर कॉमन प्रयोग के टर्मिनल उपकरण जैसे (सी.यू.टी.ई.) लगाया जाएगा।

(ङ) जहां तक अन्य एयरपोर्टों का संबंध है उन पर कॉमन प्रयोग के टर्मिनल उपकरण (सी.यू.टी.ई.) एयरलाइनों के अनुरोध करने तथा आवश्यकता पड़ने पर लगाया जाएगा।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय नेताओं के पैतृक घरों को संग्रहालयों में परिवर्तित किया जाना

3169. श्री जय प्रकाश : क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के राष्ट्रीय नेताओं के पैतृक घरों को राष्ट्रीय स्मारकों/संग्रहालयों में परिवर्तित करने हेतु कोई नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

यात्री सेवा शुल्क में कमी

3170. श्री दानवे रावसाहेब पाटील : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने घरेलू हवाई सेवाओं के क्षेत्र में यात्री सेवा शुल्क को कम करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप सरकार को कितना घाटा होने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

पुरातत्व विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा धारक उम्मीदवारों को रोजगार

3171. श्री पी.डी. एलानगोवन : क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दस वर्षों में पुरातत्व संस्थान, नई दिल्ली से पुरातत्व में स्नातकोत्तर डिप्लोमा सफलतापूर्वक पूरा करने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा कितने विद्यार्थियों को रोजगार प्रदान किया गया; और

(ग) सरकार द्वारा अनुसंधान कार्यकलापों विशेषकर खुदाई तथा खोज और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में खुदाई रिपोर्टों के प्रकाशन के लिए क्या कदम उठाये गये है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) 1990-02 से, पिछले 10 वर्षों के दौरान, 133 छात्र उत्तीर्ण हुए जिनमें 16 विभागीय छात्र, 1 राज्य विभाग तथा 8 अन्य देशों के छात्र हैं।

(ख) उक्त अवधि के दौरान 60 पी.जी.डी.ए. (स्नातकोत्तर पुरातत्व डिप्लोमा) उत्तीर्ण छात्रों को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में नौकरी प्रदान की गई है; और

(ग) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल में देश में, विभिन्न क्षेत्रों में अपने अनुसंधान कार्यकलाप तेज किए हैं जिनमें इसकी विशेषज्ञता प्राप्त शाखाओं एवं मंडलों के जरिये अन्वेषण एवं उत्खनन करना शामिल है और निधियों का नियतन भी काफी बढ़ाया है। एक नई उत्खनन शाखा भी चालू की जा रही है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने प्रकाशन हेतु उत्खनन रिपोर्टें तैयार करने के वास्ते उत्खननकर्ताओं को और अधिक संभार-तंत्र तथा तकनीकी सहायता देने का निर्णय लिया है।

पेस्ट का जैविकीय नियंत्रण

3172. डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कृमि और कीटों के जैविक नियंत्रण संबंधी निदेशालय स्थापित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए आबंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या फसलों, तिलहनों, कपास, चारा आदि के लिए अगले पांच वर्षों के लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) गैर-सरकारी संगठनों द्वारा तैयार किए गए उत्पादों पर कौन-कौन से प्रोत्साहन प्रदान किये जाने हैं;

(च) क्या नीम, करंज, शरीफा आदि के साथ गौ-मूत्र के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है;

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ज) क्या जैविक कृषि से कृमियों की संख्या में भी कमी हो जाती है; और

(झ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी, हां। जैविक नियंत्रण परियोजना निदेशालय (पी.डी.बी.सी.) बंगलौर में 19.10.1993 को स्थापित किया गया था।

(ख) पी.डी.बी.सी. के लिए किया गया धनराशि का आबंटन नवीं योजना के दौरान 582.88 लाख रुपये है।

(ग) जी, हां।

(घ) कपास, दालें, तिलहन, चावल, फल, सब्जियां आदि फसलों के उत्पादन में सुधार के लिए जैविक नियंत्रण रणनीतियों के विकास पर ध्यान केन्द्रित करके अगले पांच वर्षों के लिए विशिष्ट कार्यक्रम तैयार किए गए हैं। कार्यक्रम में प्राकृतिक शत्रुओं की जैव-विविधता भरपूर उत्पाद, सूत्रीकरण, आनुवंशिक सुधार, उप-रसायनों के माध्यम से कीटहारी गतिविधि बढ़ाना और वैज्ञानिकों के प्रशिक्षण सम्मिलित होंगे।

(ङ) वर्तमान में जैव नियंत्रण एजेंटों और जैव-नाशीजीवों के उत्पादन में सम्मिलित गैर-सरकारी के लिए प्रचालन में कोई अनुदान (सब्सिडी) कार्यक्रम नहीं है। तथापि, पी.डी.बी.सी.जी. जैविक एजेंट निशुल्क प्रदान किए जाते हैं, वहां जैव नियंत्रण एजेंटों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए किसानों के खेतों में बड़े पैमाने पर खेत प्रदर्शनों का आयोजन करेगा।

(च) और (छ) जी, हां। गौ-मूत्र के प्रयोग ने कुछ कीट नाशीजीवों के विरुद्ध कुछ आशा दर्शाई है। तथापि, ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है जहां गौ-मूत्र को, नीम, करंज, शरीफा आदि के साथ प्रयोग में लाया गया हो। नीम, करंज और शरीफा की नाशीजीवीय सम्पदा का पता लगाया गया है। इनमें से नीम ने कीड़ों, गोलकृत्रियों और फफूंद की कुछ संख्या के विरुद्ध कुछ आशा दर्शाई है। नीम का प्रयोग सिन्थेटिक नाशीजीवों के एक विकल्प के रूप में बढ़ाया जा रहा है।

(ज) और (झ) आर्गेनिक कृषि जिसमें हरी खाद, आर्गेनिक कचरा, मल गंध, प्रेस धूल और फफूंदी या जीवाण्विक जैव-नियंत्रण एजेंट प्रयुक्त होते है, में गोलकृमि नाशीजीवों के भार को घटाने की क्षमता है। तथापि, ये तकनीकें कभी-कभी बहुत अधिक गोलकृमि संख्या घनत्व के मामले में भारी कमी प्रदान नहीं करती हैं।

[हिन्दी]

मत्स्य बीज उत्पादन योजना

3173. श्री गजेन्द्र राजूखेड़ी : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 1999-2000 के दौरान केन्द्र सरकार को मत्स्य बीज उत्पादन योजना के लिए 220.00 लाख रुपए की स्वीकृति हेतु कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने वर्ष 2000-2001 के दौरान राज्य के लिए मत्स्यकी प्रशिक्षण और विस्तार इकाई के लिए 14.55 लाख रुपए की एक परियोजना मंजूर की है;

(घ) यदि हां, तो 0.50 लाख रुपए की राशि राज्य सरकार को कब तक जारी कर दी जाएगी जिसे योजना के अंतर्गत केन्द्र सरकार के अंशदान के रूप में 11.64 लाख रुपए की राशि में से रोक कर रखा गया है;

(ङ) क्या सरकार ने वर्ष 2001-02 के दौरान राज्य में स्वच्छ जल में जलचर पालन के संवर्धन को भी मंजूरी प्रदान कर दी है; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा राज्य को 151.826 लाख रुपए का केन्द्रीय अंशदान जारी करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) और (ख) मध्य प्रदेश सरकार से 220 लाख रुपए की लागत से मत्स्य बीज उत्पादन और जल क्षेत्र विकास संबंधी प्रस्ताव प्राप्त हुआ था जिसकी इस मंत्रालय में जांच की गई थी और राज्य सरकारों से ताजा जल जलकृषि का विकास संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत विचार हेतु प्रशासनिक अनुमोदन के मानकों के अनुसार इस प्रस्ताव को संशोधित करने के लिए कहा गया है।

(ग) जी, हां।

(घ) राज्य सरकार को सूचित किया गया था कि इस योजना के तहत पहले से जारी की गई राशि के उपयोग की प्रगति रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही केन्द्रीय हिस्से की 0.50 लाख रुपए की बकाया राशि जारी की जाएगी। यह रिपोर्ट हाल ही में प्राप्त हो गई है और दसवीं योजना अवधि के लिए इस योजना की प्रशासनिक मंजूरी के जारी होने के बाद मामले पर कार्रवाई की जाएगी।

(ङ) जी, हां। वर्ष 2001-02 के लिए ''ताजा जल जलकृषि का विकास'' संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित योजना को जारी रखने के लिए भारत सरकार का प्रशासनिक अनुमोदन मध्य प्रदेश सरकार को जारी कर दिया गया है।

(च) मध्य प्रदेश सरकार के पास 151.826 लाख रुपए का केन्द्रीय हिस्सा खर्च न किए गए शेष के रूप में पहले से ही उपलब्ध है और पुनर्वैधीकरण मंजूरी राज्य सरकार को मई, 2001 में जारी की गई थी।

[अनुवाद]

मुंबई विमानपत्तन के रनवे पर मलिन बस्तियों द्वारा उपस्थित बाधाएं

3174. श्री किरीट सोमैया : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मुम्बई विमानपत्तन पर दूसरी धावन पट्टी के निर्माण कार्य की बाधाओं को अगस्त, 2002 के मध्य तक दूर कर लिया जाएगा; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) और (ख) मुंबई के छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर दो इन्टरसेक्टिंग रनवे हैं। मुख्य रनवे की लंबाई 3489 मीटर है जबकि गौण रनवे 14/32 की लंबाई 2925 मीटर

है। इस हवाई अड्डे पर भूमि की अनुपलब्धता की वजह से एक दूसरे समान्तर रनवे का निर्माण साध्य नहीं है।

विमानपत्तनों पर स्मार्ट कार्ड सिक्योरिटी सिस्टम

3175. **श्री के.ई. कृष्णमूर्ति** : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (बी.सी.ए.एस.) ने चुने हुए विमानपत्तनों पर स्मार्ट कार्ड सिक्योरिटी सिस्टम लागू किया है;

(ख) यदि हां, तो इन विमानपत्तनों के नाम क्या हैं; और

(ग) इस उद्देश्य के लिए केवल कुछ विमानपत्तनों का चयन करने के क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

मानसून के न आने का कृषि उत्पादन पर प्रभाव

3176. **श्री ए. वेंकटेश नायक** :
श्री सी. श्रीनिवासन :
श्री अम्बरीश :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने सूखे की स्थिति पर चर्चा करने के लिए राज्य प्रतिनिधियों की एक आपात बैठक बुलाई है;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने मानसून के न आने के कृषि उत्पादन पर प्रभाव का मूल्यांकन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा देश में सूखे की स्थिति से निपटने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं;

(च) क्या देश में सूखे की स्थिति से संबंधित कोई श्वेत पत्र जारी करने का कोई प्रस्ताव है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ज) विगत समय में सरकार द्वारा प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित कितने श्वेत पत्र जारी किये गये; और

(झ) इन श्वेत पत्रों के उद्देश्य क्या थे?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) और (ख) जी, हां। 12 प्रमुख राज्यों के कृषि और राहत मंत्रियों के साथ बैठक में चालू दक्षिण-पश्चिमी मानसून के दौरान लंबी सूखा अवधि से उत्पन्न स्थिति की हाल ही में समीक्षा की गयी थी।

(ग) और (घ) मानसून के न आने के कारण खरीफ फसल की हानि का मूल्यांकन करने के लिए विभिन्न राज्यों की स्थिति का लगातार प्रबंधन किया जा रहा है।

(ङ) विभिन्न मंत्रालय/विभाग प्रभावित राज्यों के साथ उपयुक्त कार्यवाही करने हेतु लगातार संपर्क में हैं।

(च) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं हैं।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

(ज) और (झ) इस प्रकार का कोई श्वेत पत्र जारी नहीं किया गया है। किन्तु, अतीत में, प्राकृतिक आपदाओं से उत्पन्न स्थिति का प्रश्नों और अन्य प्रस्तावों के माध्यम से संसद के दोनों सदनों में विचार-विमर्श किया जाता रहा है।

दमन और दीव में केसिनों

3177. **श्री दह्याभाई वल्लभभाई पटेल** : क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र ने पर्यटकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से गोवा की तर्ज पर केसिनो खोलने हेतु लाइसेंस जारी करने की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संघ राज्य क्षेत्र की पर्यटन क्षमता के दोहन हेतु क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

तमिलनाडु की सिंचाई परियोजनाएं

3178. **श्री के.के. कलिअप्पन** : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तमिलनाडु की पंडियारू-पोन्नाम्बालारू सिंचाई परियोजना केन्द्र सरकार के पास स्वीकृति हेतु काफी समय से लंबित पड़ी है; और

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना को कब तक स्वीकृति प्रदान किये जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) और (ख) तमिलनाडु की पंडियारू-पोन्नाम्बालारू सिंचाई परियोजना के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन के वास्ते केन्द्रीय जल आयोग को प्राप्त नहीं हुई है।

खादी और ग्रामोद्योग में संलग्न व्यक्ति

3179. डा. मन्दा जगन्नाथ : क्या **कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में खादी और ग्रामोद्योग का एक व्यापक तुलनात्मक अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) खादी और ग्रामोद्योग में संलग्न व्यक्तियों का राज्यवार ब्यौरा क्या है और उन्हें प्रतिदिन कितनी धनराशि की आय होती है?

कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा): (क) जी, हां। योजना आयोग ने अपने कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन (पी.ई.ओ.) के माध्यम से खादी एवं ग्रामोद्योगों का एक मूल्यांकन आयोजित किया है। रिपोर्ट मार्च, 2001 में प्रकाशित की गई। कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन ने के.वी.आई. कार्यक्रमों के कार्यान्वयन तन्त्र के निष्पादन, उपयुक्तता तथा प्रभावोत्पादकता तथा उसके प्रभाव का मूल्यांकन किया।

(ख) इस मूल्यांकन रिपोर्ट की मुख्य-मुख्य बातों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी इसके साथ संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ग) वर्ष 2000-2001 के दौरान के.वी.आई. क्षेत्र में लगे हुए व्यक्तियों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है। अधिकांश खादी कामगार अंशकालिक रूप से नियोजित है और वह भी एक वर्ष में केवल कुछ दिनों के लिए ही। उनकी औसत दैनिक कमाई, जो कि उत्पादन की मात्रा पर आधारित है, 22 रु. से 32 रु. के बीच अलग-अलग है। कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन (पी.ई.ओ.) द्वारा आयोजित किए गए खादी एवं ग्रामोद्योग कार्यक्रम के मूल्यांकन अध्ययन की रिपोर्ट में योजना आयोग ने सूचित किया है कि ग्रामोद्योग इकाइयों के मामले में पूर्णकालिक रूप से नियोजित कामगार 4323 रु. प्रति वर्ष कमाता है।

वर्तमान में ग्रामोद्योग कार्यक्रम, बैंक सुविधाओं वाली परियोजनाओं पर आधारित ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। प्रत्येक परियोजना की मजदूरी की मात्रा एक उद्योग से दूसरे उद्योग तथा एक राज्य से दूसरे राज्य में अलग-अलग हो सकती है। इसलिए, इस प्रकार का ब्यौरा केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखा जाता है।

विवरण-I

योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन (पी.ई.ओ.) द्वारा खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग का मूल्यांकन अध्ययन

खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग तथा योजना आयोग के अनुरोध पर पी.ई.ओ. ने के.वी.आई. कार्यक्रमों के कार्यान्वयन तन्त्र के निष्पादन, उपयुक्तता तथा प्रभावोत्पादकता तथा उसके प्रभाव का मूल्यांकन किया।

परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए मुख्य बाधाएं निम्नलिखित हैं:

- समय पर निधियों का उपलब्ध न होना।
- प्रक्रिया सम्बन्धी विलम्ब होना।
- इकाइयों द्वारा सिक्योरिटी प्रस्तुत करने में असमर्थ रहना।
- निधियों का दुरूपयोग किया जाना

चूंकि इकाइयों को तकनीकी मार्गनिर्देश उपलब्ध नहीं कराया गया जिसके कारण संस्थानों/इकाइयों को बन्द करना पड़ा और वे ईष्टतम रूप से कार्य नहीं कर सकीं एवं प्रवेश लेने वालों द्वारा कोर्स के बीच में ही छोड़ देने की उच्च दर से रोजगार वृद्धि में कमी आई तथा सार्वजनिक संसाधनों का अपर्याप्त प्रयोग हुआ।

उत्पादन एवं विपणन के बीच अपर्याप्त संपर्क होना।

निष्क्रिय विपणन रणनीति, जिसके परिणामस्वरूप स्टॉक एकत्र हो गया, और संस्थानों/इकाइयों को असमय अदायगी करनी पड़ी, जिससे उनकी छूट तथा निवेश वर्षों तक अवरुद्ध रहा, जिसके परिणामस्वरूप उत्पादन की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

कार्यक्रम की योजना एवं कार्यान्वयन की असफलता, स्टॉक/रुग्ण इकाइयों की फेहरिस्त रखने में असमर्थ रहने, ऐसी इकाइयों को अपर्याप्त सामग्री की पूर्ति करना।

के.वी.आई.सी. के पास अपर्याप्त डाटा बेस हैं। अब तक सृजित जानकारी इकाइयों द्वारा परिशुद्धता की जांच किए बिना रूटीन में भेजा जाने वाला फीड बैक है, न ही उपलब्ध जानकारी का समस्या सुलझाने में प्रयोग किया जाना।

के.वी.आई.सी. के सम्पूर्ण एम.आई.एस. को ओवरहॉलिंग की आवश्यकता है, प्लानिंग और कार्यान्वयन योजना के मूल उद्देश्य को प्राप्त करने को ध्यान में रखते हुए जाएं।

वित्तीय निष्पादन

मार्जिन मनी योजना (एम.एम.एस.) के लागू होने तथा केन्द्र से बजटीय सहायता के.वी.आई.सी. के संसाधनों का 80 प्रतिशत से अधिक थी। यह 8वीं योजना के अंतिम दो वर्षों अर्थात् 1995-97 के भीतर घटकर 30 प्रतिशत हो गई। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आर.ई.जी.पी.) के प्रारंभ करने से खादी क्षेत्र की डिवीजिबल पूल बजयीय स्रोतों का बड़ा हिस्सा प्राप्त होना जारी रहेगा। आवंटन में खादी क्षेत्र के प्रति यह झुकाव इसके रोजगार सृजन एवं उत्पादन के संदर्भ में निष्पादन के अनुरूप नहीं है। ''प्रस्तावों'' और वास्तविक आवंटन में विस्तृत विभिन्नता और प्रस्तावों को अनेक बार संशोधित किया जाना के.वी.आई.सी. की बजट निर्माण प्रक्रिया में कमी को इंगित करता है। बजट प्रक्रिया को अधिक वास्तविकतापूर्ण एवं अर्थपूर्ण होना चाहिए।

राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड जो ग्रामोद्योग कार्यक्रम के लगभग 90 प्रतिशत कार्यान्वित करते हैं के वित्तीय स्रोतों खादी ग्रामोद्योग आयोग, राज्य सरकार, बैंक इत्यादि हैं।

खादी और ग्रामोद्योग दोनों क्षेत्रों में वास्तविक स्रोतों और उपलब्ध स्रोतों की उपयोगिता दर बहुत कम थी (कुछ राज्यों में 10 प्रतिशत)।

खादी ग्रामोद्योग आयोग 8वीं योजना में 20 लाख अतिरिक्त जाब्स सृजन का लक्ष्य पूरा नहीं कर पाया है।

इसने पार्ट-टाइम और फुलटाइम दोनों प्रकार के 8.01 लाख अतिरिक्त रोजगार, खादी में (0.5) और ग्रामोद्योग में (7.42) सृजित किए। 1996-97 में फुल टाइम रोजगारों से 4835 रुपये खादी क्षेत्र में और 4323 रुपये ग्रामोद्योग क्षेत्र में अर्जित किए।

जबकि 8वीं योजना में खादी क्षेत्र में रोजगार में वृद्धि नगण्य थी, ग्रामोद्योग क्षेत्र में यह 4.14 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से बढ़ गई।

8वीं योजना के दौरान सृजित अतिरिक्त रोजगारों में से लगभग 95 प्रतिशत ग्रामोद्योग क्षेत्र में थे।

खादी क्षेत्र में वस्त्र का भौतिक उत्पादन कमोबेश स्थिर रहा है और कामगार उत्पादकता की स्थिति भी ऐसी ही रही है। खादी क्षेत्र को आवंटित अतिरिक्त बजटीय स्रोत (अनुदान और रियायतें) साल दर साल रोजगार में बिक्री वसूली आउटपुट में किसी अनुकूल वृद्धि के बिना अन्तर्लीन होते प्रतीत हो रहे हैं।

के.वी.आई. प्रशिक्षण संस्थानों का व्यापक मूल्यांकन किया जाए और इसकी पुनः मरम्मत तथा प्रशिक्षण विधियों को पुनः परिस्थिति अनुकूल बनाए जाने के संबंध में कदम उठाए जाएं ताकि प्रशिक्षण सहायक बन सके और श्रम उत्पादकता में योगदान दे सके तथा खादी और ग्रामोद्योग का विकास कर सके।

494 हाउसहोल्ड (कामगारों) जोकि मूलतः गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों से सम्बन्धित थे, के नमूना सर्वेक्षण के आधार पर 71 प्रतिशत ने वास्तव में के.वी.आई.सी. कार्यक्रमों से हुई अतिरिक्त आय की सहायता से गरीबी रेखा को पार कर लिया है।

सुझाव

- खादी और ग्रामोद्योग कार्यक्रमों में ग्रामीण गरीबों के लिए लाभप्रद रोजगार के अवसर सृजित करने की बड़ी ही सम्भाव्यता है, जिससे ग्रामीण अनिपुण कामगारों के शहरी क्षेत्र को पलायन करने को रोका जा सकता है तथा प्रोत्साहन योग्य विकास के सम्बन्ध में रणनीति का संवर्धन किया जा सकता है। कार्यक्रम के डिजाइन और कार्यान्वयन में बदलाव लाए बिना सम्भाव्यता की अनुभूति की जा सकती है।
- एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि उच्च निर्णय स्तर पर मेरिट अवधान पर दो कार्यान्वयन अभिकरणों जैसे खादी आयोग तथा ग्रामोद्योग आयोग रखने की आवश्यकता की जांच पड़ताल की जाए। वस्त्र मंत्रालय में खादी आयोग तथा ल.उ. तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय में ग्रामोद्योग आयोग।
- मुख्य लाभ यह होगा कि हैंडलूम सेक्टर को आपूर्ति किए गए मिल निर्मित यान पर आर्थिक सहायता प्राप्त होगी, खादी सेक्टर से यार्न अपेक्षा कम होगी।
- खादी उत्पादों के लिए विपणन रणनीति की पूर्ण मरम्मत से एक तरह से समस्त मार्किटिंग उत्पादों के विकास को प्राइवेट सेक्टर पर छोड़ेगी जबकि कुछेक संसाधित माल के.वी.आई.सी. यूनिटों/संस्थानों द्वारा के.वी.आई.सी. के मार्गदर्शन में उत्पादित किया जाएगा।
- खादी आयोग का प्राइमरी कार्य इनपुट्स तथा आउटपुट्स के प्रसार को ध्यान से मॉनीटर करना होगा तथा आयोग इनपुट्स तथा आउटपुट्स के संबंध में जिम्मेवार होगा।

- प्रस्तावित खादी आयोग के संगठनात्मक ढांचे का रिओरियन्टेशन। नए परिप्रेक्ष्य में बिक्री पर कोई छूट देना जरूरी नहीं है तथा यूनिटें विशुद्धत: बैंक वित्त पर ही चलायी जाए।

- प्रस्तावित मॉडल की जांच पड़ताल के लिए एक समिति के गठन की आवश्यकता है ताकि वह के.वी.आई.सी. के तथा इसके विभिन्न क्रियाकलाप के पुनर्गठन के लिए उपयुक्त उपाय सुझा सके।

विवरण-II

2000-2001 के दौरान के.वी.आई.सी. के तहत राज्य-वार नियोजन

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	नियोजन लाख व्यक्तियों में
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	3.47
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00
3.	असम	1.15
4.	बिहार	2.84
5.	गोवा	0.09
6.	गुजरात	0.95
7.	हरियाणा	0.86
8.	हिमाचल प्रदेश	0.90
9.	जम्मू-कश्मीर	1.13
10.	कर्नाटक	2.12
11.	केरल	2.05
12.	मध्य प्रदेश	1.69
13.	महाराष्ट्र	5.23
14.	मणिपुर	0.57
15.	मेघालय	0.21
16.	मिजोरम	0.17
17.	नागालैंड	0.23
18.	उड़ीसा	1.85
19.	पंजाब	1.57
20.	राजस्थान	4.55
21.	सिक्किम	0.05
22.	तमिलनाडु	11.20
23.	त्रिपुरा	0.27
24.	उत्तर प्रदेश	11.80
25.	पश्चिम बंगाल	4.42
26.	छत्तीसगढ़	0.03
27.	झारखंड	0.06
28.	उत्तरांचल	0.02
29.	अंदमान और निकोबार द्वीप	0.13
30.	चंडीगढ़	0.13
31.	दादरा और नागर हवेली	0.00
32.	दमण और दीव	0.00
33.	दिल्ली	0.24
34.	लक्षद्वीप	0.01
35.	पांडिचेरी	0.08
	जोड़	60.07

बहुराज्यीय सहकारी समिति विधेयक, 2000

3180. श्री रामजी मांझी : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बहुराज्यीय सहकारी समिति विधेयक, 2000 लागू हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो विलंब के क्या कारण है; और

(घ) केन्द्रीय पंजीयक द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं कि बहुराज्यीय सहकारी

समितियां अनियमितताओं, भ्रष्टाचार, संसाधनों के दुरूपयोग का सहारा न लें?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) बहु-राज्यीय सहकारी समिति अधिनियम, 2002 (2002 का 39) को राष्ट्रपति द्वारा सहमति दिए जाने के उपरान्त भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया गया है। यह अधिनियम यथा समय लागू किए जाने के लिए अधिसूचित कर दिया जाएगा।

(घ) केन्द्रीय पंजीयक को बहुराज्यीय सहकारी समिति अधिनियम के दायरे के भीतर कार्य करना होता है। जब कभी भी अनियमितताओं, सोसायटी की निधियों के दुरूपयोग, दुर्विनियोजन आदि के मामले केन्द्रीय पंजीयक के ध्यान में लाए जाते हैं, इस अधिनियम के अधीन उचित कार्रवाई की जाती है।

ऊपरिगामी पुलों (फ्लाई ओवर) का निर्माण

3181. श्री रघुराज सिंह शाक्य : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एन.एच.ए.आई.) द्वारा धौला कुआं से गुड़गांव तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-8 पर कितने ऊपरिगामी पुलों (फ्लाई ओवर) का निर्माण किये जाने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या महिपालपुर चौक से रजोकरी चौक तक एक ऊपरिगामी पुल (फ्लाई ओवर) भी प्रस्तावित है; और

(ग) यदि हां, तो यह ऊपरिगामी पुल (फ्लाई ओवर) किस जगह से शुरू होगा और यह कहां खत्म होगा?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी): (क) राष्ट्रीय राजमार्ग-8 पर निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण (बी.ओ.टी.) आधार पर 14.30 कि.मी. (राव तुलाराम मार्ग) और 42 कि.मी. (गुड़गांव) के बीच भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा सात फ्लाईओवरों के निर्माण का प्रस्ताव है। धौला कुंआ, राष्ट्रीय राजमार्ग-8 पर 11 कि.मी. पर है।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय राजमार्ग-8 पर एक फ्लाईओवर 17.752 कि.मी. से 19.857 कि.मी. तक महिपालपुर चौक पर तथा दूसरा फ्लाईओवर 21.510 कि.मी. से 22.895 कि.मी. तक राजौरी जंक्शन पर निर्माण किए जाने का प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

निजी सुरक्षा एजेन्सियों द्वारा बेरोजगार युवकों का शोषण

3182. डा. मदन प्रसाद जायसवाल : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि निजी सुरक्षा भर्ती एजेन्सियां बेरोजगार युवकों का शोषण कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसे कामगारों हेतु सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान इन एजेन्सियों द्वारा नहीं किया जा रहा है; और

(ग) सरकार द्वारा ऐसे शोषण को रोकने हेतु क्या उपाय किये जाने का प्रस्ताव है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): (क) से (ग) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

रेल संरक्षा आयोग

3183. श्री बसुदेव आचार्य :
श्री मोइनुल हसन :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रत्येक जोनल रेलवे में रेल संरक्षा आयोग (सी.आर.एस.) केन्द्रीय नागर विमानन मंत्रालय के अधिकार-क्षेत्र के अंतर्गत आता है;

(ख) यदि हां, तो क्या रेल संरक्षा आयोग के पास जांच करने हेतु अलग क्षेत्रीय कर्मचारी हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो यह जांच कैसे निष्पक्ष हो सकती है जबकि जांच करने वाले अधिकारी रेलवे से प्रतिनियुक्ति पर होते है और रेल संरक्षा आयोग (सी.आर.एस.) को बुनियादी जांच के लिए रेलवे पर आश्रित रहना पड़ता है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) जी, हां। रेलवे संरक्षा आयोग प्रशासनिक रूप से नागर विमानन मंत्रालय के अधीन है।

(ख) जी, हां।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

गोदावरी नदी के कारण भूमि-कटाव

3184. श्री ए. ब्रह्मनैया : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में गोदावरी नदी सहित प्रमुख नदियों के तट पर भूमि कटाव संबंधी कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने ऐसे भूमि कटाव को रोकने हेतु कोई योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस उद्देश्य हेतु राज्य सरकारों को कितनी धनराशि जारी की गई है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) और (ख) बाढ़ प्रबंधन राज्य का विषय होने के कारण नदी-कटाव सहित बाढ़ नियंत्रण स्कीमों की आयोजना, वित्त-पोषण, क्रियान्वयन एवं उनके प्रचालन का मुख्य दायित्व संबंधित राज्य सरकारों का है। केन्द्र सरकार द्वारा तकनीकी, प्रेरणात्मक और प्रोत्साहनात्मक स्वरूप को सहायता मुहैया करायी जाती है।

गोदावरी नदी सहित देश की वृहद नदियों के नदी-तट-कटाव के संबंध में कोई ऐसा विस्तृत सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

(ग) और (घ) नौवीं योजना में 110 करोड़ रुपये के केन्द्रीय अंशदान से बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल राज्यों को शामिल करते हुए ''गंगा बेसिन राज्यों में गंभीर कटावरोधी कार्य'' नामक एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम का क्रियान्वयन प्रारंभ किया गया था। उपर्युक्त स्कीम के लिए गंभीर कटावरोधी कार्यों को प्रारंभ करने के वास्ते विभिन्न राज्य सरकारों को नौवीं योजना के दौरान भारत सरकार द्वारा 51.85 करोड़ रुपये जारी किए गए जिसका विवरण इस प्रकार है:

बिहार	:	22.08 करोड़ रुपये
पश्चिम बंगाल	:	17.88 करोड़ रुपये
उत्तर प्रदेश	:	10.89 करोड़ रुपये
उत्तरांचल	:	1.00 करोड़ रुपये

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा न्यासों को छूट

3185. श्रीमती कांति सिंह :
श्री राम प्रसाद सिंह :
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह :

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने ऐसे अनेक न्यासों को छूट प्रदान की है जो कर्मचारी भविष्य निधि का रख-रखाव कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा किये गए ऐसे दिशा-निर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या संगठन द्वारा इन न्यासों के कार्यकरण में कोई लेखा-परीक्षा कराई जा रही है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इन न्यासों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है अथवा किये जाने का प्रस्ताव है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): (क) और (ख) जी, हां। 31.3.2002 की स्थिति के अनुसार, 2588 प्रतिष्ठानों से छूट प्रदान की गई है। 31.3.2002 की स्थिति के अनुसार, छूट प्राप्त न्यासों की कुल राशि 38.57 लाख सदस्यों के साथ 37,275.84 करोड़ रुपये थी। इस समय, छूट प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा 29 शर्तें निर्धारित की गई है और शर्त पूरा करने वाले प्रतिष्ठानों को कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के उपबंधों से छूट प्रदान की जाती है।

(ग) से (ङ) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों का आवधिक निरीक्षण किया जाता है। सीमेन्स भविष्य निधि न्यास में पता चली धोखाधड़ी को ध्यान में रखते हुए 2,069 प्रतिष्ठानों में विशेष लेखा परीक्षा कराई गयी। 1,827 प्रतिष्ठानों के संबंध में लेखा परीक्षा रिपोर्टों का विश्लेषण किया गया है जिससे पता चलता है कि 23,07,78,785 रु. की प्रतिभूतियां वास्तव में न्यासों के पास उपलब्ध नहीं है हालांकि निवेश के संबंध में आबंटन पत्र और अन्य सबूत उपलब्ध हैं। चूंकि निवेश के सबूत छूट प्राप्त न्यासों के पास मौजूद है अत: चिंता की कोई बात नहीं है। यदि किसी नुकसान का पता चलता है तब उत्तरदायी लोगों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

कृषि जलवायु विषयक क्षेत्रों हेतु यंत्रीकरण

3186. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद "प्रत्येक कृषि जलवायु विषयक (एग्रो-कलाइमेटिक) क्षेत्र/राज्य हेतु दीर्घकालिक यंत्रीकरण रणनीति तैयार करने" के संबंध में कोई अध्ययन कर रही है;

(ख) क्या उक्त अध्ययन पूरा कर लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो इस अध्ययन की प्रमुख सिफारिशें क्या हैं;

(घ) क्या सरकार ने सम्पूर्ण रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है; और

(ङ) देश में कृषि के यंत्रीकरण को बढ़ावा देने हेतु प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी, हां। भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली "प्रत्येक कृषि जलवायु विषयक क्षेत्र/राज्य के लिए दीर्घकालिक यंत्रीकरण रणनीति तैयार करने" पर एक अध्ययन चला रहा है। यह अध्ययन कृषि और सहकारिता विभाग (डी.ओ.ए.सी.), कृषि मंत्रालय, भारत सरकार के लिए किया जा रहा है।

(ख) अभी तक नहीं, इसकी जून, 2003 तक पूरा हो जाने की संभावना है।

(ग) अध्ययन अभी प्रगति पर है। अध्ययन पूरा हो जाने के बाद ही सिफारिशें सामने आएंगी।

(घ) रिपोर्ट अभी तक प्रस्तुत नहीं की गई है।

(ङ) सर्वेक्षण के परिणामों पर आधारित, लघु अवधि/दीर्घावधि की यंत्रीकरण संबंधी रणनीतियां बनाई जाएंगी और एक रिपोर्ट डी.ओ.ए.सी., कृषि मंत्रालय को प्रस्तुत की जाएगी जो कि इसे लागू करने के संबंध में निर्णय लेगा।

जैव कृषि

3187. श्री सईदुज्जमा : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पेस्टों से कपास की रक्षा हेतु पेस्टनाशी की असफलता की बजाय भारत में लगभग 60% पेस्टनाशी कपास के लिए उपयोगी होते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार जैव कृषि के लिए गैर-सरकारी संगठनों के प्रयासों को समर्थन देने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) कपास कृमियों के नियंत्रण के लिए वर्षों से केवल कृमिनाशियों के उपयोग पर निर्भरता से कृमिनाशियों के प्रति कृमियों में प्रतिरोध, कृमियों का पुनः पैदा हो जाना, कृमियों के प्राकृतिक शत्रुओं का नाश, अवयस्क कृमियों का वयस्क कृमियों में परिवर्तन जैसी स्थितियां पैदा हुई हैं जिससे अन्ततः कपास कृमियों के खिलाफ कृमिनाशी असफल हो गए हैं। इसलिए एक अत्यन्त किफायती और पारिस्थितिकीय दृष्टि से अनुकूल तरीके से कपास कृमियों के नियंत्रण हेतु प्रभावकारी एकीकृत कृमि प्रबंध पैकेज पद्धतियां विकसित की गई हैं। केन्द्रीय और राज्य सरकार कपास उगाने वाले किसानों को आई.पी.एम. अपनाने की सलाह दे रही हैं। केन्द्रीय और राज्य सरकार कपास उगाने वाले किसानों को आई.पी.एम. अपनाने की सलाह दे रही है जिससे कृमिनाशियों का जरूरत आधारित विवेकपूर्ण उपयोग संभव हुआ है। तथापि, कपास में कृमिनाशियों का समग्र उपयोग अब भी लगभग 52% है।

(ख) और (ग) जी, हां। दसवीं योजना के दौरान जैव खेती पर एक राष्ट्रीय परियोजना का प्रस्ताव है ताकि गैर-सरकारी संगठनों सहित विभिन्न एजेन्सियों को निम्नलिखित घटकों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा सके:-

(1) नाबार्ड/एन.सी.डी.सी. के माध्यम से बैक-एन्डेड राजसहायता के रूप में फल तथा सब्जी अपशिष्ट कम्पोस्ट इकाईयों, बायो-उर्वरक उत्पादन इकाईयों तथा कृमिपालन के लिए हैचरियों की वाणिज्यिक उत्पादन इकाईयों की स्थापना।

(2) सेवा प्रदायकों के रूप में आर्गेनिक खेती के संवर्धन के लिए क्षमता निर्माण;

(3) प्रशिक्षण कार्यक्रम;

(4) ज्ञान आधारित डाटा बैंकों का सृजन; और

(5) राष्ट्रीय जागरूकता का सृजन।

वर्षा जल का संचयन

3188. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार वर्षा जल के संचयन हेतु देश में भवन योजनाओं में वर्षा जल संचयन को अनिवार्य हिस्सा बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस दिशा में क्या प्रयास किये गए हैं;

(ग) ऐसे सरकारी भवनों की संख्या कितनी है जिनमें वर्षा जल संचयन संबंधी तकनीक प्रदान कराई गयी है;

(घ) सरकार द्वारा सभी सरकारी कालोनियों में वर्षा जल संचयन की व्यवस्था करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) इस उद्देश्य हेतु कुल कितनी धनराशि की आवश्यकता है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) और (ख) शहरी और गरीबी उन्मूलन मंत्रालय ने दिल्ली में 100 वर्ग मीटर और इसके ऊपर के भू खण्डों पर निर्मित सभी नए भवनों में वर्षा जल सहित जल प्रवाह के भण्डारण के माध्यम जल संचयन को अनिवार्य बनाने संबंधी एक अधिसूचना पहले ही जारी कर दी है। इस मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों को भू जल भण्डारण की वृद्धि के लिए वर्षा जल संचयन संबंधी दिशा निर्देश और अन्य संगत साहित्य भी परिचालित किया है।

(ग) जल संसाधन मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालय केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड ने नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ''प्रायोगिक आधार'' पर भू जल के पुनर्भरण अध्ययन संबंधी एक केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम का क्रियान्वयन किया है। इस स्कीम के तहत सरकारी और अर्ध-सरकारी संस्थानों में क्रियान्वयन के लिए छत के वर्षा जल संचयन संबंधी 77 परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया था।

(घ) और (ङ) शहरी विकास और गरीबी उन्मूलन मंत्रालय ने केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग से सरकारी कालोनियों में वर्षा जल संचयन की व्यावहारिकता की जांच करने के लिए कहा है। इस प्रयोजन के लिए अपेक्षित कुल राशि का आकलन इस अध्ययन के पूरा होने के पश्चात् किया जा सकता है।

[हिन्दी]

पर्यटकों के लिए शिकायत प्रकोष्ठ

3189. श्रीमती राजकुमारी रत्ना सिंह : क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पर्यटकों से शिकायतें प्राप्त करने हेतु कोई प्रकोष्ठ स्थापित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रकोष्ठ को अब कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) ऐसी शिकायतों के आधार पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) और (ख) महानिदेशक पर्यटन के कार्यालय में एक शिकायत कक्ष स्थापित किया गया है। महानिदेशक (पर्यटन) द्वारा देश के विभिन्न भागों में अवस्थित भारत पर्यटन कार्यालयों के साथ समन्वय से शिकायतों का निरंतर प्रबोधन किया जाता है।

(ग) और (घ) अभी तक प्राप्त 79 शिकायतों में से 56 का निपटारा किया जा चुका है, शेष पर संबंधित एजेंसियों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है।

चावल प्रसंस्करण परिसर

3190. श्री अजय सिंह चौटाला : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय देश में विदेशी सहायता से कार्य कर रहे चावल प्रसंस्करण परिसरों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान उक्त परिसरों की क्या उपलब्धियां रही हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार वर्ष 2002-2003 और 2003-2004 के दौरान विदेशी सहायता से कुछ और चावल प्रसंस्करण परिसरों को स्थापित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो किन-किन राज्यों में इन परिसरों को स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है, और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

आई.सी.एफ.टी.यू. की रिपोर्ट

3191. श्री गुनीपाटी रामैया : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारत में व्यापार संघ अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित इन्टरनेशनल कान फेडरेशन ऑफ फ्री ट्रेड यूनियन्स की रिपोर्ट की जांच किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) किस क्षेत्र में व्यापार संघ अधिकारों के उल्लंघन को सरकार के ध्यान में लाया गया है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): (क) से (घ) इन्टरनेशनल कान फेडरेशन ऑफ फ्री ट्रेड यूनियन की रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, ''हिन्दू'' के दिनांक 20 जून, 2002 के अंक में रिपोर्ट के संबंध में प्रकाशित खबर की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है। खबर में कहा गया है कि रिपोर्ट में भारत में श्रमिक संघों के अधिकारों के उल्लंघन पर चिंता जताई गई है। श्रमिक संघों के उल्लंघन के मामले की जब भी जानकारी मिलती है, इसे जांच और निदान हेतु राज्य व केन्द्रीय प्रवर्तन तंत्र के समक्ष उठाया जाता है।

सुपारी की खेती के अंतर्गत क्षेत्र

3192. श्री अम्बरीश : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में सुपारी की खेती के अंतर्गत राज्य-वार कुल कितना क्षेत्र है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): वर्ष 2000-01 में देश में सुपारी उत्पादन के अंतर्गत राज्यवार क्षेत्र नीचे दिया गया है:

वर्ष 2000-01 में सुपारी की खेती के अंतर्गत क्षेत्र

(हजार हैक्टेयर में)

राज्य/संघ शासित प्रदेश	क्षेत्र
1	2
आंध्र प्रदेश	0.3
असम	73.2
गोवा	1.6
कर्नाटक	119.1
केरल	85.4
महाराष्ट्र	2.2
मेघालय	11.2
मिजोरम	1.0
तमिलनाडु	3.7
त्रिपुरा	3.2
पश्चिम बंगाल	7.7
अंदमान और निकोबार द्वीप	4.0
पांडिचेरी	0.1
अखिल भारत	312.7

*वर्ष 1999-2000 से संबंधित

तमिलनाडु में पर्यटन सर्किट

3193. श्री टी.एम. सेल्वागनपति : क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को तमिलनाडु सरकार से चेन्नई, मामल्लापुरम, पांडिचेरी, गिंडी, तिरूवनामलई और कांचीपुरम को शामिल करने वाले पर्यटन सर्किट की स्थापना हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस उद्देश्य हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(ग) राज्य को धनराशि कब तक जारी की जाएगी?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) से (ग) पर्यटन विभाग, भारत सरकार ने दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, पर्यटन परिपथों का एकीकृत विकास नामक एक नई स्कीम का प्रस्ताव किया है। वर्ष 2002-03 के लिए 41.50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वर्ष 2002-03 के दौरान एकीकृत विकास हेतु प्रस्तावित छ: परिपथों में से एक चैन्नई, मामल्लापुरम, पांडिचेरी, गिंजी, तिरूवनामलाई तथा कांचीपुरम स्थानों को कवर

करता है। अन्तिम निर्णय संबंधित राज्य सरकारों के परामर्श से लिया जायेगा।

अमृतसर स्थित राजासांसी हवाई अड्डे का उन्नयन

3194. सरदार सिमरनजीत सिंह मान : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत एक वर्ष के दौरान और उसके बाद अमृतसर स्थित राजासांसी हवाई अड्डे पर सुविधाओं को बहाल करने और उनका उन्नयन करने में क्या प्रगति हुई है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान इस पर सरकार द्वारा कितनी धनराशि खर्च की गई है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) और (ख) गत एक वर्ष के दौरान, अमृतसर अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन पर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (ए.ए.आई.) द्वारा रनवे की मजबूती तथा विस्तार का 38% कार्य, एप्रोच रोड तथा कार पार्क को चौड़ा करने का 20%, नए फायर स्टेशन के निर्माण का 4% कार्य पूरा कर लिया गया है। अधिगृहित भूमि के चारों और चारदीवारी के निर्माण का कार्य फरवरी, 2002 में पूरा कर लिया गया है। कार्गो कॉम्प्लेक्स के निर्माण का कार्य जून, 2002 में सौंप दिया गया है तथा कार्य प्रगति पर है। नई टर्मिनल बिल्डिंग के निर्माण के लिए निविदाकारों से आवेदन प्राप्त कर लिए गए हैं। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, जून, 2002 तक 10.42 करोड़ रुपए की राशि खर्च कर चुका है।

वाहन प्रदूषण

3195. श्री अधीर चौधरी : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में देश में विशेषकर दिल्ली में वाहन प्रदूषण के नियंत्रण संबंधी कार्यक्रम की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में विभिन्न राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है और उनमें से प्रत्येक पर क्या कार्रवाई की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) से (ग) उन शहरों में जहां वायु गुणवत्ता संवेदनशील है वायु प्रदूषण पर नियंत्रण सहित कार्य योजनाएं तैयार करने और उन्हें क्रियान्वित करने हेतु प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श के लिए 8 और 9 जुलाई, 2002 को राज्यों के पर्यावरण सचिवों और प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/समितियों के अध्यक्षों का एक दो दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/समितियों को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अभिज्ञात किए गए पर्यावरणीय मानकों से अधिक प्रदूषण वाले शहरों के संबंध में एक समयबद्ध कार्य योजना तैयार करने के लिए कहा गया है। उन शहरों सहित जहां पर नाइट्रोजन डाईआक्साइड, सल्फर डाई-ऑक्साइड तथा श्वसनीय निलंबित कण पदार्थो की मात्रा निर्धारित मानकों से अधिक है या दिल्ली के बराबर या इससे अधिक है, सहित राज्य सरकारों ने कार्य योजनाएं तैयार करने में पहल की हैं। संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों से बैंगलोर, चैन्नई और कोलकाता और राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और गुजरात के शहरी केन्द्रों से कार्य योजनाएं प्राप्त हुई हैं। दिल्ली में, सरकार ने दिल्ली में प्रदूषण पर श्वेत पत्र सहित कार्य योजना तैयार की है जो क्रियान्वित की जा रही है और इसकी प्रगति राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के पर्यावरण प्रदूषण (निवारण और नियंत्रण) प्राधिकरण द्वारा नियमित रूप से मानिटर की जा रही है।

ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा ग्रंथालयों के लिए अनुदान

3196. श्री टी.टी.वी. दिनाकरन : क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्यारहवें वित्त आयोग ने सार्वजनिक ग्रंथालयों के विकास हेतु राज्य सरकारों को अनुदान जारी करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सिफारिश लागू की जा रही है: और

(ग) इस सिफारिश के आधार पर विभिन्न राज्य सरकारों को अब तक जारी किये गए अनुदानों का ब्यौरा क्या है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) से (ग) 11वें वित्त आयोग ने राज्य स्तर के सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए प्रति राज्य 1.00 करोड़ रु. के अनुदान तथा मोफसिल और ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक पुस्तकालयों के उन्नयन हेतु प्रति जिला 20 लाख रु. के अनुदान की सिफारिश की है। इन अनुदानों का उपयोग संबंधित राज्यों द्वारा एक कार्पस बनाने तथा कार्पस से आय का उपयोग सतत आधार पर पुस्तकों तथा आवधिक पत्रिकाओं की खरीद के लिए किया जाएगा। इस स्कीम के तहत अनुशंसित

अनुदान की कुल राशि 139.20 करोड़ रु. है। अब तक वित्त मंत्रालय द्वारा विभिन्न राज्यों को जारी अनुदानों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

11वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित तथा जारी अनुदान

(लाख रु. में)

राज्य	11वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान	अब तक जारी अनुदान
1	2	3
आंध्र प्रदेश	560.00	504.00
अरुणाचल प्रदेश	360.00	324.00
असम	560.00	56.31
बिहार	790.00	711.00
चंडीगढ़	370.00	37.20
गोवा	140.00	28.16
गुजरात	600.00	60.33
हरियाणा	480.00	193.06
हिमाचल प्रदेश	340.00	68.38
जम्मू-कश्मीर	380.00	76.42
झारखंड	410.00	41.23
कर्नाटक	640.00	128.70
केरल	380.00	38.21
मध्य प्रदेश	950.00	382.09
महाराष्ट्र	800.00	80.44
मणिपुर	280.00	252.00
मेघालय	240.00	48.26
मिजोरम	260.00	52.28
नागालैंड	260.00	234.00
उड़ीसा	700.00	70.39
पंजाब	440.00	176.97
राजस्थान	740.00	666.00
सिक्किम	180.00	18.10
तमिलनाडु	680.00	612.00
त्रिपुरा	180.00	72.38
उत्तर प्रदेश	1450.00	1305.00
उत्तरांचल	310.00	31.17
पश्चिम बंगाल	440.00	44.24
कुल	13920.00	6312.32

[हिन्दी]

झारखंड की सिंचाई योजनाएं

3197. श्री ब्रजमोहन राम : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) स्वीकृति हेतु सरकार के विचाराधीन झारखंड की सिंचाई योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) राज्य में कनहर सिंचाई परियोजना, अमानत सिंचाई योजना, कछवान सिंचाई योजना और औरंगा जलाशय योजना की मौजूदा स्थिति क्या है; और

(ग) इन योजनाओं को कब तक स्वीकृति प्रदान किए जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) से (ग) झारखंड राज्य से संबंधित सात वृहत सिंचाई स्कीमें तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन के लिए केन्द्रीय जल आयोग को प्राप्त हुई हैं। इसका ब्यौरा नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	परियोजना का नाम	अनुमानित लागत (करोड़ रु. में)	हजार हेक्टे. में लाभ	मूल्यांकन स्थिति*
1.	कन्हार जलाशय परियोजना	1015.76	57.67 और 300 एमडब्ल्यू	ए
2.	उत्तरी जलाशय परियोजना	836.11	104.50	ए
3.	पुनासी जलाशय	221.65	24.292	बी
4.	सुवर्णरेखा (बहुउद्देशीय परियोजना)	1428.82	237.00	बी
5.	अजॉय वराज/सिकती वराज	248.10	40.509	बी
6.	उपरी सकरी जलाशय	123.81	67.67	ए
7.	कोनार सिंचाई	336.69	64.738/0	बी

*ए-मूल्यांकन के विभिन्न स्तरों के अधीन परियोजना।
बी-कुछ टिप्पणियों के अधीन जल संसाधन मंत्रालय के परामर्शी समिति द्वारा स्वीकार्य परियोजना की स्वीकृति केन्द्रीय मूल्यांकन अभिकरणों की टिप्पणियों की राज्य सरकार द्वारा शीघ्रता से अनुपालना करने पर निर्भर करती है।

[अनुवाद]

महाराष्ट्र में हवाई अड्डों पर आधुनिक सुविधाएं

3198. श्री अशोक ना. मोहोल : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र सहित देश में स्थित सभी हवाई अड्डे देश में उपलब्ध सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा देश के सभी हवाई अड्डों विशेषकर महाराष्ट्र स्थित हवाई अड्डों पर आधुनिक सुविधाएं प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) से (घ) हवाई अड्डों पर सुविधाओं का आधुनिकीकरण तथा उन्नयन एक सतत् प्रक्रिया है और यह कार्य एयरलाइंस द्वारा दर्शायी गई अपेक्षाओं तथा संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर किया जाता है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा नियंत्रित तथा प्रबंध किए जाने वाले महाराष्ट्र समेत सभी हवाई अड्डों पर यात्रियों को संभालने के साथ-साथ इन हवाई अड्डों से तथा तक उड़ने वाले विमानों के प्रकार को संभालने के लिए पर्याप्त दिक्चालन एवं संचार सुविधाएं उपलब्ध हैं।

[हिन्दी]

उड़ानों में विलम्ब

3199. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस और एलाइंस एयर की उड़ानों में विमानों के खराब रख-रखाव के कारण सामान्यत: विलंब होता है;

(ख) यदि हां, तो क्या दिल्ली-मुम्बई-औरंगाबाद विमान मार्ग पर जुलाई के प्रथम सप्ताह में यात्रियों को विमान से उतार दिया गया था और दूसरे विमान पर यात्रा करने को कहा गया था;

(ग) यदि हां, तो भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति को रोकने हेतु कौन-कौन से उपाय प्रस्तावित हैं; और

(घ) इस समय दोनों कंपनियों के पास विमानों की संख्या कितनी है और वे किस श्रेणी के विमान हैं तथा दैनिक उड़ानों की संख्या कितनी है और उनके विमान-मार्ग क्या हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) जी, नहीं।

(ख) दिनांक 4.7.2002 को दिल्ली-मुम्बई-औरंगाबाद सेक्टर पर प्रचालित होने वाली आई सी-887 के लिए निर्धारित विमान एयरबस ए-320 वीटी-ईपीडी में तकनीकी खराबी आ गई। चूंकि तकनीकी खराबी को ठीक करने के लिए विमान को जमीन पर चलाया जाना आवश्यक था; इसलिए यात्रियों को विमान से उतारा गया तथा उड़ान के लिए दूसरा ए-320 विमान लगाया गया।

(ग) गुणवत्ता नियंत्रण विभाग द्वारा ऐसी सभी घटनाओं तथा तकनीकी खराबियों को मॉनीटर तथा जांच की जाती है। सभी मुख्य बेसों पर दैनिक तकनीकी खराबी संबंधी बैठकें की जाती है और सभी तकनीकी खराबियों तथा उनको ठीक करने संबंधी कार्यों की समीक्षा की जाती है और यदि कोई सुधारात्मक कार्रवाई हो तो उससे नियमित आधार पर अनुरक्षण विभाग को अवगत कराया जाता है।

(घ) इंडियन एयरलाइंस/एलाइंस एयर के बेड़े में विमानों की संख्या तथा उनके प्रकार निम्नानुसार हैं:-

विमान का प्रकार	विमानों की संख्या
एयरबस ए-320	36
एयरबस ए-300 बी2/बी4	7
बोइंग 737-200	11
डोर्नियर डीओ 228	3

ग्रीष्मकालीन समयावली में एलाइंस एयर सहित इंडियन एयरलाइंस द्वारा प्रचालित उड़ानों की औसत संख्या प्रतिदिन 195 है तथा दैनिक प्रस्थानों की औसत संख्या 280 है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय बीज बोर्ड का गठन

3200. श्री सुबोध मोहिते : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय बीज बोर्ड का गठन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा मंजूर-शुदा प्रयोगशालाओं में परीक्षण कराया जाना बीज कंपनियों के लिए अनिवार्य बनाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी, हां।

(ख) वर्तमान बीज अधिनियम के मसौदा विधेयक में केन्द्रीय बीज समिति और केन्द्रीय बीज प्रमाणीकरण बोर्ड के स्थान पर राष्ट्रीय बीज बोर्ड की स्थापना का प्रावधान है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) उत्पादकों द्वारा मुहैया सूचना आधारित उपज और उपयोग के लिए मूल्य स्थापित करने हेतु बहु स्थानीय परीक्षणों के परिणामों पर सभी किस्मों और प्रकारों के बीजों का अनिवार्य पंजीकरण किया जाएगा।

खाड़ी क्षेत्रों में विमान किराये में कमी

3201. श्री कोडीकुनील सुरेश :
श्री टी. गोविन्दन :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय को उन अप्रवासी भारतीयों से जो अधिकतर अल्प वेतनभोगी हैं खाड़ी क्षेत्रों के लिए विमान किरायों में कमी करने के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) और (ख) गल्फ सेक्टर में विमान किराये में कटौती करने के संबंध में अनिवासी भारतीयों से प्राप्त अभ्यावेदनों पर एअर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइंस से परामर्श कर विचार किया जा रहा है। गल्फ देशों तथा इंडियन स्टेशनों के बीच विमान किराया इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन (आयटा) की टैरिफ कोर्डिनेटिंग कांफ्रेंसों में तय किया जाता है। इन सैक्टरों में प्रचालित कर रही सभी एयरलाइंस इन कांफ्रेंस में एकत्र होती है और किराया तय करती है।

तथापि, एयरलाइंस आयटा से भी कम किराया वसूल करती है क्योंकि अन्य घटक जैसे मांग और आपूर्ति, आवृत्ति, समय, प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष प्रचालन आदि भी मार्केट में किराए को प्रभावित करते हैं। इस समय इंडियन एयरलाइंस का भारत से एक्स-गल्फ तक जाने का किराया आयटा द्वारा अपनी मूल्य निर्धारण प्रणाली के माध्यम से निर्धारित किराये की तुलना में औसतन लगभग 40 प्रतिशत कम है।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में कंसल्टेंसी सर्विस

3202. डा. एम.वी.वी.एस. मूर्ति : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में प्रवेश करने के उद्देश्य से कंसल्टेंसी सर्विसेज और विमानपत्तन परियोजनाओं से संबंधित अनुबंधों का निष्पादन करने के लिए सितम्बर, 1998 में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में कंसल्टेंसी डिवीजन का गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो कंसल्टेंसी डिवीजन में जनशक्ति का ब्यौरा क्या है और इसके प्रारंभ में इसमें वर्ष-वार नियत किया गया बजट कितना है; और

(ग) तब से कंसल्टेंसी डिवीजन द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) जी, हां।

(ख) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के परामर्शी प्रभाग में एक कार्यकारी निदेशक, एक महाप्रबंधक तथा सहायक कर्मचारियों के साथ एक उप महाप्रबंधक है। फिर भी, जब-तब कोई कार्य परामर्शी प्रभाग को सौंपा जाता है या उसके द्वारा प्राप्त किया जाता है, अपेक्षित दक्ष जनशक्ति दूसरे विभागों से पर्याप्त रूप से बढ़ाई जाती है। परामर्शी प्रभाग के लिए अलग से कोई बजट नहीं है।

(ग) आज तक किसी बाहरी देश को कोई परामर्शी सेवाएं मुहैया नहीं कराई गई हैं। घरेलू सेक्टर में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा परामर्शी सेवाओं के माध्यम से अर्जित राजस्व 57.25 लाख रुपए है।

फूड पार्कों की स्थापना

3203. श्री विनय कुमार सोराके : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार अथवा इसकी एजेंसी 'एपेडा' ने देश में फूड पार्कों की स्थापना करने हेतु बागवानी उत्पाद/स्थानों का चयन करने के संबंध में कोई प्रयास किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो छांटी गई मदों तथा चुने गए स्थानों का ब्यौरा क्या है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) और (ख) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय स्वयं किसी खाद्य पार्क की स्थापना नहीं करता लेकिन आम सुविधाओं के सृजन हेतु वित्तीय सहायता देता है। खाद्य पार्क खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए बुनियादी ढांचा प्रदान करता है। खाद्य पार्कों की स्थापना हेतु संभावनाओं की पहचान करते समय भावी संवर्धनकर्ता अन्य बातों के साथ-साथ बागवानी उपज समेत कच्चे माल की उपलब्धता का मूल्यांकन करते हैं। वाणिज्य मंत्रालय के तहत कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण कच्चे माल के विकास और उसके स्रोत का पता लगाने, उनके प्रसंस्करण/पैकेजिंग तथा अंततः निर्यात के उद्देश्य से कृषि निर्यात जोन्स के जरिए निकटस्थ क्षेत्र में स्थित किसी उपज/उत्पादों विशेष पर व्यापक दृष्टि डालने का प्रयास करता है। मंत्रालय खाद्य पार्कों और कृषि निर्यात जोन्स के जरिए विकास संबंधी प्रयासों में सिनर्जी स्थापित करने में भी कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण को सहयोग देता है।

[हिन्दी]

एशियाटिक सोसायटी द्वारा अधिग्रहीत भूमि का उपयोग

3204. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एशियाटिक सोसायटी ने जून, 1994 में अपना प्रकाशन विभाग स्थापित करने और राजकीय कार्यों को निपटाने के लिये एनेक्सी बिल्डिंग में कोलकाता नगर निगम से 143.978 वर्ग मीटर भूमि का पट्टे पर अधिग्रहण किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या संभाव्यता संबंधी कोई अध्ययन नहीं किया गया था जिसके परिणामस्वरुप 47.56 लाख रुपये का अपव्यय हुआ, जैसा कि नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा अपने प्रतिवेदन संख्या 4 में बताया गया है; और

(ग) यदि हां, तो अब तक इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कार्यवाही की गई है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) जी, हां।

(ख) नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा अपनी रिपोर्ट में यथा उल्लिखित व्यय की राशि 23.26 लाख रु. थी न कि 47.56 लाख रु.। यह बेकार व्यय नहीं था क्योंकि प्रस्तावित स्थान का अधिग्रहण एशियाटिक सोसायटी के प्रकाशन विभाग के प्रदर्शनी-सह-बिक्री पटल के लिए किया गया था। यह निर्णय स्थायी वित्त समिति द्वारा लिया गया था जिसे बाद में सोसायटी की परिषद ने अनुमोदित कर दिया था।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

नर्मदा नदी पर बांध

3205. **श्री लक्ष्मण सेठ** : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नर्मदा एवं इसकी सहायक नदियों पर बनाये गए बांधों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) कुल कितनी भूमि के जलमग्न होने और कितने परिवारों के विस्थापित होने का अनुमान है; और

(ग) विस्थापित लोगों के पुनर्वास हेतु किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) नर्मदा नदी एवं उसकी सहायक नदियों पर अभी तक 506 लघु एवं वृहद् बांध बनाए गए हैं।

(ख) बांधों के बनने के कारण लगभग 67,000 हेक्टेयर भूमि जलमग्न तथा 7,500 परिवार विस्थापित हो गए हैं।

(ग) निर्माण के समय विद्यमान पुनर्वास नीति के अनुसार विस्थापितों को बसाया गया है।

अनुदानों की मांगें

3206. **कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मंत्रालय द्वारा वित्त वर्ष 1999-2000, 2000-2001 एवं 2001-2002 के लिए मांगे गए धन का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए धन का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को यह जानकारी है कि उक्त अवधि के दौरान अनुदान के अन्तर्गत दीर्घस्थायी विपुल अप्रयुक्त प्रावधान था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या अनुदान में दीर्घस्थायी विपुल प्रावधानों का कारण मांगों का अवास्तविक अनुमान था; और

(च) यदि हां, तो भविष्य में मांगों के सही और वास्तविक अनुमान को सुनिश्चित करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) से (च) मंत्रालय द्वारा मांगी गई धनराशि, सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई गई धनराशि और व्यय के ब्यौरों का विवरण संलग्न है।

विवरण

योजना परिव्यय/व्यय

(करोड़ रुपये)

वर्ष	मंत्रालय द्वारा मांगी गई धनराशि	आवंटित धनराशि		वास्तविक व्यय	संशोधित अनुमान पर अव्ययित प्रावधान	टिप्पणी
		बजट अनुमान	संशोधित अनुमान			
1999-2000	839.90	700.00	610.00	539.90	70.10	राज्य सरकारों द्वारा धनराशियों की धीमी उपयोगिता ही अव्ययित राशि का कारण है।
2000-2001	954.27	850.00	610.00	607.56	2.44	
2001-2002	1175.00	800.00	900.00	900.00*		

*अनंतिम

बागवानी, फल, वृक्ष और मत्स्यन हेतु योजनाएं

3207. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में, विशेषकर महाराष्ट्र में बागवानी, फलवाले वृक्षों, मत्स्यन से संबंधित कार्यान्वित की गई योजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इस प्रयोजन हेतु राज्य-वार आवंटित धन कितना है;

(ग) क्या अनुसंधान संस्थानों द्वारा इन क्षेत्रों में कोई नई तकनीक विकसित की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त योजनाओं के विकास हेतु इन तकनीकों को कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा छोटे किसानों और कृषि संगठनों को आधुनिक तकनीक का प्रयोग कर फलों एवं फूल की खेती करने हेतु उपलब्ध कराई गई सुविधाओं एवं सहायता का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(च) राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा तमिलनाडु के लिए संस्वीकृत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और उनमें से कितनी योजनाएं सफल हुई हैं और किस सीमा तक सफल हुई हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) सरकार देश के बागवानी क्षेत्र तथा मात्स्यिकी क्षेत्र के विकास के लिए विभिन्न स्कीमें कार्यान्वित कर रही है। इन स्कीमों की सूची संलग्न विवरण-I पर दी गई है। बागवानी क्षेत्र में सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों में बागवानी के एकीकृत विकास हेतु प्रौद्योगिकी मिशन और जनजातीय/पहाड़ी क्षेत्रों में बागवानी के एकीकृत विकास को छोड़कर सभी स्कीमों का कार्यान्वयन महाराष्ट्र में भी किया गया। मात्स्यिकी क्षेत्र में प्रशिक्षण तथा विस्तार संबंधी स्कीम को छोड़कर सभी स्कीमें महाराष्ट्र में कार्यान्वित की गई थीं।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान बागवानी के संवर्धन के लिए विभिन्न राज्य सरकारों को निर्मुक्त निधियों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है जिसमें वर्ष 2001-02 के दौरान वृहत प्रबधन स्कीम के अंतर्गत निर्मुक्त निधियां शामिल हैं जिसके अधीन बागवानी विकास कार्यक्रम भी शुरू किए गए थे। इस प्रकार मात्स्यिकी क्षेत्र की विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत निर्मुक्त राज्य-वार निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

(ग) और (घ) जी हां। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद अपने अनुसंधान संस्थानों तथा अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजनाओं के माध्यम से बागवानी के बारे में नई तकनीकें विकसित कर रहा है। इनमें संकर किस्मों तथा उन्नत किस्मों का विकास कृषि तकनीक तथा फसल कटाई पश्चात् प्रबंधन तकनीक शामिल हैं। मात्स्यिकी क्षेत्र में भी, देश के विभिन्न भागों में अवस्थित अनुसंधान संस्थानों के माध्यम से नई तकनीकें विकसित की जा रही हैं। इस प्रकार विकसित की गई प्रौद्योगिकियों का प्रचार-प्रसार चल रही स्कीमों के अंतर्गत किसानों/मछुआरों को प्रदर्शनों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, जागरूकता अभियानों, तकनीकी साहित्य के वितरण आदि के माध्यम से किया जाता है।

(ङ) फलों तथा फूलों के उत्पादकों को राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा उनकी उत्पादन तथा फसल कटाई पश्चात् प्रबंधन के माध्यम से वाणिज्यिक बागवानी के विकास संबंधी स्कीम के अंतर्गत दी गई सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण-IV में दिया गया है।

(च) 2000-2002 अवधि के दौरान तमिलनाडु के लिए राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण-V में दिया गया है। ये स्कीमें मई, 2000 के दौरान शुरू की गई थीं। लाभानुभोगियों को सहायता संयुक्त जांच किए जाने और परियोजनाओं के सफलतापूर्वक पूर्ण होने को सुनिश्चित किए जाने के बाद ही बैक एन्डेड राजसहायता के रूप में मुहैया की गई हैं।

विवरण-I

बागवानी और मात्स्यिकी क्षेत्रों के अंतर्गत नौवीं योजना अवधि के दौरान देश में कार्यान्वित विकास स्कीमें

(क) बागवानी

1. एकीकृत फल विकास
2. जड़ तथा कन्द फसलों सहित सब्जियों का एकीकृत विकास
3. एकीकृत खुम्बी विकास
4. एकीकृत मसाला विकास
5. वाणिज्यिक पुष्पकृषि विकास
6. औषधीय तथा सुगन्धदायक पौधों का विकास
7. प्लास्टिकल्चर हस्तक्षेप के माध्यम से बागवानी विकास
8. काजू तथा कोको एकीकृत विकास कार्यक्रम
9. फसल उत्पादकता सुधार हेतु मधुमक्खी पालन विकास

10. सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों में बागवानी के एकीकृत विकास हेतु प्रौद्योगिकी मिशन

11. राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड कार्यक्रम

12. नारियल विकास कार्यक्रम

13. बागवानी में मानव संसाधन विकास

14. जनजातीय/पहाड़ी क्षेत्रों में बागवानी का एकीकृत विकास

उपर्युक्त में से पहली नौ स्कीमें अक्तूबर, 2000 से कृषि में वृहत प्रबंधन संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम-कार्ययोजनाओं के माध्यम से राज्य के प्रयासों का संपूर्ण/अनुपूरण में समाहित कर ली गई है। इन स्कीमों के अंतर्गत, राज्य सरकारें अपनी महसूस की गई जरूरतों और मांगों के अनुसार अपने कार्य-कलापों को प्राथमिकता प्रदान कर सकती है।

(ख) मात्स्यिकी

नौवीं योजना के दौरान मात्स्यिकी क्षेत्र में निम्नलिखित स्कीमें कार्यान्वित की गई:

1. समुद्री मात्स्यिकी का विकास
2. पारम्परिक जलयानों का मोटरीकरण
3. एच.एस.डी. तेल पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की प्रतिपूर्ति
4. एकीकृत तटीय जलकृषि
5. मीठे पानी में अंतर्देशीय जलकृषि का विकास
6. प्रमुख तथा लघु पत्तनों पर मत्स्यन हार्बर
7. राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण
8. प्रशिक्षण तथा विस्तार
9. अंतर्देशीय मत्स्य विपणन हेतु अवसंरचना
10. अंतर्देशीय मात्स्यिकी सांख्यिकी का विकास

विवरण-II

बागवानी के संवर्धन के लिए विभिन्न राज्य सरकारों को निर्मुक्त राशि

(लाख रुपए)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	बागवानी स्कीमों के अंतर्गत निर्मुक्त राशि		बागवानी स्कीमों में वृहत प्रबंधन और एच.आर.डी. के अंतर्गत निर्मुक्त राशि
		1999-2000	2000-2001	2001-2002
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	1560.22	204.25	2250.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	195.35	41.35	219.50
3.	असम	42.55	21.44	523.50
4.	बिहार	26.55	31.42	1800.00
5.	झारखंड	-	-	1095.00
6.	गोवा	150.05	21.62	200.00
7.	गुजरात	346.40	216.71	1900.00
8.	हरियाणा	262.88	97.38	1620.00
9.	हिमाचल प्रदेश	93.28	45.87	1800.00
10.	जम्मू और कश्मीर	266.73	132.38	900.00

1	2	3	4	5
11.	कर्नाटक	3111.00	354.94	5850.00
12.	केरल	1426.32	177.74	2315.54
13.	मध्य प्रदेश	473.70	140.34	5000.00
14.	छत्तीसगढ़	–	–	1339.02
15.	महाराष्ट्र	3573.80	385.97	9000.00
16.	मणिपुर	145.78	45.03	345.00
17.	मेघालय	59.96	39.02	204.74
18.	मिजोरम	148.69	42.89	722.00
19.	नागालैण्ड	196.82	45.25	779.80
20.	उड़ीसा	1809.13	285.38	1487.00
21.	पंजाब	59.40	75.23	1035.00
22.	राजस्थान	535.26	213.15	5252.00
23.	सिक्किम	220.55	55.96	425.00
24.	तमिलनाडु	1572.53	213.92	4500.00
25.	त्रिपुरा	91.42	38.87	630.00
26.	उत्तर प्रदेश	507.91	162.48	7501.00
27.	उत्तरांचल	–	–	1400.00
28.	पश्चिम बंगाल	45.85	35.41	2500.00
29.	अंदमान और निकोबार द्वीप	24.96	22.94	90.00
30.	चंडीगढ़	5.00	0.88	50.00
31.	दादरा और नागर हवेली	11.41	0.10	135.00
32.	दमण और दीव	11.00	5.07	45.00
33.	दिल्ली	5.30	13.38	–
34.	लक्षद्वीप	17.09	5.01	90.00
35.	पांडिचेरी	11.00	20.62	135.00

विवरण-III

मात्स्यिकी पर विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत केन्द्रीय शेयर के रूप में निर्मुक्त निधि

(लाख रुपए)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	निर्मुक्त निधि		
		1999-2000	2000-2001	2001-2002
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	150.07	147.15	89.10
2.	अरुणाचल प्रदेश	8.00	27.00	35.00
3.	असम	5.00	3.75	12.10
4.	बिहार	76.36	6.25	50.04
5.	छत्तीसगढ़	0.00	35.00	48.76
6.	गोवा	84.09	48.52	335.06
7.	गुजरात	804.79	655.97	717.40
8.	हरियाणा	51.46	20.75	75.05
9.	हिमाचल प्रदेश	22.50	27.48	15.41
10.	जम्मू-कश्मीर	41.45	12.72	48.71
11.	कर्नाटक	518.43	212.43	545.35
12.	केरल	531.90	589.92	601.65
13.	मध्य प्रदेश	205.64	102.89	22.95
14.	महाराष्ट्र	372.96	589.92	430.84
15.	मणिपुर	5.10	49.47	0.00
16.	मेघालय	2.95	0.00	45.00
17.	मिजोरम	10.00	30.50	35.00
18.	नागालैण्ड	48.31	152.65	203.77
19.	उड़ीसा	141.55	384.12	321.86
20.	पंजाब	-	50.00	16.00
21.	राजस्थान	20.10	8.25	61.76
22.	सिक्किम	3.50	8.76	3.64

1	2	3	4	5
23.	तमिलनाडु	1218.46	860.20	1153.45
24.	त्रिपुरा	57.57	62.12	96.78
25.	उत्तर प्रदेश	459.84	499.05	448.77
26.	उत्तरांचल	0.00	27.07	0.00
27.	पश्चिम बंगाल	359.50	908.68	767.89
28.	अंदमान और निकोबार द्वीप	24.09	17.91	29.16
29.	दमण और द्वीव	21.35	64.80	121.25
30.	लक्षद्वीप	1.05	1.75	5.00
31.	पांडिचेरी	186.69	227.32	122.99

विवरण-IV

फलों तथा फूलों के वाणिज्यिक उत्पादन के लिए छोटे किसानों/उद्यमियों को बोर्ड द्वारा स्वीकृत सहायता का राज्यवार ब्यौरा

(लाख रुपए)

क्र.सं.	राज्य का नाम	फलों तथा फूलों की परियोजनाओं की सं.	राशि
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	8	149.90
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	30.00
3.	असम	1	0.12
4.	बिहार	1	0.63
5.	दिल्ली	–	–
6.	गोवा	–	–
7.	गुजरात	11	99.96
8.	हरियाणा	7	23.37
9.	हिमाचल प्रदेश	2	2.44
10.	जम्मू-कश्मीर	1	3.77
11.	कर्नाटक	32	397.28
12.	केरल	4	11.75
13.	मध्य प्रदेश	34	28.62
14.	महाराष्ट्र	211	807.26
15.	मणिपुर	1	3.00
16.	मेघालय	–	–
17.	मिजोरम	–	–
18.	नागालैण्ड	2	9.86
19.	उड़ीसा	2	1.26
20.	पंजाब	–	–
21.	राजस्थान	–	–
22.	सिक्किम	–	–
23.	तमिलनाडु	28	263.80
24.	त्रिपुरा	–	–
25.	उत्तरांचल	–	–

1	2	3	4	1	2	3	4
26.	उत्तर प्रदेश	2	11.96	31.	दमण और द्वीव	–	–
27.	पश्चिम बंगाल	10	7.10	32.	लक्षद्वीप	–	–
28.	अंदमान और निकोबार द्वीप	–	–	33.	पांडिचेरी	–	–
29.	चंडीगढ़	–	–	34.	झारखंड	–	–
30.	दादरा और नागर हवेली	–	–	35.	छत्तीसगढ़	–	–

विवरण-V

तमिलनाडु में उत्पादन एवं फसलोपरान्त प्रबंध के माध्यम से वाणिज्यिक बागवानी के विकास के लिए राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड योजना

क्र.सं.	परियोजना का नाम और पता	घटक	निर्मुक्त राशि (लाख रु. में)
1	2	3	4
1.	मैसर्स एनफील्ड एग्रो बेस लि. चेन्नै	आर्गेनिक बागवानी फार्म और काजू का प्राथमिक प्रसंस्करण	4.921
2.	मैसर्स क्रिस्पी बाइट्स प्रा.लि. इस्टे, तम्बरम, चेन्नै	आम के गूदे की पैकिंग और निर्यात	6.24
3.	मैसर्स वी महालिंगम, करूर	बागवानी फसलों की वाणिज्यिक खेती	1.78
4.	मैसर्स तिरूवेंशन बायो बौटेनिका, कांचीपुरम जिला	ऐलो वेरा (जड़ीबूटी पौधे) की खेती प्रसंस्करण और निर्यात	25.00
5.	मैसर्स ओमेगा ईको टैक प्रोडक्ट्स कोयंबत्तूर	कायर ब्रिकेटस, बायो पेस्टिसाइड, बायो फंगीसाइड और बायो उर्वरक	11.95
6.	सैल्फ हैल्प ग्रुप (आईआरडीपी) कांचीपुरम जिला	आरचिड कल्टिवेशन	5.45
7.	श्री वी. वैथीश्वरन-तलवाडी	बागवानी फसलों की उच्च तकनीक से वाणिज्यिक खेती	5.89
8.	श्री जी.वी. विश्वनाथन-तलवाडी	बागवानी फसलों की उच्च तकनीक से वाणिज्यिक खेती	0.85
9.	मैसर्स जया चिन्नास्वामी-कोयंबत्तूर	गेरबरा की उच्च तकनीक से वाणिज्यिक खेती (पुष्पकृषि)	0.74
10.	मैसर्स मीनाक्षी षणमुगम-इरोड	बागवानी फसलों की उच्च तकनीक से वाणिज्यिक खेती	1.45
11.	मैसर्स कीर्ति सीड्स-तूतीकोरिन	बागवानी बीज उत्पादन इकाई	0.68
12.	श्री जी. शक्तिगणेशन-कोयंबत्तूर	बागवानी फसलों की उच्च तकनीक से वाणिज्यिक खेती	0.32
13.	श्री मोहनदास-त्रिची	बागवानी फसलों की उच्च तकनीक से वाणिज्यिक खेती	3.51

1	2	3	4
14.	मैसर्स हरिहर औौर्चर्डस-त्रिची	बागवानी फसलों की उच्च तकनीक से वाणिज्यिक खेती	3.86
15.	मैसर्स कलावती नटराजन-कांचीपुरम जिला	फलोद्यान लगाना	19.28
16.	मैसर्स कावेरी एग्रो इंडस्ट्रीज-कृष्णगिरि	आम का गूदा	25.00
17.	मैसर्स द्वारका फूड्स-धरमपुरी	आम का गूदा	25.00
18.	मैसर्स नवरसम एगरोटैक-धरमपुरी	आम का गूदा	25.00
19.	मैसर्स ग्रो मोर बायोटैक-होसूर	टिशू कल्चर	25.00
20.	श्री वी. सुन्दरराजन, एटटायपुरम	चिकित्सीय और सुगन्धित पौधे	1.49
21.	मैसर्स कमलावावेणी एटटायपुरम-टुटुकुडी	चिकित्सीय पौधे	4.02
22.	श्री के. चन्द मोहन-चेन्नै	अमरूद, आम, सपोटा और हल्द की खेती	1.29
23.	श्री एम.एस. सम्पत-चेन्नै	गरबेरा खेती	0.92
24.	श्री आर. जगथाम्बल-मदुरै	अमरूद, आम, सपोट की खेती	1.23
25.	श्री पी. तमिल सेलवन-कुंबम	अंगूर की वाणिज्यिक खेती	0.59
26.	मैसर्स अरूसुवाई एग्रो प्रोडक्टस इंडिया लि.-कुन्नूर	एशियाटिक लिली की खेती	12.50
27.	मैसर्स अमुधा सुरभि फ्रूट इंडस्ट्रीज प्रा.लि.-कावेरीपत्तनम	आम के गूदे का उत्पादन	25.00
28.	मैसर्स नीलगिरि एग्रो इंडस्ट्रीज प्रा.लि., कन्नूर	पुष्पकृषि, एशियाटिक लिली की खेती	11.71
29.	मैसर्स गीता फूडस-कृष्णगिरी	आम के गूदे का उत्पादन	4.00
30.	श्रीमती इंदिरा नदनम एवं डा. नदनम-पुडुकोट्टाई	आम, अनोला तथा कटहल की खेती	1.30
31.	श्री जी.वी. विश्वनाथन-इरोड	आम तथा अमरूद के उद्यानों में ड्रिप सिंचाई	1.22
32.	श्रीमती मीनाक्षी षणमुगम-इरोड	आम, सपोटा तथा आंवले की वाणिज्यिक खेती	2.58
33.	मैसर्स अरूसुवाई एग्रो प्रोडक्टस (इं.) लि. धर्मपुरी	फलों व सब्जियों का प्राथमिक प्रसंस्करण	12.50
	कुल		272.26

त्रिपुरा को अन्य राज्यों से जोड़ा जाना

3208. श्री खगेन दास : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की त्रिपुरा के सीमा सड़क संगठन द्वारा निर्माण किए जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग-44 के अलावा एक अन्य राजमार्ग लिंक के जरिये अन्य राज्यों से जोड़ने की योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त लिंक कब तक चालू हो जाएगा?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी): (क) राष्ट्रीय राजमार्ग 44 के अलावा, सरकार ने वर्ष 1999 में, मिजोरम में सैरंग से त्रिपुरा में मनु को जोड़ते हुए एक अन्य राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग 44ए के रूप में घोषित किया है। इसका विकास और अनुरक्षण सीमा सड़क संघटन द्वारा किया जा रहा है।

(ख) त्रिपुरा में राष्ट्रीय राजमार्ग 44ए की लंबाई 110 कि.मी. है और यह पूरा एक लेन का है।

(ग) यह राष्ट्रीय राजमार्ग पहले से ही चालू है।

[हिन्दी]

पशु प्रजनन विकास परियोजना

3209. श्री दिनेश चन्द्र यादव : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय ने बिहार में पशु प्रजनन से संबंधित राष्ट्रीय पशु और महीषी विकास परियोजना हेतु 39 लाख 45 हजार संस्वीकृत करने का कोई प्रस्ताव लंबित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) से (ग) राष्ट्रीय गोपशु और भैंस प्रजनन परियोजना के तहत 4347.03 लाख रुपए के परिव्यय से एक प्रस्ताव विभाग में प्राप्त हुआ था। इस प्रस्ताव में जो कमियां थी उनसे राज्य को अवगत करा दिया गया था तथा उनसे प्रस्ताव में उपयुक्त रूप से संशोधन करने का अनुरोध किया गया था। राज्य के उत्तर की प्रतीक्षा है।

[अनुवाद]

राजस्थान और गुजरात में मरूस्थलीय पर्यटन

3210. श्री पी.एस. गढ़वी : क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजस्थान और गुजरात तथा विशेषकर गुजरात के कच्छ जिले में मरूस्थलीय पर्यटन को बढ़ावा दिए जाने की विपुल संभावना है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार को वहां मरूस्थलीय पर्यटन को बढ़ावा देने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस प्रयोजन हेतु राज्य सरकारों द्वारा धन की मांग की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में मरूस्थलीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) राजस्थान और गुजरात के रेगिस्तानी क्षेत्रों में पर्यटन के विकास की सम्भाव्यता है।

(ख) से (घ) पर्यटक स्थलों का विकास मुख्यतया राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों द्वारा किया जाता है। तथापि, पर्यटन विभाग, राजस्थान और गुजरात के रेगिस्तानी क्षेत्रों को शामिल करते हुए देश में विभिन्न स्थलों पर अभिनिर्धारित पर्यटन परियोजनाओं के लिए उनसे परामर्श करके कुछ वित्तीय सहायता मुहैया करवा रहा है। तथापि दसवीं योजना के लिए यात्रा परिपथों का एकीकृत विकास और गंतव्य स्थलों का विकास नई परियोजनाएं है। परियोजनाएं राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों के साथ परामर्श करके अभिनिर्धारित और कार्यान्वित की जानी है।

(ङ) रेगिस्तानी क्षेत्रों सहित देश में सभी पर्यटक स्थलों का संवर्धन देश और विदेश स्थित भारत पर्यटन कार्यालयों के माध्यम से किया जा रहा है।

महानदी नदी पर बांध का निर्माण

3211. श्रीमती कुमुदिनी पटनायक : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास महानदी प्लेट को नियंत्रित करने हेतु हीराकुंड बांध और हेल्टा के ऊपरि मुख के नीचे उस महानदी पर एक दूसरा बांध बनाने का कोई प्रस्ताव है, जो अपनी घाटी में समतल एवं डेल्टा क्षेत्र में भारी क्षति पहुंचाती है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त बांध को कब तक पूरा किया जाएगा?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) और (ख) सिंचाई राज्य का विषय होने के कारण बांधों सहित सिंचाई परियोजनाओं की आयोजना, वित्त पोषण, निष्पादन और रखरखाव राज्य सरकारों द्वारा स्वयं किया जाता है। राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार महानदी पर दूसरा बांध बनाने के लिए कोई विशिष्ट प्रस्ताव तैयार नहीं किया गया है।

भारत-बांग्लादेश संधि की समीक्षा

3212. श्री प्रियरंजन दासमुंशी : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनका मंत्रालय जल के बंटवारे के लिए फरक्का-गंगा नदी के संबंध में भारत बंगलादेश संधि की समीक्षा करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या कोलकाता पत्तन गंगा में गाद जमने और बड़े पोतों की आधारभूत न्यूनतम नौवहनता हेतु कम आवागमन वाली अवधि में 40,000 क्यूसेक जल के न रहने के गंभीर खतरे का सामना कर रहा है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार मामले की समीक्षा करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) जी, नहीं। भारत सरकार को इस समझौते की समीक्षा के लिए बांग्लादेश सरकार से अभी तक कोई औपचारिक सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

हेलीकॉप्टर दुर्घटना के संबंध में जांच रिपोर्ट

3213. श्रीमती रेणूका चौधरी :
श्री सुशील कुमार शिंदे :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लोक सभा के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय श्री जी.एम.सी. बालयोगी को ले जाने वाले हेलीकॉप्टर की दुर्घटना संबंधी जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

लाल किला और कुतुब मीनार का पुनरुद्धार

3214. श्री रवि प्रकाश वर्मा :
श्री वीरेन्द्र कुमार :

क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास दिल्ली और आगरा स्थित लाल किला और क्रमश: दिल्ली तथा आगरा स्थित कुतुब मीनार, दिल्ली चलो पार्क और ताजमहल का पुनरुद्धार करने का कोई व्यापक कार्यक्रम है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2001-2002 एवं 2002-2003 में इस प्रयोजन हेतु कितना बजटीय आबंटन किया गया है; और

(ग) इस कार्य को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण चालू वित्तीय वर्ष से, केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों जैसे दिल्ली में लाल किला और कुतुब मीनार तथा आगरा में लाल किला और ताज महल के लिए संदर्श संरक्षण कार्यक्रमों को तैयार कर रहा है।

दिल्ली स्थित दिल्ली चलो पार्क केन्द्रीय संरक्षित स्मारक नहीं है। किन्तु इस पर कार्य अन्य विभागों के माध्यम से किया गया है जिनमें पर्यटन विभाग शामिल है।

(ख) वर्ष 2001-2002 के दौरान किया गया व्यय तथा चालू वित्तीय वर्ष के लिए आबंटन इस प्रकार है:-

(लाख रुपए में)

	व्यय 2001-2002	आबंटन 2002-2003
लाल किला, दिल्ली	96.98	105.00
कुतुब मीनार, दिल्ली	18.28	43.30
ताज महल, आगरा	22.02	32.00
लाल किला, आगरा	37.68	18.80

(ग) इन केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों का संरक्षण एक सतत् प्रक्रिया है।

जैव खाद्य एवं कृषि उत्पादों की मांग

3215. श्री त्रिलोचन कानूनगो : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को विश्व बाजार में विशेषकर विकसित देशों में जैव खाद्य एवं कृषि उत्पादों की बढ़ती मांग की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो दसवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान जैव खाद्य उत्पादित करने वाले किसानों को उपलब्ध कराए जाने वाली प्रस्तावित सुविधाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त खेती के लिए किन क्षेत्रों की पहचान की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी, हां।

(ख) देश में जैविक खाद के उत्पादन, प्रोत्साहन, मंडी विकास तथा जैविक खेती के विनियमन हेतु 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय जैविक कृषि कार्यक्रम का निरूपण किया जा रहा है। इसमें निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए राष्ट्रीय जैविक कृषि संस्थान की स्थापना शामिल है:-

(1) जैविक उत्पादों के प्रमाणीकरण हेतु एक तंत्र निर्मित करना।

(2) जैविक उत्पादन यूनिटों की स्थापना के लिए सहायता।

(3) जैविक खेती को प्रोत्साहन देना और इसका विस्तार करना।

जहां तक जैविक उत्पादों के निर्यात विकास का संबंध है, कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात विकास प्राधिकरण (अपेडा) द्वारा 10वीं योजनावधि के दौरान एक स्कीम प्रस्तावित है।

(ग) अभी तक कोई क्षेत्र अभिज्ञात नहीं किया गया है। तथापि कृषि रसायनों (उर्वरक तथा कृमिनाशी की बहुत कम खपत वाले क्षेत्र जैविक खेती तत्काल शुरू करने की दृष्टि से अधिक उपयुक्त हैं।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्ग का अतिक्रमण

3216. श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन राष्ट्रीय राजमार्गों का ब्यौरा क्या है जिनका वर्तमान में मध्य प्रदेश में अतिक्रमण किया गया है; और

(ख) सरकार द्वारा अतिक्रमण हटाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी): (क) और (ख) मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर अतिक्रमण हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्ग भूमि सीमा से अतिक्रमण हटाने के लिए राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अतिक्रमणकर्ताओं को कानूनी नोटिस देकर और जिला प्रशासन की सहायता से उन्हें हटाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। मंत्रालय भी राष्ट्रीय राजमार्ग नियंत्रण (भूमि एवं यातायात) नामक विधान बनाने के लिए एक विधेयक प्रस्तुत करने का विचार कर रहा है जो अतिक्रमणों को हटाने और रोकने में राजमार्ग विभाग को समर्थ करेगा।

[अनुवाद]

बंगलौर में भारत दर्शन पार्क

3217. श्री आर.एल. जालप्पा : क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास विभिन्न राज्यों की संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु बंगलौर में भारत दर्शन पार्क स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यक भूमि का अधिग्रहण किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त परियोजना पर कितनी धनराशि व्यय किए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

श्रम विवादों के लंबित मामले

3218. श्री शीशराम सिंह रवि : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) श्रम और कल्याण संबंधी स्थायी समिति द्वारा यथा अनुशंसित औद्योगिक विवादों को निपटाने हेतु अतिरिक्त सी.जी.आई.आई. की स्थापना में विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ख) क्या देश में 17 सी जी आई टी-सह-श्रम न्यायालयों में से केवल छह सी जी आई टी का अब तक कम्प्यूटरीकरण किया जा चुका है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) कम्प्यूटरों और फोटो कापी मशीनों की खरीद के मामले में मंत्रालय और विभाग तथा इसके अधीनस्थ कार्यालयों, श्रम न्यायालयों आदि द्वारा क्या प्रक्रिया अपनाई गयी है;

(ङ) क्या इस संबंध में नियमों की अनदेखी की गई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): (क) सरकार ने निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन करने के पश्चात् अहमदाबाद, एर्णाकुलम, गुवाहाटी में एक-एक और दिल्ली तथा चंडीगढ़ में एक-एक अतिरिक्त अर्थात् कुल 05 केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण-सह-श्रम न्यायालयों की स्थापना का अनुमोदन कर दिया है और इस तरह अनुमोदन प्राप्त होने में कोई विलम्ब नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) तेरह केन्द्रीय सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण-सह-श्रम न्यायालयों को पहले ही कम्प्यूटरीकृत किया जा चुका है। शेष चार के कम्प्यूटरीकरण की कार्रवाई प्रगति पर है।

(घ) से (च) पूरे मंत्रालय, उसके विभागों और अधीनस्थ कार्यालयों आदि से संबंधित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

ट्रैक्टरों की खरीद हेतु सहायता

3219 श्री पी.आर. खूंटे:
श्री पुन्नू लाल मोहले:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार छोटे किसानों के बीच कृषि उपकरणों के उपयोग को लोकप्रिय बनाने हेतु ट्रैक्टरों की खरीद करने हेतु कोई सहायता उपलब्ध कराती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजन हेतु क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों, विशेषकर छत्तीसगढ़ के उन छोटे किसानों की राज्य-वार संख्या कितनी है जिन्हें इस संबंध में सहायता उपलब्ध कराई गई थी;

(घ) क्या ट्रैक्टरों की खरीद के लिए छोटे किसानों को कोई रियायत दी गई हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी हां।

(ख) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) से (च) छोटे किसानों को राजसहायता का स्तर वही है जैसाकि किसानों की अन्य श्रेणियों को उपलब्ध है। तथापि, सहायता के मार्गनिर्देशों में यह व्यवस्था है कि अधिकतम लाभ मार्जिनल, छोटे और अर्ध-मध्यम किसानों को इसी क्रमानुसार प्राप्त हो।

विवरण

दसवी पंचवर्षीय योजना (2002-07) के दौरान विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के अन्तर्गत फार्म यंत्रीकरण के लिए सहायता के स्वीकृत प्रतिमान

क्र.सं.	उपकरण/मशीन का नाम	दसवीं योजना के लिए स्वीकृत राजसहायता दर	टिप्पणी
1	2	3	4
1.	सैल्फ प्रोपेल्ड रीपर, धान ट्रासप्लाटर और अन्य समरुप सैल्फ, गेपेल्ड मशीन	लागत के 50% की दर पर 50,000/-रु. तक सीमित	
2.	विशेषीकृत उर्जाचालित उपकरण जैसे जीरो टिल ड्रिल, रेज्डबेड प्लान्टर, गन्ना कटर, प्लान्टर, आलू प्लान्टर, आलू डिगर, मूंगफली डिगर रोटोवेटर, स्ट्रारीपर,	लागत के 50% की दर पर 30,000/- रु. तक सीमित	

1	2	3	4
	स्ट्रिप टिल ड्रिल, ट्रैक्टर चालित रीपर, क्लीनर, सहग्रेडर, ड्रायर, स्टबल शेवर, मोबाईल क्रूट हार्वेस्टर, पावर वीडर आदि।		
3.	हस्तचालित उपकरण/औजार	लागत के 50% की दर पर 2,000 रु. तक सीमित	
4.	पशु द्वारा खीचें जाने वाले उपकरण	लागत के 50% की दर पर 3,000 रु. तक सीमित	
5.	पशु द्वारा खींचे जाने वाले टूल केरियर	लागत के 50% की दर पर 5,000 रु. तक सीमित	
6.	ऊर्जा चालित उपकरण	लागत के 30% की दर पर 10,000 रु. तक सीमित	
7.	पावर प्रेशर (सभी किस्म के)	लागत के 30% की दर पर 15,000 रु. तक सीमित	
8.	डीजल/बिजली पम्पसैट	लागत के 50% की दर पर 8,000 रु. तक सीमित	(1) टी.एम.ओ.पी. के अन्तर्गत केवल आयल पाम विकास कार्यक्रम में
9.	स्प्रिंकलर	स्प्रिंकलर सैट (क) छोटे मार्जिनल, अनु. जाति और अनु. जनजाति तथा महिला कृषकों के लिए प्रति सैट 15,000 रुपए तक सीमित लागत के 50% की दर पर (ख) 2 हैक्टेयर तक अन्य किसानों के लिए प्रति सैट 10000 रुपए तक सीमित लागत के 33% की दर पर।	
10.	ड्रिप सिंचाई	छोटे, मार्जिनल, अनु. जाति तथा अनु. जनजाति और महिला कृषकों के लिए लागत के 50% की दर पर और अन्य किसानों के लिए लागत के 35% की दर पर निम्न सीमा के अनुसार:	

1	2	3			4
		राज्य	अनु. जाति, अनु. जनजाति छोटे, मार्जिनल और महिला कृषक		अन्य किसान
		(क) पूर्णतया विकसित	22500 रुपए		16,000 रुपए
		(ख) कम + विकसित	26000 रुपए		18,200 रुपए
		(ग) पहाड़ी** क्षेत्र	28500 रुपए		20,000 रुपए
11.	पौध-रक्षण उपकरण				
	(1) हस्तचालित	800 रुपए तक सीमित लागत के 50% की दर पर			
	(2) उर्जाचालित	2000 रुपए तक सीमित लागत के 50% की दर पर			
	(3) ट्रैक्टर से जुड़े	4000 रुपए तक सीमित लागत के 50% की दर पर			
	(4) ऐरो-ब्लास्ट स्प्रेयर	50000 रुपए तक सीमित लागत के 50% की दर पर			
12.	पावर टिलर	30000 रुपए तक सीमित लागत के 50% की दर पर (8 बी.एच.पी. और अधिक)			
13.	ट्रैक्टर	30,000 रुपए तक सीमित लागत के 30% की दर पर (35 पी.टी.ओ.एच.पी. तक)			
14.	''आन फार्म जल प्रबंधन'' की स्कीम के अन्तर्गत मदें	जैसाकि इस स्कीम के अंतर्गत स्वीकृत है			

*पूर्णतया विकसित-आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, तमिलाडु।

+कम विकसित-अन्य, हिमालयी क्षेत्र के राज्यों के सिवाय।

**पहाड़ी क्षेत्र-पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा हिमालयी क्षेत्र (हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, उत्तरांचल, दार्जिलिंग)।

बाजरा, सरसों एव मूंगफली की खरीद

3220. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान वर्ष के दौरान राजस्थान में खरीदे गए बाजरे, सरसों एवं मूंगफली की मात्रा कितनी है;

(ख) इससे लाभान्वित होने वाले किसानों की संख्या कितनी हैं;

(ग) क्या सरकार ने किसानों को लाभकारी मूल्य दिए जाने को सुनिश्चित करने हेतु कोई योजना बनाई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) राजस्थान में कदन्न, सरसों एवं मूंगफली की खरीद का ब्यौरा निम्नवत है:

वर्ष (विपणन मौसम)	जिंस	खरीदी गई मात्रा (मी. टन)
2001-2002	कदन्न (स्पाइक्ड एव ग्रेट)	36163
2002-2003 (रबी)	सरसों	353898
2001-2002 (खरीफ)	मूंगफली	27795

(ख) इस स्कीम से काफी संख्या में किसान प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित हुए हैं।

(ग) और (घ) किसानों को लाभाकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए सरकार प्रतिवर्ष कदन्न, मूंगफली एवं सरसों के न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करती है और इनके बाजार मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीच गिर जाने पर केन्द्रीय नोडल एजेंसियों के माध्यम से मूल्य समर्थन प्रचालन करती है। फसल वर्ष 2001-02 के लिए अच्छी औसत किस्म की कदन्न का न्यूनतम समर्थन मूल्य 485 रुपये प्रति क्विंटल, सरसों (अच्छी औसत किस्म) का 1300 रुपये प्रति क्विंटल तथा मूंगफली (अच्छी औसत किस्म) 1340 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। कदन्न की खरीद की कार्रवाई भारतीय खाद्य निगम द्वारा सरसों एवं मूंगफली की खरीद भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नेफेड) द्वारा की जाती है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना

3221. श्री जी.एस. बसवराज : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना में निजी क्षेत्र से संभावित निवेश आशा के अनुरूप किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो अब तक निजी क्षेत्र द्वारा कितनी निधियों का निवेश किया गया है और कितने प्रखण्डों को शामिल किया गया है;

(ग) क्या निर्माण, संचालन और हस्तांतरण (बी.ओ.टी.) योजनाओं के अंतर्गत पहले से संचलनात्मक प्रखण्डों से आशानुकूल राजस्व प्राप्त नहीं हो रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी): (क) जी हां।

(ख) 7032 करोड़ रु. की कुल लागत की परियोजनाएं निर्माण प्रचालन और हस्तांतरण/वार्षिकी/विशेष प्रयोजन तंत्र आधार पर निजी क्षेत्र की भागीदारी के माध्यम से कार्यान्वयन के अधीन हैं। इनके ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) जी नहीं। परियोजनाएं अभी भी कार्यान्वयन स्तर पर हैं।

विवरण

निर्माण प्रचालन और हस्तांतरण/वार्षिकी/विशेष प्रयोजन तंत्र आधार पर निजी क्षेत्र की भागीदारी पथकर आधारित परियोजनाएं

क्र.सं.	सम्मिलित खंड	रा.रा.सं.	लंबाई	कुल परियोजना लागत (करोड़ रु.)
1	2	3	4	5
1.	विवेकानंद पुल और पहुंचमार्ग	2	6	600
2.	महापुरा (जयपुर के पास)-किशनगढ़ (273.5 से 363.885 कि.मी.)	8	90.38	644
3.	नेल्लोर-टाडा (163.6 से 52.8 कि.मी.)	5	110.52	621.35
4.	सतारा-कागल (725 से 592.24 कि.मी.)	4	133	600
5.	तुमकुर-नीलमंगला (62 से 29.5 कि.मी.)	4	32.5	155
6.	दिल्ली-गुड़गांव खंड (पहुंच नियंत्रित 8/6 लेन)-(14.3 से 42 कि.मी.)	8	27.7	555
7.	नंदीगाम-विजयवाड़ा	9	35	138.65
	जोड़		435	3314

1	2	3	4	5
वार्षिकी आधारित परियोजनाएं				
1.	पानागढ़-पालसित (517-581 कि.मी.)	2	64.457	350
2.	पालिसित-दनकुनी (581.646 कि.मी.) (दुर्गापुर एक्सप्रेस मार्ग)	2	65	432.4
3.	अंकापल्ली-तुनी (2.8-49 कि.मी.)	5	58.947	283.2
4.	तुनी-धरमावरम (एपी-16) (300-253 कि.मी.)	5	47	231.9
5.	धरमावरम-राजामुंदरी (एपी-15) (253-200 कि.मी.)	5	53	206
6.	नेल्लोर बाइपास (178.2-161 कि.मी.)	5	17.166	143.2
7.	महाराष्ट्र सीमा-बेलगाम (592.515 कि.मी.)	4	77	332
8.	तांबरम-टिंडीवनम (28-121 कि.मी.)	45	93	375
	जोड़		476	2354
विशेष प्रयोजन तंत्र परियोजनाएं				
1.	जयपुर बाइपास फेज-II (रा.रा. 8 के 221 कि.मी. से रा.रा. 11 का 246 कि.मी.) चांदबाजी (दिल्ली-जयपुर रोड)-हरमारा (जयपुर-सीकर सड़क)	8	34.7	210
2.	अहमदाबाद-बड़ोदरा एक्सप्रेस मार्ग फेज I (0.0 से 43.3 कि.मी.)	8	43.4	165
3.	अहमदाबाद-बडोदरा एक्सप्रेस मार्ग फेज II (43.4 कि.मी. (नडियाड-डकोर राज्यीय राजमार्ग) से 93.302 कि.मी.)	8	50	365
4.	रा.रा. 17 पर वर्ना जंक्शन से मुरगांव के बीच मुरगांव तक पत्तन संपर्क	17बी	18	80
5.	जवाहर लाल नेहरू पत्तन (फेज-।)	4बी	30	177.12
	महापत्तनों के लिए सड़क संपर्क फेज-।	4		
6.	हल्दिया पत्तन महापत्तनों के लिए पत्तन संपर्क फेज-।	41	53	273
7.	विशाखापत्तनम पत्तन महापत्तनों के लिए पत्तन संपर्क फेज-।	एसआर	12	93.79
	जोड़		241	1364

[हिन्दी]

प्रदूषित पर्यावरण पर विशेषज्ञों की राय

3222. श्री राधा मोहन सिंह : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनेक वैज्ञानिकों ने अपनी रिपोर्ट में पर्यावरण की बिगड़ती दशा पर चिंता व्यक्त की है और कहा है कि अगले 50 वर्षों में पेयजल, स्वच्छ वायु और खाद्य पदार्थों की कमी हो जाएगी;

(ख) यदि हां, तो स्वस्थ मानव जीवन और प्राकृतिक संसाधनों का संतुलित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) वन आच्छादित क्षेत्र में 12 प्रतिशत से अधिक कमी को रोकने तथा जल स्तर को और गिरने से रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) और (ख) पर्यावरण की गुणता के बारे मे समय-समय पर चिन्ता व्यक्त की जाती है। तथापि, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

(1) प्रदूषण उपशमन हेतु एक व्यापक नीति तैयार की गई है जिसके अंतर्गत प्रदूषण नियंत्रण और निवारक पहलुओं पर बल दिया जाता है।

(2) 24 अत्यधिक प्रदूषित क्षेत्रों के लिए कार्य योजनाएं तैयार की गई हैं जो क्रियान्वित की जा रही हैं।

(3) राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय द्वारा नदी और जल गुणता की बहाली के लिए राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एन.आर.सी.पी.) आरम्भ की गई है।

(4) कूड़े कचरे का समुचित प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने नगर ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियमावली, 2000 को अधिसूचित किया है।

(5) उद्योगों में समुचित स्थान निर्धारण के लिए पर्यावरणीय दृष्टिकोण के आधार पर उद्योगों की स्थापना हेतु जोनिंग एटलसें तैयार की गई हैं।

(ग) 12% से अधिक वन क्षेत्र के ह्रास को रोकने के लिए और पानी के स्तर को और अधिक गिरने से बचाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:-

(1) सरकारों द्वारा वनीकरण कार्यक्रम चलाए जाते हैं।

(2) अवक्रमित वनों की सुरक्षा और पुनरुद्धार के लिए ग्रामीण समुदायों को शामिल करने के लिए सभी राज्य/संघ शासित सरकारों को दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

(3) गैर-वानिकी प्रयोजनों के लिए वन भूमि के अपवर्तन के नियंत्रण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 बनाया गया है।

(4) सुरक्षित क्षेत्रों का नेटवर्क स्थापित किया गया है।

(5) पारिस्थितिकीय स्थायित्व के लिए वानिकी और वृक्ष संसाधनों के योगदान में बढ़ोत्तरी करने एवं वन संसाधनों के संरक्षण और उनके विकास हेतु निवेश में सुधार द्वारा लोक-केन्द्रित विकास करने के लिए एक राष्ट्रीय वानिकी कार्यक्रम तैयार किया गया है।

[अनुवाद]

बी-747 को बम से उड़ाने के मामले की जांच

3223. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि बी-747 को बम से उड़ाने के मामले की जांच कर रही विदेशी एजेंसियों ने भारत के किसी संप्रदाय विशेष के विरुद्ध गुप्त जांच शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार जांच एजेंसी को कोई सहायता दे रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) से (घ) एअर इंडिया लि. के कनिष्का बोइंग-747 की दुर्घटना की जांच प्रक्रिया में, रॉयल कनाडियन माउण्टेड पुलिस (आर.सी.एम.पी.) द्वारा संबंधित दस्तावेजों/सामग्री प्रदान करने के लिए तथा विविध समुदायों से संबंधित, बहुत से गवाहों की जांच हेतु भारत सरकार से सहायता का अनुरोध किया गया था।

इंडो-कनाडियन म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी के साथ-साथ भारत सरकार भी चाहती है कि जांच तार्किक निष्कर्ष पर पहुंच सके, इसके लिए आर.सी.एम.पी. को अपेक्षित सहायता प्रदान की गई।

सलाहकार समिति

3224. श्री शिवाजी माने : क्या **कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय के अन्तर्गत किसी सलाहकार समिति का गठन किया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसे कब तक गठित किए जाने की संभावना है?

कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा): (क) से (ग) कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय का सृजन 1 सितम्बर, 2001 को किया गया था तथा मंत्रालय के अंतर्गत कोई सलाहकार समिति नहीं है। तथापि, राजभाषा विभाग के परामर्श से हिन्दी सलाहकार समिति के सृजन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

[हिन्दी]

ऋण जाल में फंसे किसान

3225. श्री रामानन्द सिंह : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय ने 10 एकड़ असिंचित भूमि से कम भूमि वाले किसानों को ऋण जाल से निकालने हेतु राज्य सरकारों के साथ परामर्श करने के पश्चात् किसानों की सहायता के लिए कोई नीति तैयार की है; और

(ख) उनके मंत्रालय ने गत एक वर्ष के दौरान इस संबंध में किन-किन राज्यों से परामर्श किया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी, नहीं। तथापि भारतीय रिजर्व बैंक और राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने वित्त मंत्रालय से विचार-विमर्श करके ऋणी किसानों के बहुत अधिक समय से लंबित भारी राशि वाले ऋणों के एकमुश्त भुगतान के लिए एक स्कीम तैयार की है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

शीप एंड वूल रिसर्च सेंटर

3226. श्री कैलाश मेघवाल : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सेन्ट्रल शीप एंड वूल रिसर्च सेन्टर, अम्बिका नगर, जिला-टोंक, राजस्थान जो कि रक्षा मंत्रालय के लिए ऊनी कम्बल तैयार करता है, पिछले कई वर्षों से बंद पड़ा है और उसके कर्मचारियों को बिना किसी कार्य के भुगतान किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस इकाई में उत्पादन पुनः आरंभ करने का है; और

(ग) यदि हां, तो उत्पादन के कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) केन्द्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान ने रक्षा मंत्रालय के लिए कभी भी कम्बलों का उत्पादन नहीं किया। टैक्सटाइल प्लांट चालू हालत में है और इसका उपयोग केवल अनुसंधान उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

बिहार में कृषि क्षेत्र

3227. श्री राजो सिंह : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने हेतु बिहार के लिए ठोस योजनाएं तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान वर्ष-वार कितना व्यय होने की संभावना है; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप राज्य में उत्पादन में वर्ष-वार अनुमानतः कितनी वृद्धि होगी?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) से (ग) कृषि के वृहत प्रबंधन, आन फार्म जल प्रबंधन, तिलहनों तथा दलहनों के उत्पादन की स्कीम आदि बहुत सी चल रही केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें हैं जिन्हें दसवीं योजना के दौरान कृषि के विकास हेतु बिहार राज्य में कार्यान्वित किया जा रहा है। बिहार राज्य के लिए वर्ष 2002-03 के लिए खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य 133.00 लाख मीटरी टन रखा गया है। दसवीं योजना के दौरान लक्ष्य 736.00 लाख मीटरी टन है जिसमें प्रत्येक वर्ष 147.20 लाख मीटरी टन का औसत उत्पादन रखा गया है। कृषि के वृहत प्रबंधन की स्कीम के अन्तर्गत राज्यों को अपनी इच्छा के अनुसार स्कीमें चुनने में लचीलापन मिलता है।

वर्ष 2002-03 के लिए बिहार को वृहत प्रबंधन स्कीम के अन्तर्गत 25 करोड़ रुपए की राशि और आन-फार्म जल प्रबंधन स्कीम के अन्तर्गत 41.40 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की गई है। टी.एम.ओ.पी. के अन्तर्गत वर्तमान वर्ष 2002-03 के पहले 6 महीनों के लिए 0.46 लाख रुपए की राशि आबंटित की गई है। दसवीं योजना की शेष अवधि के लिए योजना आयोग द्वारा कृषि और सहकारिता विभाग को किए गए वार्षिक आबंटन के आधार पर निधियां आबंटित की जाएगी।

[अनुवाद]

कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम की समीक्षा

3228. श्री रामशेठ ठाकुर : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले;

(ग) उक्त कार्यक्रम के खराब कार्यनिष्पादन के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन में पायी गई कमियों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) से (घ) योजना आयोग के कार्य दल ने दसवीं योजना के लिए कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम की समीक्षा की है। कार्यदल द्वारा अभिज्ञात की गई कमियों का निवारण करने के लिए कार्यदल द्वारा दिए गए सुझाव संलग्न विवरण में दिए गए है। नौवीं योजना के दौरान इस कार्यक्रम के मुख्य घटकों अर्थात् खेत चैनल, खेत नालियां और भूमि समतलन का निष्पादन क्रमशः 186.3 प्रतिशत, 330 प्रतिशत और 90 प्रतिशत रहा है। तथापि, राज्यों द्वारा मौजूदा सिंचाई अधिनियमों में संशोधन करना था जिसके कारण जल उपयोगकर्ता संघों के गठन में देरी होने से वाराबंदी के तहत निष्पादन 52.6 प्रतिशत था। योजना आयोग के कार्यदल की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, जल संसाधन मंत्रालय ने दसवीं योजना के दौरान कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम को नया रूप प्रदान करने संबंधी उपाय शुरू कर दिए है।

विवरण

कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम की कमियों को दूर करने के लिए योजना आयोग के कार्यदल द्वारा दिए गए सुझाव

(1) सरकारी आउटलेट में जल की अविश्वसनीय उपलब्धता की समस्या से निपटने के लिए प्रणाली में कमी, प्रणाली/पुनर्वास के सुधार को बजटीय प्रावधान के अंतर्गत लाया जाये।

(2) संग्राहकों/मध्यवर्ती/मुख्य नालियों के उपलब्ध न होने/लिंकेज तथा उचित मुहाने न होने के कारण खेत नालियों के द्वारा अधिशेष जल को बाहर निकालने की समस्या महसूस की गई थी, बजटीय प्रावधान में आवश्यक उपाय करके इस पर काबू पाने की आवश्यकता है।

(3) सिंचित भूमि में जल जमाव और लवणीकरण के दोनों जोखिमों से इस समय अलग-अलग टुकड़ों में नहीं निपटा जा सकता है, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। चुनिंदा सिंचाई परियोजनाओं के लिए प्रदर्शनकारी संयुक्त उपयोग में प्रायोगिक स्कीमों को पूर्ण रूप से शामिल करके शुरू किया जाना चाहिए न कि टुकड़ों में।

(4) सहभागिता सिंचाई प्रबंधन की कमी : कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत सहभागिता सिंचाई प्रबंधन के नये घटक को शामिल किया जाए। इसे सफल बनाने के लिए, इस कार्यक्रम के साथ प्रणाली की कमी में सुधार किया जाए। जल उपयोगकर्त्ता संघों को विधिक समर्थन, तकनीकी, वित्तीय सहायता आदि मुहैया कराते हुए सहायता की जानी चाहिए। जल उपयोगकर्त्ता संघ का गठन करने के लिए, गैर-सरकारी संगठनों और जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थानों की सेवाओं का पूर्ण उपयोग किया जाना चाहिए।

(5) इस कार्यक्रम के अंतर्गत, जहां पर वृहद एवं मध्यम परियोजनाएं उपलब्ध नहीं हैं, 500 हेक्टेयर से 2000 हेक्टेयर के बीच कृष्य कमान क्षेत्र वाली लघु सिंचाई परियोजनाएं शामिल की जाएं।

(6) "कुशल जल प्रबंधन" के लिए किसानों में तकनीकी जानकारी का प्रसार करने के लिए शत प्रतिशत केन्द्रीय सहायता मुहैया कराई जाए। इस समय इसमें कमी आ रही है।

(7) किसानों को सतही और भूजल के संयुक्त उपयोग संबंधी भूजल विकास और अध्ययन के लिए कृषि मंत्रालय के पैटर्न पर उदार सब्सिडी मुहैया करायी जानी चाहिए। भूजल और सतही जल के संयुक्त उपयोग के लिए स्प्रिंक्लर और ड्रिप सिंचाई शुरू की जानी चाहिए। ऐसे अध्ययनों के लिए कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अनुसंधान और विकास प्रमुख से निधियां उपलब्ध कराई जा सकती हैं। अपेक्षाकृत छोटे बेसिनों को शुरू करने के लिए संयुक्त उपयोग अध्ययन किए जाने चाहिए।

(8) विभिन्न कमान क्षेत्र विकास क्रियाकलापों की यूनिट लागत में लागत वृद्धि को ध्यान में रखते हुए वास्तविक संशोधन किए जाने चाहिए।

[हिन्दी]

राजस्थान की जलापूर्ति परियोजनाएं

3229. श्री रामसिंह कस्वां : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजस्थान में जर्मनी की सहायता से चलाई जा रही जलापूर्ति परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस प्रयोजनार्थ अब तक कितनी निधियां आवंटित की गई हैं;

(ग) राजस्थान में जर्मनी की सहायता से चलाई जा रही अपनी स्कीम के प्रथम चरण में शुरू, हनुमानगढ़ और झुनझुनू जिलों के कितने गांव लाभांवित हुए हैं;

(घ) क्या इस स्कीम के प्रथम चरण को पूरा कर लिया गया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसे कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है और द्वितीय चरण को पूरा करने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) राजस्थान में जर्मनी की सहायता से "एकीकृत जल आपूर्ति, सफाई एवं सामुदायिक भागीदारिता कार्यक्रम-अपनी योजना" (चरण-1) नामक एक ग्रामीण पेय जल आपूर्ति एवं सफाई परियोजना क्रियान्वयनाधीन है।

(ख) इस परियोजना की अनुमानित लागत 402.57 करोड़ रुपए है।

(ग) उपर्युक्त परियोजना के अंतर्गत हनुमानगढ़ जिले के 116 गांव तथा चुरू जिले के 254 गांव आते हैं।

(घ) और (ङ) इस परियोजना के चरण-I को पूरा करने की संभावित तारीख 31.3.2003 है। इस परियोजना के चरण-II को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

[अनुवाद]

कृषि उत्पादन के लिए महत्वाकांक्षी योजना

3230. डा. वी. सरोजा : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आगामी पांच वर्षों के दौरान कृषि उत्पादन को दुगुना करने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या खाद्य उत्पादन के वर्तमान स्तर के लोगों की बढ़ती खाद्य आवश्यकता की पूर्ति हो जाएगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) और (ख) कृषि उत्पादन को दुगुना करने के लिए सरकार द्वारा अनुमोदित कोई योजना नहीं है।

(ग) और (घ) वर्ष 2001-2002 के दौरान खाद्यान्न उत्पादन लगभग 211.32 मिलियन मी. टन आंका गया है। दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिए योजना आयोग के अन्तर्गत खेती-बाड़ी, मांग एवं आपूर्ति प्रक्षेपण तथा कृषि आदान संबंधी कार्यदल द्वारा प्रस्तुत मांग प्रक्षेपणों के अनुसार वर्ष 2001-2002 के लिए नियामक दृष्टिकोण के अन्तर्गत मानवीय उपभोग के लिए अनाज की आवश्यकता 176.344 मिलियन मी. टन तथा कुल खपत आवश्यकता, जिसमें बीज, आहार तथा अवशिष्ट शामिल हैं, 201.536 मिलियन मी. टन है।

मत्स्य प्रसंस्करण उद्योग में कार्यरत महिला कामगार

3231. श्री वी. वेत्रिसेलवन : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मत्स्य प्रसंस्करण उद्योग में कार्यरत महिला कामगारों की कार्य स्थिति और कल्याण संबंधी योजनाओं का अध्ययन करने के लिए एक कृतिक बल का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो कृतिक बल की सिफारिशों को दर्शाने वाला ब्यौरा क्या है और अब तक इस कृतिक बल की प्रत्येक सिफारिश के क्रियान्वयन की स्थिति क्या हैं;

(ग) क्या मत्स्य प्रसंस्करण उद्योग में कार्यरत महिला कामगारों को नियमों के अनुसार मजदूरी का भुगतान नहीं किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इस दिशा में क्या उपचारात्मक उपाय किए जा रहे हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): (क) जी, हां। मत्स्य-प्रसंस्करण उद्योग से जुड़े कर्मकारों के रहन-सहन

एवं कार्य दशाओं के अध्ययन के लिए एक अंतर-मंत्रालयी कार्यबल का गठन किया गया था।

(ख) से (घ) इन सिफारिशों में अन्य बातों के साथ-साथ, अंतर-राज्यिक उत्प्रवासी कर्मकार अधिनियम, 1979, कारखाना अधिनियम, 1948 के उपबंधों का प्रभाशाली ढंग से कार्यान्वयन, संगत अधिनियमों के अंतर्गत स्वास्थ्य एवं भविष्य निधि सुविधाएं, न्यूनतम मजदूरी का भुगतान, समयोपरि भत्ता, कल्याण निधियों की स्थापना तथा कर्मकारों, साथ ही महिला कर्मकारों के लिए कुछ मुख्य कल्याण उपाय शामिल हैं। महिला कर्मकारों का नियमानुसार मजदूरी के भुगतान की सिफारिश सहित कार्यबल की सिफारिशें संबंधित मंत्रालयों/विभागों और राज्य सरकारों को उचित कार्रवाई हेतु भेजी गई हैं।

मान बांध परियोजना के आदिवासियों का पुनर्वास

3232. **श्री सुरेश कुरूप** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मान बांध परियोजना को इस अनिवार्य शर्त पर स्वीकृति दी थी कि प्रभावित आदिवासियों का गैर-वन कृषि भूमि पर पुनर्वास किया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो क्या मान परियोजना के विस्थापितों को कृषि भूमि के बदले अपर्याप्त नकद मुआवजा देने की पेशकश की गई है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार को इस कार्य स्थल से आदिवासियों को बलपूर्वक हटाने के समाचारों की जानकारी है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) और (ख) मान नदी परियोजना को कतिपय शर्तों के साथ पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान की गई थी। शर्तों में, बेदखल किए गए लोगों के पुनर्वास के लिए मास्टर प्लान तैयार किया जाना चाहिए जिसमें यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि परियोजना कालोनियां वन क्षेत्र से बाहर हो, एक शर्त थी। बेदखल किए गए लोगों के पुनर्वास के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सितम्बर, 1989 में घोषित पुनर्वास नीति के आधार पर मास्टर प्लान तैयार किया गया है।

(ग) और (घ) स्थल से आदिवासियों की किसी बलपूर्वक बेदखली के बारे में मंत्रालय को जानकारी नहीं है।

भारत-रोम व्यापार का पुरातत्व सर्वेक्षण

3233. **श्री चन्द्र भूषण सिंह** : क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मिश्र में अंतर्राष्ट्रीय पुरातत्व अभियान से 2000 वर्ष पहले भारत और रोम साम्राज्य के बीच फले-फूले व्यापार के अति विस्तृत साक्ष्य का रहस्योद्घाटन हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा मिस्र के पुरातत्व सर्वेक्षण के साथ सूचना का आदान-प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) और (ख) जी, हां। अन्वेषणों से भूमि तथा सागर का मार्ग प्रयोग करते हुए मिस्र के बंदरगाहों के माध्यम से भारत तथा रोम साम्राज्य के मध्य व्यापार के साक्ष्य मिले हैं।

सूचना के आदान-प्रदान के लिए, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् ने ''इंडिया एंड इजिप्ट : इन्फ्लूएंसिज़ एंड इंटरएक्शन्स'' नामक एक संयुक्त प्रकाशन प्रकाशित किया है जिसमें भारत तथा मिस्र के विद्वानों ने योगदान दिया है।

कर्नाटक द्वारा तुंगभद्रा नदी के जल का उपयोग

3234. **श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी** : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच हुए समझौते से संबंधित सीमा से अधिक तुंगभद्रा नदी के जल का उपयोग करता रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का विचार दोनों राज्यों के बीच किसी संभावित विवाद से बचने के लिए इस मामले में हस्तक्षेप करने और कर्नाटक सरकार को समझौतों का पालन करने का निदेश देने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) और (ख) कृष्णा जल विवाद अधिकरण (के.डब्ल्यू.डी.टी.) ने वर्ष 1976 के अपने अंतिम निर्णय में यह निर्देश दिया है कि एक वर्ष में तुंगभद्रा बांध में उपयोग के लिए उपलब्ध जल का उपयोग कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्यों द्वारा किया जाएगा ताकि आदेश के उप-खण्ड 1×ई (1)(क) में

उल्लिखित सीमा तक इस परियोजनाओं के लिए जल की मांग को पूरा किया जा सके। वर्ष 1976-77 से 2001-2002 तक कर्नाटक और आंध्र प्रदेश दोनों ने अधिकरण के निर्णय के अनुसार जल का उपयोग किया है। इन राज्यों ने पिछले 26 वर्षों में समान रूप से दो बार अपने हिस्से से थोड़ा अधिक जल का उपयोग किए हैं।

(ग) और (घ) केन्द्र सरकार ने कृष्णा जल विवाद अधिकरण के निर्णय को अन्तर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956 की धारा-6 के तहत दिनांक 31.5.1976 को शासकीय राजपत्र में प्रकाशित किया है तथा उपर्युक्त अधिनियम के अनुसार कावेरी जल विवाद अधिकरण का निर्णय दोनों पक्षकार राज्यों द्वारा माननीय है। इसके अतिरिक्त, जल आपूर्ति और विद्युत के विनियम के लिए तुंगभद्रा बोर्ड का गठन किया गया है। जिसमें भारत सरकार द्वारा एक अध्यक्ष की नियुक्ति की गई है तथा तीन सदस्य भारत सरकार आंध्र प्रदेश और कर्नाटक से हैं।

एन.एच.ए.आई. द्वारा पथकर लगाना

3235. डा. रमेश चंद तोमर :
श्री अधीर चौधरी :

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अमृतसर से दिल्ली आते समय राष्ट्रीय राजमार्ग का उपयोग करने वाले वाहन चालकों को पथकर के रूप में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को कितनी बार भुगतान करना पड़ता है;

(ख) क्या सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास हेतु प्रतिलीटर पेट्रोल और डीजल पर एक रुपये का उपकर लगाया है और वाहन चालकों को माल कर, पंजीकरण कर और टोकन कर आदि का भुगतान भी करना पड़ता है;

(ग) यदि हां, तो प्राधिकरण द्वारा ऐसे भारी अतिरिक्त पथकर लगाए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) राष्ट्रीय राजमार्गों पर पथकर को कब तक समाप्त किए जाने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी): (क) राष्ट्रीय राजमार्ग-1 के दिल्ली-जालंधर खंड पर तीन स्थानों अर्थात् 132 कि.मी., 206 कि.मी. और 296 कि.मी. पर प्रयोक्ता शुल्क लगाया जा रहा है।

(ख) और (ग) देश में राज्यीय सड़कों जिसमें राज्यीय राजमार्ग, प्रमुख जिला सड़कें, अन्य जिला सड़कें और ग्राम सड़कें शामिल हैं, को मिलाकर सड़क नेटवर्क के विकास के लिए पेट्रोल और डीजल पर एक रुपया प्रति लीटर उपकर लगाया जाता है।

(घ) प्रयोक्ता शुल्क निरंतर लगाया जाता है।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-1 की खराब स्थिति

3236. श्री राज बब्बर : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आगरा शहर में गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-1 की स्थिति काफी खराब है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान इसके परिणामस्वरूप कितनी प्राणघातक दुर्घटनाएं हुई हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार क्या उक्त राजमार्ग की स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी): (क) रा.रा. सं. 1 आगरा शहर से नहीं गुजरता है। तथापि, राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 2 आगरा शहर से गुजरता है, जब कि राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 3, 11 और 93 आगरा शहर से आरंभ होते हैं। इस शहर से गुजरने वाले रा.रा. 2 का एक भाग पहले से ही चार लेन का है/चार लेन का बनाया जा रहा है। आगरा शहर के अंदर राष्ट्रीय राजमार्गों के सभी खंडों को उपलब्ध संसाधनों के भीतर यातायात योग्य स्थिति में रखा जा रहा है। तथापि, इस शहर से गुजरने वाले नव घोषित रा.रा. सं. 93 के एक भाग में जल निकासी की समस्या है और कभी-कभी पानी जमा हो जाता है।

(ख) राष्ट्रीय राजमार्गों की इस हालत के कारण होने वाली दुर्घटनाओं से संबंधित कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) रा.रा. 93 में पानी जमा होने की समस्या से ग्रस्त होने वाले भाग में राज्य सरकार को प्रस्ताव बनाने के लिए अनुरोध किया गया है।

एशियाटिक सोसायटी ऑफ बंगाल के कार्यकलापों में गिरावट

3237. डा. नीतिश सेनगुप्ता : क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को एशियाटिक सोसायटी ऑफ बंगाल कोलकाता के कार्यकलापों में उत्तरोत्तर गिरावट की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन महान ऐतिहासिक संस्थान को चुस्त-दुरुस्त बनाने और इसके पूर्व के गौरव को बहाल करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) से (ग) एशियाटिक सोसायटी आफ बंगाल, संस्कृति विभाग, भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित एक स्वायत्त निकाय है। सोसायटी के कार्यों का प्रबंध एक परिषद तथा इसकी समितियों द्वारा किया जाता है। सरकार का विचार है कि सोसायटी के कार्यकरण में सुधार की गुंजाइश है। एशियाटिक सोसायटी के कार्यकरण के विभिन्न पहलुओं की जांच करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है। विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद कार्रवाई की जाएगी।

[हिन्दी]

औद्योगिक विवादों के लम्बित मामले

3238. श्री रामदास आठवले :
प्रो. दुखा भगत :
श्री लक्ष्मण गिलुवा :
श्री कैलाश मेघवाल :
श्रीमती राजकुमारी रत्ना सिंह :

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के तहत स्थापित केन्द्र सरकार के औद्योगिक विवाद अधिकरणों और श्रम न्यायालयों में देश में राज्य-वार, विशेषत: नई दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई, कोलकाता, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और झारखंड में कितने विवाद निर्णयाधीन हैं;

(ख) सरकार किसी औद्योगिक विवाद को निपटाने में कितना समय लगाती है;

(ग) क्या देश में औद्योगिक विवादों की संख्या को देखते हुए सरकार का विचार केन्द्र सरकार के औद्योगिक अधिकरणों और श्रम न्यायालयों में पीठासीन अधिकारियों की संख्या बढ़ाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): (क) विवरण संलग्न है।

(ख) केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण-सह-श्रम न्यायालय न्यायिक कल्प निकाय हैं और मंत्रालय अमूमन उनके कामकाज में हस्तक्षेप नहीं करता। तथापि, इसमें समय-समय पर पीठासीन अधिकारियों से कहा गया है कि वे लंबित मामलों के निपटान में तेजी लाए। 1982 में औद्योगिक विवाद अधिनियम में संशोधन करके एक विशिष्ट उपबंध भी बनाया गया ताकि कर्मकार विशिष्ट से संबद्ध मामले अधिकतम तीन माह की अवधि तक निपटाए जा सकें। फिर भी, मामलों के निपटान में काफी वक्त लग जाता है क्योंकि संबद्ध पक्ष या तो बार-बार स्थगन की मांग करते हैं या उच्च-न्यायालय से स्थगन प्राप्त कर लेते है।

(ग) और (घ) पीठासीन अधिकारियों की संख्या में वृद्धि का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि 5 नए केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण-सह-श्रम न्यायालय दिल्ली, चंडीगढ़, अहमदाबाद, गुवाहाटी तथा एर्नाकुलम में एक-एक स्थापित करने की मंजूरी दी जा चुकी है।

विवरण

31.5.2002 की स्थिति के अनुसार सी.जी.आई.टी. में लंबित मामलों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	सी.जी.आई.टी. का नाम	लंबित मामले	अभ्युक्ति
1	2	3	4
1.	मुंबई सं. 1	197	
2.	मुम्बई सं. 2	345	= 542
3.	धनबाद सं. 1	1753	
4.	धनबाद सं. 2	1456	= 3209 झारखंड

1	2	3	4
5.	नई दिल्ली	1134	
6.	आसनसोल	417	
7.	चंडीगढ़	1852	
8.	कानपुर	585	
9.	लखनऊ	376	= 961 उत्तर प्रदेश
10.	कोलकाता	178	
11.	जबलपुर	1237	28.2.2002 की स्थिति के अनुसार
12.	बंगलौर	332	
13.	जयपुर	71	राजस्थान
14.	नागपुर	289	
15.	चेन्नई	436	
16.	भुवनेश्वर	376	
17.	हैदराबाद	495	
	कुल	11529	

[अनुवाद]

वर्षा और बाढ़ के कारण राष्ट्रीय राजमार्गों को क्षति

3239. श्री अनन्त नायक : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही की वर्षा और बाढ़ के कारण राष्ट्रीय राजमार्गों को हुई क्षति के संबंध में कोई आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रीय राजमार्ग-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत करने और उन्हें परिवहन योग्य बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी): (क) और (ख) विभिन्न राज्यों में हाल की वर्षा और बाढ़ के कारण राष्ट्रीय राजमार्गों के कुछ खंडों के क्षति के बारे में रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं। राज्य सरकारों द्वारा किए गए प्रारंभिक आकलन के अनुसार बिहार, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, गोवा और हिमाचल प्रदेश में स्थित राष्ट्रीय राजमार्गों तथा सीमा सड़क संगठन के नियंत्रणाधीन राष्ट्रीय राजमार्गों को लगभग 50 करोड़ रु. की क्षति हुई है। अन्य राज्यों में क्षति का आकलन किया जा रहा है। बाढ़ की समाप्ति के बाद अंतिम आकलन किया जाएगा।

(ग) यातायात की तुरंत बहाली के लिए उपाय करने के लिए सभी राज्य सरकारों को पहले ही निदेश जारी किए गए हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों की तुरंत मरम्मत के लिए राशि जारी की जा रही है।

भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान

3240. श्री चन्द्र प्रताप सिंह : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान ने पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना के

बजट आबंटन, कृषि उत्पाद उपकर निधि या ऐसे अन्य स्रोतों से कम्प्यूटरों, एयरकंडीशनरों, लेपटॉप्स, लेजर-प्रिंटरों, फोटोकापियरों आदि की खरीद की है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी खरीदों की उनकी लागत और अधिष्ठापित स्थानों सहित वर्षवार और उपकरणवार ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना, कृषि उत्पाद उपकर निधि के बजट आबंटन से एयरकंडीशनर, लेपटॉप्स, लेजर-प्रिंटर, फोटोकापियर आदि की खरीदों का ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

वित्तीय वर्ष 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002 के दौरान राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना, कृषि उत्पाद उपकर परियोजना के तहत खरीद का ब्यौरा

राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना/उप-परियोजनाएं/स्कीम कोड

वर्ष	राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना/उप-परियोजनाएं/स्कीम कोड			
	स्कीम कोड-2060166023		स्कीम कोड-2060166021	
	मद	जहां लगाया गया	मद	जहां लगाया गया
1	2	3	4	5
1999-2000	भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान में कम्प्यूटक नेटवर्किंग रु. 949916.00	भा.कृ.सा. अनु. सं.	शून्य	-
2000-2001	शून्य	शून्य	शून्य	-
2001-2002	शून्य	-	सरवर* रु. 2044667.00	सरवर कमरा, भा.कृ.सा. अनु. सं.
			कम्प्यूटर/प्रिंटर आदि* रु. 1977344.00	1. पी.ए.यू., ए.एस.आर.बी.-II, नई दिल्ली 2. डी.डी.जी. (ए.टी.आई.सी. का एक्टे), कृषि अनुसंधान भवन, नई दिल्ली
			यू.पी.एस. प्रणालियां रु. 658340.00	3. निदेशक, सी.एस.डब्ल्यू.सी. आर.टी.आई., देहरादून 4. निदेशक, सी.आर.आई.डी.ए., हैदराबाद 5. ओ. एंड एम. का ए.डी.जी. (पी.), भा.कृ.अ.प., कृषि भवन

1	2	3	4	5
				6. निदेशक, सी.ए.जैड.आर.आई., जोधपुर
				7. निदेशक, एन.आर.सी.ओ.पी., पेदावेगी
				8. परियोजना निदेशक, डी.एम.आर., पूसा, नई दिल्ली
			वीडियो प्रोजैक्टर	कम्प्यूटर लैब, भा.कृ.सां.अ.सं.
			रु. 403920.00	कम्प्यूटर लैब, भा.कृ.सां.अ.सं.
			लैपटाप वाले कम्प्यूटर रु. 240720.00	कम्प्यूटर लैब, भा.कृ.सां.अ.सं.
			2 वोल्टेज स्टैबलाइजर रु. 6990.00	कम्प्यूटर लैब, भा.कृ.सां.अ.सं.
			2 एयरकंडीशनर रु. 64348.00	

वर्ष	राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना/उप-परियोजनाएं/स्कीम कोड			
	रा.कृ.प्रौ.प. (पूर्व चेतावनी) डा. रंजना अग्रवाल		(रा.कृ.प्रौ.प.-जय विज्ञान) डा. आर.के. पाण्डे	
	मद	जहां लगाया गया	मद	जहां लगाया गया
1999-2000	शून्य		शून्य	-
2000-2001	शून्य		शून्य	-
2001-2002	कम्प्यूटर, प्रिंटर तथा यू.पी.एस. सिस्टम रु. 196918.00	भा.कृ.सा. अनु.सं. की परियोजना लैब	कम्प्यूटर, प्रिंटर तथा यू.पी.एस. सिस्टम रु. 87415.00	भा.कृ.सा.अनु.सं. की परियोजना लैब

वर्ष	राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना/उप-परियोजनाएं/स्कीम कोड			
	एन.ए.टी.टी.(पी.एच.एल.) डा. एच.वी.एल. बाठला		आई.एन.ए.आर.आई.एस. सिस्टम	
	मद	जहां लगाया गया	मद	जहां लगाया गया
1	2	3	4	5
1999-2000	शून्य	-	शून्य	-
2000-2001	शून्य	-	शून्य	-

1	2	3	4	5
2001-2002	फोटोकापी मशीन रु. 127932.00 कम्प्यूटर सिस्टम, प्रिंटर यू.पी.एस. सिस्टम आदि रु. 356698.00 एयर कंडीशनर रु. 46580.00	भा.कृ.सा.अनु. सं. की स्थित परियोजना लैब	एयर कंडीशनर रु. 22540.00	भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान की परियोजना लैब

वित्तीय वर्ष 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002 के दौरान राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना, कृषि उत्पाद उपकर परियोजना के तहत खरीद का ब्यौरा

कृषि उत्पाद उपकर परियोजना/उप-परियोजनाएं/स्कीम कोड

वर्ष	राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना/उप-परियोजनाएं/स्कीम कोड			
	डा. राजेन्द्र प्रसाद स्कीम कोड-3039021027		कृषि उत्पाद उपकर परियोजना (रिमोट सैंसिंग) कोड-3039011002	
•	मद	जहां लगाया गया	मद	जहां लगाया गया
1999-2000	कम्प्यूटर रु. 77520.00 प्रिंटर रु. 21000.00 यूपीएस सिस्टम रु. 26818.00	भा.कृ.सा. अ.सं. स्थित परियोजना लैब	लैपटाप कम्प्यूटर रु. 148470.00 प्रिंटर रु. 34363.00	भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान स्थित रिमोट सैंसिंग लैब
2000-2001	शून्य	-	शून्य	-
2000-2002	शून्य	-	शून्य	-

वर्ष	कृषि उत्पाद उपकर परियोजना/उप-परियोजनाएं/स्कीम कोड			
	डा. अनिल राय स्कीम कोड-3039021039		डा. आर.एस. खत्री कोड-3039021040	
	मद	जहां लगाया गया	मद	जहां लगाया गया
1	2	3	4	5
1999-2000	शून्य	-	शून्य	-
2000-2001	कम्प्यूटर सिस्टम आदि रु. 292999.00	भा.कृ.सा.अनु.सं. स्थित परियोजना लैब	शून्य	-
2001-2002	प्रिंटर रु. 59800.00	भा.कृ.सा.अनु.सं. स्थित परियोजना लैब	कम्प्यूटर सिस्टम रु. 109500.00	भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान स्थित

1	2	3	4	5
	लैपटाप कम्प्यूटर रु. 164000.00		सी.डी. राइटर/स्कैनर आदि रु. 26830.00	परियोजना लैब
	सीडी राइटर रु. 20800.00		यूपीएस सिस्टम रु. 21320.00	
			एयर कंडीशनर रु. 23420.00	

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा भूमि का आवंटन

3241. श्री रघुनाथ झा : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (ए.ए.आई.) ने लाइसेंस शुल्क के बदले में पट्टे पर भूमि आवंटित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पट्टों के लिए करोड़ों रुपए बकाया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) विभिन्न विमानपत्तनों पर कितनी भूमि रिक्त पड़ी हुई हैं और भूमि का लाभदायक रूप में उपयोग न करने का क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को दुरूस्त करने हेतु क्या कार्यवाही की गई हैं/किए जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) और (ख) जी, हां। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने विभिन्न हवाई अड्डों पर लाइसेंस शुल्क के तहत पट्टे पर भूमि आवंटित की है। हवाई अड्डा-वार ब्यौरे (एकड़ में) निम्न प्रकार हैं:-

मुम्बई - 598.97, दिल्ली-145.08, कोलकाता-61.26, चेन्नई-51.74, त्रिवेन्द्रम-12.94, हैदराबाद-16.83, मंगलौर-0.83, मदुरै-0.82, विशाखापत्तनम-0.83, राजामुन्दरी-0.65, पांडिचेरी-0.54, सफदरजंग-4.27, अमृतसर-1.42, चंडीगढ़-0.13, उदयपुर-0.23, भुवनेश्वर-1.12, रांची-0.82, पटना-0.35, जुहू-13.38, अहमदाबाद-0.88, औरंगाबाद-1.97, बेलगाम-0.59, भोपाल-0.06, इन्दौर-0.29, पुणे-0.54 और रायपुर 0.28.

(ग) पट्टाधारी पर कुल 135.81 करोड़ रुपए की राशि बकाया है।

(घ) अप्रयुक्त/खाली पड़ी अधिकांश भूमि को प्रचालनात्मक आवश्यकताओं तथा भविष्य में चरणबद्ध तरीके से हवाई अड्डों के विस्तार और/अथवा विकासात्मक उद्देश्य के लिए चिह्नित कर दी गई है। खाली पड़ी शेष भूमि को वाणिज्यिक उपयोग के लिए चिह्नित किया गया है।

(ङ) भारीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने भूमि संपत्ति के प्रभावी प्रबंधन के लिए एक अलग भूमि प्रबंधन निदेशालय की स्थापना की है। क्षेत्रीय कार्यकारी निदेशकों/हवाई अड्डा निदेशकों को, मास्टर प्लान, हवाई अड्डा मानचित्र तथा भविष्य की विस्तार योजना को ध्यान में रखकर उनके अधिकार क्षेत्र में आने वाले हवाई अड्डे पर वाणिज्यिक उपयोग के लिए अधिक खाली पड़ी भूमि की पहचान करने के निदेश दिए गए हैं।

दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा काली सूची में डाला गया एन.सी.सी.एफ.

3242. श्री उत्तमराम ढिकले : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली दुग्ध योजना (डी.एम.एस.) ने एन.सी.सी.एफ., एक सरकारी संगठन जो सरकारी कार्यालयों में प्रयोग की जाने वाली लेखन सामग्री और अन्य वस्तुओं की आपूर्ति करता है, को काली सूची में डाला है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) और (ख) जी, हां। आपूर्ति आदेश में तथा एन.सी.सी.एफ.

द्वारा वास्तविक आपूर्तित स्टेशनरी मदों में कुछ विसंगतियां पाई गई हैं।

(ग) तथ्यों का पता लगाने के लिए प्रारंभिक जांच के आदेश दे दिए गए हैं।

विमानन सुरक्षा विधेयक

3243. **श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन** : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने व्यापक विमानन सुरक्षा विधेयक को अंतिम रूप दे दिया है; और

(ख) यदि हां, तो विधेयक की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

हैदराबाद से ब्रिटेन-अमेरिका के लिए उड़ानें

3244. **श्री वाई.वी. राव** : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हैदराबाद से अमेरिका, यूरोप और कुवैत के लिए एयर इंडिया की कोई उड़ान उपलब्ध है;

(ख) यदि हां, तो क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने हाल ही में एक द्विपक्षीय समझौते को अंतिम रूप देते समय उड़ानों की पर्याप्त संख्या सुनिश्चित करने हेतु अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) एअर इंडिया मुंबई से होकर कुवैत आने-जाने के लिए सप्ताह में दो उड़ानें प्रचालित कर हैदराबाद यातायात को जोड़ती है। एअर इंडिया निम्नांकित हब और स्पोक उड़ानों के जरिए मुंबई से होकर सं.रा. अमेरिका आने-जाने के लिए भी हैदराबाद यातायात को जोड़ती है:

(1) ए.आई. 2102 हैदराबाद/मुंबई 0320 बजे प्रस्थान कर मंगलवार को 0435 बजे पहुंचकर ए.आई. 101 मुंबई/लंदन/न्यूयार्क जोड़ती है, और

(2) ए.आई. 102 जे.एफ.के./लंदन/मुंबई/बुधवार को ए.आई. 4604 को जोड़ती है जिसका प्रस्थान 0115 बजे बृहस्पतिवार को मुंबई/हैदराबाद से और आगमन 0230 बजे होता है।

(ख) और (ग) जी, हां। यूरोप में स्थलों और सं.रा. अमेरिका तक प्रचालन के लिए यातायात अधिकार एअर इंडिया के पास पहले से ही उपलब्ध हैं। सं.रा. अमेरिका के साथ द्विपक्षीय करार से एअर इंडिया द्वारा प्रचालित उड़ानों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं लगता है। एअर इंडिया हैदराबाद सहित भारत के किसी भी स्थल से प्रचालन कर सकती है। एअर इंडिया द्वारा अतिरिक्त वैमानिकी क्षमता लगाते समय हैदराबाद से पर्याप्त संख्या में उड़ान सुनिश्चित करने के बारे में आंध्र प्रदेश सरकार के अनुरोध का ध्यान रखा जाएगा।

सड़क परिवहन निगम

3245. **श्री टी. गोविन्दन** : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बसें हासिल करने के लिए सड़क परिवहन निगमों (आर.टी.सी.) को पूंजीगत अंशदान करने योजना संबंधी योजना को पुन: प्रारंभ किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में राज्य सरकारों को कितनी सहायता दी गई है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

ताजमहल में प्रवेश शुल्क से प्राप्त आय

3246. **श्री जय प्रकाश** : क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ताजमहल देखने आने वाले घरेलू तथा विदेशी पर्यटकों से इस समय कितना प्रवेश शुल्क लिया जाता है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार और पर्यटक-वार कुल कितनी आय हुई;

(ग) क्या सरकार ने विदेशी पर्यटकों, विशेषकर बंगलादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका तथा पाकिस्तान के पर्यटकों की पहचान करने हेतु कोई मानदंड तैयार किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा ताजमहल पर इस देश के पर्यटकों से 10 रुपए और विदेश से आने वाले पर्यटकों से 5 अमरीकी डालर अथवा 250 रुपए का शुल्क लिया जाता है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान ताजमहल को देखने आए पर्यटकों से प्राप्त आय और उनकी संख्या का विवरण नीचे दिया गया है:-

	1999	2000	2001
प्राप्त आय (रु.)	87,32,275	3,80,20,195	12,40,52,940
पर्यटकों की संख्या	17,46,455	20,10,906	22,26,725

(ग) और (घ) जी, नहीं।

[अनुवाद]

खान श्रमिकों की सुरक्षा

3247. **श्री ए. नरेन्द्र** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने खानों तथा निर्माण कार्य में कार्य करने वाले श्रमिकों को सुरक्षा प्रदान करने हेतु श्रम कानूनों में कोई संशोधन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार और राज्य-वार कितने श्रमिक खान तथा निर्माण दुर्घटनाओं के शिकार हुए?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): (क) से (ग) खानों तथा निर्माण कार्य में कामगारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दृष्टि से सरकार ने खान अधिनियम, 1952 तथा भवन और अन्य निर्माण कामगार (रोजगार का विनियमन तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 1996 अधिनियमित किया था। अधिनियम के प्रावधान तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियम/विनियमों की संवीक्षा करना एक सतत् प्रक्रिया है और कामगारों की सुरक्षा में सुधार के लिए इनमें समय-समय पर आवश्यक संशोधन किये गये हैं।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान खान दुर्घटना के शिकार हुए खान कामगारों का राज्यवार ब्यौरा निम्नलिखित है:

राज्य	खान दुर्घटनायें में मारे गए खान कामगारों की संख्या		
	1999	2000	2001*
1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश	31	41	38
अरुणाचल प्रदेश	0	0	1
असम	2	1	6
बिहार	46	1	0
छत्तीसगढ़	–	9	9
गोवा	0	2	3
गुजरात	0	1	6
हिमाचल प्रदेश	0	0	2
हरियाणा	8	1	4
झारखंड	–	45	60
जम्मू-कश्मीर	1	0	0

1	2	3	4
कर्नाटक	9	4	7
केरल	0	0	1
मेघालय	0	0	0
मध्य प्रदेश	39	27	18
महाराष्ट्र	9	19	12
उड़ीसा	14	9	13
राजस्थान	20	10	15
तमिलनाडु	5	5	9
त्रिपुरा	1	1	0
उत्तरांचल	–	1	1
उत्तर प्रदेश	1	4	1
पश्चिम बंगाल	24	18	21

*अनन्तिम

निर्माण कामगारों के बारे में इसी तरह की राज्यवार सूचना उपलब्ध नहीं है। केन्द्रीय क्षेत्र में ऐसी घटनाओं के संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है।

ट्रैक्टर/ट्रालियों के लिए प्रदूषण मानक

3248. डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि ट्रैक्टर/ट्रालियां बिना सड़क योग्य प्रमाण-पत्र के गैर-कानूनी रूप से सड़कों पर चलती है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में दिल्ली उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय द्वारा भी कोई आदेश पारित किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या शहरों/नगरों में वाहन यातायात से प्रदूषण पर उच्चतम न्यायालय ने भी गंभीर चिंता व्यक्त की है;

(ङ) यदि हां, तो ट्रैक्टर/ट्रालियों के लिए प्रदूषण मानक लागू करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं;

(च) क्या ट्रैक्टर चालक श्वास, आंत और पीठ के दर्द की समस्या से पीड़ित हैं;

(छ) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई अध्ययन कराया गया है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) से (ज) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

ई.एस.आई. चिकित्सालयों में डीजल जनरेटर सेट लगाना

3249. श्री गजेन्द्र सिंह राजूखेड़ी : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, भोपाल और देवास ई.एस.आई. अस्पतालों में डीजल जनरेटर सेट लगाने हेतु कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ई.एस.आई.सी.) मुख्यालय, नई दिल्ली को एक प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है और इन अस्पतालों में डीजल जनरेटर सेट लगाने में विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ग) क्या कर्मचारी राज्य बीमा निगम को मध्य प्रदेश सरकार से कार्य-योजना 1999-2000 और 2000-2001 के अंतर्गत उपस्कर खरीदने की मंजूरी देने तथा आवश्यक धन जारी करने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो उसके लिए मंजूरी तक आवश्यक धन कब तक प्रदान किया जाएगा?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): (क) और (ख) मध्य प्रदेश क्षेत्र के ई.एस.आई. अस्पतालों में डीजल जनरेटर सेट लगाये जाने की स्थिति निम्नवत् है:-

इंदौर : डीजल जनरेटर सेट लगाया गया तथा इसे शुरू करने के लिए आवश्यक क्लीयरेंस प्राप्त की जा रही है।

उज्जैन : डीजल जनरेटर सेट लगाया गया तथा शुरू किया गया।

ग्वालियर : अस्पताल के आप्रेशन थिएटर तथा प्रसव-कक्ष के लिए एक निजी पार्टी से 14 किलोवाट एम्पीयर की धारिता वाला डीजल जनरेटर सेट दान स्वरूप प्राप्त हुआ था जिसे पहले ही लगाया जा चुका है।

इस अस्पताल के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा स्वीकृत अतिरिक्त 62.5 किलोवाट एम्पीयर की धारिता वाला डीजल जनरेटर सेट अस्पताल को प्राप्त हो चुका है तथा मध्य प्रदेश विद्युत बोर्ड एवं प्रदूषण नियंत्रण विभाग द्वारा आवश्यक क्लीयरेंस प्राप्त किया जा रहा है।

भोपाल एवं देवास : भोपाल एवं देवास के अस्पतालों में डीजल जनरेटर सेट प्राप्त हो गये हैं तथा मध्य प्रदेश विद्युत बोर्ड एवं प्रदूषण नियंत्रण कक्ष द्वारा आवश्यक क्लीयरेंस प्राप्त किया जा रहा है।

(ग) और (घ) (1) 1999-2000 की कार्य योजना के अंतर्गत 1,60,22,500 रु. की राशि के उपस्करों की खरीद के संबंध में क.रा.बी. निगम में एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिस पर कार्रवाई की जा रही है।

(2) वर्ष 2001-2002 की कार्य योजना के अंतर्गत उपस्करों की खरीद के लिए मध्य प्रदेश राज्य सरकार से प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

पर्वतीय क्षेत्रों को राष्ट्रीय राजमार्गों की सड़कों से जोड़ना

3250. श्री के.के. कलिअप्पन : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सभी पर्वतीय क्षेत्रों को विशेषकर इरोड जिले के गोबिचेत्तिपलयम क्षेत्र को भविष्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की सड़कों से जोड़ने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी): (क) से (ग) अनेक पर्वतीय क्षेत्र राष्ट्रीय राजमार्गों से पहले ही जुड़े हुए हैं। निधि की कमी के कारण फिलहाल देश में कोई नया राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, सरकार यातायात आवश्यकताओं, पारस्परिक प्राथमिकता और निधियों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा के लिए संशोधित मानदंड के आधार पर विभिन्न राज्यों से प्राप्त होने वाले संशोधित प्रस्तावों में से कुछ राज्यीय राजमार्गों को 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित करने पर विचार कर सकती है।

मुम्बई विमानपत्तन पर एयरोब्रिजों का कार्य न करना

3251. श्री किरीट सोमैया : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जुलाई, 2002 में मुंबई विमानपत्तन पर कोई भी एयरोब्रिज कार्य नहीं कर रहा था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) मुम्बई विमानपत्तन के हाल ही में हुए विस्तार की लागत का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) मुम्बई हवाई अड्डे के टर्मिनल-1ए पर सुरक्षा होल्ड एरिया में बढ़ोत्तरी करने तथा 3 एयरोब्रिज, एक एस्कलेटर लगाने पर 19.97 करोड़ रुपए खर्च किए गए।

प्रदूषण नियंत्रण संबंधी कार्यशाला

3252. श्री ए. वेंकटेश नायक :
श्री अशोक ना. मोहोल :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निर्माण उद्योग द्वारा नई दिल्ली में 23 जुलाई, 2002 को शहरी क्षेत्रों में प्रदूषण नियंत्रण पर कोई कार्यशाला आयोजित की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उसमें किन मामलों पर चर्चा की गई;

(घ) सड़कों और राजमार्गों पर वाहन प्रदूषण से निपटने हेतु उसमें क्या सुझाव दिए गए हैं; और

(ङ) उक्त कार्यशाला द्वारा दिए गए सुझावों पर सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) से (ग) कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डेवलपमैंट काऊंसिल, कन्सल्टेंसी डेवलपमैंट सेंटर, इंडियन प्लम्बिंग एसोसिएशन और इंस्टीच्यूट ऑफ अर्बन ट्रांसपोर्ट द्वारा संयुक्त रूप से 23 जुलाई, 2002 को नई दिल्ली में "शहरी क्षेत्रों में प्रदूषण नियंत्रण-उभरती प्रौद्योगिकियां" विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया था जिसमें निम्नलिखित विषयों पर विचार-विमर्श किया गया:

1. भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क हेतु प्रदूषण नियंत्रण उपाय।
2. वाहनजनित विसर्जनों के माध्यम से वायु प्रदूषण।
3. ठोस और तरल अपशिष्ट निपटान।
4. प्रदूषण रहित नगर-विषयक अवसंरचना।

(घ) सरकार को इस कार्यशाला का कार्यवाही रिकार्ड अभी प्राप्त होना है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

कृषि क्लीनिक्स/कृषि व्यापार केन्द्रों की स्थापना करना

3253. श्री ए. ब्रह्मनैया :
डा. वी. सरोजा :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कृषि-क्लीनिक्स और कृषि व्यापार केन्द्रों की स्थापना की है अथवा करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उनके उद्देश्य तथा गतिविधियां क्या हैं;

(ग) इस योजना के अंतर्गत कुल कितनी राशि स्वीकृत की गई है/स्वीकार किए जाने का प्रस्ताव है और कितनी राशि खर्च की गई है; और

(घ) उन किसानों और कृषि स्नातकों की क्या प्रतिक्रिया है जिनके लिए योजना शुरू की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) "कृषि क्लीनिकों एवं कृषि व्यापार केन्द्रों के नेटवर्क की स्थापना" नामक केन्द्रीय क्षेत्र की एक नई स्कीम वर्ष 2001-02 से शुरू की गई है। इस स्कीम का उद्देश्य बेरोजगार स्नातकों द्वारा निजी उद्यमों की स्थापना के माध्यम से किसानों को भुगतान आधार पर विस्तार सेवाएं प्रदान करना है।

(ख) *उद्देश्य*

* किसानों को भुगतान आधार पर बहु स्रोत विस्तार सेवाएं प्रदान करना;
* कृषि प्रौद्योगिकी के तेजी से प्रचार-प्रसार को प्रोत्साहन देना;
* किसानों को प्रतिस्पर्धात्मक आधार पर आदानों की आपूर्ति एवं सहायता सेवाएं प्रदान करना;
* कृषि उत्पादों के उत्पादन एवं गुणवत्ता में वृद्धि करना; तथा
* कृषि स्नातकों के लिए स्वरोजगार के अवसरों का सृजन।
* कृषि स्नातक बैंक से ऋण लेकर स्वयं अथवा सामूहिक रूप से अपने कृषि क्लीनिक एवं कृषि व्यापार केन्द्र स्थापित कर सकते हैं।

गतिविधियां

आर्थिक रूप से व्यवहार्य लगभग 20 गतिविधियां अभिज्ञात की गई हैं। इनमें मृदा, जल एवं आदान परीक्षण, पौध संरक्षण सेवाएं, माइक्रो प्रोपेगेशन, कृषि आदानों को किराए पर लेना, उनका रखरखाव एवं मरम्मत, बीज प्रसंस्करण यूनिटें, वार्मिकल्चर, जैव उर्वरक, पशु चिकित्सा औषधालय, आहार प्रसंस्करण, मूल्य वर्धन केन्द्रों, कोल्ड चेन की स्थापना आदि शामिल है।

(ग) इस स्कीम के प्रशिक्षण घटक के लिए वित्तीय वर्ष 2001-02 के दौरान 1 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई, जो व्यय भी की गई है। वर्ष 2002-03 के बजट प्राक्कलन में 5 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

(घ) प्रतिष्ठित संस्थानों जैसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद एवं राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंध अकादमी, हैदराबाद द्वारा किए गए सर्वेक्षणों से ज्ञात होता है कि कृषि स्नातक ऐसे उद्यम शुरू करने एवं किसान इन सेवाओं हेतु भुगतान करने के लिए इच्छुक है। 12087 व्यक्तियों ने अपने-अपने उद्यम शुरू करने हेतु प्रशिक्षण लेने की इच्छा व्यक्त की है।

राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान

3254. श्री सईदुज्जमा : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई.सी.ए.आर.) के राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान (एन.डी.आर.आई.) के पास अब राष्ट्रीय संग्रहण डेयरी कल्चर उपलब्ध है जैसा कि 'इंडियन डेयरीमैन' के जून, 2002 के अंक में प्रकाशित हुआ है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इस संग्रहण में कितनी मास्टर फ्रीज ड्राइड कल्चरों का संग्रहण किया गया है और संग्रहण से कितने कल्चर जारी किए गए हैं;

(ग) क्या यह संग्रहण पहले से वैज्ञानिकों द्वारा फ्रीज ड्राइड रूप से संवर्धित किया गया था और 'इंडियन डेयरीमैन' के नवंबर, 1967 के अंक में प्रकाशित किया गया था;

(घ) यदि हां, तो पूर्व के वर्षों में उसमें कितने कल्चर की सूचना दी गई है;

(ङ) क्या ऐसे वैज्ञानिकों को कोई मान्यता अथवा पुरस्कार इत्यादि दिए गए थे; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी, हां।

(ख) इस संग्रहण में 'फ्रीज ड्राइड' रूप में डेयरी जीवों के 315 प्रभेद हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान डेयरी टाइप कल्चरों के राष्ट्रीय संग्रहण (एन.सी.डी.सी.) ने वर्ष 1999, 2000 तथा 2001 में क्रमशः 476, 520 तथा 629 फ्रीज ड्राइड कल्चरों की आपूर्ति की है।

(ग) वर्ष 1964 तक, डेयरी कल्चरों का रखरखाव दो वैज्ञानिकों द्वारा किया जा रहा था तथा फ्रीज ड्राइंग पद्धति वर्ष 1964 में प्रारम्भ हुई थी जो बाहरी विशेषज्ञ द्वारा वैज्ञानिकों के प्रशिक्षण के माध्यम से शुरू की गई थी। तथापि, इंडियन डेयरीमैन के नवम्बर, 1967 के अंक में प्रकाशित विषय के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं है।

(घ) वर्ष 1964 तक 101 प्रभेदों का संग्रहण किया गया था।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

खादी का संवर्धन

3255. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या **कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि खादी का अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कम प्रभाव है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का, खादी को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक परियोजना के रूप में प्रस्तुत करने के लिए, एक व्यापक अभियान चलाने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा खादी को बढ़ावा देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं;

(ङ) खादी को बढ़ावा देने हेतु विमानपत्तनों और पर्यटक स्थलों पर कितनी दुकानें/सूचना केन्द्र स्थापित किए गए हैं; और

(च) खादी को बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा कुल कितना खर्च किया गया है अथवा खर्च किए जाने की संभावना है?

कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) खादी उत्पादों के निर्यात को सुधारने के लिए विभिन्न संवर्धनात्मक उपाय हैं:

1. चुनिंदा पर्यावरण-मित्र ग्रामीण उद्योग उत्पादों हेतु, खादी ब्रांड का प्रवर्तन, जिससे विदेशी क्रेताओं के बीच, खादी की छवि संवर्द्धित करने में सहायता मिले।
2. एक्ज़िम नीति (2002-2007) के अनुसार, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के कुटीर उद्योग उत्पादों के निर्यात संवर्धन हेतु 5.00 करोड़ रु. उद्दिष्ट किए गए हैं। इसमें खादी उत्पाद भी शामिल हैं। अब यह योजना तैयारी के तहत है, और जल्द ही प्रचालन में होगी।

(घ) सरकार द्वारा, खादी एवं ग्रामोद्योग क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 14.5.2001 को एक पैकेज की घोषणा की गई थी, जो कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों के अंतर्गत है। इस पैकेज में, पांच वर्षों के लिए छूट नीति, छूट और विपणन विकास सहायता (एम.डी.ए.) का विकल्प, खादी कारीगरों को बीमा सुरक्षा, खादी उत्पादों के सुधार पर बल, पैकेजिंग और डिजाइन सुविधाओं का सृजन, विपणन संवर्धन के उपाय, ब्रांड बिल्डिंग, कलस्टर आदि शामिल हैं।

(ङ) खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा देश में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में प्रदर्शन-सह-विक्रय निर्गम स्थापित करना प्रस्तावित है। मुंबई और कोलकाता हवाई अड्डों में स्थान प्राप्त हो गया है और निर्गमों की स्थापना की प्रक्रिया चल रही है। इसके अतिरिक्त, घरेलू तथा साथ-ही-साथ विदेशी पर्यटकों का ध्यान आकर्षित करने के लिए, विभिन्न स्थानों जैसे महत्वपूर्ण शहर और मुख्य रेलवे स्टेशनों आदि पर होर्डिंग/ट्रांसस्लाइड्स/ग्लोसाइन आदि की स्थापना करना भी प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के अधिकतर विद्यमान विक्रय निर्गम भी घरेलू एवं विदेशी पर्यटकों को आकर्षित कर रहे हैं।

(च) खादी एवं ग्रामीण उद्योगों के संवर्धन हेतु, चालू वित्त वर्ष के लिए, के.वी.आई.सी. का 392 करोड रु. का बजट है।

गुजरात में स्मारक-स्थलों पर अतिक्रमण

3256. श्री दिन्शा पटेल : क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात में बहुत से स्मारक-स्थलों पर अतिक्रमणकारियों का कब्जा है और संबंधित स्थानीय अधिकरण इसे हटाने में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की सहायता नहीं कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे स्मारक-स्थलों का स्थलवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन स्मारक-स्थलों पर से अतिक्रमण हटाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) और (ख) जी, हां। अतिक्रमणों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) प्राचीन संस्मारक, पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 और नियम, 1959 के उपबंधों के तहत, अपेक्षित कार्रवाई की जाती है तथा राज्य सरकार के अभिकरणों की सहायता से अतिक्रमणकारियों को हटाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

विवरण

क्र.सं.	स्मारक/स्थल का नाम	स्थान
1.	मलिक आलम की मस्जिद, अहमदाबाद	अहमदाबाद
2.	सैयद उस्मान मस्जिद, अहमदाबाद	अहमदाबाद
3.	महान मस्जिद, अहमदाबाद	सरखेज
4.	भद्र मीनार, अहमदाबाद	अहमदाबाद
5.	स्माल स्टोन मस्जिद, अहमदाबाद	पलदी
6.	अच्युत बीबी की मस्जिद, अहमदाबाद	अहमदाबाद
7.	बहलोल खान मस्जिद, अहमदाबाद	ढोलका
8.	प्राचीन स्थल गोहिलवाडु टिम्बो, अहमदाबाद	अहमदाबाद
9.	पावागढ़ का किला, पावागढ़ के ऊपर ध्वस्त हिन्दी मन्दिर तथा जैन मंदिर	पावागढ़
10.	मीर अबु तुरब मकबरा	अहमदाबाद
11.	नवाब सरदार खान का रौजा तथा सी.एस. सं. 6811 वाला उसका अहाता	
12.	अहमदशाह की बेगम का मकबरा	अहमदाबाद
13.	मलिक आलम की मस्जिद	अहमदाबाद

एअर इंडिया को घाटा

3257. श्री टी.टी.वी. दिनाकरन :
श्री प्रभुनाथ सिंह :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एअर इंडिया को वर्ष 2001 को छोड़कर 1995 से अब तक घाटा हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो घाटे के क्या कारण हैं और केवल एक ही कार्य विशेष में लाभ कमाने के क्या कारण हैं; और

(ग) एअर इंडिया को लाभ अर्जित करने वाला संगठन बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) से (ग) एअर इंडिया 1995-1996 से घाटे वाला संगठन हो गया था। घाटे के मुख्य कारण इस प्रकार हैं:

(1) अंतरराष्ट्रीय बाजार में जबरदस्त प्रतिस्पर्द्धा होने के परिणामस्वरूप वांछित राजस्व प्राप्ति या लाभ देने वाले सुधार कार्यक्रमों का अनुसरण करने में असमर्थता,

(2) बाजार में नये प्रवेशकों के आने के कारण 1992-1993 से खाड़ी क्षेत्र में प्रचालनों से होने वाले लाभ में कटौती,

(3) अत्यधिक घाटे के कारण विमान-बेड़े में विमान का शामिल न होना,

(4) ईंधन लागत में असंगत बढ़ोत्तरी,

(5) विमान-बेड़े का प्रतिस्थापन तथा संवर्द्धन और अमरीकी डालर की तुलना में भारतीय रुपए के अवमूल्यन के कारण मूल्यह्रास तथा वित्तीय लागत का अधिकतम बोझ,

(6) प्रमुख सुदृढ़ मुद्राओं की तुलना में भारतीय रुपए के कमजोर होने के परिणामस्वरूप व्यय में बढ़ोत्तरी, तथा

(7) कार्यशील पूंजी ऋणों पर ब्याज के व्यय में बढ़ोत्तरी।

एअर इंडिया ने इनको व्यावहारिक बनाने के लिए अनेक कदम हैं जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

(1) गैर-प्रचालनात्मक श्रेणियों में बाहरी भर्ती पर रोक,

(2) भारत में कार्यरत अधिकारियों के विदेशों में अनेक पद समाप्त किए गए,

(3) सेवा-निवृत्त की आयु 60 से 58 वर्ष करना,

(4) कर्मचारियों की गैर-प्रचालनात्मक क्षेत्रों से प्रचालनात्मक क्षेत्रों में पुनः तैनाती, और

(5) दो स्वैच्छिक योजनाएं अर्थात् लघुत्तम कार्य सप्ताह योजना (शार्टर वर्किंग वीक स्कीम) तथा दो से पांच वर्ष तक की अवधि के लिए बढ़ाई जाने वाली बिना वेतन/भत्ते छुट्टी की योजना लागू करना, अधिसूचित की गई हैं।

पायलटों को लाइसेंसों के लिए प्रभार

3258. श्री के.ई. कृष्णमूर्ति : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पायलटों को लाइसेंस देने के लिए परीक्षा आयोजित करने हेतु डी.जी.सी.ए. द्वारा कितनी राशि ली जाती है;

(ख) इसे पिछली बार कब संशोधित किया गया था;

(ग) क्या सरकार का समग्र मूल्य वृद्धि को ध्यान में रखते हुए उसमें वृद्धि करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) विभिन्न श्रेणी के पायलट लाइसेंस देने के लिए लेने वाले टैस्ट और परीक्षा के लिए डी.जी.सी.ए. द्वारा जो चार्जिज लिए जाते हैं उनके बारे में एयरक्राफ्ट नियम 1937 के नियम 48 में जानकारी दी गई है। तकनीकी परीक्षा के मामले में (ग्राउंड सब्जैक्ट्स) 50 रुपए से 250 रुपए तक और (ए. एण्ड ई.) तकनीकी परीक्षा के मामले में 25 रुपए से 300 रुपए तक यह राशि अलग-अलग है, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि किस प्रकार का लाइसेंस जारी किया जाना है।

(ख) यह दरें 4.10.1993 से प्रभावी हैं।

(ग) और (घ) पायलटों को लाइसेंस देने के लिए परीक्षा लेने के लिए, डी.जी.सी.ए. द्वारा ली जाने वाली राशि का संशोधन करने का कार्य विचाराधीन है।

[हिन्दी]

आयुर्वेद तथा योग को पर्यटन के साथ जोड़ना

3259. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का आयुर्वेद और योग को पर्यटन के साथ जोड़ने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में विभिन्न राज्य सरकारों को दिए जा रहे प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) जी हां।

(ख) और (ग) भारत सरकार ने राज्य सरकारों के सहयोग से स्वास्थ्य पर्यटन के एक पहलू के रूप में आयुर्वेद एवं योग के संवर्धन हेतु अंतर्राष्ट्रीय एवं घरेलू पर्यटकों को लक्ष्य करते हुए नए परिवर्तित पर्यटन उत्पाद विकसित किए हैं। सरकार पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय योग उत्सव, योग महोत्सव जैसे उत्सवों को आयोजित करने, योग ध्यान केन्द्रों तथा हर्बल गार्डनों के विकास हेतु राज्य सरकारों को सहायता एवं वित्तीय समर्थन प्रदान करती है। कुछ राज्य सरकारों जैसे केरल ने प्रदान की जा रही सेवाओं के स्तर तथा सुविधाओं के आधार पर आयुर्वेद केन्द्रों के वर्गीकरण एवं अनुमोदन की एक स्कीम प्रारंभ की है।

[अनुवाद]

विश्वदाय स्मारक

3260. श्री पी.डी. एलानगोवन :
श्री वीरेन्द्र कुमार :

क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रत्येक विश्वदाय स्मारकों के लिए गत तीन वर्षों में कितनी राशि आबंटित, वितरित और उन पर खर्च की गई है;

(ख) उन पर्यटकों, घरेलू तथा विदेशी दोनों की कुल संख्या कितनी है जिन्होंने गत तीन वर्षों में मई, 2002 तक इन विश्व-दाय स्मारकों की यात्रा की है; और

(ग) प्रत्येक स्मारक से कितना प्रवेश शुल्क एकत्र किया गया है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) रखरखाव एवं संरक्षण पर किए गए व्यय का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) और (ग) स्मारक-वार घरेलू तथा विदेशी पर्यटक और प्रवेश शुल्क से प्राप्त आय के संबंध में उपलब्ध ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

क्र.सं.	स्मारक/स्थल का नाम	किया गया व्यय (लाखों में)		
		1999-2000	2000-2001	2001-2002
1	2	3	4	5
1.	ताजमहल, आगरा	16.71	21.43	22.02
2.	आगरा किला, आगरा	5.96	19.58	37.68
3.	फतेहपुर सीकरी, आगरा	12.08	32.68	56.22
4.	अजंता गुफाएं, महाराष्ट्र	14.35	2.74	601.00
5.	एलोरा गुफाएं, महाराष्ट्र	7.52	5.87	115.00
6.	एलीफेंट गुफाएं, महाराष्ट्र	22.85	7.83	10.33
7.	स्मारक समूह, हम्पी	8.44	33.41	86.49
8.	स्मारक समूह, पट्टडकल	5.85	0.30	78.94

1	2	3	4	5
9.	सूर्य मंदिर, कोणार्क	18.57	20.26	16.04
10.	स्मारक समूह, खजुराहो	10.47	14.80	22.22
11.	स्मारक समूह, सांची	7.28	8.38	19.15
12.	चर्चे तथा कान्वेंटे, गोवा	21.24	24.28	23.19
13.	बृहदीश्वर मंदिर, तंजावुर	5.25	2.49	4.86
14.	स्मारक समूह, मामल्लापुरम	5.75	6.54	4.26
15.	कुतुब मीनार, नई दिल्ली	5.27	6.95	18.10
16.	हुमायूं का मकबरा, नई दिल्ली	21.22	20.72	30.85

विवरण-II

क्र.सं. विश्वदाय स्मारक का नाम	पर्यटकों की संख्या								प्रवेश शुल्क से प्राप्त			
	घरेलू (संख्या लाखों में)				विदेशी (संख्या लाखों में)				(आय लाखों में)			
	1999	2000	2001	2002 मई तक	1999	2000	2001	2002 मई तक	1999	2000	2001	2002 मई तक
1 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. ताजमहल, आगरा	17.46	19.55	19.47	12.30	–	0.40	2.49	0.75	87.32	380.20	1240.53	234.09
2. आगरा किला, आगरा	8.54	9.52	9.26	2.62	–	1.09	10.91	0.52	42.69	560.22	769.71	154.72
3. फतेहपुर सीकरी, आगरा	3.49	2.66	2.40	0.81	–	0.35	1.09	0.31	17.43	163.18	466.19	85.89
4. अजंता गुफाएं, महाराष्ट्र	2.69	2.98	2.88	1.00	–	0.06	0.19	0.08	13.46	44.67	107.87	28.43
5. एलोरा गुफाएं, महाराष्ट्र	5.21	5.88	4.77	1.50	–	0.04	0.13	0.05	26.05	58.82	102.52	23.09
6. एलीफेंटा गुफाएं, महाराष्ट्र	2.59	2.78	2.71	1.24	–	0.07	0.17	0.07	12.94	50.87	98.11	29.77
7. स्मारक समूह, हम्पी	1.32	2.40	2.08	0.92	–	0.06	0.06	0.05	6.61	30.23	28.73	21.44
8. स्मारक समूह, पट्टडकल	1.05	1.16	1.23	0.63	–	0.006	0.04	0.02	5.24	7.24	14.83	10.34
9. सूर्य मंदिर, कोणार्क	3.86	7.95	2.21	2.21	–	–	0.02	0.01	19.30	51.59	61.72	7.61
10. स्मारक समूह, खजुराहो	1.63	1.53	1.50	0.46	0.56	0.46	0.38	0.12	10.96	62.40	175.32	16.16
11. स्मारक समूह, रांची	0.70	0.59	0.71	0.28	0.06	0.07	0.07	0.02	3.79	4.11	28.25	6.30
12. चर्चे तथा कान्वेंटे, गोवा	स्मारक पर टिकट नहीं है।											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13.	बृहदीश्वर मंदिर, तंजावुर	स्मारक पर टिकट नहीं है।											
14.	स्मारक समूह, मामल्लापुरम	6.00	7.16	5.36	2.60	–	–	0.17	0.12	30.01	35.81	106.04	56.65
15.	कुतुब मीनार, नई दिल्ली	16.28	18.18	16.18	5.16	–	0.30	1.17	0.33	81.41	247.37	437.38	125.77
16.	हुमायूं का मकबरा	2.12	2.10	2.04	0.44	–	0.21	0.64	0.23	10.62	109.91	171.72	56.71

केरल और तमिलनाडु में काजू मजदूर

3261. **श्री कोडीकुनील सुरेश** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को केरल तथा तमिलनाडु में बड़ी संख्या में काजू मजदूरों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसे मजदूरों के लिए घरों का निर्माण करने हेतु कोई प्रायोगिक योजना तैयार की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): (क) जी हां।

(ख) से (घ) जी, नहीं। काजू कर्मकारों के लिए आवास निर्माण हेतु कोई पायलट स्कीम नहीं तैयार की गई है। तथापि, भारत सरकार गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले काजू कर्मकारों सहित ग्रामीणों के लिए आवास निर्माण हेतु वित्तीय सहायता मुहैया कराने के लिए इन्दिरा आवास योजना चला रही है। इसके अलावा, केरल सरकार काजू कर्मकारों को केरल काजू कर्मकार राहत और कल्याण निधि अधिनियम तथा केरल काजू कर्मकार कल्याण निधि स्कीम के अन्तर्गत आवास निर्माण तथा रख-रखाव के लिए ऋण/अग्रिम राशि प्रदान करती है।

अनाजों और दलहनों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य

3262. **श्री विनय कुमार सोराके** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत पांच वर्षों के दौरान अनाजों और दलहनों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों में लगातार वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2000-01 की तुलना में वर्ष 2001-02 में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है;

(ग) क्या तिलहनों में पूर्व वर्ष की तुलना में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) में 9.8% की वृद्धि हुई है जबकि कोपरा (मिल तथा बाल दोनों गुणवत्ता वाला) में केवल 1.4% की मामूली वृद्धि हुई है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार दक्षिण में फसल उगाने वालों की समस्याओं पर विचार करते हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर एक समान नीति अपनाएगी; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) से (ग) प्रत्येक मौसम में प्रमुख कृषि जिंसों के न्यूनतम समर्थन मूल्य पिछले मौसम के मूल्यों से सामान्यत: अधिक निर्धारित किए जाते हैं। सरकार द्वारा पिछले पांच वर्षों के दौरान प्रमुख कृषि जिंसों के लिए निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्यों का विवरण संलग्न है। संलग्न विवरण में वर्ष 2000-01 की तुलना में वर्ष 2001-02 के दौरान प्रतिशत वृद्धि भी दर्शाई गई है।

(घ) और (ङ) कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिशों, संबंधित राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय मंत्रालयों के विचारों तथा ऐसे अन्य कारकों, जो सरकार की राय में समर्थन मूल्यों के निर्धारण की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, के आधार पर प्रत्येक मौसम में प्रमुख कृषि जिंसों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किए जाते हैं। प्रमुख कृषि जिंसों के लिए सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य पूरे देश में एकसमान होते हैं। वर्ष 2000-01 के दौरान अन्य कई फसलों जैसे अनाज, कुछ तिलहनों तथा पटसन आदि के न्यूनतम समर्थन मूल्य की तुलना में वर्ष 2001-02 के दौरान खोपरे के न्यूनतम समर्थन मूल्यों में निरपेक्षत: अधिक वृद्धि की गई है।

विवरण

न्यूनतम समर्थन मूल्य
(फसल वर्ष के अनुसार)

क्र.सं.	जिंस	किस्म	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-01	2001-02	वर्ष 2000-01 की तुलना में वर्ष 2001-02 में वृद्धि निरपेक्ष	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	धान	सामान्य	415	440	490	510	530	20	3.9
		श्रेणी 'क'	445	470	520	540	560	20	3.7
2.	मोटे अनाज (ज्वार, बाजरा, रागी तथा मक्का)		360	390	415	445	485	40	9.0
3.	गेहूं		510*	550	580	610	620	10	1.6
4.	जौ		350	385	430	500	500	0	0.0
5.	चना		815	895	1015	1100	1200	100	9.1
6.	अरहर		900	960	1105	1200	1320	120	10.0
7.	मूंग		900	960	1105	1200	1320	120	10.0
8.	उड़द		900	960	1105	1200	1320	120	10.0
9.	मसूर		–	–	–	1200	1300	100	8.3
10.	गन्ना@		48.45	52.70	56.10	59.50	62.05	2.55	4.3
11.	कपास	एफ-414/एच-777/जे34	1330	1440	1575	1625	1675	50	3.1
		एच-4	1530	1650	1775	1825	1875	50	2.7
12.	छिलके वाली मूंगफली		980	1040	1155	1220	1340	120	9.8
13.	पटसन		570	650	750	785	810	25	3.2
14.	तोरिया/सरसों		940	1000	1100	1200	1300	100	8.3
15.	सूरजमुख बीज		1000	1060	1155	1170	1185	15	1.3
16.	सोयाबीन	काला	670	705	755	775	795	20	2.6
		पीला	750	795	845	865	885	20	2.3
17.	कुसुम		910	990	1100	1200	1300	100	8.3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18.	तोरिया		905	965	1065	1165	1265	100	8.6
19.	तम्बाकू (वी.एफ.सी.) (रु. प्रति किग्रा.)	काली मृदा एफ-2 ग्रेड	20.50	22.50	25.00	26.00	27.00	1	3.8
		हल्की मृदा एफ-2 ग्रेड	23.50	25.50	27.00	28.00	29.00	1	3.6
20.	खोपरा (कैलेंडर वर्ष)	मिलिंग	2700	2900	3100	3250	3300	50	1.5
		बाल	2925	3125	3325	3500	3550	50	1.4
21.	तिल		950	1060	1205	1300	1400	100	7.7
22.	रामतिल		800	850	915	1025	1100	75	7.3

^सांविधिक न्यूनतम मूल्य 8.5% की मूल वसूली के साथ जुड़ी है जिसमें वसूली में उससे अधिक स्तर की प्रत्येक 0.1 वृद्धि के लिए आनुपातिक प्रीमियम की व्यवस्था है।

*1.4.98 से 30.6.98 तक देय 55 रु. प्रति क्विंटल की केन्द्रीय बोनस सहित।

%मसूर का न्यूनतम समर्थन मूल्य फसल वर्ष 2000-01 से निर्धारित किया गया है।

निजी एजेंसी द्वारा ताजमहल का रखरखाव

3263. श्री लक्ष्मण सेठ :
श्री दानवे रावसाहेब पाटील :

क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार ताजमहल के रखरखाव और प्रबंधन का कार्य एक निजी एजेंसी को सौंपने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

गन्ना विकास संबंधी योजना

3264. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :
श्री चन्द्रनाथ सिंह :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार गन्ना के सतत विकास संबंधी एक केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना को क्रियान्वित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस योजना के अन्तर्गत कितनी राशि का आबंटन किया गया है;

(ग) किन राज्यों में इस योजना के क्रियान्वित किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) इस संबंध में उठाए गए कदमों का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) से (घ) देश के गन्ना उगाने वाले विभिन्न राज्यों में गन्ना आधारित फसल प्रणाली के सतत विकास संबंधी एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम 9वीं योजना में अक्तूबर 2000 तक जारी रखी गई। मुख्य घटक फील्ड प्रदर्शन, प्रशिक्षण, उपकरणों के लिए सहायता, बीज बहुलीकरण, ताप उपचार संयंत्र और ड्रिप सिंचाई अवसंरचना थे। तथापि, अक्टूबर, 2000 से उक्त स्कीम 26 अन्य स्कीमों के साथ कृषि विकास की वृहत प्रबंधन प्रणाली के अंतर्गत समाहित कर ली गई है ताकि राज्यों को अपनी प्राथमिकताओं और आवश्यकताओं के आधार पर स्कीमों/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में अधिक लचीलापन प्रदान किया जा सके। राज्यों को सभी 27 स्कीमों के लिए एकमुश्त राशि आबंटित की जाती है और यह वैयक्तिक फसल आधार पर नहीं दी जाती।

असुरक्षित एलाइन्स एयरलाइंस का इंडियन एयरलाइंस को हस्तांतरण

3265. श्री दिनेश चन्द्र यादव :
श्री रामजीवन सिंह :
श्री सुशील कुमार शिंदे :
श्री विलास मुत्तेमवार :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा एलाइन्स एयरलाइंस के पुराने और असुरक्षित बेड़े को इसके ब्रांड नाम को हटाकर इंडियन एयरलाइन्स को हस्तांतरित कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) एलाइन्स एयरलाइन्स के असुरक्षित विमानों को हस्तांतरित किए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) एलाइंस एयरलाइंस के ब्रांड नाम को बदलने के क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) से (ग) सभी बोइंग 737 विमानों का स्वामित्व अभी भी इंडियन एयरलाइन्स के ही पास है। एलाइंस एअर, इंडियन एयरलाइन्स की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी है, यह सिर्फ विमान प्रचालित करती है।

एलाइंस एअर के बोइंग 737 की औसतन प्रचालनावधि 19.9 वर्ष है। ये विमान असुरक्षित नहीं है। इस किस्म के विमान के लिए कोई निर्धारित जीवन चक्र नहीं है जिसके बाद ये उड़ान नहीं भर सकते हैं। विनिर्माता के विशेष अनुरक्षण कार्यक्रम/जांच के अनुसार इन विमानों का रख-रखाव किया जाता है जिससे उनकी निरंतर उड़न-योग्यता सुनिश्चित होती है। नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा भी इन कार्यक्रम की मंजूरी दी गई है और इन्हें अनिवार्य बनाया गया है।

(घ) एलाइंस एयर अपने नाम से और अपने तरीके से निरंतर प्रचालन कर रही है। यद्यपि, अब *एलाइंस एयर द्वारा प्रचालित* शब्द लिखकर और फ्यूजलेज पर एयरलाइन्स एलाइड सर्विसेज लि. का लोगो लगाकर बोइंग 737 विमानों में इंडियन एयरलाइंस की कलर स्कीम को अपनाने का निर्णय किया गया है।

उड़ीसा में राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण

3266. श्रीमती कुमुदिनी पटनायक : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार को उड़ीसा सरकार से राज्य में गोपालपुर से रायपुर तक राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण हेतु कोई प्रस्ताव मिला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और इसके किस मार्ग से होकर गुजरने का प्रस्ताव है;

(ग) इस पर कितना अनुमानित व्यय होने की संभावना है; और

(घ) इस कार्य के कब तक शुरू होने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी): (क) और (ख) गोपालपुर से रायपुर सड़क सन् 1999 में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 217 घोषित कर दी गई है। इस राष्ट्रीय राजमार्ग का रूट गोपालपुर-धाराकोटा-बालीगुरहा-तीतलगढ़-नवापाड़ा-रायपुर है। गोपालपुर-नवापाड़ा खंड (लंबाई-438 कि.मी.) उड़ीसा राज्य में पड़ता है।

(ग) इस राष्ट्रीय राजमार्ग का सुधार कार्य चरणबद्ध रूप से शुरू किया जा रहा है। उड़ीसा में पड़ने वाले खंड पर 2.33 करोड़ रु. की लागत से 12 कि.मी. लंबाई में सड़क गुणता सुधार कार्य चल रहा है। इसके अतिरिक्त, चालू वर्ष के दौरान 14.45 करोड़ रु. के सुधार कार्य वार्षिक योजना 2002-03 और आवधिक नवीकरण कार्यक्रम में शामिल किए गए हैं।

(घ) नए कार्य शुरू करने की तारीखें बता पाना अभी संभव नहीं है।

वर्षा जल संचयन

3267. श्री प्रियरंजन दासमुंशी : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मानसून के दौरान कई बराजों में वर्षा जल संरक्षित रखने संबंधी कोई नीति बनाई है ताकि वर्षा की कमी वाली अवधि में इसका कृषि कार्य के लिए आगे उपयोग किया जाए; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) और (ख) राष्ट्रीय जल नीति में यह प्रावधान है कि देश में उपलब्ध जल संसाधनों को अधिकतम संभाव्य सीमा तक उपभोज्य संसाधनों की श्रेणी में लाया जाना चाहिए। तदनुसार, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से वृहद, मध्यम एवं लघु भंडारण बांधों

तथा बैराज सहित डायवर्जन संरचनाओं का न्यायसंगत समन्वय करके देश में 177 बिलियन घन मीटर जल भंडारण का सर्जन किया गया है इसका उपयोग सूखे के मौसम में किया जाता है तथा नौवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक 99.76 मिलियन हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का सर्जन किये जाने का अनुमान है।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के राजस्व स्रोत

3268. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा :
श्री सी. श्रीनिवासन :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा अंतरराष्ट्रीय डिवीजन और राष्ट्रीय विमानपत्तन डिवीजन से सृजित राजस्व के स्रोतों का डिवीजन-वार ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को, अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन प्रभाग (आई.ए.डी.) तथा राष्ट्रीय विमानपत्तन प्रभाग (एन.ए.डी.) दोनों के जरिए अवतरण, पार्किंग तथा आवास प्रभार एक्स-रे सामान निरीक्षण प्रभारों, यात्री सेवा शुल्क, पब्लिक प्रवेश शुल्क, व्यापार रियायत, किराए व सेवाएं, कार्गो हैंडलिंग तथा परामर्श संबंधी सेवाओं की वजह से राजस्व प्राप्त होता है। इसके अलावा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण सभी हवाई अड्डों पर मार्ग दिक्चालन सुविधा प्रभार (आर.एन.एफ.सी.) तथा सभी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों तथा सिविल एन्क्लेवों पर टर्मिनल नेवीगेशनल लैंडिंग प्रभार (टी.एन.एल.सी.) की वजह से राष्ट्रीय विमानपत्तन प्रभाग (एन.ए.डी.) के जरिए भी राजस्व मिलता है।

विमानों के लिए पंजीयन शुल्क

3269. डा. मन्दा जगन्नाथ : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में किसी भी प्रकार के विमान के लिए पंजीयन शुल्क मात्र 200 रु. है;

(ख) यदि हां, तो इतना कम शुल्क रखने के क्या कारण हैं और इसे अंतिम बार कब संशोधित किया गया था;

(ग) क्या सरकार का विचार इस शुल्क को तत्काल प्रभाव से एक तर्कसंगत सीमा तक बढ़ाने का है जिससे राजस्व हानि को रोका जा सके;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) वायुयान नियम, 1937 में विमान के समग्र भार के आधार पर रजिस्ट्रेशन के दो अलग-अलग स्लैबों के बारे में उल्लेख किया गया है। वाययान नियम, 1937 के मौजूदा नियम 35 के अनुसार, 15000 कि.ग्रा. से कम समग्र भार वाले विमान के लिए रजिस्ट्रेशन फीस 200 रु. है जबकि 15000 कि.ग्रा. से अधिक समग्र भार वाले विमान के लिए यह फीस 1000 रु. है।

(ख) विमान की रजिस्ट्रेशन फीस को अपेक्षाकृत कम रखा गया है चूंकि प्रारंभ में सरकार की नीति विमानन गतिविधियों को प्रोत्साहित करने की थी। वायुयान नियम, 1937 के नियम 35 में अंतिम संशोधन भारत सरकार की दिनांक 24.10.1988 की अधिसूचना जी.एस.आर. 886 के तहत किया गया था।

(ग) से (ङ) उपयुक्त स्तर तक रजिस्ट्रेशन फीस में संशोधन करने की दृष्टि से वायुयान नियम, 1937 के नियम 35 में संशोधन करने संबंधी कार्रवाई चल रही है।

[हिन्दी]

वन संरक्षण संबंधी प्राधिकरण

3270. श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :
श्री सुन्दर लाल तिवारी :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार वन सर्वेक्षण संबंधी कार्यों की निगरानी के लिए केन्द्रीय प्राधिकरण बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो इसका अधिकार क्षेत्र क्या होगा; और

(ग) इसके कब तक गठित किए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

श्रम कानूनों के प्रति जागरूकता

3271. श्री लक्ष्मण गिलुवा : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के बीच श्रम कानूनों के अन्तर्गत किए गए लाभकारी प्रावधानों के प्रति जागरूकता लाने के लिए कोई प्रयास किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा कितनी सफलता प्राप्त की गयी है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): (क) से (ग) श्रम मंत्रालय के अन्तर्गत केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड नामक स्वायत्त निकाय की स्थापना 1958 में की गई थी जिसका उद्देश्य संगठित एवं असंगठित/ग्रामीण क्षेत्रों के कार्यबल में जागरूकता सृजन एवं वृद्धि तथा उन्हें शिक्षित करना है। असंगठित/ग्रामीण क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए आयोजित कार्यक्रमों में श्रम कानूनों के अंतर्गत श्रमिकों के लिए बनाए गए लाभकारी प्रावधानों सहित उनके महत्व के विषयों को शामिल किया गया है। बोर्ड ने अपने गठन के समय से असंगठित/ग्रामीण क्षेत्रों में 63459 कार्यक्रम चलाये जिनमें 23.89 मिलियन कर्मकारों ने भाग लिया।

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान नामक एक अन्य स्वायत्तशासी निकाय की स्थापना 1974 में की गई थी जो ऐसे ही कार्यक्रम आयोजित करता है।

[अनुवाद]

शेर और बाघों में बीमारियां

3272. श्री सुरेश रामराव जाधव : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि देश के विभिन्न प्राणी उद्यानों/वन्यजीव अभयारण्यों में बाघ और शेर ट्रीपनोसोमियासिस नामक परजीवी जनित रोग से ग्रस्त हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इसके परिणामस्वरूप मरने वाले बाघों/शेरों की वर्षवार संख्या सहित ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस रोग को फैलने से रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) और (ख) किसी भी वन्यजीव अभ्यारण्य से वन्य जीवों के ट्रीपनोसोसियासिस से पीड़ित होने के मामले की सूचना नहीं है। पिछले तीन वर्षों के दौरान ट्रीपनोसोसियासिस के कारण चिड़ियाघर के प्राणियों की मृत्यु की संख्या इस प्रकार है:

वर्ष	चिड़ियाघर का नाम	ट्रीपनोसोसियासिस के कारण मृत बाघों और शेरों की संख्या
1999-2000	1. हैदराबाद चिड़ियाघर	1
	2. नंदन कानन चिड़ियाघर	1
2000-2001	1. नंदन कानन चिड़ियाघर	11
2001-2002	शून्य	शून्य

(ग) शेरों और बाघों को अपने संग्रह में रखने वाले चिड़ियाघरों को रूधिर जनित परजीवी बीमारियों की आवधिक जांच करवाने और निवारक एवं रोगनिरोधी उपाय करने के लिए निदेश दिए हैं।

[हिन्दी]

कुक्कुट पालन को सुदृढ़ करना

3273. श्री पी.आर. खूंटे : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार कुक्कुट पालन को सुदृढ़ करने के लिए शत प्रतिशत केन्द्रीय सहायता देती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस उद्देश्य हेतु क्या मानदंड तय किए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) और (ख) पशुपालन एवं डेयरी विभाग ग्रामीण कुक्कुट पालन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य सरकारों के मौजूदा फार्मों को सुदृढ़ करने के लिए 1999-2000 से ''राज्य कुक्कुट/बत्तख फार्मों को सहायता'' नामक केन्द्रीय प्रायोजित योजना क्रियान्वितकर रहा है, जिसके तहत सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों को 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई थी। यही कार्यक्रम 2001-2002 में 13 कुक्कुट क्षेत्र में पिछड़े राज्यों/संघ शासित प्रदेशों जैसे जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, केरल, लक्षद्वीप, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में लागू किया गया था जिसके तहत केन्द्र और राज्यों के बीच 80:20 आधार पर सहायता प्रदान की गई थी। अब तक 27 फार्मों को सहायता देने के लिए 10.90 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं।

(ग) इस योजना के लिए निर्धारित प्रमुख मानक यह है कि रिवाल्विंग फंड के रूप में 15.00 लाख रुपए के प्रावधान के साथ

प्रति फार्म केवल 45.00 लाख रुपए की अधिकतम राशि की एकमुश्त सहायता दी जाएगी; राज्य सरकार स्वास्थ्य कवरेज को सुनिश्चित करेगी; प्रजनन स्टाक लो-इनपुट तकनीक का होना चाहिए; लक्षित समूह सीमांत किसान, भूमिहीन मजदूर, महिला समूह तथा समाज के अन्य सामाजिक रूप से पिछड़े क्षेत्र होने चाहिएं।

[अनुवाद]

हैदराबाद निजाम के खजाने के आभूषणों का प्रदर्शनार्थ रखा जाना

3274. श्री दलपत सिंह परस्ते :
श्री वाई.वी. राव :
श्री जे.एस. बराड़ :

क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से सालारजंग संग्रहालय में रखे हैदराबाद निजाम के खजाने के आभूषणों के प्रदर्शन के आशय से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस पर कोई निर्णय लिया गया है; और

(ग) यदि अब तक कोई निर्णय न लिया गया हो, तो इस मुद्दे के कब तक निस्तारण की संभावना है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) से (ग) जी, हां। हैदराबाद के निजाम के आभूषणों की प्रदर्शनी संग्रहालय, हैदराबाद में 24 नवंबर, 2001 से 30 जून, 2002 तक पहले ही लगाई जा चुकी है। आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री ने सालारजंग संग्रहालय में निजाम के आभूषणों की स्थायी प्रदर्शनी के लिए अनुरोध किया था तथा इस स्थायी प्रदर्शनी की लागत से वहन करने के लिए सहमत हो गए थे। राज्य सरकार को सूचित किया गया है कि जैसे ही राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली धनराशियों से अपेक्षित स्थायी व्यवस्था हो जाएगी, आभूषणों को प्रदर्शनी के लिए वापस हैदराबाद लाने में कोई कठिनाई नहीं होगी।

इंदिरा गाधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी को बंद करना

3275. श्री जी.एस. बसवराज : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी को बंद करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो क्या कर्मचारी/कर्मियों सहित इसके आधारभूत ढांचे का उपयोग नव प्रस्तावित सिविल एविएशन सेक्युरिटी ट्रेनिंग एकेडमी द्वारा किया जाएगा; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

आई.ए.एस. अधिकारियों की विदेशों में पदस्थापना

3276. श्री चन्द्र विजय सिंह : क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पर्यटन विभाग में विदेशों में विभिन्न पदों पर भारतीय प्रशासनिक सेवा के कितने अधिकारी पदस्थापित किये गये हैं; और

(ख) पेशावरों की कीमत पर गैर-पेशावरों को पदस्थापित किये जाने के क्या कारण हैं?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) वर्तमान में, विदेश स्थित भारत पर्यटन कार्यालयों में कोई आई.ए.एस. अधिकारी तैनात नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

कृषि चैनल शुरू करना

3277. श्री प्रहलाद सिंह पटेल : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भू-मण्डल के तापमान में वृद्धि का कृषि उत्पादों पर प्रभाव मानसून में परिवर्तन तापमान में वृद्धि और पवन की अनिश्चितता इत्यादि के संबंध में कृषकों को जानकारी देने के लिए एक पृथक कृषि चैनल शुरू किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक क्रियान्वित किया जाएगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) से (ग) कृषि तथा ग्लोबल वार्मिंग, मानसून तथा तापमान में वृद्धि आदि सहित अन्य संबद्ध विषयों के बारे में जानकारी

उपलब्ध कराने के लिए एक अलग कृषि चैनल शुरू करने का अभी तक कोई निश्चित प्रस्ताव नहीं है। कृषि मंत्रालय ने कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा बनाए गए पैनल में शामिल निजी फिल्म निर्माताओं से कृषि संबंधी विषयों पर अनेक वीडियो फिल्में बनवाई हैं। दूरदर्शन पर कृषि दर्शन एवं अन्य प्रायोजित कृषि कार्यक्रमों में ये फिल्में दिखाई जा रही हैं।

[अनुवाद]

कृषि विपणन अधिनियम में संशोधन

3278. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किसानों को अपने उत्पादों का विपणन करने में किन कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) क्या उन्हें उनके उत्पादों को खुले बाजार में निर्दिष्ट अभिकरणों को बेचने के लिए बाध्य किया जाता है;

(ग) क्या सरकार का विचार किसानों को विस्तृत विकल्प प्रदान करने के लिए कृषि विपणन अधिनियम में संशोधन करने का है;

(घ) क्या कर्नाटक राज्य सरकार ने अधिनियम में संशोधन किया है और बागवानी बाजार स्थापित करने के लिए नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) और (ख) सरकार देश में विनियमित मण्डियों की एक नेटवर्क के माध्यम से कृषि जिंसों के संगठित विपणन को प्रोत्साहन दे रही है। कृषि उपज मण्डियों के विकास के लिए अधिकांश राज्य सरकारों एवं संघ शासित प्रशासनों ने अपने-अपने कानून अधिनियमित कर लिए हैं। दिनांक 31.3.2001 की स्थिति के अनुसार 7161 मण्डियां विनियमन के अन्तर्गत आ गई हैं। देश में लगभग 27,294 ग्रामीण आवधिक मण्डियां भी हैं, जिनमें से 15% विनियमन के अंतर्गत कार्य करती हैं। यह परिकल्पना की गई थी कि सुविधा तथा सेवा युक्त मण्डियां किसानों व खरीददारों को आकृष्ट करेंगी और व्यापार के लिए प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण बनाकर उत्पादकों/विक्रेताओं को सबसे अच्छे मूल्य दिलाएंगी।

देश में कृषि विपणन प्रणाली के सुदृढ़ीकरण एवं विकास के लिए उपायों के सुझाव देने हेतु इस मंत्रालय द्वारा गठित कृषि विपणन के विकास एवं सुदृढ़ीकरण संबंधी विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि विनियमित मण्डियों ने सीमित स्तर पर ही सफलता हासिल की है। इन मण्डियों से उचित व्यापारिक प्रथाओं तथा बाजार के उतार-चढ़ाव को सुनिश्चित करने के माध्यम से कृषि विपणन का सुचारू एवं व्यवस्थित विकास सुनिश्चित करने की अपेक्षा की गई थी। परन्तु पिछले कुछ वर्षों में ये मण्डियां प्रतिबंधात्मक तथा विनियमित मण्डियां बनती गई हैं और इनसे प्रत्यक्ष व मुक्त विपणन, संगठित खुदरा बिक्री, कृषि प्रसंस्करण हेतु कच्चे माल की सुचारू आपूर्ति, प्रतिस्पर्धात्मक व्यापार, सूचना के आदान-प्रदान और नवीनतम विपणन प्रणालियों व प्रौद्योगिकी अपनाने में कोई मदद नहीं मिली है।

(ग) देश में कृषि विपणन के सुदृढ़ीकरण एवं विकास के उद्देश्य से इस मंत्रालय द्वारा गठित अन्तर्मंत्रालयी कार्य दल ने अपनी रिपोर्ट 28 जून, 2002 को सौंप दी है। रिपोर्ट में अन्य बातों के अलावा निम्नलिखित के लिए राज्य कृषि उपज विपणन विनियमन अधिनियम में संशोधन सहित कृषि विपणन क्षेत्र में अनेक सुधारों का उल्लेख किया गया है:

(1) निजी एवं सहकारी क्षेत्र को कृषि विपणन के आधारभूत ढांचे की स्थापना एवं सहायता सेवाओं के प्रचालन (सेवा प्रभार लगाने सहित) के लिए कार्यक्षम बनाना।

(2) लाइसेन्सधारी व्यापारियों एवं विनियमित मण्डियों में जाने की आवश्यकता को नकारते हुए उत्पादक क्षेत्रों एवं किसानों के खेतों से कृषि जिंसों की सीधी बिक्री।

(3) प्रसंस्करण एवं विपणन फर्मों को ''ठेके पर खेती'' की अनुमति देना।

(4) राज्य में विपणन की सम्पूर्म प्रक्रिया में एक ही स्थान पर मण्डी शुल्क की लेवी लागू करके मण्डी शुल्क की लेवी का चक्रण।

सुधारात्मक उपायों के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों, केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों एवं केन्द्रीय सरकार के संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए हैं।

(घ) जी, हां।

(ङ) कर्नाटक सरकार ने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के साथ दिनांक 28.2.2000 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ बंगलौर में एक बागवानी मण्डी की स्थापना करना भी शामिल था। तदनुसार राज्य सरकार द्वारा कर्नाटक कृषि उपज मण्डी (विनियमन) अधिनियम, 1966 में संशोधन किया गया जिसमें राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड को कर्नाटक

में फलों व सब्जियों के एकत्रीकरण एवं वितरण हेतु मण्डियां तथा अन्य बुनियादी संरचना स्थापित करने, उसे अपने स्वामित्व में रखने और उसके प्रबंधन की अनुमति प्रदान की गई।

मरूभूमि का पर्यटक स्थल के रूप में विकास

3279. श्री शीशराम सिंह रवि : क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या शहरी और ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट में मरूभूमि विकास कार्यक्रम पर विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या दुबई की मरूभूमि को एक रमणीय पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या दुबई के समान देश में कुछ मरूस्थलों को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस प्रकार के मरूभूमि पर्यटक स्थल का कब तक विकास किए जाने की संभावना है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) जी हां। शहरी और ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति ने मरूभूमि विकास कार्यक्रम पर विचार किया है।

(ख) जी हां।

(ग) और (घ) पर्यटन विभाग, भारत सरकार ने, मरूभूमि क्षेत्रों सहित पर्यटक स्थलों में पर्यटकों को सुविधाएं प्रदान करने तथा पर्यटन संबंधी अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए पर्यटक परिपथों के एकीकृत विकास तथा उत्पाद/अवसंरचना एवं गंतव्य विकास की नई योजनाएं तैयार की हैं। वर्ष 2002-03 के लिए परियोजनाओं के बारे में अन्तिम निर्णय राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों के परामर्श से लिया जाना है।

(ङ) मरूस्थलों को पर्यटक स्थलों के रूप में विकसित करने के लिए अभी तक कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

[हिन्दी]

सोनवेली सीमेंट लि. पर भविष्य निधि देय

3280. श्री ब्रजमोहन राम : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) झारखंड के पलामू जिले के जबाना नामक स्थान पर स्थित सोनवेली सीमेंट लि. पर भविष्य निधि की कितनी राशि बकाया है;

(ख) क्या कामगारों को भविष्य निधि कार्यालय, रांची से अपनी भविष्य निधि का भुगतान प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में क्या उपचारात्मक कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): (क) प्रतिष्ठानों द्वारा अपनी सितंबर, 1991 तक की कानूनी देयताएं अदा कर दी गई हैं। इन प्रतिष्ठानों ने अक्टूबर, 1991 से फरवरी, 1992 की अवधि के लिए मजदूरी तथा अनुवर्ती भविष्य निधि देयताओं का भुगतान नहीं किया।

(ख) जी, नहीं। क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, रांची ने अंशदाताओं से प्राप्त सभी दावों का निपटान कर दिया है।

(ग) (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) बी.आई.एफ.आर. द्वारा स्थापना को बंद किये जाने के आदेश तथा इसकी पुष्टि औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण न्यायिक प्राधिकारी की पुष्टि के परिणामस्वरूप प्रबंधन एवं श्रमिक संघों ने माननीय उच्च न्यायालय पटना में रिट याचिका दायर की है।

[अनुवाद]

अन्तर्राज्यीय जल विवाद

3281. श्री अजय सिंह चौटाला : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में अन्तर्राज्यीय नदी जल विवादों के कारण बड़ी संख्या में सिंचाई परियोजनाएं अभी भी अधूरी पड़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो आज की तिथि के अनुसार इन विवादों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके परिणामस्वरूप देश को अनुमानतः कितना वित्तीय घाटा हुआ है;

(घ) क्या सरकार ने इन विवादों को हल करने के लिये कोई उपाय किए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) और (ख) पंजाब, हरियाणा और राजस्थान राज्यों के बीच रावी और व्यास के अधिशेष जल की भागीदारी से संबंधित विवाद, जिसे अप्रैल, 1986 में निर्णय हेतु अन्तरराज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अंतर्गत रावी एवं व्यास जल अधिकरण को भेजा गया है, के कारण सतलज-यमुना संपर्क नहर का निर्माण कार्य अधूरा पड़ा है। रावी और व्यास जल अधिकरण ने 30.1.1987 को अपनी पहली रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। पक्षकार राज्यों और केन्द्र सरकार ने अन्तरराज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956 की धारा 5(3) के अंतर्गत व्याख्या/निदेश मांगा है।

(ग) इस परियोजना के पूरा न होने के कारण होने वाली वित्तीय क्षति बहुत से कारकों जैसे परियोजनाओं के निर्माण में राज्य सरकार द्वारा किये गये निवेश, इस प्रकार की परियोजनाओं आदि से होने वाले सिंचाई तथा अन्य लाभों पर निर्भर करता है। इसकी जानकारी केन्द्र सरकार के पास नहीं होती है क्योंकि सिंचाई राज्य का विषय होता है।

(घ) और (ङ) पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के मुख्यमंत्रियों के साथ इन राज्यों के जल से संबंधित मुद्दों पर बातचीत करने हेतु 11 सितम्बर, 2000, 27 जून, 2001 और 2 फरवरी, 2002 को बैठक बुलाने के लिए प्रयास किए गए थे। हालांकि बैठकें आयोजित नहीं की जा सकी। अधिकरणों द्वारा विवादों पर समय-बद्ध निर्णय देने के लिए 28 मार्च, 2002 को संसद द्वारा अन्तरराज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956 में संशोधन कर दिया गया है। संशोधित अधिनियम के अनुसार अधिकरण के निर्णय का सरकारी राजपत्र में प्रकाशन के पश्चात् वही महत्व होगा जो उच्चतम न्यायालय के आदेश अथवा डिक्री का होता है।

रबड़ की सतहवाली सड़कें

3282. श्री गुनीपाटी रामैया : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार प्राकृतिक रबड़ के उपयोग से रबड़ की सतहवाली सड़कें बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या किसी राज्य सरकार ने रबड़ की सतहवाली सड़क परियोजनाओं को लागू करने के लिये केंद्र सरकार के साथ सहयोग करने की इच्छा व्यक्त की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केंद्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी): (क) और (ख) सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों की सतह बनाने और केन्द्र द्वारा प्रायोजित अन्य स्कीमों में परिशोधक के तौर पर प्राकृतिक रबड़ सहित रबड़/पालिमर के साथ शोधित डामर के उपयोग के लिए नीति तैयार की है। यह इसकी उपलब्धता पर निर्भर करता है। इस समय विभिन्न राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्गों की 2675 कि.मी. लंबाई में रबड़/पालिमर शोधित डामर की सतह बनाने के प्रावधान के लिए स्वीकृति दी गई है जिसमें से 972 कि.मी. में यह कार्य पूरा कर लिया गया है।

(ग) और (घ) सरकार की नीति के अनुसरण में राज्यों को भी राज्य क्षेत्र में सड़क निर्माण कार्यों के लिए रबड़/पालिमर शोधित डामर के प्रयोग की सलाह दी गई है। तथापि, ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि यह राज्य सरकारों के कार्यक्षेत्र में आता है।

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजनाएं

3283. श्री ए. वेंकटेश नायक : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजनाओं को पर्यावरण और वन मंत्रालय के परामर्श के बिना तैयार किया जाता है जिससे इनमें विलंब होता है और आवश्यकता से अधिक धनराशि लगती है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) पर्यावरणीय स्वीकृति के अभाव में राज्य-वार कितनी परियोजनाएं लंबित पड़ी हैं;

(घ) 30 जून, 2002 तक इन परियोजनाओं पर कितनी धनराशि खर्च की गयी; और

(ङ) मंत्रालय द्वारा इस स्थिति का समाधान करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी): (क) जी नहीं। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजनाएं (एन.एच.डी.पी.) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की सांविधिक अपेक्षाओं और निर्धारित दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा तैयार की जाती हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) कुछ नहीं।

(घ) 30 जून, 2002 तक राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजनाओं पर 6590.83 करोड़ रु. व्यय हुए हैं।

(ङ) पर्यावरण की दृष्टि से स्वीकृति लेने में शीघ्रता किए जाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(1) वे परियोजनाएं पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की सांविधिक अपेक्षाओं और निर्धारित दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए तैयार की जाती हैं।

(2) पर्यावरण स्वीकृति संबंधी विषयों के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में एक पृथक प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है।

(3) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की विशेषज्ञ समिति के समक्ष आवश्यकता होने पर प्रस्तुतीकरण किया जाता है।

(4) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के साथ सभी स्तरों पर लगातार संपर्क रखा जाता है।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा कल 6 अगस्त, 2002 को पर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित होती है।

पूर्वाह्न 11.53 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 6 अगस्त, 2002/15 श्रावण, 1924 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

पी.एल.एस.–48/27/16/2002 (एन०)
280

© 2002 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (नौवां संस्करण) के नियम 379 और 382
के अंतर्गत प्रकाशित और मैसर्स जैनको आर्ट इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।